ा माला, खंड 15, अंक 18

मंगलवार, 20 मार्च, 2001
29 फाल्गुन, 1922 (शक)

NOT TO BE ISSUED

FOR REFERENCE ONLY

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 2... 51
Date 14/10/01

(खंड 15 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 15, छठा सत्र, 2001/1922 (शक)]

अंक 18, मंगलवार, 20 मार्च, 2001/29 फाल्गुन, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 340	2-47
अतारांकित प्रश्न संख्या 3339 से 3512	47-323
सभा पटल पर रखे गए पत्र	324-330
नियम 377 के अधीन मामले	330-339
(एक) जबलपुर को मुम्बई, दिल्ली और अन्य महानगरों से वायुमार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता	
श्री रामनरेश त्रिपाठी	330
(दो) लखनऊ-मौरावन-बक्सर-बिन्दगी-सागर (मध्य प्रदेश) मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने और बक्सर में गंगा नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
डा. अशोक पटेल	331
(तीन) उड़ीसा में जाखापुरा-बांसपानी रेल परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनन्त नायक	331
(चार) जनजातीय क्षेत्रों, विशेष रूप से गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए वन (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्री मनसुखभाई डी. वसावा	332
(पांच) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके अधिनियम की पहली अनुसूची में से ''नीलगाय'' का लोप किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासासिंह रावत	332
(छह) आन्ध्र प्रदेश में विशेष रूप से कुडप्पा, अनन्तपुर और महबूब नगर जिलों में मूंगफली की फसल का बीमा किए जाने की आवश्यकता	
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी	333
(सात) उड़ीसा में ढेंकानाल-कामाख्या नगर-कालीहाट-नुपुरपाड़ा-नारायणपुर-क्योंझर राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री के.पी. सिंह देव	334
(आठ) रसोई गैस/पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप के आवंटन के लिए एक पारदर्शी तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा	334

विषय | कॉलम

(नौ) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री टी. गोविन्दन 335

(दस) खलीलाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री भालचन्द्र यादव 335

(ग्यारह) चित्रकूट मंडल में "फ्री बोर प्रोजेक्ट" के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन 336

(बारह) तमिलनाडु के तिरुपत्तूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का चहुंमुखी विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 337

(तेरह) बिहार के चहुंमुखी विकास के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

श्री मंजय लाल 337

(चौदह) तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को सहकारी बैंकों द्वारा रसोई गैस कनेक्शनों के लिए ऋण मंजूर करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.एच. पांडियन 338

(पन्द्रह) सिक्किम के तमांग, लिम्बू और कुछ अन्य समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री भीम दाहाल 339

राष्ट्रपति से संदेश 339

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

नियम 331छ(क) का निलम्बन 340

लेखानुदानों की मांगें (रेल), 2001-2002

और

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2000-2001 340-343

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2001 343-345

विचार करने के लिए प्रस्ताव 344

श्री दिग्विजय सिंह 343

खण्ड 2, 3 और 1 344

पारित करने के लिए प्रस्ताव 345

विषय	कॉलम
विनियोग (रेल) विधेयक, 2001	345-346
विचार करने के लिए प्रस्ताव	346
श्री दिग्विजय सिंह	345
खण्ड 2, 3 और 1	346
पारित करने के लिए प्रस्ताव	346
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2001-2002 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2000-2001	347-364
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001	365-366
विचार करने के लिए प्रस्ताव	365
श्री यशवन्त सिन्हा	365
खंड 2 से 4 और 1	366
पारित करने के लिए प्रस्ताव	366
विनियोग विधेयक, 2001	366-368
विचार करने के लिए प्रस्ताव	367
श्री यशवन्त सिन्हा	366
खण्ड 2, 3 और 1	368
पारित करने के लिए प्रस्ताव	368

लोक सभा

मंगलवार, 20 मार्च, 2001/29 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 321, श्री नवल किशोर राय।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(इस समय श्री अधीर चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीटों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया आप अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ऐसा कितने दिनों तक चलेगा?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप पहले अपनी सीटों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कोई डिसिप्लिन नहीं है क्या?

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा

***321. श्री नवल किशोर राय:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उच्च शिक्षा तक पहुंचने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम रहती है;

(ख) यदि हां, तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले उन विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने में सक्षम रहते हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा पर किए जा रहे व्यय को बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) देश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की संख्या विकसित देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की संख्या से कम है। विद्यालय शिक्षा की कक्षा-1 में दाखिले की प्रतिशतता के संदर्भ में उच्च शिक्षा के प्रथम वर्ष तक पहुंचने वाले विद्यार्थियों की अनुमानित प्रतिशतता लगभग 10 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) उच्च शिक्षा पर सरकारी व्यय में निरन्तर वृद्धि होती रही है। आठवीं योजना की तुलना में नौंवी योजना के दौरान किये गये आबंटनों से पता चला है कि योजनागत आबंटन में 216 प्रतिशत की तथा योजनेतर आबंटन में लगभग 245 प्रतिशत की अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए जापान से सहायता

***322. डा. जसवंतसिंह यादव:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सहायता करने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से जापान की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का किस सीमा तक समाधान होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) 1998 से जापान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल से संबंधित किसी नयी परियोजना के लिए सहायता देने की स्वीकृति नहीं दी है।

(ग) और (घ) भारत सरकार समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी सहायता के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगती रहती है। लेकिन उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए जापान द्वारा वित्त पोषण किए जाने के लिए राज्य सरकारों से इस समय नए प्रस्ताव नहीं मांगे जा रहे हैं।

(ङ) जहां तक जापान द्वारा उपर्युक्त प्रतिबंध लगाए जाने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल से संबंधित अनुमोदित परियोजनाओं का संबंध है, तत्कालीन ओवरसीज इक्नॉमिक कार्पोरेशन फंड (ओ.ई.सी.एफ), जापान (अब जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कार्पोरेशन) ने 1997 में सहायता के लिए ओ.ई.सी.एफ. सहायता प्राप्त केरल जल आपूर्ति परियोजना-आई.डी.पी.-123 नामक एक परियोजना को अनुमोदित किया था। परियोजना की अनुमानित लागत 1787.45 करोड़ रुपये है। आशा है कि परियोजना से अन्य शहरी क्षेत्रों के साथ अर्द्ध शहरी गांवों को लाभ मिलेगा।

अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983

***323. श्री जयभान सिंह पवैया:**
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 असम में विदेशी नागरिकों की पहचान करने में पक्षपातपूर्ण सिद्ध हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अधिनियम के लागू होने से अब तक कितने विदेशी नागरिकों को, विशेषकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को निर्वासित किया गया है;

(घ) अधिकरणों के पास उनके कितने मामले निपटान के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त अधिनियम को निरसित करने के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) सरकार का यह मत है कि अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 (आई.एम.डी.टी.) का केवल असम राज्य पर ही लागू होना पक्षपातपूर्ण है। केन्द्र सरकार की दृष्टि में, अन्य बातों के साथ-साथ पक्षपात के मुख्य आधार इस प्रकार हैं:-

(1) देश में गैर-कानूनी रूप से रह रहे विदेशियों (अवैध प्रवासी) का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के बारे में विदेशी विषयक अधिनियम, 1946, असम को छोड़कर, शेष देश में लागू है।

(2) एक ही वर्ग के लोगों का पता लगाने के लिए, केवल उसी स्थान को आधार बना कर जहां पर उनका पता लगा है, अलग-अलग कानून लागू नहीं किए जा सकते हैं।

(3) अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम (आई.एम.डी.टी.), 1983 के कुछ प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघनकारी हो सकते हैं।

(ग) आई.एम.डी.टी. अधिनियम के 15.10.1983 को लागू होने से लेकर और 31.8.2000 तक 1,487 अवैध प्रवासियों को वस्तुतः देश से प्रत्यावर्तित किया गया है।

(घ) आई.एम.डी.टी. अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत गठित अधिकरणों के पास 24,836 मामले लम्बित (31.8.2000 तक) पड़े हैं।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

(च) आई.एम.डी.टी. अधिनियम, 1983 को निरस्त करने के बारे में अन्तिम निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं का जा सकती।

[अनुवाद]

दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों का दाखिला और अध्यापकों की भर्ती

***324. श्री श्रीनिवास पाटील:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में छात्रों के और अधिक दाखिलों और अध्यापकों की भर्ती पर रोक लगाने का है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संघटक महाविद्यालयों के शासी निकायों के सदस्यों की नियुक्ति और ऐसे निकायों के संघटन में अनन्य रूप से शक्तियों के प्रयोग पर विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इससे महाविद्यालयों की स्वायत्तता पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में और अधिक छात्रों के दाखिला तथा और अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाने का कोई विचार नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित दिल्ली के कालेजों में छात्रों की दाखिला क्षमता तथा संकाय संख्या में कोई भी परिवर्तन दिल्ली विश्वविद्यालय और आयोग की पूर्वानुमति से किया जाना चाहिए।

(ख) से (घ) यह मामला अभी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

सिंथेटिक दवाओं की भरमार

***325. श्री के.पी. सिंह देव:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत शीघ्र ही सिंथेटिक दवाओं की भरमार के लिए दूसरा प्रमुख बाजार बन जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति के निवारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) भारत के पास सिंथेटिक औषधों सहित भेषज उत्पादन का प्रबल और विस्तृत आधार है और यह देश की अधिकांश जरूरतों को पूरा करने में समर्थ है। भारतीय भेषज उत्पाद उचित मूल्यों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए डम्पिंग के लिए भारत के अगला प्रमुख बाजार बनने की संभावना नहीं है। फिलहाल 6 औषधों पर एंटी डम्पिंग शुल्क लगाया जाता है। 2 औषधों के लिए जांच शुरू कर दी गई है, और 2 अन्य औषधों के मामले में अंतिम/अनंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त पदनामित प्राधिकारी, भारत में 1995 में यथा संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9क, 9ख और 9ग के तहत एंटी डम्पिंग जांच करता है। जब घरेलू उद्योग पूरे दस्तावेज के साथ पदनामित प्राधिकारी को याचिका दायर करता है अथवा जब सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत नियुक्त कस्टम कलेक्टर से या किसी अन्य स्त्रोत से डंपिंग, घरेलू उद्योग को हानि तथा आयातित मालों और हानि के बीच नैमित्तिक संपर्क के पर्याप्त साक्ष्य के साथ जानकारी प्राप्त होती है, तब एंटी डंपिंग जांच शुरू की जाती है।

जब कभी एंटी डम्पिंग नियमावली के अनुसार पूरे दस्तावेज सहित याचिका अथवा डम्पिंग की सूचना प्राप्त होती है, तब महानिदेशक, एंटी डम्पिंग स्वदेशी उद्योग के हितों की रक्षा के लिए जांच शुरू करते हैं।

भू-जल प्रदूषण

***326. श्री सिमरनजीत सिंह मान:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने रसायनों और उर्वरकों के अन्धाधुंध प्रयोग के कारण तेजी से बढ़ रहे भू-जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ख) क्या सरकार ने किसानों को मानव निर्मित रसायनों और उर्वरकों के स्थान पर कोई अन्य परम्परागत जैव विकल्प उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से पंजाब में, अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) भू-जल प्रदूषण आयरन, फ्लूराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक,

हैवी मैटल, लवण आदि जैसे विभिन्न संदूषकों के कारण होता है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में अकार्बनिक तत्वों, रसायनों और हैवी मैटल्स के कारण भू-जल संदूषण के बारे में अध्ययन किए हैं। भू-जल प्रदूषण समस्या को समाप्त करने हेतु किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:-

(1) केन्द्र सरकार ने भू-जल प्रबन्धन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण की स्थापना की है।

(2) जल मितव्ययता, कुशल उपयोग, स्वास्थ्य, सफाई तथा स्वच्छता के महत्व के बारे में जल जागरूकता तथा शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए हैं।

(3) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्धारित मानकों के भीतर निस्रावों के डिस्चार्ज को सीमित करने, परिवेशी जल कोटि मानिटरिंग स्टेशनों की स्थापना करने, लघु आकार के एककों को आम निस्राव उपचार संयंत्रों की स्थापना तथा अत्यंत प्रदूषित क्षेत्रों में मानिटरिंग की कोटि योजना शुरू करने में सहायता देने हेतु योजना शुरू करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से उद्योगों को निर्देशित करने जैसे कई उपाय किए हैं।

(4) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक अनुसंधान अध्ययन का वित्त पोषण किया है, जिसमें पंजाब के लुधियाना जिले में नाइट्रेट प्रदूषण दर्शाया है।

(5) आई.सी.ए.आर. ने भारत का भू-जल कोटि नक्शा भी प्रकाशित किया है (प्रथम अनुमान)।

आई.सी.ए.आर. ने देश के विभिन्न भागों में कार्बनिक उर्वरकों से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित किया है। ऐसी परियोजनाओं की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

आई.सी.ए.आर. द्वारा प्रायोजित कार्बनिक उर्वरकों से सम्बद्ध राज्यवार चालू अनुसंधान परियोजनाएं

राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या
1	2
पंजाब	1
हरियाणा	4
उत्तर प्रदेश	9
हिमाचल प्रदेश	4
राजस्थान	1
बिहार	5
पश्चिमी बंगाल	3
उड़ीसा	2
मध्य प्रदेश	9
महाराष्ट्र	6
आन्ध्र प्रदेश	2
तमिलनाडु	8
कर्नाटक	4
केरल	2
दिल्ली	3
गुजरात	1
आसाम	1
जम्मू और कश्मीर	1
कुल	66

जल संवर्धन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

***327. श्री किरीट सोमैया:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक कुछ राज्य सरकारों ने शहरी क्षेत्रों में जल संवर्धन योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता और स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इस प्रयोजनार्थ निर्गत की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इस योजना के अंतर्गत सहायता की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार सरकार के पास लंबित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मिले हैं। पिछले तीन वर्षों में और अभी तक राज्यवार अनुमोदित स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है। पिछले तीन वर्षों में और अभी तक राज्यवार जारी केन्द्रीय राशि का ब्यौरा विवरण-II में है।

(ग) और (घ) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जल आपूर्ति स्कीमों के लिए राज्य सरकारें अपने प्रस्ताव (राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित) इस मंत्रालय के तकनीकी विंग, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सीपीएचईईओ), की तकनीकी स्वीकृति के लिए पेश करती हैं। वह संगठन राज्य सरकारों द्वारा पेश जल आपूर्ति स्कीमों को अपनी तकनीकी स्वीकृति देता है और अनुमोदित स्कीम की परियोजना लागत स्पष्टतः निर्धारित की जाती है। अनुमोदित परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि इस मंत्रालय द्वारा किश्तों में केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की जाती है। प्रत्येक राज्य का वार्षिक आबंटन योजना आयोग द्वारा त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त राशि और मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति द्वारा अनुमोदित फार्मूले के आधार पर तय किया जाता है।

(ङ) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त 8 स्कीमें अभी अनुमोदित नहीं की गई हैं। इन स्कीमों का अनुमोदन राज्य सरकारों से तकनीकी स्पष्टीकरण मिलने पर निर्भर करता है। इन 8 स्कीमों का ब्यौरा विवरण-III में है।

विवरण-I

(13.3.2001 के अनुसार स्थिति)

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित स्कीमें और अनुमानित लागत							
		1998-99		1999-2000		2000-2001		कुल	
		अदद	अनु. लागत	अदद	अनु. लागत	अदद	अनु. लागत	अदद	अनु. लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	2	323.78	4	1257.31	—	—	6	1581.09
4.	बिहार	4	496.27	8	1301.44	1	148.55	13	1946.26
5.	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	—	—	7	1395.28	4	846.78	11	2242.06
7.	हरियाणा	4	523.10	4	512.82	8	1897.28	16	2933.20
8.	हिमाचल प्रदेश	1	117.90	2	626.00	1	188.00	4	931.90
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	1	305.70	0	0	1	305.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	कर्नाटक	2	689.00	7	1371.45	4	1088.70	13	3149.15
11.	केरल	—	—	—	—	2	510.70	2	510.70
12.	मध्य प्रदेश	9	804.87	28	2559.35	9	1280.50	46	4644.72
13.	महाराष्ट्र	3	1006.66	2	465.58	5	2063.18	10	3535.42
14.	मणीपुर	2	276.89	3	340.88	3	653.54	8	1271.31
15.	मेघालय	—	—	—	—	1	386.10	1	386.10
16.	मिजोरम	1	154.94	3	320.78	1	322.88	5	798.60
17.	नागालैंड	—	—	1	683.00	—	—	1	683.00
18.	उड़ीसा	3	507.09	3	520.48	6	722.79	12	1750.36
19.	पंजाब	2	113.40	1	102.61	—	—	3	216.01
20.	राजस्थान	6	807.54	—	—	9	1226.68	15	2034.22
21.	सिक्किम	—	—	1	115.68	—	—	1	115.68
22.	तमिलनाडु	4	703.65	6	1396.10	8	1444.12	18	3543.87
23.	त्रिपुरा	1	133.35	1	288.14	3	800.97	5	1222.46
24.	उत्तर प्रदेश	26	2204.21	27	2389.54	67	6194.97	120	10788.72
25.	पश्चिम बंगाल	1	87.40	—	—	4	994.05	5	1081.45
	कुल	71	8950.05	109	15952.14	136	20769.79	316 ·	45671.98

विवरण-II

केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) 1998-99 से 2000-2001 तक जारी केन्द्रीय अंश

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	0.00	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	149.08	50.00	199.08
3.	असम	198.87	324.26	0.00	523.13
4.	बिहार	192.75	319.47	0.00	512.22
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात	0.00	347.25	386.10	733.35
7.	हरियाणा	130.19	259.56	438.85	828.60
8.	हिमाचल प्रदेश	58.95	156.50	125.25	340.70
9.	जम्मू व कश्मीर	20.75	183.90	0.00	204.65
10.	कर्नाटक	298.08	465.91	555.80	1319.79
11.	केरल	85.50	67.69	127.68	280.87
12.	मध्य प्रदेश	626.72	936.56	559.76	2123.04
13.	महाराष्ट्र	393.94	369.01	437.92	1200.87
14.	मणिपुर	63.16	160.51	206.00	429.67
15.	मेघालय	0.00	0.00	96.53	96.53
16.	मिजोरम	76.95	63.42	138.11	278.48
17.	नागालैंड	17.51	175.80	85.98	279.29
18.	उड़ीसा	258.00	258.62	245.79	762.41
19.	पंजाब	0.00	105.48	0.00	105.48
20.	राजस्थान	324.81	0.00	306.74	631.55
21.	सिक्किम	0.00	28.92	0.00	28.92
22.	तमिलनाडु	234.91	521.36	535.54	1291.81
23.	त्रिपुरा	42.11	91.44	175.25	308.80
24.	उत्तर प्रदेश	932.83	1515.26	1680.19	4128.28
25.	पश्चिम बंगाल	43.97	0.00	248.51	292.48
	कुल	4000.00	6500.00	6400.00	16900.00

विवरण-III

राज्य का नाम	कस्बे का नाम	जिला	अनु. लागत (लाख रु. में)
1	2	3	4
हरियाणा	लोहारू	भिवानी	175.25
हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	हमीरपुर	1247.00
मध्य प्रदेश	मऊगंज	रीवा	198.30
मध्य प्रदेश	शाहपुर	शाहपुर	58.00

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	अजयगढ़	पन्ना	99.00
उड़ीसा	सोनपुर	सोनपुर	189.00
उड़ीसा	पतनागढ़	बोलंगीर	245.71
उत्तर प्रदेश	बागेश्वर	बागेश्वर	704.30

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के लिए विशेषज्ञ समिति

***328. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को कारगर बनाने और उनके प्रबंधन को सुचारू बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) सरकार विशेषज्ञ समिति का गठन करने का विचार रखती है परंतु अभी तक समिति का औपचारिक गठन नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों को अनुदान

***329. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों, विशेषकर 'नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी' द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान राशि का कितना भाग व्यय किया गया;

(ख) क्या उक्त योजना अवधि के दौरान अधिकतर विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई अनुदान राशि का उपयोग नहीं किया; और

(ग) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने वर्ष 2000-2001 के अनुदान का उपयोग नहीं किया और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा योजनागत तथा योजनेतर आबंटनों के अधीन नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों (राज्य-वार) को दिए गए अनुदानों और उनके द्वारा उनके उपयोग संबंधी स्थिति को दर्शाने वाले विवरण I से V के रूप में संलग्न हैं।

क्योंकि चालू वित्त वर्ष 2000-2001 अभी समाप्त नहीं हुआ है इसलिए इस अवधि के दौरान दिए गए अनुदान के उपयोग के बारे में स्थिति का मूल्यांकन इस स्तर पर नहीं किया जा सकता।

विवरण-I

1997-98 से 2000-2001 के दौरान योजनागत आबंटन के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदान/उनके द्वारा किये गये व्यय का विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अब तक दिया गया कुल स्वीकार्य अनुदान	अब तक सूचित व्यय
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1120.00	424.15

1	2	3	4
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1200.00	587.68
3.	बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय	1080.00	901.58
असम			
4.	असम विश्वविद्यालय	1280.00	790.65
5.	तेजपुर विश्वविद्यालय	1440.00	1085.37
दिल्ली			
6.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1120.00	430.84
7.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	1360.00	918.93
8.	दिल्ली विश्वविद्यालय	1360.00	511.46
मेघालय			
9.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	1360.00	493.36
10.	मिजोरम विश्वविद्यालय	अनुदान अभी तक दिया नहीं गया है क्योंकि यह एक नया विश्वविद्यालय है।	
नागालैंड			
11.	नागालैंड विश्वविद्यालय	1280.00	917.74
पांडिचेरी			
12.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	1200.00	731.14
पश्चिम बंगाल			
13.	विश्व भारती	725.00	203.81
आंध्र प्रदेश			
14.	एम.ए.एन. उर्दू विश्वविद्यालय	900.00	22.36
15.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	1120.00	613.85
महाराष्ट्र			
16.	एम.जी.ए. हिन्दी विश्वविद्यालय	270.00	65.28

विवरण-II

1997-98 से 2000-2001 के दौरान योजनागत आबंटन के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदान/उनके द्वारा किये गये व्यय का विवरण

*(रु. लाख में)

विश्वविद्यालय/संस्थान	दिये गये अनुदान(*)	सूचित किया गया व्यय
तमिलनाडु		
अविनाशलिंगम महिला गृह विज्ञान तथा उच्च शिक्षा संस्थान, कोयम्बटूर	200.00	1,28,91,346/-
गांधी ग्रामीण संस्थान, गांधीधाम	260.00	1,77,40,000/-
श्री चंद्रशेखेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम	120.00	1,13,86,000/-
राजस्थान		
वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	240.00	2,00,00,000/-
जैन विश्वभारती संस्थान लाडनु	80.00	37,57,180/-
राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	160.00	1,22,76,951/-
आंध्र प्रदेश		
केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	260.00	82,16,000/-
राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	163.20	39,99,990/-
श्री सत्यसाई उच्च अध्ययन संस्थान, प्रसन्नतिनिलायम	160.00	1,07,22,694/-
उत्तर प्रदेश		
केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ	80.00	49,97,725
दयालबाग शैक्षिक संस्थान, आगरा	220.00	1,65,06,854/-
गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय, गुरूकुल कांगडी, हरिद्वार	160.00	59,26,599/-
महाराष्ट्र		
दक्कन कॉलेज, पुणे	70.00	50,08,712/-
गोखले राजनीति तथा अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे	234.00	1,00,65,139/-
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई	340.00	1,04,88,000/-
तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	100.25	30,40,608/-
भारती विद्यापीठ, पुणे	13.52	13,98,980/-
गुजरात		
गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	240.00	1,43,41,803/-
नई दिल्ली		
जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	280.00	1,78,80,000/-
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	146.00	32,97,294/-
कुल	3426.97	19,33,89,676/-

विवरण-III

वर्ष 1997-98 से 2000-2001 तक योजनागत आबंटन के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए अनुदान/राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए व्यय का विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/विश्वविद्यालय का नाम		आज तक की स्थिति के अनुसार पहले से संस्वीकृत अनुदान (1997-98 से 2000-2001)	व्यय का विवरण/आज तक की स्थिति के अनुसार प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र (फरवरी, 2001)
1		2	3
असम			
1.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	218.20	109.20
2.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय	216.40	147.25
अरुणाचल प्रदेश			
3.	अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	216.00	158.35
आन्ध्र प्रदेश			
4.	आन्ध्र विश्वविद्यालय	208.00	24.60
5.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	204.00	42.50
6.	एस.पी.एम. विश्वविद्यालय	180.00	51.41
7.	एस.के.डी. विश्वविद्यालय	187.20	22.88
8.	नागार्जुन विश्वविद्यालय	197.60	42.24
9.	काकातिया विश्वविद्यालय	154.00	51.41
10.	ओसमानिया विश्वविद्यालय	216.00	72.00
11.	पी.एस. तेलुगू विश्वविद्यालय	130.00	16.00
बिहार			
12.	रांची विश्वविद्यालय	172.90	32.14
13.	एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय	169.60	21.20
14.	बी.आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय	163.80	71.16
15.	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय	147.00	14.01
16.	के.एस.डी. संस्कृत विश्वविद्यालय	105.21	13.32

1		2	3
17.	मगध विश्वविद्यालय	124.80	ड.प्र.प. मांगा गया है
18.	पटना विश्वविद्यालय	216.00	31.73
गुजरात			
19.	भावनगर विश्वविद्यालय	180.00	37.04
20.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	176.80	15.15
21.	साऊथ गुजरात विश्वविद्यालय	228.80	50.23
22.	नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय	109.60	16.95
23.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	208.00	38.45
24.	एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा	224.00	91.81
25.	गुजरात विश्वविद्यालय	171.60	ड.प्र.प. मांगा गया है
गोवा			
26.	गोवा विश्वविद्यालय	162.00	63.77
हिमाचल प्रदेश			
27.	हिमाचल विश्वविद्यालय	216.00	74.27
हरियाणा			
28.	गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय	109.60	64.84
29.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	232.00	94.33
30.	एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक	228.80	70.52
जम्मू व कश्मीर			
31.	जम्मू विश्वविद्यालय	218.40	38.99
32.	कश्मीर विश्वविद्यालय	162.00	153.95
कर्नाटक			
33.	मैसूर विश्वविद्यालय	228.00	82.09
34.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय	120.00	105.00
35.	कन्नड विश्वविद्यालय	63.00	18.78
36.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	216.00	54.62
37.	बंगलौर विश्वविद्यालय	162.00	176.74

1		2	3
38.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय	176.80	22.10
39.	मंगलौर विश्वविद्यालय	208.00	44.38
40.	कुवेम्पू विश्वविद्यालय	150.00	71.60
केरल			
41.	केरल विश्वविद्यालय	216.00	137.00
42.	कोचीन विश्वविद्यालय ऑफ साइंस एंड टैक्नोलोजी	217.60	32.40
43.	कालीकट विश्वविद्यालय	197.60	83.90
44.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	140.40	उ.प्र.प. मांगा गया है
मणिपुर			
45.	मणिपुर विश्वविद्यालय	218.40	44.49
मध्य प्रदेश			
46.	बरकुल्ला विश्वविद्यालय	216.00	25.00
47.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	164.00	41.00
48.	इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय	120.00	12.81
49.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	218.40	51.84
50.	विक्रम विश्वविद्यालय	218.40	55.30
51.	एम.जी. ग्रामोध्या विश्वविद्यालय	95.90	43.59
52.	ए.पी.एस. विश्वविद्यालय	127.20	उ.प्र.प. मांगा गया है
53.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	169.60	53.40
54.	डा. एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय	162.00	100.91
55.	जीवजी विश्वविद्यालय	168.00	40.05
56.	पं. रविशंकर शुक्ला	127.20	127.20
महाराष्ट्र			
57.	मुम्बाई विश्वविद्यालय	240.00	84.09
58.	पुणे विश्वविद्यालय	220.00	20.25
59.	एस.एन.डी.टी. वूमेन्स विश्वविद्यालय	216.00	121.46
60.	शिवाजी विश्वविद्यालय	208.00	39.07

1		2	3
61.	नागपुर विश्वविद्यालय	187.20	66.30
62.	स्वामी रामानंद ती मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	105.00	73.32
63.	नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय	150.00	31.95
64.	अमरावती विश्वविद्यालय	176.80	40.60
65.	डा. बी.ए. मराठवाड़ा	188.80	26.16
उड़ीसा			
66.	बहरामपुर विश्वविद्यालय	208.00	22.20
67.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय	113.40	25.15
68.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय	220.00	53.89
69.	उत्कल विश्वविद्यालय	216.00	54.00
पंजाब			
70.	पंजाब विश्वविद्यालय	216.00	31.85
71.	पंजाबी विश्वविद्यालय	172.90	73.81
72.	गुरूनानक देव विश्वविद्यालय	200.20	90.71
राजस्थान			
73.	राजस्थान विश्वविद्यालय	224.00	56.00
74.	एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय	145.60	43.50
75.	जे.एन. व्यास विश्वविद्यालय	187.20	46.80
76.	एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर	149.60	37.40
त्रिपुरा			
77.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	216.00	46.57
तमिलनाडु			
78.	अन्ना विश्वविद्यालय	180.00	57.70
79.	एम.बी. विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेल्ली	149.60	74.80
80.	अलगप्पा, विश्वविद्यालय	169.60	21.03
81.	भारतीदान विश्वविद्यालय	176.80	30.86
82.	मदर टेरेसा विश्वविद्यालय	130.00	30.00

1		2	3
83.	तमिल विश्वविद्यालय	120.00	10.97
84.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	156.00	उपयोग प्रमाणपत्र की मांग की गई
85.	मद्रास विश्वविद्यालय	240.00	155.00
86.	भारतीयार विश्वविद्यालय	187.20	61.78
87.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	211.20	27.68
उत्तर प्रदेश			
88.	डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय	–	–
89.	कुमायूं विश्वविद्यालय	165.20	47.70
90.	रुड़की विश्वविद्यालय	197.60	63.70
91.	डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	192.00	53.83
92.	लखनऊ विश्वविद्यालय	166.40	15.24
93.	डा. आर.एम.एल. अवध विश्वविद्यालय	203.00	59.49
94.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	112.80	उपयोग प्रमाणपत्र की मांग
95.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	162.00	उपयोग प्रमाणपत्र की मांग
96.	एम.जी. काशी विद्यापीठ	179.40	उपयोग प्रमाणपत्र की मांग
97.	चौधरी साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	102.00	उपयोग प्रमाणपत्र की मांग
98.	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	82.20	उपयोग प्रमाणपत्र की मांग
99.	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय	112.00	13.66
100.	एम.जे.पी. रूहेलखंड विश्वविद्यालय	208.00	81.02
पश्चिम बंगाल			
101.	वर्दवान विश्वविद्यालय	209.60	105.25
102.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	240.00	21.76
103.	कल्याणी विश्वविद्यालय	163.80	93.60
104.	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय	208.00	100.46
105.	विद्या सागर विश्वविद्यालय	140.00	73.00
106.	रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय	189.00	27.04
107.	जादवपुर विश्वविद्यालय	164.40	41.43
	कुल	18,964.71	–

विवरण-IV

वर्ष 1997-98 से 2000-2001 तक योजनेतर के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अनुदान/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा किया गया व्यय

विश्वविद्यालय का नाम	कुल	
	जारी अनुदान 1997-98 से 2000-2001	किया गया व्यय (1997-98 से 1999-2000)*
उत्तर प्रदेश		
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	51605.20	38507.32
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	52908.65	39973.88
बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय	217.77	275.73
असम		
असम विश्वविद्यालय	1569.57	1495.49
तेजपुर विश्वविद्यालय	961.57	784.22
दिल्ली		
दिल्ली विश्वविद्यालय	31557.01	26618.25
जामिया मिलिया इस्लामिया	10333.81	8081.29
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	15327.31	11682.36
मेघालय		
उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	10255.66	7949.54
नागालैण्ड		
नागालैण्ड विश्वविद्यालय	3294.48	2411.67
आन्ध्र प्रदेश		
हैदराबाद विश्वविद्यालय	8906.04	6612.81
पांडिचेरी		
पांडिचेरी विश्वविद्यालय	3379.87	3121.48
पश्चिम बंगाल		
विश्व भारती विश्वविद्यालय	13354.47	9768.64
कुल	203636.85	157281.31

*2000-2001 में जारी अनुदान के उपयोग संबंधी स्थिति का आकलन अगले वित्तीय वर्ष में ही हो सकता है।

विवरण-V

1997-98 से 2000-2001 तक योजनेतर के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये अनुदान/सम विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये व्यय का विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान	कुल	
		1997-98 से 2000-2001 तक दिये गये अनुदान	1997-98 से 1999-2000 तक किया गया व्यय*
आंध्र प्रदेश			
1.	केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	2792.09	2310.55
2.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	762.79	607.15
नई दिल्ली			
3.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	1669.04	3462.08
4.	श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	476.50	845.81
गुजरात			
5.	गुजरात विद्यापीठ, गुजरात	2026.69	1558.30
महाराष्ट्र			
6.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई	2304.15	1873.90
तमिलनाडु			
7.	अविनाशलिंगम् महिला उच्चतर शिक्षा संस्थान	1904.87	1980.84
8.	गांधी ग्रामीण संस्थान, गांधी ग्राम	2140.31	1756.06
9.	श्री चंद्र शेखेन्द्र विश्व महाविद्यालय	28.00	21.00
उत्तर प्रदेश			
10.	दयाल बाग शैक्षिक संस्थान, आगरा	1051.36	617.40
11.	गुरूकुल कांकड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	1626.86	1673.07
12.	वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान	446.00	1154.09
	कुल	17959.56	17880.40

*2000-2001 के दौरान दिये गये अनुदान की उपयोगिता के बारे में स्थिति का आकलन अगले वित्तीय वर्ष में ही किया जा सकता है।

औषध निर्माता कंपनियों से अतिप्रभारित राशि की वसूली

*330. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ औषध-निर्माता कंपनियों ने औषधियों के निर्धारित मूल्य की अपेक्षा अधिक मूल्य प्रभारित किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं और औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 के तहत इन कंपनियों से कितनी राशि की वसूली की जानी है;

(ग) क्या सरकार ने इन कंपनियों से अतिप्रभारित राशि की वसूली की है; और

(घ) यदि नहीं, तो अतिप्रभारित राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (घ) अधिक मूल्य वसूली करने वाली कंपनियों के खिलाफ औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 13 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। विभिन्न कंपनियों को लगभग 100 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और अधिक मूल्य वसूलने के कारण मै. जॉनसन एंड जॉनसन लि., मै. ग्लेक्सो (इं.) लि., मै. ई. मर्क. लि., मै. अन्ना फार्मास्युटिकल्स लि., और मै. लायका लेब्स लि. से 343.352 लाख रुपए की राशि वसूल कर ली गई है।

[हिन्दी]

पत्राचार विद्यालय

***331. मोहम्मद शहाबुद्दीन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं, जो वर्तमान में पत्राचार विद्यालय संचालित कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार विद्यालय के अन्तर्गत बहुत कम पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 15 वर्ष पूर्व पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए एक पृथक संकाय बनाने का निर्णय लिया था;

(ङ) यदि हां, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में इस संकाय की स्थापना न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) पृथक संकाय की स्थापना करने और पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय की दयनीय दशा में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) इस समय छः केन्द्रीय विश्वविद्यालय अर्थात् दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय और पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पत्राचार और दूरस्थ पद्धति से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय का पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय निम्नलिखित अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करता है:

(1) 13 विषयों में बी.ए. (पास)

(2) बी. कॉम (पास)

(3) हिन्दी और राजनीति विज्ञान में बी.ए. (आनर्स)

(4) बी. काम (ऑनर्स)

(5) हिन्दी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान और इतिहास में एम.ए.

(6) एम. कॉम।

(घ) से (च) दिल्ली विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद/कार्यकारी परिषद ने पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय को दूरस्थ शिक्षा संकाय युक्त मुक्त अध्ययन परिसर में परिवर्तित करने का निर्णय ले लिया है। विश्वविद्यालय इस निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु कार्यवाही कर रहा है। पाठ्यक्रम सामग्री को संशोधित करने और छात्र सहायता सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालयों को विकास संबंधी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

जनगणना-2001

***332. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**
श्री चिंतामन वनगा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जनगणना संबंधी कार्यों को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनगणना में धर्मपरिवर्तित ईसाइयों को अनुसूचित जाति की श्रेणी से बाहर रखा गया है;

(ग) क्या यह सच है कि कोई धार्मिक प्रतिबंध न होने के बावजूद भी, सभी जनजातियों को अनुसूचित जानजाति की सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान। भारत की जनगणना 2001 में जनसंख्या की गणना का कार्य गुजरात और हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरा कर लिया गया है।

(ख) भारत की जनगणना 2001 में ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपनाया है अथवा वह ईसाई ही है। प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की गणना, समय-समय पर, यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के उपबन्धों के अनुसार की गई थी जिमसें अन्य बातों के साथ-साथ केवल हिन्दुओं, सिक्खों और बौद्धों में अनुसूचित जातियों की जानकारी दर्ज करने का प्रावधान है।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान। भारत की जनगणना 2001 में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की गणना, समय-समय पर, यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के उपबन्धों के अनुसार की गई है। अनुसूचित जनजातियां किसी भी धर्म में हो सकती हैं।

विशेषज्ञ दल का गठन

***333. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रपति भवन, प्रधान मंत्री कार्यालय और संसद भवन संरचनात्मक रूप से इतने मजबूत नहीं हैं कि वे उच्च तीव्रता वाले भूकंप के झटके सहन कर सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस हेतु उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए किसी विशेषज्ञ दल का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लाक (प्रधान मंत्री कार्यालय सहित) और संसद भवन का निर्माण 1930 के दशक में हुआ था। इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि ये भवन मौजूदा भारतीय मानक ब्यूरो के कोडों और मैनुअलों के अनुसार भूकंप रोधी प्रचलित मानकों और कोडों के अनुरूप हैं। दिल्ली में वर्ष 1958 में आए पिछले बड़े भूकंप में इन भवनों को कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंची थी। तथापि, इन भवनों को बेहतर सुरक्षा हेतु उनमें विद्यमान भूकंप रोधी उपायों तथा शामिल किये जाने वाले अतिरिक्त उपायों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक मुख्य इंजीनियर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

आवास क्षेत्र को प्राथमिकता

***334. डा. वी. सरोजा:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आवास क्षेत्र को संबद्ध सुविधाओं सहित आधारसंरचना क्षेत्र के समान प्राथमिकता वाला क्षेत्र का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) इस समय इस बाबत ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। लेकिन, राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति, 1998 का एक दीर्घकालिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि पूरक सेवाओं सहित आवास को प्राथमिकता क्षेत्र और अवस्थापना क्षेत्र के समान समझा जाएगा।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

***335. श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार की "स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना" को संशोधित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी हां। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के संबंध में राज्य सचिवों और मंत्रियों के

साथ क्रमशः 13 नवम्बर और 27 दिसम्बर, 2000 को हुई इन समीक्षा बैठकों में अन्य के अलावा, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के विभिन्न घटकों के बीच धन के पुनः आवंटन, शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण लागत की सीमायें बढ़ाने, सामग्री-श्रम अनुपात में लोच, प्रशासनिक एवं कार्यालय खर्चों की सीमा बढ़ाने आदि के बारे में सुझाव दिए गए थे।

(ग) इन बैठकों में दिए गए सुझावों पर अनुवर्ती कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर

***336. श्री रतन लाल कटारिया:**
श्री पी.आर. खूंटे:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच वर्तमान साक्षरता दर में 24 प्रतिशत का अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिला-पुरूष साक्षरता दर तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की साक्षरता दर कितनी है;

(ग) इस अन्तर के क्या कारण हैं; और

(घ) इस अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और इस प्रयोजनार्थ क्या सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) नवम्बर, 2000 में प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 (1998-99) के अनुसार शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर 80.1 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 56.7 प्रतिशत है। इस प्रकार 23.4 प्रतिशत का अन्तर है।

नवम्बर, 2000 में प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 (1998-99) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की साक्षरता दर 69.5 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 43.7 प्रतिशत थी। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की साक्षरता दर 87.5 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 72.2 प्रतिशत है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में साक्षरता दर में बढ़ोत्तरी संबंधी दशवार्षिक रुझान के आधार पर 2001 में अनुसूचित जातियों की अनुमानित साक्षरता दर 54 प्रतिशत (लगभग) तथा अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 46 प्रतिशत (लगभग) है।

पुरुष, महिला तथा शहरी, ग्रामीण साक्षरता के बीच अन्तर कम होता जा रहा है जो कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है:

- पुरुष साक्षरता दर में वर्ष 1991 से 1998 के बीच 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि महिला साक्षरता दर में उससे भी अधिक अर्थात् 12.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- इन वर्षों में, शहरी साक्षरता दर की अपेक्षा ग्रामीण साक्षरता दर में ज्यादा वृद्धि हुई है।
- शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर में अपेक्षतया अधिक वृद्धि हुई।

साक्षरता दर में विद्यमान अंतर के कारण नीचे दिए गए हैं:-

- प्रारंभिक शिक्षा में विशेषतः लड़कियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की नामांकन दर का कम होना।
- पढ़ाई बीच में छोड़ने की ऊंची दर और बच्चों को स्कूलों में बनाये रखने की कम दर।
- जातिगत दुराग्रह और सामाजिक भेद-भाव।
- स्त्री-पुरूषों में भेद-भाव का बरता जाना।
- आर्थिक शोषण।
- लड़कियों का घरेलू कार्यों में संलग्न रहना।

इस अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

"सर्व शिक्षा अभियान" नामक एक नई योजना जिसमें प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र की सभी वर्तमान योजनाएं तथा कार्यक्रम शामिल किये गये हैं, शुरू की गई है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की योजना को मिशन रूप में कार्यान्वित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान एक समग्र एवं संकेन्द्रित दृष्टिकोण है जिसमें

जिला पर स्पष्ट रूप से बल जाता गया है। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(1) 2003 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चे स्कूल/शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/सेतु पाठ्यक्रम में हों,

(2) 2007 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, और

(3) 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चे आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करें।

इस योजना के कार्यान्वयन में समुदायिक भागीदारी होगी तथा पंचायती राज संस्थाओं के परमार्स से तैयार ग्रामीण शिक्षा योजना जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना का आधार बनेगी। राज्यों को दी जाने वाली निधियों राज्य स्तर पर पंजीकृत सोसायटियों तक पहुंचाई जाएंगी। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में निम्न महिला साक्षरता वाले जिलों पर बल दिया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में कार्य करेगा जिसमें लड़कियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

ऐसे 148 जिलों को प्राथमिकता देने के प्रयास किए जाएंगे जहां 1991 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच महिला साक्षरता 10 प्रतिशत से कम थी। इसमें से कई जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) अथवा राजस्थान के लोक जुंबिश परियोजना के तहत शामिल किए जा चुके हैं। पहले उन जिलों का चयन किया जायेगा जिनमें कोई कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं। डी.पी.ई.पी. जिलों के मामले में सर्व शिक्षा अभियान उच्च प्राथमिक अनुभाग को सम्मिलित करने के लिए परियोजना के उत्तरोत्तर विस्तार संबंधी प्रस्तावों पर विचार करेगा। निम्न महिला साक्षरता वाले खंडों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों के उन्नयन, शिक्षक भर्ती एवं प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधान के प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान निर्धारित समय के भीतर सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समुदाय द्वारा मानीटरिंग, कार्यक्रम आयोजना में पारदर्शिता और सभी स्तरों पर कार्यान्वयन क्षमता निर्माण तथा मुख्य धारा वाले शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा मिशन के दृष्टिकोण के अंगीकरण को उच्चतम प्राथमिकता देगा। इस योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों, शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों तथा कम महिला साक्षरता वाले खण्डों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2005 तक सम्पूर्ण साक्षरता अर्थात 75 प्रतिशत साक्षरता के पोषणक्षम प्रभाव सीमा को प्राप्त करना है। 15 से 39 आयु-वर्ग के निरक्षरों को कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करके राष्ट्रीय साक्षरता मिशन इस उद्देश्य को पूरा करेगा।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को साक्षर बनाने पर मुख्य बल दिया जाता है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की मुख्य कार्यनीति संपूर्ण साक्षरता अभियानों के माध्यम से बुनियादी शिक्षा प्रदान करना, तत्पश्चात उत्तर साक्षरता प्रदान करना तथा जीवनपर्यन्त शिक्षा के लिए सतत शिक्षा प्रदान करना और इस तरह से ज्ञानोन्मुख समाज का सृजन करना है।

सामान्य जिलों के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के वित्तपोषण का अनुपात 2:1 है जबकि जनजातीय उपयोजना के तहत आने वाले जिलों में यह अनुपात 4:1 है। वर्ष 2000-2001 के लिए वार्षिक योजनागत बजट आबंटन 120 करोड़ रु. का था जिसे वर्ष 2001-2002 के बजट प्रस्तावों में बढ़ाकर 200 करोड़ रु. कर दिया गया है।

निरक्षरता उन्मूलन पर और अधिक बल देने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:—राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मानदण्डों का संशोधन तथा वित्तीय प्रतिमानकों को बढ़ाना, सम्पूर्ण साक्षरता तथा उत्तर-साक्षरता के चरणों का एकीकरण, राज्य स्तरीय साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को शक्तियों का प्रत्यायोजन, सतत शिक्षा के कार्यक्षेत्र को विस्तृत करना, जन शिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उनके कार्यकलापों का विस्तार करना तथा बेहतर अध्ययन-अध्यापन सामग्री तैयार करने तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राज्य संसाधन केन्द्रों को गतिशील बनाना।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा आदिवासी मामला मंत्रालय के पास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के संबंध में अनेक योजनाएं हैं जो इस प्रकार हैं:

(1) *मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:* यह योजना हर वर्ष 20 लाख से अधिक छात्रों की मदद करती है। इस योजना का निधियन पैटर्न 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता है।

(2) *सफाई के पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:* राज्य सरकारों को 50:50 के आधार पर तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100 प्रतिशत के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(3) *विदेश में अध्ययन के लिए नेशनल ओवरसीज स्कालरशिप:* यह योजना सिर्फ इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी और विज्ञान में निष्णात (मास्टर) स्तरीय पाठ्यक्रमों,

पी.एच.डी. तथा उत्तर डाक्टोरल अनुसंधान कार्यक्रमों में विदेश में उच्च अध्ययन के लिए चुने गए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देती है। अब तक इस याजना के तहत 732 छात्रवृत्तियों की पेशकश की गई है जिनमें से 532 छात्रवृत्तियां ली गई हैं।

(4) *बालिका और बालक छात्रावास:* इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 50:50 के आधार पर तथा संघ राज्य क्षेत्रों को तुलन शेयर (100 प्रतिशत) के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या लाभग्राही संस्था द्वारा भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी होती है।

(5) *पुस्तक बैंक:* इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा, इंजीनियरी, एम.बी.ए. विधि आदि के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को अद्यतन पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना है। राज्य को 50 प्रतिशत के आधार पर तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(6) *कोचिंग तथा संबद्ध योजना:* इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवारों के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिनकी वार्षिक आय 44500 रु. तक हो ताकि वे यू.पी.एस.सी., एस.एस.सी. आदि द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकें।

(7) *योग्यता स्तरोन्नयन:* इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आवासीय स्कूलों में शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास की सुविधा प्रदान करके उनकी योग्यता बढ़ाना है। इस योजना में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है। इस योजना के तहत भाषाई कौशलों, विज्ञान, गणित में कोचिंग दी जाती है।

(8) *आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल:* यह योजना अनुसूचित जनजाति को उपयुक्त अध्ययन माहौल में शैक्षिक सुविधाएं, यथा आवासीय स्कूलों की स्थापना, प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई। राज्यों को 50:50 के आधार पर तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं।

उपर्युक्त के अलावा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी चलाई जा रही है—आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कम अनुसूचित जानजाति महिला साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक परिसर, बहुत ही कम साक्षरता स्तर (2 प्रतिशत से कम) वाली अनुसूचित लड़कियों के लिए शिक्षा विकास कार्यक्रम तथा अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम।

[अनुवाद]

उर्वरक उद्योग

***337. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरक उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक और सक्षम बनाने के उद्देश्य से उसका स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण करने के लिए कोई पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उर्वरक उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले सम्भरक, कच्चे माल तथा मध्यवर्ती उत्पादों से सम्बद्ध समस्याओं से अवगत हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे आदानों की ऊंची कीमतों के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ङ) उर्वरक क्षेत्र के लिए आदानों की लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) सरकार द्वारा उर्वरक संयंत्रों के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के लिए कोई अलग पैकेज तैयार नहीं किया गया है। तथापि, वित्तीय रूप से कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को उनके महत्वपूर्ण संयंत्र एवं मशीनों के प्रतिस्थापन एवं नवीनीकरण के लिए एक नियोजित बजटीय सहायता मुहैया कराई जाती है। 2000-2001 के दौरान (संशोधित अनुमान) इस उद्देश्य के लिए मुहैया कराई गई रकम 160.80 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रौद्यो-आर्थिक स्वीकृति दिए गए उर्वरक संयंत्रों के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित पूंजीगत माल का आयात सीमाशुल्क की रियायती दरों पर अनुमत है। ऐसी योजनाओं के लिए पूंजीगत मालों के स्वदेशी आपूर्तिकर्ता निर्यात समलाभ के भी पात्र हैं बशर्ते कि ऐसी आपूर्तियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के अन्तर्गत की जाती है। इन उपायों के सीमित सीमा तक ऐसी योजनाओं की पूंजीगत लागत में कटौती से उर्वरक संयंत्रों की प्रतियोगिता तथा व्यवहार्यता में मदद मिलती है।

(ग) से (ङ) जी, हां। उर्वरक उद्योग द्वारा सामना की गई मुख्य समस्याएं स्वदेशी कच्चे माल की कमी तथा फीडस्टाक/मध्यवर्तियों की उच्च लागत है। विभिन्न फसलों के लिए मुख्य

तीन पोषक—नाइट्रोजन, फॉस्फेट तथा पोटाश में से स्वदेशी कच्चा माल मुख्य रूप से नाइट्रोजन के लिए उपलब्ध है। सरकार की नीति का उद्देश्य स्वदेशी फीड स्टॉक के उपयोग पर आधारित नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की अधिकतम संभव मात्रा प्राप्त करना है। तथापि फॉस्फोटिक उर्वरकों के मामले में, स्वदेशी कच्चे माल की उपलब्धता की कमी आत्मनिर्भरता की मात्रा प्राप्त करने में रुकावट है। इस बात को मानकर एक सोची समझी मिश्रित नीति अपनाई गई हैं जिसमें तीन अनुकूलन विकल्प शामिल हैं:—(1) स्वदेशी/आयातित रॉक फॉस्फेट तथा आयातित सल्फर पर आधारित घरेलू उत्पादन, (2) आयातित मध्यवर्ती अर्थात अमोनिया तथा फॉस्फेटिक एसिड पर आधारित घरेलू उत्पादन, (3) तैयार उर्वरक अर्थात डाई-अमोनियम फॉस्फेट तथा दुर्लभ मोनों अमोनियम फास्फेट का आयात। जहां तक फॉस्फेटिक उर्वरकों का संबंध है देश में पोटाश के ज्ञात वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य भण्डार नहीं हैं और मजबूरन प्रत्यक्ष प्रयोग के साथ-साथ मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन के लिए पोटाश की सम्पूर्ण मांग आयातों के माध्यम से पूरी का जाती है।

फीडस्टॉक तथा इनपुट्स/मध्यवर्तियों के मूल्य देश-दर-देश तथा समय-दर-समय पर भिन्न भिन्न होते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय मांग पूर्ति स्थिति तथा उत्पादन के लागत एवं अन्य घटकों पर निर्भर करती है।

नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिए वरीय फीड स्टाक गैस की उपलब्धता में रुकावटें तथा फॉस्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए आयातित कच्चे माल पर देश की लगभग सम्पूर्ण निर्भरता के कारण भारत सरकार प्राकृतिक गैस तथा रॉक फॉस्फेट के प्रचुर भण्डार वाले अन्य देशों में वापस खरीद व्यवस्था के साथ संयुक्त उद्यम सुविधाएं स्थापित करने के लिए भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दे रही है।

देश में गैस की उपलब्धता की रुकावटों को महसूस करते हुए सरकार तरल प्राकृतिक गैस का आयात करने की भी संभावना का पता लगा रही है।

सरकार घरेलू तेल कंपनियों द्वारा आयात सम मूल्यों पर उर्वरक कंपनियों को नेफ्था उपलब्ध कराने के उपायों के लिए भी प्रयास कर रही है।

साइबर-अपराध एकक

***338. डा. रमेश चन्द तोमर:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान, दिनांक 17 जनवरी, 2001 के 'दि स्टेट्समैन' में ''साइबर क्राइम यूनिट नॉट वर्किंग प्रॉपरली'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों के पुलिस बल, अपने राज्य में घटित साइबर-अपराधों की जानकारी सी.बी.आई. को अन्तरित करने में असमर्थ हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) साइबर-अपराध एकक को प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) चूंकि राज्य पुलिस को भी साईबर अपराध से संबंधित मामलों की जांच करने की शक्तियां प्राप्त हैं, अत: यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे किस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साईबर अपराध जांच एकक द्वारा करवाना चाहते हैं। वर्ष 2000 के दौरान और आज तक किसी राज्य सरकार ने कोई भी मामला जांच-पड़ताल के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नहीं भेजा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साईबर अपराध जांच एकक में तैनात अधिकारी साईबर अपराध से संबंधित मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह सुसज्जित हैं।

अल्पसंख्यकों पर हमलों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट

***339. श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को विभिन्न राज्य सरकारों से उनके राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हितों के संरक्षणार्थ की गई कार्यवाही रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्टों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विचार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने के उद्देश्य से, केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की आवश्यकता को दोहराते हुए लिखा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 10 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर सभी से, उनके राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

''नगर अकादमी'' की स्थापना

***340. श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नगरों के समुचित विकास के उद्देश्य से सरकार का एक ''नगर अकादमी'' स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विवरण तैयार करने के लिए किसी दल का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस विषय में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ङ) एक अर्बन अकादमी की स्थापना विचाराधीन है और विभिन्न विकल्पों का अध्ययन किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर में आतंकवादी गतिविधियां

3339. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन के आतंकवादी पूर्वोत्तर में विद्रोहियों का समर्थन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन के आतंकवादी देश में घुसपैठ कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश के आंतरिक सुरक्षा को गम्भीर खतरा पैदा करने वाले हथियारों की बिक्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

दक्षिणी दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

3340. श्री संतोष मोहन देव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में, विशेषकर दक्षिण-पश्चिम जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और अपराध, विशेषकर चेन छीनने और सेंधमारी की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छः माह के दौरान, माह-वार, विशेष रूप से सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पता लगाई गई चेन छीनने की घनटाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मामलों में शामिल अपराधियों को हाल ही में कमला मार्किट पुलिस स्टेशन द्वारा पकड़ा गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उनसे सोने की चेन जैसे सामान भी बरामद किये गये हैं और पीड़ितों को वापस दे दिए गए हैं;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) पीड़ितों को इन सामानों की सुपुर्दगी में तत्परता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:-

मास	दक्षिण-पश्चिम जिला	सरोजनी नगर पुलिस थाना
सितम्बर, 2000	8	2
अक्तूबर, 2000	5	2
नवम्बर, 2000	6	2
दिसम्बर, 2000	-	-
जनवरी, 2001	4	-
फरवरी, 2001	1	-

(ग) से (ज) सरोजनी नगर के क्षेत्र में छीना-झपटी के चार मामलों में संदिग्ध रूप से संलिप्त एक व्यक्ति कमला नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जबकि, इनमें से तीन मामलों में जांच-पड़ताल की जा रही है, चौथे मामले में न्यायालय में चालान दायर किया गया है। तथापि, भरसक प्रायसों के बावजूद, छीनी गई कथित वस्तुएं अभी तक बरामद नहीं हुई हैं।

छात्रावास का निर्माण

3341. श्री टी. गोविन्दन: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निम्न वर्ग के कर्मचारियों के लिए छात्रावास का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) विभिन्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित स्कीमें आयोजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं:-

1. आर.के. पुरम सैक्टर-10, नई दिल्ली में सामान्य पूल 106 कमरों वाला होस्टल वास।
2. मेरलाइन पार्क, कलकत्ता में सामान्य पूल हॉस्टल बिल्डिंग, 48 सिंगल बैड तथा 48 डबल बैड।
3. देवनगर, नई दिल्ली में सामान्य पूल होस्टल वास, 4 मंजिले 60 सिंगल कमरा (स्यूट)।
4. बेमिना, श्रीनगर में केन्द्र सरकारी कर्मचारियों के लिए होस्टल वास।
5. नेपियन सी रोड़, मुम्बई में "जी" ब्लाक के समीप ट्रांजिट वास।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे आदिवासी

3342. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राज्य-वार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कितने व्यक्ति हैं;

(ख) इन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठने में सक्षम बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और क्या लक्ष्य निर्धारत किए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान हासिल किए गए लक्ष्यों का राज्य-वार प्रतिशत कितना है; और

(घ) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे आदिवासी व्यक्तियों के उत्थान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) योजना आयोग गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता का आकलन करता है। योजना आयोग से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की राज्यवार प्रतिशतता को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण-I संलग्न है।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान आर्थिक रूप से सहायता प्रदान किए जाने वाले 11,06,842 अनुसूचित जनजाति परिवारों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि वे विकास के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत राज्यों/केन्द्रीय सरकार की वर्तमान आर्थिक विकास योजनाओं के माध्यम से गरीबी की रेखा पार करने में समर्थ हो सकें। इस प्रयोजन के लिए 2000-2001 के दौरान कोई नई योजना आरंभ नहीं की गई है।

(ग) एक विवरण-II संलग्न है।

(घ) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए कृषि, पशुपालन, बागवानी, ग्रामीण विकास, लघु उद्योग, वानिकी आदि के क्षेत्रों के अंतर्गत आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्यों द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या की प्रतिशतता (1993-94) (सरकारी प्रणाली-विज्ञान के अनुसार)	
		ग्रामीण	शहरी
1.	आंध्र प्रदेश	25.66	46.68
2.	असम	41.44	7.11
3.	बिहार	69.75	35.76
4.	गुजरात	31.20	35.47
5.	हरियाणा	41.55	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	63.94	0.00
7.	कर्नाटक	37.33	62.05
8.	केरल	37.34	1.08
9.	मध्य प्रदेश	56.69	65.28
10.	महाराष्ट्र	50.58	61.06
11.	उड़ीसा	71.26	64.85
12.	पंजाब	27.00	0.00
13.	राजस्थान	46.23	13.21
14.	तमिलनाडु	44.37	30.08
15.	उत्तर प्रदेश	37.11	36.89
16.	पश्चिम बंगाल	61.95	19.41
	अखिल भारत	51.94	41.14

ध्यान दीजिए: (1) आकलन के अनुपात और संख्या के आकलन संबंधी विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट में उल्लिखित प्रणाली-विज्ञान पर आधारित है।

(2) संपूर्ण जनसंख्या के लिए गरीबी की रेखा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रयोग की गई है।

(3) व्यक्तियों के एन.एस.एस. वितरण तथा (अप्रत्यक्ष) अखिल भारतीय गरीबी की रेखा से अखिल भारतीय गरीबी अनुपात निकाला जाता है।

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001 के लिए निर्धारित लक्ष्य (परिवारों की सं.)	अप्रैल-दिसम्बर, 2000 के दौरान प्राप्त लक्ष्य की प्रतिशतता
1.	आंध्र प्रदेश	1,55,000	71
2.	असम	45,000	38
3.	बिहार	60,420	एन.आर.
4.	झारखंड	65,580	एन.आर.
5.	गुजरात	88,000	120
6.	हिमाचल प्रदेश	4,300	119
7.	जम्मू एंड कश्मीर	1,900	31
8.	कर्नाटक	29,000	53
9.	केरल	5,000	24
10.	मध्य प्रदेश	209,100	121
11.	छत्तीसगढ़	55,900	एन.आर.
12.	महाराष्ट्र	1,45,000	11
13.	मणिपुर	5,000	27
14.	उड़ीसा	95,600	51
15.	राजस्थान	73,000	18
16.	सिक्किम	5,000	159
17.	तमिलनाडु	11,250	42
18.	त्रिपुरा	12,200	49
19.	उत्तर प्रदेश	2790	11
20.	उत्तरांचल	1970	एन.आर.
21.	पश्चिम बंगाल	33,700	30
22.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	945	23
23.	दमन व दीव	565	145
		11,06,820	62

ए.आर. - सूचित नहीं।

अप्रयुक्त जल प्रबंधन प्रणाली में विश्वस्तरीय कार्यप्रणाली अपनाना

3343. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार शहरी क्षेत्रों में अप्रयुक्त जल प्रबंधन प्रणालियों में विश्वस्तरीय कार्य प्रणालियों को अपनाने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक कर्नाटक के 13 कस्बों में जलापूर्ति और अप्रयुक्त जल प्रबंधन प्रणालियों के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रबंधन करार पैकेजों को वित्त पोषित कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु किन-किन कस्बों का चयन किया गया है;

(घ) विश्व बैंक कितना ऋण उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ है; और

(ङ) इस संबंध में कार्य कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) कर्नाटक शहरी अवस्थापना विकास वित्त निगम बंगलौर ने सूचित किया है कि कर्नाटक सरकार विश्व बैंक के साथ उत्तरी कर्नाटक के निम्नलिखित 13 शहरों में परियोजना प्रारंभ करने की संभावना पर विचार-विमर्श कर रही है:-

1. बेलगाम
2. बेल्लरी
3. बीदर
4. बीजापुर
5. भद्रावती
6. चित्रदुर्ग
7. देवनगेरे
8. गुलबर्गा
9. होस्पेट
10. हुबली धारवाड़
11. रायचूर
12. शिमोगा
13. गदाग बेटेगिरी

परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ इन शहरों में शुद्ध जल और छीजित जल प्रणालियों के लिए निष्पादन आधारित प्रबन्धन संविदा (परफारमेन्स बेस्ड मैनेजमेन्ट कांट्रेक्ट) व्यवस्था है।

शहरों का अंतिम चयन परियोजना में भागीदारी के लिए नियत मापदण्डों को पूरा करने की उनकी योग्यता पर आधारित होगा।

(घ) विश्व बैंक की सहायता राशि अभी निर्धारित होनी है।

(ङ) परियोजना प्रस्ताव तैयार करने की गतिविधियां चल रही बतायी जाती हैं। यह प्रस्ताव विश्व बैंक के विचारार्थ कर्नाटक सरकार द्वारा भारत सरकार की मार्फत अभी प्रस्तुत किया जाना है। अतः अभी किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

डी.डी.ए./एन.डी.एम.सी./एम.सी.डी. की दुकानों/स्टाल्स/भवनों का किराया

3344. **श्रीमती सुशीला सरोज:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनता को आबंटित डी.डी.ए./एन.डी.एम.सी./एम.सी.डी. की दुकानों, स्टाल्स अथवा भवनों का किराया नहीं बढ़ाया गया है जबकि गत पचास वर्षों के दौरान मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवनों का किराया बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) यह एजेन्सियां किराया नहीं बल्कि लाइसेंस शुल्क लेती है जिनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक

झण्डेवालान की जनता मार्किट को छोड़कर अपने लाइसेंस शुल्क में संशोधन नहीं किया है, और वह भी मुकदमे के कारण कार्यान्वित नहीं हो सका है। वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अन्य क्षेत्रों के बारे में भी लाइसेंस शुल्क में संशोधन करने पर विचार कर रहा है।

[अनुवाद]

व्यवसायोन्मुखी शिक्षा

3345. श्री रामजी मांझी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1988 के आरम्भ में विद्यालयों में बारहवीं स्तर पर व्यवसायोन्मुखी शिक्षा शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के उद्देश्य और लक्ष्यों को किस सीमा तक हासिल किया गया है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि का आठवीं और नौवीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 6728 स्कूलों में 19455 व्यावसायिक सैक्शन संस्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 645.98 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इस संस्वीकृत राशि में से 590.00 करोड़ रु. की राशि का उपयोग किया गया है और 5657 स्कूलों में 15259 व्यावसायिक सैक्शन चल रहे हैं। गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र के अन्तर्गत 633.74 लाख रु. की राशि संस्वीकृत की गई है।

(ग) लगभग 91.50% राशि का उपयोग किया गया है।

(घ) परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों के विरुद्ध शिकायतें

3346. श्री जय प्रकाश: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में 21 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 423 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपने विद्यार्थियों पर प्राइवेट ट्यूशन करने के लिए दबाव डालने के संबंध में केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों के विरुद्ध मिली शिकायतों से संबंधित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि उसे अभी तक दिल्ली में कार्यरत दो अध्यापकों अर्थात् श्री ए.के. गुप्ता, पी.जी.टी. और श्री के.एम. शर्मा, पी.जी.टी. से संबंधित मामलों का पता चला है।

विद्यालय छोड़कर गए छात्रों को वापस बुलाना

3347. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विद्यालय छोड़कर गए छात्रों को वापस बुलाने के लिए कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सहायता उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए राज्य में एक कार्यक्रम आरंभ किया गया। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता पहुंचाने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"यूनिसेफ" सहायता प्राप्त परियोजना

3348. श्री रघुनाथ झा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "यूनिसेफ" की सहायता से केन्द्र सरकार और बिहार सरकार द्वारा 6 वर्ष की अवधि की एक परियोजना शुरू की गई थी जिसे 1997-98 तक बढ़ा दिया गया था और जिसे 56 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के क्या उद्देश्य थे और ये किस सीमा तक हासिल किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) बिहार शिक्षा परियोजना यूनिसेफ से 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 1991 में शुरू की गई थी।

(ख) इस परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(1) 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।

(2) निरक्षरता की दर में कमी लाना।

(3) महिलाओं और उनके संशक्तिकरण के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार करना।

(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा निर्धन वर्गों के बच्चों और वयस्कों को समान अवसर प्रदान करना।

(5) शिक्षा के माध्यम से लोगों की काम और जीवन की परिस्थितियों में सुधार करना।

(6) सभी शैक्षणिक गतिविधियों में विज्ञान और पर्यावरण पर विशेष बल देना।

अब यह परियोजना विश्व बैंक, यूरोपीय संघ, आदि की सहायता से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा और साक्षरता विभाग के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, चरण-3 के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना का विस्तार करके इसे राज्य के 27 जिलों में चलाया जा रहा है। प्राप्त लक्ष्यों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही और शीघ्र ही सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

सीमा सुरक्षा बल का पुनर्गठन

3349. डा. (श्रीमती) सुधा यादवः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि "ग्रुप आफीसर्स" की संवर्ग समीक्षा और सीमा सुरक्षा बल के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी, हां श्रीमान।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

बिहार/झारखंड में "कपार्ट"

3350. श्री राजो सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड सहित बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान "कपार्ट" द्वारा आज तक कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गैर-सरकारी संगठन-वार इन संगठनों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) इन संगठनों में से कितने संगठनों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु धनराशि प्राप्त की है;

(घ) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसके अंतर्गत हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण में कथित अनियमितताओं की कोई जांच कराई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और त्रुटिकर्त्ता गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) कपार्ट ने पिछले तीन वर्षों में आज तक की अवधि के दौरान झारखण्ड सहित बिहार में 276 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान संगठनों को (गैर-सरकारी संगठनवार) आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए संगठनों को परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए कपार्ट में

कोई प्रणाली नहीं है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे के समुदाय के कमजोर वर्गों, जिसमें अनुसूचित जातियों/जनजातियां भी शामिल होती हैं, के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।

(घ) से (च) जी, हां। कपार्ट में स्वैच्छिक संगठनों को मंजूर की गई परियोजनाओं की निगरानी के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली है। परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनकी डेस्क जांच की जाती है और फिर परियोजना का वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन किया जाता है। परियोजना की स्वीकृति के बाद कपार्ट द्वारा निधियों की पहली किस्त जारी कर दी जाती है और पैनल में रखे गए परियोजना मूल्यांकनकर्त्ताओं द्वारा उसका उपयुक्त समय पर मध्यावधि मूल्यांकन किया जाता है। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर परियोजना मूल्यांककों द्वारा इसका कार्य पूर्ण होने के बाद मूल्यांकन किया जाता है।

कुल मिलाकर कार्य निष्पादन सन्तोषजनक रहा है। जहां परियोजना का कार्यान्वयन सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है वहां गलती करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ यथोचित कार्रवाई की जाती है, जिसमें उनका आगे सहायता बन्द श्रेणी में रखा जाना और गैर-सरकारी संगठनों को जारी कई गई निधियों की वसूली आदि शामिल हैं।

(छ) जी, हां।

(ज) उक्त अवधि के दौरान बिहार के उन तीन स्वैच्छिक संगठनों के संबंध में जांच शुरू की गई है जिनको पिछले वर्षों में परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। इन संगठनों के नाम और स्थान विवरण-II में दिए गए हैं।

इन संगठनों को काली सूची की श्रेणी में रखा गया है और अनुदानों की वसूली के लिए आगे कार्रवाई की जा रही है।

विवरण-I

(रुपये में)

क्रम. सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम और पता	योजना	स्वीकृत राशि (रुपये में)
1	2	3	4
	1997-98		
1.	पाटलिपुत्र विकास परिषद्, अररिया	सी.आर.एस.पी.	220000
2.	सेंटर फार रूरल एडवांसमेंट, औरंगाबाद	ओ.आर.पी.	27500
3.	दाऊदनगर आर्गेनाइजेशन फार रूरल डेवलपमेंट, औरंगाबाद	ओ.आर.पी.	27500
4.	ग्रामीण विकास समिति, औरंगाबाद	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	262500
5.	भागलपुर विकलांग सेवा केंद्र, अमरपुर,	ओ.आर.पी.	27500
6.	कस्तूरबा सेवा केंद्र, बांका	सी.आर.एस.पी.	220000
7.	संजय गांधी पंच सूत्री अनाथ शिशु सामाजिक संघ, बांका	सी.आर.एस.पी.	120174
8.	बिहार ग्रामीण महिला कल्याण परिषद, बेगूसराय	सी.आर.एस.पी.	110000
9.	नारी कल्याण निकेतन, बेगूसराय	ओ.आर.पी.	27500
10.	गीतांजली हरिजन महिला विकास समिति, भागलपुर	सी.आर.एस.पी.	110687

1	2	3	4
11.	जन-जीवन विकास केंद्र, भागलपुर	एस.ए.टी.	45000
12.	ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण समिति, भोजपुर	सी.आर.एस.पी.	220000
13.	पहल, भोजपुर	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	227495
14.	पिछड़ा वर्ग विकास संस्थान, भोजपुर	सी.आर.एस.पी.	220000
15.	श्री अमर संस्कार कल्याण केंद्र, बोकारो	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	450450
16.	ग्रामोदय चेतना केंद्र, चतरा	ओ.आर.पी.	27500
17.	अभ्युत्थान समाज कल्याण समिति, दरभंगा	सी.आर.एस.पी.	120174
18.	बिहार सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवा केंद्र, दरभंगा	सी.आर.एस.पी.	110687
19.	मिथिला प्रभा जन कल्याण सेवा संस्थान, दरभंगा	ओ.आर.पी.	27500
20.	मुंशी प्रेमचंद विकास एवं अध्ययन संस्थान, दरभंगा	सी.आर.एस.पी.	220000
21.	भारतीय मानव विकास सेवा संस्थान, देवघर	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	213000
22.	अल कादर एजूकेशनल ट्रस्ट, पू. चम्पारन	ओ.आर.पी.	27500
23.	आजाद खान मुस्लिम एजूकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, पू. चम्पारन	सी.आर.एस.पी.	101200
24.	चतुर्भुज मेमोरियल विकास मंच, पू. चम्पारन	सी.आर.एस.पी.	220000
25.	ज्ञान सागर, पू. चम्पारन	सी.आर.एस.पी.	101200
26.	विकलांग सर्वोदय संस्थान, पू. चम्पारन	ओ.आर.पी.	27500
27.	भालभूमि कृषक उन्नयन समिति, पू. चम्पारन	ओ.आर.पी.	27500
28.	जनयोदय विकास परिषद, गया	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	275625
29.	महिला बाल कल्याण प्रतिष्ठान, गया	पी.सी.	129150
30.	समग्र सेवा केंद्र, गया	ओ.आर.पी.	27500
31.	समन्वय तीर्थ, गया	सी.आर.एस.पी.	202400

1	2	3	4
32.	यशोदा ग्रामोदय, गिरडीह	सी.आर.एस.पी.	220000
33.	समग्र विकास समिति, गोपालगंज	ओ.आर.पी.	27500
34.	महिला शिल्प कला केंद्र, हजारीबाग	सी.आर.एस.पी.	110000
35.	कौशिक समग्र ग्रामीण विकास संस्थान, जहानाबाद	सी.आर.एस.पी.	120174
36.	सीता ग्रामोद्योग विकास संस्थान, जहानाबाद	ओ.आर.पी.	27500
37.	आकाश गंगा ग्रामीण विकास संस्थान, कटिहार	सी.आर.एस.पी.	110000
38.	राजेन्द्र आश्रम, कटिहार	सी.आर.एस.पी.	110000
39.	लक्ष्मी महिला विकास संस्थान, खगरिया,	सी.आर.एस.पी.	110000
40.	मसौधी समग्र महिला विकास समिति लखीसराय	सी.आर.एस.पी.	110687
41.	शिक्षा एवं संस्कृति विकास समिति लखीसराय	ओ.आर.पी.	27500
42.	आर्य समाज शिक्षण विकास परिषद, मधेपुरा	ओ.आर.पी.	27500
43.	21वीं सेंचुरी रूरल डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट, मधुबनी	सी.आर.एस.पी.	110000
44.	भवानी विकास भारती, मधुबनी	एस.ए.टी.	75000
45.	बिहार अल्पसंख्यक पहाड़ी आदिवासी परिषद, मधुबनी	सी.आर.एस.पी.	220000
46.	बिहार हस्तकरघा हस्तशिल्प तथा रेशम उद्योग विकास संस्थान, मधुबनी	सी.आर.एस.पी.	220000
47.	गंगा हेमलता महिला समाज कल्याण संस्थान, मधुबनी	सी.आर.एस.पी.	220000
48.	धोधारडीह, प्रखंड स्वराज विकास संघ, मधुबनी	सी.आर.एस.पी.	824780
49.	ग्राम निर्माण परिषद, मधुबनी	ओ.आर.पी.	27500
50.	मिथिला सेवा समिति, मधुबनी	सी.आर.एस.पी.	120874
51.	राजलक्ष्मी राष्ट्र सेवा संस्थान, मधुबनी	ओ.आर.पी.	27500

1	2	3	4
52.	ग्रामीण मार्गदर्शन केंद्र, मुंगेर	ओ.आर.पी.	27500
53.	नव जागरण संघ, कुतुबचेक मुंगेर	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	144900
54.	अखिल ग्रामीण युवा विकास समिति, ग्राम मणीफुलकाहा पो. राबेसकर्ती, मुजफ्फरपुर	–	211887
55.	अखिल ग्रामीण युवा विकास समिति, मुजफ्फरपुर	–	634684
56.	अलहिलाल एजूकेशनल ट्रस्ट पक्की सराय	–	110000
57.	बहुमुखी विकास सेवा आश्रम, मुजफ्फरपुर,	सी.आर.एस.पी.	110687
58.	बाल महिला सेवा आश्रम, पो. कर्मा, मुजफ्फरपुर	सी.आर.एस.पी.	110000
59.	भूमिहीन किसान मजदूर सेवा संस्थान, मुजफ्फरपुर	सी.आर.एस.पी.	101200
60.	बिहार मुस्लिम अल्पसंख्यक हरिजन विकास परिषद, मुजफ्फरपुर	सी.आर.एस.पी.	220000
61.	ग्राम कल्याण समिति, मुजफ्फरपुर	सी.आर.एस.पी.	173800
62.	ग्रामीण हरिजन महिला विकास संस्थान, मुजफ्फरपुर	ओ.आर.पी.	27500
63.	हरिजन बहुमुखी विकास संस्थान, मुजफ्फरपुर		220000
64.	महिला विकास समिति, मुजफ्फरपुर		110687
65.	मातादीन महिला मंडली, मुजफ्फरपुर		195800
66.	नेशनल इस्टी. फार डेव. आफ ओमन रूरल पूवर एंड चिल्ड्रन, मुजफ्फरपुर		27500
67.	नार्थ बिहार समाज कल्याण संस्थान, मुजफ्फरपुर		27500
68.	प्रभात विकास मंडल, मुजफ्फरपुर		101200
69.	रामेश्वर सेवा संस्थान, मुजफ्फरपुर		101200
70.	रितुराज हरिजन महिला एवं बाल विकास संस्थान, मुजफ्फरपुर		110000

1	2	3	4
71.	बसुंधरा सेवा संस्थान, मुजफ्फरपुर		110687
72.	विद्यावती महिला कल्याण केंद्र, मुजफ्फरपुर		110000
73.	अखिल भारतीय हरिजन आदिवासी विकास संघ, नालंदा		110687
74.	अंत्योदय जन कल्याण प्रतिष्ठान, नालंदा		110000
75.	अंत्योदय सेवा संस्थान विकास, नालंदा		101200
76.	भारतीय जन कल्याण समिति, नालंदा		27500
77.	चाकराजा ग्रामीण विकास परिषद, नालंदा		364815
78.	गौतम बुद्ध शिक्षण समिति, नालंदा		220000
79.	ग्राम नियोजन केंद्र, नालंदा		101200
80.	ग्राम सभा समिति, नालंदा		110687
81.	ग्राम विकास संघ, नालंदा		27500
82.	ग्रामीण बाल वनिता विकास निकेतन, नालंदा		27500
83.	जनता कराह कल्याण समाज, नालंदा		27500
84.	लोक प्रिया कल्याण संस्थान, नालंदा		220000
85.	लोक सेवा समिति, नालंदा		164930
86.	लोक स्वराज्य संघ, नालंदा		281895
87.	मगध ग्राम सर्वोत्थान संस्थान, नालंदा		101200
88.	मगध लोक कल्याण परिषद, नालंदा		101200
89.	परिवेश मुक्ति संघ, नालंदा		27500
90.	महालक्ष्मी सिलाई-बुनाई-कटाई उद्योग, नालंदा		27500
91.	नालंदा सेवा संस्थान, नालंदा		220000
92.	नालंदा विकास संस्थान, नालंदा		27500
93.	नालंदा जि. खादी ग्राम उद्योग संघ, नालंदा		220000
94.	नारी शिल्प कला केंद्र, नालंदा		110000
95.	नव बिहार ग्रामीण विकास समिति, नालंदा		202400

1	2	3	4
96.	वन ज्योति, नालंदा		358215
97.	पुष्प सेवा संस्थान, नालंदा		110000
98.	समग्र ग्राम विकास समिति, नालंदा		27500
99.	सर्वोदय गांधी सेवा आश्रम, नालंदा		220000
100.	विश्व भारती जन उत्थान केंद्र, नालंदा		27500
101.	आदर्श रहनुमा विकास संस्थान, नवादा		27500
102.	आशादीप महिला सेवा संस्थान नवादा		220000
103.	दीन सेवा आश्रम, नवादा		27500
104.	गौतम बुद्धा शैक्षिक विकास संस्थान, नवादा		220000
105.	ज्ञान दीप महिला सिलाई-बुनाई-खादी केन्द्र, नवादा		220000
106.	मधु महिला शिल्पकला केंद्र, नवादा		120174
107.	स्वामी विवेकानंद अनंत सुरक्षा आश्रम, नवादा		27500
108.	विकल्प महिला विकास संस्थान, नवादा	ओ.आर.पी.	27500
109.	अभियान, पटना	ओ.आर.पी.	27500
110.	आधारशिला ग्रामीण विकास संस्थान कैलाशपुरी, हनुमान नगर, पटना	सी.आर.एस.पी.	105600
111.	आधारशिला ग्रामीण विकास संस्थान पटना	ओ.आर.पी.	27500
112.	अम्बेडकर विकास परिषद, पटना	सी.आर.एस.पी.	120174
113.	आर्थिक एवं नवभारत सामाजिक विकास अभिकरण, पटना	सी.आर.एस.पी.	104944
114.	भंगी मुक्ति संस्थान, पटना-800023	सी.आर.एस.पी.	220000
115.	भारतीय जन कल्याण परिषद, पटना	ओ.आर.पी.	27500
116.	बिहार विकास संस्थान, पटना	पी.सी.	108000
117.	धनराज महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, पटना	सी.आर.एस.पी.	221374

1	2	3	4
118.	डॉ. अम्बेडकर स्मारक एवं शोध संस्थान, पटना-800002	सी.आर.एस.पी.	220000
119.	गौतम बुद्ध हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, पटना	ओ.आर.पी.	27500
120.	ग्राम प्रौद्योगिक विकास संस्थान, पटना	ओ.आर.पी.	27500
121.	ग्रामीण सह नागरिक विकास मंच, पटना	ओ.आर.पी.	27500
122.	ग्रामोद्योग खादी विकास संस्थान, पटना	सी.आर.एस.पी.	110000
123.	ग्रामोद्योग विकास जयोति, पटना	ओ.आर.पी.	27500
124.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट, पटना	ओ.बी.	130000
125.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट, पटना	ओ.आर.पी.	27500
126.	जन कल्याण संस्थान कला मंच, पटना	ओ.आर.पी.	27500
127.	जन कल्याण विकास परिषद, पटना	सी.आर.एस.पी.	220000
128.	कर्पुरी ठाकुर ग्रामीण विकास संस्थान, पटना	ओ.आर.पी.	27500
129.	लोक कल्याण समिति, पटना	एस.ए.टी.	45000
130.	मगध विकास लोक, पटना	सी.आर.एस.पी.	217580
131.	महिला बाल लोक, पटना	-	135800
132.	महिला कला केंद्र, पटना	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	318000
133.	मानव कल्याण संघ गांव बालमीचक, पटना-800002	सी.आर.एस.पी.	220000
134.	नारी कल्याण सेवा संघ, पटना	सी.आर.एस.पी.	220000
135.	नारी उत्थान, पटना	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	531000
136.	पटना एजुकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट, पटना-800016	पी.सी.	361000
137.	प्रमीला ग्रामीण महिला विकास संस्थान, कर्मलीचक, बेगमपुर, पटना	ओ.आर.पी.	27500
138.	राम टहल सिंह, जनचेतना समिति, कोराहिया, पटना	ओ.आर.पी.	27500

1	2	3	4
139.	राष्ट्रीय समाज कल्याण प्रतिष्ठान, पटना	ओ.आर.पी.	276500
140.	समाज कल्याण परिषद, पटना-1	सी.आर.एस.पी	101200
141.	सर्वोदय ग्रामीण कुटीर उद्योग विकास समिति, पटना	सी.आर.एस.पी.	101200
142.	सेवा भारती, पटना	सी.आर.एस.पी.	110000
143.	श्री जगदम्बा महिला बाल निकेतन, पटना	सी.आर.एस.पी.	220000
144.	सोना महिला प्रशिक्षण संस्थान, पटना	सी.आर.एस.पी.	120174
145.	सुलभ संस्थान, पटना	सी.आर.एस.पी.	120174
146.	नेशनल मल्टीपरपज डेवलपमेंट सोसायटी, रांची	ओ.आर.पी.	27500
147.	विश्व मानव सेवा संस्थान, रांची	डवाकरा	269750
148.	श्री नारायण समाज कल्याण केंद्र, रोहतास	सी.आर.एस.पी.	220000
149.	गौतम बुद्ध शैक्षणिक तथा समाज सेवा संघ, समस्तीपुर	सी.आर.एस.पी.	110000
150.	मिथिला सेवा सदन, समस्तीपुर	ओ.आर.पी.	27500
151.	समाज कल्याण संघ, समस्तीपुर	सी.आर.एस.पी.	220000
152.	दरोगा पी.आर. राय महिला प्रकाशन एवम उद्योगिक केंद्र, सारन	सी.आर.एस.पी.	667400
153.	जन चेतना केंद्र, सारन	सी.आर.एस.पी.	101200
154.	लोक चेतना अभिकरण, केन्द्र, सारन	ओ.आर.पी.	27500
155.	रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, सारन	सी.आर.एस.पी.	110687
156.	सारण खादी सिल्क उद्योग सोसायटी सारण	सी.आर.एस.पी.	110000
157.	त्रिगुन सेवा संस्थान, सारण	सी.आर.एस.पी.	110000
158.	ज्ञान सरोवर आवास शिशु कल्याण केंद्र, सीतामढ़ी	सी.आर.एस.पी.	106891
159.	हरिजन महिला एवं बाल विकास संस्थान, सीतामढ़ी	सी.आर.एस.पी.	440000
160.	अंजुमन उर्दू-हिन्दी साहित्य, सिवान	ओ.आर.पी.	27500

1	2	3	4
161.	शहीद बचन स्मारक पुस्तकालय, सिवान	ओ.आर.पी.	27500
162.	सिवान जिला विकास परिषद सिवान-847451	सी.आर.एस.पी.	220000
163.	लोक भारती सेवा आश्रम, गांव व पो.-कुनौली, सुपौल-847451, सिवान	ओ.आर.पी.	27500
164.	निर्मली प्रखंड स्वराज्य सभा, सिवान	आई.आर.डी.पी.	540705
165.	औलिया अध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, वैशाली	सी.आर.एस.पी.	220000
166.	भारतीय जन मंच, वैशाली	सी.आर.एस.पी.	110000
167.	डा. भीमराव अम्बेडकर कल्याण समिति, वैशाली	सी.आर.एस.पी.	110000
168.	ग्राम स्वराज अभियान संस्थान, वैशाली	पी.सी.	134784
169.	सेवा मानव विकास परिषद, वैशाली	सी.आर.एस.पी.	108790
170.	शहीद भगत सिंह क्लब, वैशाली	ओ.आर.पी.	27500
171.	वैशाली जन सेवा संस्थान, वैशाली	सी.आर.एस.पी.	220000
172.	वैशाली शांति समाज कल्याण, संस्थान, वैशाली	सी.आर.एस.पी.	120175
173.	वैशाली शांति समाज कल्याण संस्थान, वैशाली	पी.सी.	340000
174.	ग्रामीण विकास संघ, पश्चिम चंपारण	सी.आर.एस.पी.	110000
175.	स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य संस्थान, प. चम्पारण	सी.आर.एस.पी.	110000
176.	जिला समग्र विकास संस्थान, प. चंपारण	सी.आर.एस.पी.	110687
177.	दरोगा प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण एवं औद्योगिक केंद्र, सारण	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	1719527
178.	ग्रामीण विकास परिषद कास्टियर टाऊन, देवघर	एस.एफ.डी.	1063752
179.	विकलांग पुनर्वास सेवा संस्थान, 6 बिरसा नगर, हटिया, रांची	डी.आई.एस.	234700
180.	देसी चिकित्सा विकास परिषद, पटना	आर्टस	320500

1	2	3	4
181.	सोसायटी फॉर रूरल इंडस्ट्रलाइजेशन, रांची	आर्टस	376180
182.	वनवासी सेवा केंद्र, भभुआ	आर्टस	1632000
183.	वनवासी सेवा केन्द्र, भभुआ	आर्टस	1158150
184.	पटना एजुकेशनल डेवलेपमेंट ट्रस्ट रोड नं. 11 राजेंद्रनगर, पटना	डब्ल्यू.एस.डी.	6000000
185.	छोटा नागपुर विकास केंद्र, बरकटिया बजारी बाग, हजारीबाग	डब्ल्यू.एस.डी.	25000
186.	पर्वतिया दुर्गम शिक्षा विकास रांची कोट, रांची	डब्ल्यू.एस.डी.	50000
187.	भारती सेवा सदन, श्रीनिकेतन, अबुलासलेन, मछुआ टोली, पटना	डब्ल्यू.एस.डी.	7040000
188.	ग्रामीण विकास परिषद, कास्टेर टाऊन, देवघर	डब्ल्यू.एस.डी.	100000
189.	सुलभ पर्यावरण तथा जल संस्थान, कंकड़बाग कालोनी, पटना	डब्ल्यू.एस.डी.	50000
	वर्ष 1998-99		
1.	भागलपुर अम्बेडकर सेवा केंद्र, बांका	सी.आर.एस.पी.	220000
2.	हरिजन सेवक संघ, दिल्ली (बिहार में परियोजना क्षेत्र)	ओ.बी.	27500
3.	प्रभु पार्वती ग्रामीण विकास संस्थान, पूर्वी चम्पारण	एस.ए.टी.	45000
4.	राधिका सेवा संस्थान, पूर्वी चम्पारण	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	254100
5.	टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, जमशेदपुर पूर्वी	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	500000
6.	नवभारत जागृति केन्द्र, हजारीबाग	ओ.बी.	100000
7.	ग्राम भारती सर्वोदय आश्रम, जमुई	आर्टस	200000
8.	नालंदा ग्रामोत्थान प्रतिष्ठान, इटोरा, नालंदा	सी.आर.एस.पी.	132000
9.	नालंदा कल्याण प्रतिष्ठान, पटना	पी.सी.	220200
10.	पटना एजुकेशनल डेवल. ट्रस्ट, पटना	पी.सी.	279950
11.	समग्र लोक सेवा संस्थान, पटना	सी.आर.एस.पी.	220000

1	2	3	4
12.	अखिल भारतीय ग्रामोभिमुख आंत्योदय संस्थान, जिला-पूर्णिया	ओ.बी.	27500
13.	लोहिया-जयप्रकाश खादी ग्रामोद्योग मानव विकास संस्थान, समस्तीपुर	ओ.आर.पी.	27500
14.	कंसलटेंसी-कम-गाइडेंस सेन्टर, सी.जी.सी. वैशाली	ओ.बी.	100000
15.	के.ए.एस.एफ.ए.आर.सी.ए., वैशाली	सी.आर.एस.पी.	308000
16.	ग्राम भारती सर्वोदय आश्रम जमुई	आर.टी.डी.	200000
17.	सोसायटी फॉर रूरल इंडस्ट्रीलाइजेशन, रांची	आर.टी.डी.	2000000
18.	ग्राम विकास केंद्र, के-3, 57, हंस, टेल्कोटाऊन जमशेदपुर	डब्ल्यू.एस.डी.	100000
19.	छोटा नागपुर विकास केंद्र बरकथा, हजारीबाग	डब्ल्यू.एस.डी.	200000
20.	नव भारत जागृति केन्द्र, बेहरा वृंदावन, चौपारण, हजारीबाग	डब्ल्यू.एस.डी.	4500000
21.	परोपकार लोक विकास संस्थान, नवादा,	डब्ल्यू.एस.डी.	6664000
22.	ग्रामीण महिला एवं युवा विकास समिति, भालनी, मधुबनी	डब्ल्यू.एस.डी.	200000
23.	सामाजिक कल्याण संस्थान, बेकरबांध, धनबाद	डब्ल्यू.एस.डी.	100000
24.	सुलभ बाल तथा नारी ग्रामोत्थान संस्थान, पटना,	डब्ल्यू.एस.डी.	100000
	वर्ष 1999-2000		
1.	सोसायटी फार रूरल इन्डस्ट्रलाइजेशन बरियालू, रांची, झारखण्ड	अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण	493000 डालर
2.	लोहिया-जयप्रकाश खादी ग्रामोद्योग मानव विकास संस्था पी.ओ. भागरा, जिला समस्तीपुर	विकलांगता	50,000
3.	शुभम फरदोगोला, रावा रोड़, मुजफ्फरपुर	-वही-	50,000
4.	अविद्या विमुक्ति संस्थान, ग्राम समस्तीपुर, बोधगया	-वही	50,000
5.	जन विकास केन्द्र, वी.पी.ओ. सिंगरियावन, जिला पटना	-वही-	134,000
6.	ग्रामीण महिला एवं युवा विकास समिति, नैनी, जिला मधुबनी	डब्ल्यू.एस.डी.	200000
7.	बिहार नवजीवन ज्योति प्रतिष्ठान, जिला जमुई	-वही-	100000
8.	ग्राम निर्माण मण्डल सर्वोदय, जिला नवादा	-वही-	200000
9.	ग्रामोदय, जिला पटना, बिहार	-वही-	100000
10.	बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, जिला पटना	-वही-	100000

1	2	3	4
11.	पर्यावरण संरक्षण संस्थान, पटना	डब्ल्यू.एस.डी.	200000
12.	बिरसा मुण्डा कला परिषद, गुमला, बिहार	-वही-	100000
13.	प्राकृतिक पर्यावरण और शिक्षा विकास सोसाइटी, जिला देवगढ़, बिहार	-वही-	100000
14.	टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, ई. रोड़, जमशेदपुर	ओ.बी.	100000
15.	-वही-	पी.सी.	541000
16.	वनवासी विकास आश्रम, वी.पी.ओ. बगौढ़ा, जिला गिरडीह	ओ.बी.	66000
17.	भारतीय जन कल्याण सेवा समिति, ग्राम मोथालकुलम, जिला नालंदा	पी.सी.	18300
18.	ग्राम निर्माण मण्डल, सर्वोदय आश्रम, सेखोदरा, जिला नवादा	ओ.बी.	100000
19.	लोक चेतना विकास केन्द्र, गोला रोड, जिला नवादा	-वही-	57200
20.	महिला रक्षा मण्डली, ग्रा. अकबरपुर, जिला नवादा	-वही-	57200
21.	बापू बाल महिला विकास केन्द्र, ईस्ट बोरिंग कैनलरोड़, पटना	पी.सी.	346512
22.	भारत नव निर्माण चेतना विकास संस्थान, बख्तियारपुर, जिला पटना	-वही-	237428
23.	बिहार ग्रामीण विकास संस्थान, गांव व पो. फतुवा, जिला पटना	-वही-	523656
24.	सेन्टर फार डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चित्रगुप्त नगर, कंकड़बाग, पटना	-वही-	16690
25.	ग्राम्य दिपराज कम्प्लैक्स, ए.के. रोड़, पटना	ओ.बी.	100000
26.	सर्वोदय आश्रम, महाबरैर कुटी, जिला पुर्निया	-वही-	100000
27.	सोसायटी फार रूरल इन्डस्ट्रीलाइजेशन, बराईतू, रांची	-वही-	100000
28.	सखोरी महिला विकास संस्थान, बसन्तपुर, जिला सिवान	-वही-	100000
29.	बीबीपुर एरिया स्मॉल फारमर्स एण्ड रिसोर्सलेस कम्यूनिटी एसोशिएसन, गांव बीबीपुर, वैशाली	पी.सी.	22858
30.	कंसलटेंसी-कम-गाइडेंस सेन्टर, वैशाली	ओ.बी.	100000
31.	-वही-	-वही-	150000
32.	अखिल भारतीय जन कल्याण परिषद, गांव गहिरीकोठी, विक्टोरिया मिशन, प. चंपारण	-वही-	27500
	वर्ष 2000-2001		
1.	अभियान, रामकृष्ण कालोनी, महेन्द्रू, पटना	विकलांगता	50,000
2.	विनोबा आरोग्य एवं लोक शिक्षा केन्द्र, जयकृष्ण नगर, जिला नालंदा	-वही-	50,000

1	2	3	4
3.	जनहित विकास समिति, हरिश्चंद स्टेडियम रोड जिला नवादा, बिहार	डब्ल्यू.एस.डी.	5479724
4.	वनवासी सेवा केन्द्र, अधौरा, जिला भभुआ, बिहार	-वही-	100000
5.	संथाल परगना ग्राम रचना संस्थान, गोड्डा जिला गोड्डा, बिहार	-वही-	100000
6.	ग्राम जगर, मु. चेतावरण, जिला बांका, बिहार	-पी.सी.-	392500
7.	कस्तूरबा सेवा केन्द्र, ग्राम जोगडीहा, जि. बांका	-वही-	387750
8.	मुक्ति निकेतन, मु. व पो. कटोरिया, जिला बांका	-वही-	383000
9.	जन कल्याण संस्थान, मु. व पो. शहजादपुर जिला भागलपुर	-वही-	330750
10.	लोखित, 32 दीना साहु लैण्ड, मुण्डीचक, जिला भागलपुर	-वही-	490000
11.	हरिजन आदिवासी महिला कल्याण समिति दलहट्टा बाजार, जि. मुंगेर	-वही-	352500
12.	शारदा निकेतन, मु. व पो. सबग्रामपुर, मुंगेर	-वही-	340250
13.	महिला विकास मंडल, ग्राम साध, जिला नालंदा	ओ.बी.	39000
14.	महिला विकास समिति, पुरानी बस स्टैण्ड रजौली, नवादा	पी.सी.	854968
15.	पूर्णिया जिला समग्र विकास परिषद् महावीर कुटी, पुर्णियां	-वही-	145500
16.	अविक्रम सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर जि. सहरसा	-वही-	330750
17.	अभावग्रस्त सर्वांगीण विकास संस्थान, सेखपुरा	-वही-	893320
18.	लोकभारती सेवा आश्रम, ग्रा. व पो. कुनौली, जिला सुपौल	-वही-	722325
19.	उत्थान, लोहियानगर चौक, सुपौल	-वही-	704800
20.	कन्सल्टेंसी-कम-गाइडेन्स सेंटर (सी.जी.सी.), वैशाली	ओ.बी.	100000
21.	-वही-	पी.सी.	463400
22.	बहुजन हिताय अमरज्योति, ग्रा. व पो. गोबरौरा प. चंपारण	-वही-	488666
23.	निभा महिला शिशु कल्याण संस्थान, मु. मोसिमपुर, शेखपुरा	-वही-	600050

1	2	3	4
24.	मौलाना अबुल कलाम आजाद युवा केंद्र, कारीचक बेगुसराय	पी.सी.	330750
25.	कस्तूरबा गांधी शांति केन्द्र, ग्राम कर्पूरीग्राम पो. मिटा, बांका	-वही-	377055
26.	प्रखंड लोक विकास समिति. मु./पो. पचरही वाया मधेपुर, मधुबनी	-वही-	311750
27.	सेवा भारती, ग्राम स्वपुर, जिला बांका	-वही-	373500
28.	पुरूषोत्तम श्री. श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्संग आश्रम, सत्संग नगर, जिला देवघर	-वही-	392500
29.	सेंटर फॉर भारतीय मार्केटिंग डेवलपमेंट, धनबाद	-वही-	150000
30.	टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, जमशेदपुर	-वही-	601500
31.	ग्रामीण विकास परिषद् कैस्टेयर्स टाउन, देवघर	-वही-	473724

विवरण-III

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम और पता
1.	सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र पथराही, आर.एस., झांझरपुर, जिला मधुबनी, बिहार
2.	नेहरू सेवा सदन ग्राम व पो. बहिलबार, मौल जिला मुजफ्फरपुर, बिहार
3.	यूथ मोबिलाइजेशन फॉर नेशनल एडवांसमेंट राय गोविंद भवन, स्टेशन रोड, जिला देवघर बिहार।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में ग्रामीण शिक्षा और वृद्धाश्रमों का उत्थान

3351. **श्री एन.आर.के. रेड्डी:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज की स्थिति के अनुसार, गैर-सरकारी संगठन-वार आंध्र प्रदेश में ग्रामीण शिक्षा और वृद्धाश्रमों के उत्थान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) इन योजनाओं पर अब तक अलग-अलग कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या सरकार को धनराशि के दुर्विनियोजन और दुरूपयोग की कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध और राज्य में धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हालांकि वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम की योजनाओं के अंतर्गत कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (15 मार्च, 2001 तक) के दौरान योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियां नीचे दर्शाई गई हैं:-

वर्ष	राशि (लाख)
1997-98	192.36
1998-99	197.98
1999-2000	290.69
2000-2001	269.00

(ग) से (ङ) 9 गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में, निधियों के दुर्विनियोग तथा दुरूपयोग की रिपोर्ट मिली है जिनमें से 6 को काली सूची में रखा गया है। 3 अन्य गैर-सरकारी संगठनों को आगे दी जाने वाली सहायता अनुदान बंद कर दी गई है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से ग्रामीण शिक्षा से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है।

"फ्लाई ऐश" के प्रयोग हेतु प्रौद्योगिकी

3352. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.एस.आई.आर. ने लैंड फिलिंग में फ्लाई ऐश के प्रयोग हेतु प्रौद्योगिकी विकसित की है जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) फ्लाई ऐश के लाभकारी प्रयोग और इसका उपयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने के रूप में अथवा औद्योगिक प्रयोग में लाने के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी हां। सी.एस.आई.आर. की दो प्रयोगशालाओं ने अनाजों, दालों, तिलहनों, गांठदार फसलों, सब्जियों और चुनिन्दा औषधीय तथा संगधीय घासों के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उड़न राख (फ्लाई ऐश) को सतही मृदा परतों के साथ मिश्रित करने के लिए तकनीकें विकसित की हैं। उड़न राख सूक्ष्म उर्वरक और मृदा रूपांतरक के रूप में कार्य करती है तथा पानी को रोके रखने में सहायक होती है।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत टी.आई.एफ.ए.सी. ने कृषि, निर्माण और उद्योग में उड़न राख के उपयोग के लिए एक विशेष उड़न राक मिशन तैयार किया है। कृषि में उड़न राख के उपयोग में होने वाले विकासों का उनके व्यापक अंगीकरण हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के माध्यम से और सीधे टी.आई.एफ.ए.सी. द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाता है।

श्रमिक विद्यापीठ

3353. **श्री अनंत गंगाराम गीते:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रमिक विद्यापीठ (प्रौढ़ शिक्षा में) योजना के अन्तर्गत राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र के जिलों में कितनी प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): अब तक संस्वीकृत श्रमिक विद्यापीठों (जिसे अब जन शिक्षण संस्थान का नाम दिया गया है) की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। महाराष्ट्र के आठ जिले, जिनको जनशिक्षण संस्थान संस्वीकृत किए गए हैं निम्नवत है:-

1. औरंगाबाद
2. धरावी (मुम्बई)
3. वर्ली (मुम्बई)
4. कोल्हापुर
5. नागपुर
6. नासिक
7. पुणे
8. सिंधुदुर्ग

विवरण

श्रमिक विद्यापीठों (वर्तमान में 'जनशिक्षण संस्थानों') की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	जनशिक्षण संस्थानों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	8
2.	असम	1
3.	बिहार	4
4.	छत्तीसगढ़	1
5.	दिल्ली	2
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	4
8.	हरियाणा	3
9.	जम्मू और कश्मीर	1
10.	झारखंड	1
11.	कर्नाटक	7

1	2	3
12.	केरल	4
13.	मध्य प्रदेश	9
14.	महाराष्ट्र	8
15.	उड़ीसा	5
16.	पंजाब	1
17.	राजस्थान	5
18.	तमिलनाडु	5
19.	उत्तर प्रदेश	17
20.	पश्चिम बंगाल	4
21.	चंडीगढ़	1
	कुल	92

औद्योगिक लाइसेंसिंग

3354. **श्री सुबोध राय:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उदारीकरण की नीति के अनुपालन में केवल कुछेक खतरनाक रसायनों को छोड़कर विनिर्माण क्षेत्र की अधिकांश सामग्री की औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे रसायनों के नाम क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) 1991 में औद्योगिक नीति के उदारीकरण से केवल कुछेक खतरनाक रसायनों को छोड़कर अधिकांश रसायन उत्पादों को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है, अतः उद्यमी औद्योगिक उद्यम ज्ञापन मार्ग का अनुसरण करते हुए रसायन उद्योग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत शामिल खतरनाक रसायनों के नाम निम्न प्रकार हैं:-

1. क्लोरीन
2. हाइड्रोसाएनिक एसिड और इसके व्युत्पाद
3. फोस्जीन और इसके व्युत्पाद
4. सोडियम हाइड्राक्साइड (कास्टिक सोडा), ठोस तथा तरल घोल के रूप में
5. किसी और स्थान पर अविनिर्दिष्ट हाइड्रोकार्बन के आइसोसाएनेट तथा डाईसोसाएनेट (जैसे मिथाएल आइसोसाएनेट)
6. एलुमिनियम फास्फाइड
7. डाइमेथोएट
8. क्वीनलफास
9. कार्बारील
10. फोरेट तथा फेनीट्रोथियोन
11. इथाएलीन
12. प्रोपेन (प्रोपीलीन)
13. बूटाडाइन
14. बेंजीन
15. टौलीन
16. ओ-जाएलीन
17. एम-जाएलीन
18. पी-जाएलीन
19. मिश्रित जाएलीन आइसोमर
20. इथाएलीन-ग्लाइकोल (इथानेडियोल)/इथाएलीन आक्साइड
21. 0.94 से कम विशिष्ट गुरूत्वाकर्षण के साथ पालीइथाएलीन
22. मेटा एमिनो फिनोल।

प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की अप्रयुक्त धनराशि

3355. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक शिक्षा और पौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत काफी बड़ी धनराशि अप्रयुक्त ही रह गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) 1995-98 के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि दी गई थी और कितनी खर्च की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) *1995-96 से 1997-98 की अवधि के दौरान प्रारंभिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए योजनागत आबंटन 5951.24 करोड़ रु. था। संशोधित अनुमान* के तहत 5605.14 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया था तथा विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वस्तुतः 5304.61 करोड़ रु. जारी किए गए। इस प्रकार उपर्युक्त तीन वर्षों की अवधि में खर्च न की गई धनराशि की मात्रा लगभग 300.53 करोड़ रु. थी। बचत का मुख्य कराण है—कुछ कार्यक्रमों के तहत अनुमान से कम खर्च। कार्यक्रम कार्यान्वियन में तथा व्यय की गति में सुधार के लिए समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है तथा आवश्यक होने पर मामले को संबंधित राज्यों/परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ उठाया जाता है।

जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना

3356. **श्री इकबाल अहमद सरडगी**: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.सी.आई.सी.आई. ने हैदराबाद में ऐसे विश्वस्तरीय अत्याधुनिक नॉलेज पार्क की पहले ही स्थापना की है जिसमें भारत और विदेशों में अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों/विज्ञान पार्कों से सम्पर्क वाली पूर्ण नेटवर्क विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक पूरी होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) जी हां, नेटवर्क की सहायता के लिए आई.सी.आई.सी.आई. ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की सहायता से हैदराबाद शहर के बाहरी क्षेत्र के तुर्कपल्ली गांव में एक नालेज पार्क की स्थापना की है जो जैवप्रौद्योगिकी, औषध प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और नये पदार्थों में सहयोगात्मक अनुसंधान और ज्ञान विकास को त्वरित करता है। यह पार्क हाल ही में वर्ष 2000 के मध्य में परिचालित हुआ है। पार्क 20 एकड़ के भू-खण्ड में फैला हुआ है जो अव्यवधानित विद्युत आपूर्ति, तीव्र गति आंकड़ा अंतरण के लिए फाइबर आप्टिक नेटवर्क, द्वितीयक निःसारी उपचार सुविधाएं, स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए इंजीनियरिंग सेवाएं, संचारी सेवाएं एवं सचिवालयी सहायता सहित अत्याधुनिक अवसंरचना उपलब्ध कराता है। उद्यमी धीरे-धीरे अवसंरचना के लाभों से अवगत हो रहे हैं और कुछ ने अपने परिसरों में सुविधाएं स्थापित करने के लिए कदम उठाये हैं।

आंध्र प्रदेश में जनजातीय आवासीय विद्यालयों का निर्माण

3357. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी**: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में छः जनजातीय आवासीय विद्यालयों के निर्माण पर 15 करोड़ रुपए खर्च करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक विद्यालय भवन के निर्माण पर 2.5 करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों और भवनों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं से संबंधित कार्य कब तक आरंभ होगा?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रत्येक आदर्श आवासीय स्कूल में स्कूल भवन, अलग छात्रावासों और प्रिंसिपल, अध्यापकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण करना है। प्रत्येक स्कूल के लिए निर्धारित 2.5 करोड़ रु. में से 1.00 करोड़ रु. प्रत्येक आदर्श आवासीय स्कूल के लिए अग्रिम के रूप में निर्मुक्त किए गए हैं।

(घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2000-2001 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत 9.21 करोड़ रु. की राशि जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों और भवनों के लिए परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित किया है और अब तक प्रथम किश्त के रूप. में 4.605 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं।

(ङ) राज्य सरकार से परियोजनाओं को तत्काल आरंभ करने के निदेश दिए गए हैं।

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम

3358. **श्री एच.जी. रामुलू**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'महिला प्रोत्साहन प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (एस.टी.ई.पी.)' के अंतर्गत विशेष डेयरी सहकारी समितियों की

स्थापना हेतु कर्नाटक के लिए अब तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई;

(ग) ये परियोजनाएं किन-किन स्थानों पर कार्यान्वित की जा रही हैं और राज्य में उक्त परियोजना के लाभार्थियों की संख्या क्या है;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान राज्य में ऐसी और अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) 'स्टेप' स्कीम के अन्तर्गत अब तक दो डेयरी परियोजनाएं संस्वीकृत की जा चुकी हैं।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान, तीन वर्षों के लिए कर्नाटक सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, बंगलौर (चरण-2) को डेयरी परियोजना के लिए 627.00 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है। इसमें से प्रथम वर्ष के लिए पहली किस्त के रूप में 235.12 लाख रुपए की राशि की निर्मुक्ति हेतु संस्वीकृत आदेश जारी कर दिया गया है।

(ग) कर्नाटक सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, बंगलौर (चरण-1) में कर्नाटक के 14 जिले अर्थात्, बंगलौर, कोलार, मैसूर, माण्डया, टुमकुर, हस्सन, शिमलोगा, बीजापुर, दक्षिण कन्नड, गुलबर्गा, बेलगांव, धारवाड़, रायचूर तथा बेल्लारी शामिल हैं, जिनमें 10,000 लाभार्थियों हेतु डेयरी परियोजना चलाई जा रही है।

(घ) और (ङ) जब भी उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उन पर कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954

3359. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार की नीति आर.ए./उप जिलाधिकारी (एम.डी.एम.), अपर जिलाधिकारी (ए.डी.एम.), कलेक्टर और वित्त आयुक्त के न्यायालय द्वारा ग्राम सभा के विरुद्ध निर्णीत सभी मामलों के बारे में अपील दायर करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 2000-2001 के दौरान जिन मामलों में आर.ए./एस.डी.एम. (वसंत विहार) और डी.सी./कलेक्टर (दक्षिण-पश्चिम दिल्ली) के न्यायालयों द्वारा दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही बन्द कर दी गई थी, उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) इन सभी मामलों में अपील दायर करने के लिए ग्राम सभा ने क्या-क्या उपाय किए; और

(ङ) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ग्राम सभा ने कोई अपील दायर नहीं की है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति

3360. श्री. एम.के. सुब्बा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एक उच्च स्तरीय समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति स्थापना की संभावनाओं और कानून और व्यवस्था की स्थिति के अध्ययन के लिए असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो दौरे के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इसके अनुसरण में क्या अनुवर्ती कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान। फरवरी 2001 में, केन्द्रीय गृह मंत्री ने गृह मंत्रालय के अपर सचिव के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का दौरा किया है।

(ख) केन्द्रीय गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों को हथियार डालने और बिना किसी पूर्व शर्तों के शांति वार्ता हेतु आगे आने के लिए प्रेरित किया। स्थिति में कुल मिलाकर सुधार है।

(ग) अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, अन्य बातों के साथ-साथ, अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिले ''विक्षुब्ध क्षेत्र'' के रूप में बने रहेंगे, नागालैंड में संघर्ष विराम की घोषणा से पूर्व आधार नियमों को अंतिम रूप देने के लिए एन.एस.सी.एन.(के) के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

प्राथमिक शिक्षा हेतु आवश्यक धनराशि

3361. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण संबंधी तपस समिति ने कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक धनराशि का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में वित्तपोषण को अंतिम रूप दिया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो करों के अलावा अन्य स्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में विश्व बैंक से सहायता प्राप्ति हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां। तपस मजुमदार समिति ने 10 वर्ष की अवधि में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए 137000 करोड़ रु. की अतिरिक्त आवश्यकता का आकलन किया था। इस बात की संभावना है कि लागत प्रभावी तथा संकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाकर निधियों की आवश्यकता को मजुमदार समिति द्वारा किए गए आकलन से कम किया जा सकता है।

(ख) और (ग) सर्व शिक्षा अभियान के तहत समुदाय को सहभागी बनाते हुए जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन योजनाओं से भी प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता परिलक्षित होगी। हालांकि 2001-2002 में केन्द्रीय योजनागत आबंटन को बढ़ाकर 38000 करोड़ रु. कर दिया गया है फिर भी सभी जिलों द्वारा अपनी-अपनी जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं तैयार कर लिए जाने पर आने वाले वर्षों में और अधिक संसाधन की मांग होने की संभावना है।

(घ) और (ङ) विश्व बैंक से सर्व शिक्षा अभियान की सहायता के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तमिल भाषा को प्रोत्साहन

3362. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तमिल भाषा को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी सहायता राशि स्वीकृत की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान तमिल भाषा के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न राज्यों ने क्या विशेष कदम उठाए?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत हिन्दी भाषी राज्यों को भी अपने स्कूलों में दक्षिण भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा के शिक्षण के लिए अनुदान दिया जाता है। तथापि, अभी तक किसी भी राज्य ने इस योजना के अन्तर्गत तमिल के लिए निधियों का लाभ नहीं उठाया है।

भारतीय भाषाओं का विकास और उन्नयन भी संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। उक्त विषय पर अपनी नीतियों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों की मानीटरिंग केन्द्र नहीं करता है। तथापि, सभी भारतीय भाषाओं के प्रोन्नयन और विकास के लिए सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक परामर्शी निकाय, भारतीय भाषा प्रोन्नयन परिषद् का गठन किया है जिसमें भाषाविद् और विशेषज्ञ शामिल हैं।

व्यय सुधार आयोग की सिफारिशें

3363. **श्री सी. श्रीनिवासन:**
श्री तिरुनावकरसु:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) की रसायन और उर्वरक संबंधी सिफारिशों के विरुद्ध कई राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उर्वरक कम्पनियों के बन्द होने पर उर्वरकों के आयात के कारण देश को कितना घाटा होने का अनुमान है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी हां। उर्वरक सब्सिडी के यौक्तिकीकरण के संबंध में व्यय सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली ने अपने मत भेजे हैं।

(ग) सरकार ने व्यय सुधार आयोग द्वारा अनुशंसित की गई सामूहिक रियायत योजना के तहत घोषित की जाने वाली रियायत की दरों के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इस प्रकार, उर्वरक कंपनियों द्वारा उठाई गई/उठाई जाने वाली अनुमानित हानि, यदि कोई हो, दर्शाई नहीं जा सकती है।

(घ) सरकार व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यूरिया एककों के लिए मौजूदा प्रतिधारण मूल्य-सह-सब्सिडी योजना के स्थान पर एक नई मूल्य निर्धारण नीति तैयार कर रही है। प्रस्तावित नीति का लक्ष्य सब्सिडी भुगतान में एक समानता लाना तथा यूरिया एककों को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु अपनी आय लागत में कटौती करने वाले उपाय करने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके अतिरिक्त, उर्वरक क्षेत्र में सरकार की वर्तमान नीतियों पर डब्ल्यू.टी.ओ. के उपबन्धों के प्रभाव का अध्ययन करने तथा इसके प्रतिकूल प्रभावों, यदि कोई हो, के निराकरण के लिए रणनीति करने हेतु गठित किए गए टास्क फोर्स ने जनवरी, 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

रेहड़ी-पटरी वालों को हटाया जाना

3364. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वालों को हटाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन लोगों के जीविकोपार्जन हेतु कोई सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) रेहड़ी-पटरी वालों को हटाना संबंधित नगर निकाय की जिम्मेदारी है। यह सूचित किया गया है कि जिन रेहड़ी पटरी वालों ने नीति के अंतर्गत तेहबाजारी के लिए आवेदन किया और इसके लिए पात्र पाये गये उन्हें तब तक बने रहने की अनुमति है जब तक उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अभिज्ञात स्क्वेटिंग जोनों में नहीं बसाया जाता। अन्य रेहड़ी-पटरी वाले अनधिकृत हैं और उन्हें अतिक्रमण हटाओ छापों के दौरान समय-समय पर हटाया जाता है।

(ख) से (घ) हटाये गये अनधिकृत स्क्वेटरों को कोई सहायता मुहैया नहीं कराई जाती है।

[अनुवाद]

तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच झड़पें

3365. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:**
श्री रामजीवन सिंह:
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान तिहाड़ जेल के कैदियों और कर्मचारियों के बीच झड़पें/दंगे हुए थे;

(ख) यदि हां, तो इन झड़पों के क्या कारण थे और इनमें कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) 29 दिसम्बर, 2000 को स्थान के इस्तेमाल के मामले पर एक-दूसरे से झगड़ने के लिए दण्ड देने हेतु दो प्रतिद्वन्द्वी ग्रुपों के 13 कैदियों को भेजा गया था। जेल अधीक्षक के आने की प्रतीक्षा करते हुए, दोनों ग्रुप फिर झगड़ पड़े, जिसमें जेल स्टाफ के 18 सदस्यों सहित 41 व्यक्ति जख्मी हो गए। जख्मी हुए व्यक्तियों में से एक ने बाद में दम तोड़ दिया।

(ग) से (छ) अपर महानिरीक्षक (जेल) ने इस घटना की जांच की थी और अपर महानिदेशक (जेल) द्वारा उनकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। जेल अधीक्षकों को कैदियों के दो प्रतिद्वन्द्वी ग्रुपों के एक स्थान पर एकत्र होने को टालने के लिए निदेश दिए गए हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके।

[हिन्दी]

इमारती लकड़ी के प्रयोग पर प्रतिबंध

3366. श्री शिवराजसिंह चौहान:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी भवनों के निर्माण में इमारती लकड़ी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्य सरकारों और निजी भवन-निर्माताओं को दिशानिर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपने विभाग के लिए लकड़ी के उपयोग पर दिनांक 26.2.1993 को प्रतिबंध लगाया था। तथापि, कुछ लकड़ी के विकल्पों के असंतोषजनक निष्पादन को देखते हुए 16.9.1999 को प्रतिबंध पर आंशिक छूट दी गई थी और मौजूदा अनुमोदित लकड़ी विकल्पों के अलावा, कुछ मदों में लकड़ी के उपयोग की अनुमति दी गई।

(ग) और (घ) ऐसा समझा गया कि इस संबंध में दिशानिर्देश जारी होने से पहले, लकड़ी विकल्प की मदों को कुछ और वर्षों के लिए रखा जाए।

[अनुवाद]

जैव संसाधन संस्थानों की स्थापना

3367. श्री अनन्त नायक: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थानवार कितने जैव संसाधन संस्थानों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार 2001-2002 के दौरान किन्हीं नए जैव संसाधन संस्थानों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की प्रयोगशालाओं के एक घटक के रूप में पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में एक हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान है। सरकार ने हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में इम्फाल, मणिपुर में जैवसंसाधन एवं सतत विकास संस्थान (आई.बी.एस.डी.) की स्थापना को अनुमोदित किया है।

(ख) और (ग) 2001-2002 के दौरान किसी अन्य जैव संसाधन संस्थान की स्थापना करने का अभी सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

डी.डी.ए. क्लब के लिए भूमि का आबंटन

3368. श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
डा. रमेश चन्द तोमर:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:
श्री राममोहन गाड्डे:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के सतर्कता अधिकारी को इस बात के कारणों की जांच करने के निदेश दिए गए हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) अधिकारी क्लब के निर्माण के लिए करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि को योजना के प्रावधानों तथा मास्टर प्लान के मार्गनिर्देशों की अनदेखी करते हुए, किन कारणों से अधिग्रहीत कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन अन्य मामलों की गई कार्रवाई की भांति ही, जिसके अंतर्गत मास्टर प्लान के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में दिल्ली के आवासीय भवनों और प्रदूषणकारी इकाईयों को ढहा दिया गया था, इस क्लब के भवन को भी तोड़ दिया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कार्यवाही करने की समय-सीमा सहित ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) मंत्रालय की सतर्कता यूनिट को मामलों की जांच करने के लिए कहा गया है। आगे की कार्रवाई इस जांच के परिणाम पर निर्भर है।

विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील का प्रबंधन

3369. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील का प्रबंधन रक्षा मंत्रालय को सौंपे जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आई.एस.आई. की आयुध कारखानों को उड़ाने की धमकी

3370. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूलगांव (महाराष्ट्र) स्थित आयुध कारखाने को उड़ाने के आई.एस.आई. के षडयन्त्र के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में आई.एस.आई. की बढ़ती गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) इस बारे में कोई पक्की रिपोर्ट नहीं है।

(ग) आई.एस.आई. की गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार ने सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, सीमा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, समन्वित आसूचना पर आधारित अभियानों द्वारा आई.एस.आई. की योजनाओं को विफल करना, सुभेद्य क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की चौकियों की स्थापना और उन्नत अत्याधुनिक हथियारों और संचार प्रणाली आदि के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन शामिल है, ताकि स्थिति से निपटा जा सके।

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को देश में आई.एस.आई. के खतरे की आशंका और गतिविधियों के संबंध में भी सुग्राही बनाती रही है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारियों का आदान-प्रदान करने के साथ-साथ ऐसी गतिविधियों का मुकाबला करने हेतु रणनीतियां बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ आवधिक समन्वय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

[अनुवाद]

'इग्नू' में वित्तीय अनियमितता

3371. श्री विनय कुमार सोराके:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में वित्तीय अनियमितताओं तथा प्रशासनिक कुप्रबन्धन के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारियों द्वारा नियमों और सीमाओं का उल्लंघन किए जाने के परिणाम का आकलन करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा एक जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्ष क्या रहे;

(घ) क्या 'इग्नू' के मामलों की जांच करने के लिए आनन्द स्वरूप समिति गठित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 1997 में की गई कम्प्यूटरों की खरीद में तथाकथित अनियमितताओं की शिकायतों की जांच कर रहा है।

(घ) से (च) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के मामलों की जांच करने के लिए आनंद स्वरूप समिति गठित की थी। इस समिति ने विश्वविद्यालय के कुछेक प्राधिकारियों की ओर से की गई कतिपय प्रशासनिक और कार्यविधि संबंधी चूकों का उल्लेख किया था। विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया था जिसने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम और संविधियों में यथानिर्धारित कार्यविधि और प्रावधानों का भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संकल्प पारित किया था।

विभिन्न श्रेणी के उद्योगों को गृह-उद्योगों की सूची में शामिल करना

3372. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने 41 श्रेणियों के उद्योगों को, दिल्ली के मास्टर-प्लान के अन्तर्गत गृह-उद्योगों की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव के लिए उनके मंत्रालय से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जगदीश सागर समिति की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली के मास्टर प्लान, 2001 में घरेलू उद्योगों की समीक्षा के प्रस्तावों पर आपत्तियां अथवा सुझाव आमंत्रित करते हुए 18 दिसंबर, 2000 को मंत्रालय ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी।

दिल्ली सरकार ने भी इस सूचना के जबाव में अपने सुझाव/सिफारिशें भेजी हैं, जिन पर इसी प्रकार के सुझावों/सिफारिशों के साथ विचार किया जाना है।

नूतन भूजल पुनर्प्राप्ति उपकरण

3373. श्री के. येरननायडू: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश ने नूतन भूजल पुनर्प्राप्ति उपकरण विकसित किया है जो 40 कि. ग्राम वजन तक की वस्तुओं को ऊपर उठाने में उपयोगी हो सकता है और पनडुब्बियों द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है, जैसाकि दिनांक 16 दिसम्बर, 2000 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यह उपकरण किस हद तक उपयोगी सिद्ध होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) आन्ध्र विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर यह समझा जाता है कि बहु ग्रेब प्रणाली को प्रो. ए. जोसेफ ने अपने कार्यकलापों के एक भाग के रूप में अभिकल्पित एवं विकसित किया है। अरीय समिति में व्यवस्थित 8 ग्रैब प्रतिचयकों का क्रमविन्यास एक बांध प्रणाली के साथ-साथ कार्य कर सकता है। इस उपकरण का भार 25 किलोग्राम है एवं यह 30 किलोग्राम भार तक की वस्तुएं/नमूने उठा सकती है।

(ग) और (घ) यह प्रणाली अभी विकासात्मक चरण में है एवं इसके प्रचालनात्मक एवं कार्यात्मक क्षमता के मूल्यांकन हेतु इसका खुले सागर में परीक्षण किया जाना बाकी है। खुले सागर में सफल सिद्ध होने पर इस प्रणाली का उपयोग समुद्रवैज्ञानिक नमूने एवं अन्य सामग्री एकत्रित करने के लिए किया जा सकता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय विद्यालय

3374. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (तत्कालीन कल्याण मंत्रालय) को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय नामक आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु 250 करोड़ रुपये आवंटित किये थे जैसी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संसद सदस्य मंच ने मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त विद्यालयों की स्थापना के लिए कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो अब तक राज्य-वार कितने आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं और 250 करोड़ रुपए की कुल आवंटित राशि में से इन पर कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) कम महिला साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों हेतु विशेष स्कूल खोलने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय नामक एक योजना तैयार की गई थी। इस योजना के संबंध में विभिन्न प्रकार की अनुमति के लंबित रहते हुए भी उस मंत्रालय के 1997-98 के बजट में 250.00 करोड़ रु. का

प्रावधान रखा गया था। लेकिन बाद में इस योजना को प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अंतरित करने का निर्णय लिया गया। प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आदिवासी मामला मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास विभाग के परामर्श से योजना तथा इसके संचालन से जुड़े तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के काम में लगा है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्र

3375. श्री सुरेश चन्देल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार से समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत 125 आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना के लिए और शिमला के शहरी क्षेत्रों में 2487 अतिरिक्त बालवाड़ी विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं। तथापि, शिमला जिले के कस्बों में 13 आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के बारे में एक प्रस्ताव विभाग में दिसम्बर, 1999 में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में 2487 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने के लिए एक अन्य प्रस्ताव नवम्बर, 1999 में भेजा था।

(ख) राज्य सरकार ने अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने के लिए अपेक्षित जानकारी नहीं भेजी है।

[अनुवाद]

देश में अपराधियों की तलाश

3376. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कितने अपराधियों की तलाश है और कितने विदेश में रह रहे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा विदेश में छुपे या वहां रह रहे अपराधियों को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में डकैतियां

3377. श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान और आज की तारीख में देश में रेलगाड़ियों में हुई डकैतियों की घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी प्रत्येक घटना में हुई जान-माल की क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अपराध को दर्ज करने, उसकी जांच-पड़ताल करने, उसका पता लगाने और रोकथाम करने की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार, समय-समय पर, राज्य सरकारों को अपराधों के संबंध में निवारक, दंडात्मक और पुनर्वास उपाय करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखती रही है।

विवरण

जनवरी, 2000 से फरवरी 2001 तक जान-माल की हानि के ब्यौरों के साथ-साथ रेलगाड़ियों में डकैतियों की घटनाएं (राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	घटनाएं	जान हानि	संपत्ति का मूल्य (रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	एन.आर.टी.	–	–
3.	असम	8	–	46300
4.	बिहार	एन.ए.	–	–
5.	गोवा	0	–	–
6.	गुजरात	4	–	579050
7.	हरियाणा	3	–	23600
8.	हिमाचल प्रदेश	0	–	–
9.	जम्मू और कश्मीर	0	–	–
10.	कर्नाटक	0	–	–
11.	केरल	0	–	–
12.	मध्य प्रदेश	15	–	143766
13.	महाराष्ट्र	30	–	3183205
14.	मणिपुर	0	–	–
15.	मेघालय	एन.आर.टी.	–	–
16.	मिजोरम	0	–	–
17.	नागालैंड	0	–	–
18.	उड़ीसा	9	–	28550
19.	पंजाब	1	–	39000
20.	राजस्थान	4	–	4400
21.	सिक्किम	एन.आर.टी.	–	–
22.	तमिलनाडु	1	–	10000
23.	त्रिपुरा	0	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	10	–	72069

1	2	3	4	5
25.	पश्चिम बंगाल	30	-	220830
संघ शासित क्षेत्र				
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	एन.आर.टी.	-	-
27.	चंडीगढ़	0	-	-
28.	दादरा और नगर हवेली	एन.आर.टी.	-	-
29.	दमन और दीव	एन.आर.टी.	-	-
30.	दिल्ली	एन.ए.	-	-
31.	लक्षद्वीप	एन.आर.टी.	-	-
32.	पांडिचेरी	0	-	-
	कुल	115	-	4350770

(1) एन.ए. का अर्थ है आंकड़े उपलब्ध नहीं।
(2) एन.आर.टी. का अर्थ है कोई रेलवे लाइन नहीं।
(3) आंकड़े अनंतिम हैं।

[अनुवाद]

लौह अयस्क उत्पादक राज्य

3378. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लौह अयस्क उत्पादक राज्यों और उन राज्यों में लौह अयस्क उत्पादन से जुड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन राज्यों में लौह अयस्क की राज्य-वार कुल कितनी मात्रा उत्पादित की गई;

(ग) क्या वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कुछ राज्यों में लौह अयस्क के उत्पादन में गिरावट आ गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन राज्यों में अयस्क के उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) 10 राज्यों से लौह अयस्क का उत्पादन करने की सूचना प्राप्त हुई है। ये राज्य हैं:

(1) आन्ध्र प्रदेश (2) छत्तीसगढ़ (3) गोवा (4) हरियाणा (5) झारखंड (6) कर्नाटक (7) मध्य प्रदेश (8) महाराष्ट्र (9) उड़ीसा, और (10) राजस्थान। वर्ष 1999-2000 के दौरान लौह अयस्क के कुल उत्पादन में सरकारी क्षेत्र की खानों का शेयर लगभग 55% था।

सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रम छः राज्यों में लौह अयस्क का उत्पादन कार्य कर रहे हैं, जिनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है:-

(ख) गत तीन वर्षों में लौह अयस्क का राज्य-वार उत्पादन निम्नानुसार है:-

(मात्रा: हजार टन)

राज्य	1998-99	1999-2000 (पी)	2000-2001 (अनंतिम) दिसंबर, 2000 तक)
आन्ध्र प्रदेश	318	340	267
छत्तीसगढ़	17150	18490	(मध्य प्रदेश के आंकड़ों में शामिल)
गोआ	15796	15002	8911
हरियाणा	1	1	0
झारखंड	12081	11913	9164
कर्नाटक	15024	15681	11953
मध्य प्रदेश	121	92	*15016
महाराष्ट्र	29	25	13
उड़ीसा	11701	11921	10251
राजस्थान	9	10	5
कुल	72230	73475	55580

पी- अनंतिम

*छत्तीसगढ़ के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान लौह अयस्क के मुख्य उत्पादक राज्यों में से गोवा और झारखंड में उत्पादन कम होने की सूचना प्राप्त हुई है। चालू वर्ष के प्रथम 9 महीनों के दौरान गोवा में लौह अयस्क के उत्पादन में गिरावट जारी रही।

वर्ष 1999-2000 और चालू वर्ष के दौरान लौह अयस्क के उत्पादन में आई गिरावट के कारणों में निर्यात मांग में गिरावट, उपस्करों और प्रकमण संयंत्रों की कम उपलब्धता, मशीनरी के ब्रेक डाउन, अधिभार को हटाना और मानसून शामिल हैं।

विवरण

राज्य-वार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची

लौह अयस्क

राज्य		सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के नाम
1		2
1.	झारखंड	1. इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को)
		2. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)
2.	हरियाणा	1. हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड
3.	कर्नाटक	1. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (के.आई.ओ.सी.एल.)
		2. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (एन.एम.डी.सी.)
		3. विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वी.आई.एस.एल.)
		4. मैसूर मिनरल लिमिटेड
4.	छत्तीसगढ़	1. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (एन.एम.डी.सी.)
		2. स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि. (सेल)

1		2
5.	महाराष्ट्र	1. महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
6.	उड़ीसा	1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)
		2. भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि.
		3. उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.
		4. उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लि.

[हिन्दी]

दिल्ली में अवैध भवन

3379. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जनवरी, 2001 के 'जनसत्ता' में अवैध भवनों के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) आज की तारीख में राजधानी में ऐसे अवैध भवनों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे भवनों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है/किए जाने का विचार है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि विकासकों ने नेहरू प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस, जनकपुरी और राजेन्द्र नगर जिला केन्द्रों में स्थित वाणिज्यिक प्लाट विभिन्न तारीखों में हुई खुली नीलामी में खरीदे थे, अत: इन भवनों का निर्माण अवैध मुद्दा नहीं है। अतीत में आबंटन की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार सभी फसल बोलीदाताओं को स्थायी लीज विलेख पत्र जारी कर दिए थे और स्टाम्प कलक्टर कार्यालय से विधिवत स्टाम्पयुक्त पत्रों की प्राप्ति की प्रत्याशा में आबंटित प्लाटों का कब्जा विकासकों को सौंप दिया गया था। तथापि, विकासकों द्वारा स्टाम्पयुक्त विलेख पत्र प्रस्तुत न किये जोन पर प्रक्रिया को संशोधित किया गया तथा अब विकासकों को आबंटित प्लाट का कब्जा, उप-पंजीयक के कार्यालय द्वारा स्टाम्प किये गये लीज पत्र डीडीए में प्राप्त होने पर ही दिया जा रहा है। ऐसा न होन पर प्लाट का कब्जा नहीं दिया जाता। अत: अब लीज का निष्पादन न किये जाने की कोई संभावना नहीं है।

इन वाणिज्यिक केन्द्रों में बेचे गए प्लाटों पट्टा विलेख के निष्पादन की स्थिति, स्टाम्प शुल्क के भुगतान, भूमि किराए के भुगतान और पूर्णता प्रमाणपत्र के ब्यौरा संलग्न विवरण में हैं।

(घ) डी.डी.ए. ने बताया है कि की गई/प्रस्तावित कार्रवाई इस प्रकार है:-

(1) जिन मामलों में पट्टा विलेख निष्पादित नहीं हुए हैं, उनमें आबंटन रद्द कर दिया गया है और लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई है।

(2) कुछ मामलों में डीडीए द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किए गए थे किन्तु अनुलग्नक-1 के ब्यौरे के अनुसार 123 प्लाटों बावत डीडीए के रिकार्ड में कोई पूर्णता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं हैं। ये क्षेत्र दिल्ली नगर निगम के अधिकार में है। दिल्ली नगर निगम को भवनों के निरीक्षण का निदेश दिया गया है।

(3) भूमि किराए और परिसर खरीदारों की सूची के मुद्दे पर भूमि किराए की वसूली के लिए मांग पत्र जारी किए गए हैं और भुगतान प्राप्त हो रहे हैं। कुछ मामलों में जहां भवन निर्माता अपना भवन परिसर खरीदारों को बेच गए हैं, उनमें एक उप पट्टा किया जाना है, ताकि उप पट्टाकर्ता भी आबंटन पट्टा विलेख की शर्तें और निबंधन मानने के लिए बाध्य हो।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम (जिला केन्द्र)	बेचे गए प्लाट	जिनमें पट्टा विलेख नहीं हुआ	जिनमें स्टांप शुल्क नहीं दिया गया	जिनमें परिसर खरीदारों की सूची नहीं है	जिनमें पूर्णता प्रमाणपत्र जारी हुआ	जिनमें भूमि किराया बकाया है
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नेहरू प्लेस	86	38	37	63	ज्ञात नहीं	86
2.	भीकाजी कामा प्लेस	16	8	8	16	3	16

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	जनकपुरी	13	2	2	13	11	11
4.	राजेन्द्र प्लेस	22	9	7	12	ज्ञात नहीं	22
	जोड़	137	57	54	104	14	135

[अनुवाद]

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में ठेके श्रमिक

3380. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) में कितने ठेके श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वैसे क्षेत्रों में ठेके श्रमिक कार्य कर रहे हैं, जहां ठेके के श्रमिकों का कार्य करना प्रतिबंधित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) दिनांक 1.2.2001 की स्थिति के अनुसार, महानदी कोलफील्ड्स लि. में 7234 अनुबंध श्रमिकों को नियोजित किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

कोयले का उत्खनन

3381. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगरेनी कोलियरी से कोयले के उत्खनन में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त कोलियरी से कोयले का उत्खनन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.) में कोयले का उत्पादन, वर्ष 1998-99 को छोड़कर, पिछले कई वर्षों से बढ़ता रहा है। 1998-99 में कामगारों द्वारा की गई हड़ताल के कारण उत्पादन कम हुआ। 1995-96 से उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए अनुसार हैं:-

(मिलियन टन में)

वर्ष	उत्पादन
1995-96	26.770
1996-97	28.734
1997-98	28.941
1998-99	27.326
1999-2000	29.556

(ग) कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एस.सी.सी.एल. द्वारा उठाए गए कदमों में, उत्पादकता में सुधार, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी की उपलब्धता तथा उपयोग और आधुनिक यंत्रीकरण तकनीकों को लागू किया जाना, इत्यादि शामिल हैं।

दिल्ली में नए कारागार का निर्माण

3382. **श्री रामचन्द्र पासवान:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिहाड़ जेल में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए सरकार का दिल्ली में नए कारागार के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तिहाड़ जेल की मैजूदा क्षमता कितनी है और इस क्षमता के मुकाबले कितने कैदियों को रखा गया है; और

(ग) नए कारागार का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 11.3.2001 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली की जेलों की स्वीकृत क्षमता 3637 की तुलना में इनमें रखे गए कैदियों की वास्तविक संख्या, 10,544 थी।

(ग) केन्द्रीय जेल तिहाड़ परिसर के भीतर तीन और जेलों का निर्माण किया जा रहा है जबकि एक जिला जेल रोहणी में निर्माणाधीन है। इन जेलों का निर्माण वर्ष 2001 के अंत तक पूरा किया जाना है।

आरक्षित रिक्तियों के बकाया पद

3383. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. अम्बेडकर जन्म शती समारोह समिति ने वर्ष 1993 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के बकाया पदों को भरने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा वर्ष 1993 से इस पर क्या कार्रवाई की गई और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी आरक्षित रिक्तियां हैं, जो उनके मंत्रालय और उसके स्वायत्तशासी/विधिक/सम्बद्ध कार्यालयों के अंतर्गत वर्ग 1, 2, 3 और 4 श्रेणी में दिनांक 1.1.1993 से रिक्त पड़ी हुई हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) दिनांक 29.08.1997 तक श्रेणी 1, 2, 3 और 4 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित रिक्तियों के बकाया पद कितने हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में हुए नरसंहारों की जांच

3384. श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री विजय गोयल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और केन्द्रीय जांच विभाग ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुए नरसंहार के संबंध में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इन रिपोर्टों के कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के निर्दोष ग्रामीणों के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के बारे में अन्य शिकायतों के साथ 26.12.2000 की एक शिकायत को संज्ञान में लिया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (पी.एच.आर. अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार, जांच के बाद, आयोग अपनी सिफारिशें सम्बन्धित सरकार या प्राधिकरण को भेजता है और यह उस सरकार का काम है कि वह उस पर कार्रवाई करे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस घटना की कोई जांच-पड़ताल नहीं की है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में और डिग्री कॉलेजों को स्वायत्तशासी संस्थानों के रूप में परिवर्तित करना

3385. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उड़ीसा के अधिकांश डिग्री कॉलेजों को स्वायत्तशासी संस्थान में बदलने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन कॉलेजों की पहचान की गई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य के कॉलेजों में विभिन्न विकास संबंधी गतिविधियों और परियोजनाओं के लिए वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उड़ीसा में स्थित 19 कॉलेजों को स्वायत्ता का दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन कालेजों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि, स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा इन प्रस्तावों का अभी मूल्यांकन किया जाना है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान उड़ीसा के विश्वविद्यालयों में विभिन्न विकास कार्यकलापों तथा परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में क्रमशः 494.71 लाख रुपये, 730.90 लाख रुपये तथा 750.99 लाख रुपये की राशि दी गई है।

विवरण

कालेजों की सूची

1. धेनकनाल कालेज, धेनकनाल
2. भदरक कालेज, भदरक
3. शैलबाला महिला कालेज, कटक
4. राजकीय कालेज, सुन्दरगढ़
5. एस.बी.आर.जी. महिला कालेज, बेरहामपुर
6. नवरंगापुर कालेज, नवरंगापुर
7. एस.के.सी.जी. कालेज, परलखेमुन्डी
8. के.एस.यू.बी. कालेज, भंजनगर
9. बी. देव कालेज, जे पोर्ट
10. रयागढ़ा कालेज, रायगदा
11. राजकीय कालेज, फुलबानी
12. एस.बी. महिला कालेज, बेरहामपुर
13. डी.ए.वी. कालेज, कोरापुट
14. डी.डी. कालेज, किओन्झरगढ़
15. करन्जिया कालेज, करन्जिया
16. उदाला कालेज, उदाला
17. रायरंजपुर कालेज, रायरंजपुर
18. चम्पुआ कालेज, चम्पुआ
19. आनन्दपुर कालेज, आनन्दपुर।

[हिन्दी]

कोयला खानों के संबंध में विधेयक

3386. श्री थावरचंद गेहलोत: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला खान राष्ट्रीयकरण (संशोधन) विधेयक, 2000 और कोल इंडिया (अंतरण और विधिमान्यकरण विनियमन) विधेयक को लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसे कब से लागू किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 2000 राज्य सभा में दिनांक 24.4.2000 को पेश किया गया। फिलहाल, बिल ऊर्जा पर स्थायी समिति के विचाराधीन है।

कोल इंडिया (अंतरण और विधिमान्यकरण विनियमन) विधेयक, 2000, दिनांक 8.12.2000 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम, भूमि अथवा ऐसी भूमि में अथवा पर अधिकार अथवा कोयला खान, कोकिंग कोल खान अथवा कोक ओवन संयंत्र के संबंध में अधिकार, नाम और हित को, जो कोल इंडिया लिमिटेड या सहायक कंपनी में निहित हैं, कोल इंडिया लि. की किसी सहायक कंपनी अथवा किसी अन्य सहायक कंपनी को हस्तांतरण हेतु निदेश देने और ऐसी भूमि अथवा अधिकारों के कुछ निश्चित अन्तरणों को वैधीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का दाखिला

3387. श्री के.ए. सांगतम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों को उन सभी आरक्षित सीटों की अधिकतम संख्या तक दाखिला देने का निर्णय लिया है जो उनके लिए आरक्षित होती है, जैसाकि डा. अम्बेडकर जन्म शती समारोह समिति द्वारा सिफारिश की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तर पर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बैंकाक के सभी पाठ्यक्रमों में विभिन्न संकायों/विभागों में वर्ष-वार कुल कितनी सीटें प्रदान की गई; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संकायों/विभागों के उक्त पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के वर्ष-वार कितने विद्यार्थियों का दाखिला किया गया और कुल सीटों की तुलना में उनका प्रतिशत कितना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले शैक्षिक संस्थानों में इनके कार्यक्रमों में दाखिले के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों के लिए आरक्षण नीति का अनुपालन किया जा रहा है। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बैंकाक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्नातकोत्तर संस्थान है और इसका प्रबन्धन अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा किया जाता है। अत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति इस संस्थान पर लागू नहीं होती।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

3388. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को कश्मीर घाटी के विस्थापित लोगों के पुनर्वास के संबंध में स्वीकृति हेतु जम्मू-कश्मीर सरकार से योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब प्राप्त किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के क्रियान्वयन पर कितनी अनुमानित राशि व्यय होने की संभवना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) अक्तूबर, 2000 में, जम्मू और कश्मीर की सरकार ने कश्मीर प्रवासियों की वापिसी और पुनर्वास के लिए 2589.73 करोड़ रुपए की राशि से एक कार्य योजना प्रस्तुत की है ताकि इस समय जम्मू, दिल्ली और अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में रह रहे कश्मीरी प्रवासियों के 52,689 परिवारों, जिसमें 1.25 लाख के लगभग व्यक्ति हैं, की घाटी में वापिसी हो सके। कार्य योजना में 1.50 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से पुनर्वास सहायता, अक्षत मकानों के लिए एक लाख रुपए की दर से और क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 3 लाख रुपए की दर से मकान मरम्मत के लिए अनुदान घरेलू सामान के लिए 0.50 लाख की दर से और फर्नीचर के लिए 0.50 लाख की दर से अनुदान; प्रति व्यक्ति 1-2 लाख रुपए की दर से ब्याज मुक्त ऋण; कृषि आय की हानि के लिए 1.50 लाख रुपए प्रति परिवार मुआवजा; कृषि कार्यों में निवेश के लिए प्रति परिवार 1.50 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और एक वर्ष के लिए प्रति माह 2000/- रुपए के आहार का प्रावधान किया गया है।

जम्मू और कश्मीर की सरकार को प्रथम चरण में श्रीनगर के प्रवासी परिवारों को, श्रीनगर शहर के अधिक सुरक्षित स्थानों में उनके पुनर्वास हेतु पुनर्वास योजना को स्वीकार करने के लिए मनाने हेतु कदम उठाने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

इफ्को में नियुक्तियां

3389. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में इफ्को की प्रत्येक इकाई में स्थाई या अन्य तरह से इकाई-वार कितनी नियुक्ति की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इकाई-वार कितने अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) इफ्को के गुजरात में कलोल और काण्डला में दो एकक हैं। इन दो एककों में गत तीन वर्षों के दौरान मौजूदा रिक्तियों की तुलना में की गई नियुक्तियों के ब्यौरे नीचे सारणी में

दिए गए हैं:-

वर्ष	कलोल	काण्डला
1998	15	06
1999	19	11
2000	27	18

(ख) इन एककों के किसी भी अस्थाई कर्मचारी को इस अवधि के दौरान स्थाई नहीं किया गया है।

कोयला खानों में चालू खनन कार्य

3390. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में जिन कोयला खानों में खनन कार्य चल रहा है उनकी क्षमता कितनी है और इन कोयला भंडारों से कब तक कोयला निकलने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार का विचार कोयला खानों में खनन की नई संभावनाओं का पता लगाने हेतु कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोयला भंडार इतनी गहराई में हैं कि इन खानों में खनन कार्य करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं रह गया है;

(ङ) क्या सरकार ने कोयले के स्पष्ट वर्गीकरण की व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) खान आयोजना और डिजाइनिंग के प्रयोजन के लिए भंडारों को प्रमाणित करने के लिए एक ब्लाक में विस्तृत अन्वेषण पूरा करने में आमतौर पर दो से तीन वर्ष लगते हैं। अन्वेषण पूरा करने और खनन योग्य भंडारों और खान की क्षमता का अनुमान लगाने के लिए भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने के बाद परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसलिए अन्वेषणाधीन कोयला खानों/ ब्लाकों के खान की क्षमता को निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है।

नौवीं योजना दस्तावेज (जुलाई, 1986) के लिए कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण के उप-ग्रुप ने 0-1200 मीटर गहराई में देश के अनुमानित 202 बिलियन टन के कुल भंडारों में से 600 मी. की गहराई तक 68.5 बिलियन टन के प्रमाणित भंडारों के आधार पर 29.91 बिलियन टन निष्कर्षणयोग्य/प्राप्त किए जाने योग्य कोयला भंडार का अनुमान लगाया गया है। प्राप्त किए जाने योग्य यथा अनुमानित भंडार निम्नवत है:-

कोयले का प्रकार	प्राप्य योग्य कोयला भंडार 600 मी. गहराई तक (बिलियन टन)		
	ओपनकास्ट	भूमिगत	योग
कोकिंग	2.53	1.88	4.41
नॉन कोकिंग	18.50	6.30	24.8
जोड़	21.03	8.18	29.21

सी.आई.एल. द्वारा 2006-2007 के दौरान 350 मिलियन टन कोयला उत्पादन दर मानते हुए प्राप्य योग्य प्रमाणित भंडारों की मियाद 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार लगभग 85 वर्ष होने की आशा है। तथापि, सी.एम.पी.डी.आई. द्वारा विस्तृत अन्वेषण के परिणामत: लगभग 3 से 4 बिलियन टन के प्रमाणित भंडारों में वार्षिक आधार पर वृद्धि हो रही है। 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार 0-1200 मी. की गहराई में देश में 214 बिलियन टन का कुल भंडार है जिसमें से 0-600 मी. गहराई में 82.7 बिलियन टन प्रमाणित भंडार हैं।

(ख) और (ग) नए कोयला खानों के लिए नए संभावित ब्लाकों की पहचान भारतीय भू-वैज्ञानिक के माध्यम से किया जाता है जिसके लिए संवर्धनात्मक निधि कोयला मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई जाती है। वर्तमान में कोयला और लिग्नाइट का क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य 21 कोयला ब्लॉकों और 9 लिग्नाइट क्षेत्रों में, सरकार द्वारा नौवीं योजना के लिए 147 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर संवर्द्धन अन्वेषण के अंतर्गत किया जा रहा है जो जी.एस.आई. द्वारा अपनी स्वयं की निधि से क्षेत्रीय अन्वेषण स्कीम के अंतर्गत अन्वेषण के अधीन ब्लॉकों के अलावा हैं जिसके ब्यौरे भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण से प्राप्त किए जाएं। क्षेत्रीय अन्वेषण

से अभिज्ञात संभावित नए ब्लॉकों को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और खनन परियोजनाएं तैयार करने के प्रयोजन से विस्तृत ड्रिलिंग के लिए लिया जाता है।

(घ) 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार (जी.एस.आई.) कोयला भंडारों की सूची के अनुसार श्रेणीवार और गहराईवार भंडार निम्नवत हैं:-

गहराई (मी.)	प्रमाणित (मि.ट.)	निर्दिष्ट (मि.ट.)	अनुमानित (मि.ट.)	योग (मि.ट.)
0-300	62,215.70	54,333.40	17,898.38	135,447.48
300-600	5,818.72	26,306.07	17,176.47	49,301.26
0-600 (केवल झरिया के लिए)	13,710.33	502.09	0	14,212.42
600-1200	1,689.18	9,100.26	4,174.91	14,944.35
जोड़	84,413.93	90,241.82	39,249.76	213,905.51

उपर्युक्त सारिणी दर्शाती है कि लगभग 63 प्रतिशत भंडार 0-300 मीटर गहराई के भीतर आते हैं जिनमें वर्तमान में खनन गतिविधियां या तो ओपनकास्ट द्वारा अथवा भूमिगत पद्धति पर केन्द्रित हैं। भूमिगत खानों के मामले में ए, बी और सी ग्रेड के कोयले को 300 मीटर की गहराई तक किफायती तौर पर निकाला जा सकता है। 300 मीटर तक और उससे अधिक गहराई वाली भूमिगत खानें ग्रेड "डी", "ई", "एफ" और "जी" कोयले के लिए किफायती नहीं हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

[हिन्दी]

यूरिया की मांग और उत्पादन

3391. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि क्षेत्र में यूरिया का प्रयोग बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान यूरिया की खपत किस दर से बढ़ी है;

(ग) देश में यूरिया की मांग और इसके उत्पादन के बीच कितना अंतर है;

(घ) क्या गुजरात में आए भूकंप से यूरिया के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो इस कम उत्पादन से क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(च) इस अंतर को किस प्रकार कम किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) गत 5 वर्षों के दौरान यूरिया की खपत और वृद्धि दर नीचे दी गई है:

वर्ष	खपत (लाख मी. टन)	वृद्धि दर (%)
1995-96	179.09	-
1996-97	190.25	6.23
1997-98	196.19	3.12
1998-99	203.96	3.96
1999-2000	202.77	(-) 0.58

(ग) देश ने चालू वर्ष में यूरिया के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता का स्तर प्राप्त कर लिया है।

(घ) से (च) गुजरात भूकंप के कारण कृषक भारती कोपरेटिव लि. (कृभको) के हाजिरा संयंत्र में हुई यूरिया की 6900 मी. टन की उत्पादन हानि ने देश में यूरिया की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है।

उर्वरकों का उत्पादन और आपूर्ति

3392. श्री ए. नरेन्द्र:
श्रीमती शीला गौतम:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उर्वरकों की वास्तविक मांग की तुलना में इनका उत्पादन और आपूर्ति कितनी है;

(ख) मांग की पूर्ति हेतु सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में उर्वरकों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस कार्य हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. नामक तीन प्रमुख उर्वरकों का उत्पादन, उपलब्धता और खपत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(लाख टन)

वर्ष	उत्पादन			उपलब्धता			खपत		
	यूरिया	डीएपी	एमओपी	यूरिया	डीएपी	एमओपी	यूरिया	डीएपी	एमओपी
1997-98	185.96	36.91	-	224.87	59.71	22.17	196.19	53.76	17.29
1998-99	192.91	38.68	-	225.57	66.83	27.22	203.96	58.28	16.21
1999-2000	198.30	38.63	-	226.13	79.31	33.98	202.78	69.38	20.50

(ख) और (ग) स्वदेशी उर्वरक उत्पादन को अनुकूलतम बनाने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं/रियायतें इस समय सरकार द्वारा उर्वरक उद्योग को उपलब्ध कराई गई हैं:-

(1) औद्योगिक नीति संकल्प दिनांक 24 जुलाई, 1991 के अनुसार, उर्वरक संयंत्र को लगाने/विस्तार करने के लिए सामान्य रूप से किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं हाती है। उद्यमी पर्यावरणीय मंजूरी की शर्त के अध्यधीन देश में कहीं भी उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना विस्तार करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

(2) उर्वरक परियोजनाओं को पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं की समनिर्यात लाभ बशर्ते कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के अन्तर्गत ऐसी आपूर्ति की जाती है।

(3) प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता योजना जो इस समय मौजूदा यूरिया क्षमता पर लागू है, के अधीन उद्यमियों को निवेश पर मुनासिब लाभ।

(4) कृषकों को अनियंत्रित फॉस्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों की बिक्री पर रियायत।

(5) नए उर्वरक संयंत्र को लगाने के लिए पूंजीगत माल का आयात/सीमाशुल्क की रियायती दरों पर मौजूदा यूनिटों का आधुनिकीकरण।

(6) सीमाशुल्क की रियायती दरों पर उर्वरक कच्चे माल तथा मध्यवर्तियों का आयात।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में शहरों का विकास

3393. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार द्वारा अपने शहरों और कस्बों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए अग्रेषित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत/लंबित योजनाओं का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) लंबित योजनाओं को स्वीकृत न करने के योजना-वार क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य को योजना-वार उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) कौन-कौन से शहर और कस्बे केन्द्रीय सहायता से विकसित किए जाने हैं; और

(च) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात सरकार से प्राप्त व केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर स्कीमों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

छोटे तथा मझौले कस्बों के एकीकृत विकास की स्कीम के अंतर्गत प्राप्त व अनुमोदित स्कीमों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	प्रस्तावित कस्बों की संख्या			
	नए		चालू	
	प्रस्तुत	केन्द्र द्वारा अनुमोदित	प्रस्तुत	केन्द्र द्वारा अनुमोदित
1997-98	2	2	10	10
1998-99	–	1	6	6
1999-2000	4	4	11	8

डेकोर कस्बे का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 में प्रस्तुत किया और 1998-99 में शामिल किया गया।

गत तीन वर्षों के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। तथापि, शेष तीन प्रस्तावों के लिए 1999-2000 में प्राप्त धनराशि 2000-2001 के दौरान जारी की गई।

इसके अलावा हडको द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात को मंजूर स्कीमों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

आवास स्कीमें:- (करोड़ रुपये में)

वर्ष	मंजूर स्कीमें	मंजूर ऋण राशि
1997-98	25	75.63
1998-99	46	91.35
1999-2000	25	110.59

शहरी अवस्थापना स्कीमें:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	मंजूर स्कीमों की संख्या	मंजूर ऋण राशि
1997-98	7	107.89
1998-99	12	238.99
1999-2000	4	219.05

हडको में प्रक्रियाधीन स्कीमों के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

जहां तक बुनियादी सफाई स्कीमों का संबंध है, गत तीन वर्षों के दौरान हडको ने गुजरात को 8.14 करोड़ रुपये की ऋण राशि वाली दो स्कीमें मंजूर की हैं। 6.12 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(ङ) से (च) चालू वर्ष 2000-2001 के दौरान छोटे तथा मझौले कस्बों के एकीकृत विकास की स्कीम के अंतर्गत गुजरात में गांधीधाम, जेतपुर, धंगधारा और कापडवंज नामक 4 कस्बों के विकास का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

विवरण-I

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय राज्य-गुजरात—त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

13.3.2001 की स्थिति अनुसार

राज्य-गुजरात (लाख रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त स्कीमों की सं.	अनुमोदित स्कीमें		राज्य सरकार को वापस स्कीमें	
			सं.	अनु. लागत	सं.	अनु. लागत
1.	1997-98	–	–	–	–	–
2.	1998-99	–	–	–	–	–
3.	1999-2000	10	7	1395.28	3*	575.89
		10	7	1395.28	3*	575.89

*1999-2000 में राज्य सरकार को वापस की गई तीन स्कीमें, जो राज्य सरकार ने 2000-2001 के दौरान संशोधन करके पुनः भेजी थी, अनुमोदित कर दी गई। अतः आज की तारीख में कुछ भी लंबित नहीं है।

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

राज्यः गुजरात 13.3.2001 की स्थिति अनुसार

क. मंजूर *परियोजनाएं* (लाख रुपये में)

क्र.सं.	कस्बें का नाम	जिला	आबादी 1991 की जनगणना	मंजूरी की तारीख माह/वर्ष	अनु. परि. लागत	जारी केन्द्रीय अंश	सितम्बर 2000 तक व्यय
1.	खेरालू	मेहसाना	17867	अप्रैल/99	223.26	347.25	177.36
2.	खेडब्रह्मा	साबरकंठा	17231	अप्रैल/99	256.13	(1999-2000)	127.50
3.	विसावदर	जूनागढ़	16884	अप्रैल/99	159.20	–	120.17
4.	आदित्याना	जूनागढ़	15634	अप्रैल/99	170.93	–	105.10
5.	चिखली	नवसरी	18072	जून/99	113.32	–	36.97
6.	वनस्थाली	जूनागढ़	16335	जून/99	128.60	–	4.20
7.	साल्या	जामनगर	19363	दिस/99	343.84	–	सू. नहीं
	कुल		121386		1395.28	347.25	571.50

सू. नहीं- सूचित नहीं

नोट- 1997-98 और 1998-99 के दौरान कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई।

ख: सी.पी.एच.ई.ई.ओ. में जांच अधीन स्कीमें

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	आबादी	परियोजना लागत	टिप्पणी
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

केन्द्र प्रवर्तित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

1999-2000 के दौरान राज्य सरकारों को वापस की गई जल आपूर्ति स्कीमों के ब्यौरे

राज्यः गुजरात

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	आबादी (1991 की जनगणना)	परि. लागत (लाख रु. में)	टिप्पणियां
1.	कुटियाना	जूनागढ़	17434	175.56	संशोधन के
2.	देवगढ़-वरिया	दाहोड	17608	188.88	लिए वापस।
3.	रानावाव	जूनागढ़	19607	211.45	2000-2001 में संशोधित स्कीम को मंजूरी
			54649	575.89	

विवरण-II

आई.डी.एस.एम.टी. के अंतर्गत 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान गुजरात को जारी केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	कस्बा	जारी केन्द्रीय सहायता		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	बोटाड	31.00	0.00	0.00
2.	वाधवान	24.00	0.00	0.00
3.	नाडियाड	50.00	0.00	72.76
4.	पलिताना	24.00	0.00	23.48
5.	बोलसाड	0.00	22.00	0.00
6.	धोराजी	0.00	0.00	14.93
7.	पेटलाड	0.00	7.50	0.00
8.	पाडरा	0.00	0.00	36.00
9.	सावरकुंडला	0.00	6.00	0.00
10.	बाबला	19.00	11.00	0.00

1	2	3	4	5
11.	मोडासा	0.00	58.00	0.00
12.	इडार	20.00	0.00	25.00
13.	आनंदी	44.00	26.00	0.00
14.	जामनगर	57.00	0.00	90.00
15.	भावनगर	57.00	0.00	73.00
16.	द्वारका	16.00	0.00	30.00
17.	अम्बाजी	7.55*	5.95**	0.00
18.	मांडवी	13.00*	15.50**	0.00
19.	डाकोर	0.00	16.00*	0.00
20.	धोलका	0.00	0.00	22.00*
21.	अंजार	0.00	0.00	22.00*
22.	ऊना	0.00	0.00	22.00*
23.	अमरेठ	0.00	0.00	22.00*
	सकल योग	362.55	167.95	453.17

टिप्पणी: *संबंधित वर्ष के दौरान नये कस्बे शामिल और शेष चालू कस्बे/स्कीमें थी।
**आंशिक धन 1997-98 में जारी और शेष 1998-99 में।

विवरण-III

28.2.2001 का समाप्त माह के लिए राज्य/एजेन्सीवार प्रक्रियाधीन आवास स्कीमें

(लाख रुपये में)
ऋण राशि

क्र.सं.	राज्य/एजेन्सी	रि. ईकाई	ईडब्ल्यूएस(आर)	ईडब्ल्यूएस(यू)	एलआईजी	एमआईजी	एचआईजी	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गुजरात								
1.	बड़ौदा नगर निगम	288	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	एस्सार आयल लि.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5250.00
3.	एस्सार आयल लि.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5250.00
4.	गुजरात हाउसिंग बोर्ड	1819	0.00	727.60	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	गुजरात रूरल हाउसिंग बोर्ड	33	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	-वही-	10	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
7.	सरदार नगर विकास नि.	28	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
8.	सूरत श.वि.प्रा.	1032	0.00	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	3210	13.20	1152.40	22.00	0.00	0.00	10500.00
	सकल योग:	11687.60						

प्रक्रियाधीन शहरी अवस्थापना स्कीम दिनांक 12.3.2001

क्र.सं.	यूआईपीईसी/ प्राप्ति की ता.	स्कीम का नाम	एजेन्सी का नाम	प्ररि. लागत	ऋण राशि	अद्यतन स्थिति/ की गई कार्रवाई
	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम: अहमदाबाद क्षेत्र राज्य: गुजरात					
1.	-	इन्फोरसिटी परियोजना	गांधीनगर (सीओआई)	17427.3	12199.1	24.1.2001 का सातवीं यू.आई. पी.ई.सी. में मंजूर स्कीम
	कुल			17427.28	12199.00	
1.	28.1.1999	गोटा, अहमदाबाद (पी.ओ.आई.) में स्कूल भवन का निर्माण		188.71	132.09	अनुपालन के बाद पी.ए.सी. हेतु प्रस्तुत की जानी है
2.	18.12.2000	रेलवे लाइन का विकास (मुन्द्रा पोर्ट (पी.ओ.आई.) परियोजना का भाग)		13186.0	5000.00	जैडओ पर मूल्यांकन अधीन
	कुल			13374.71	5132.09	
	सकल योग			30801.99	17331.18	

सी.सी.एल. के अंतर्गत सामुदायिक विकास योजना

3394. डा. बलिराम: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) द्वारा सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कोलियरी-वार कितनी धनराशि स्वीकृत और व्यय की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कोलफील्ड्स में इस योजना के क्रियान्वयन में कतिपय वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कोलफील्ड्स-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. द्वारा प्रतिवर्ष अनुमोदित और खर्च की गई राशि कोलियरी-वार विवरण-I में दी गई है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, सी.सी.एल. में सामुदायिक विकास योजना के कार्यान्वयन में कोई वित्तीय अनियमितताएं नहीं रही हैं। इसके अलावा, सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत कार्यों की मॉनिटरिंग एक मॉनिटरिंग सैल द्वारा की जाती और जब कभी शिकायत प्राप्त होती है, इसकी जांच की जाती है और उचित कार्रवाई की जाती है।

विवरण-I

(आंकड़े लाख में)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	बजट	खर्च की गई राशि	बजट	खर्च की गई राशि	बजट	खर्च की गई राशि	बजट	खर्च की गई राशि
		1997-98	1997-98	1998-99	1998-99	1999-2000	1999-2000	2000-2001	2000-2001
1.	हजारीबाग	7.00	4.27	5.00	3.97	3.80	1.45	3.80	1.49
2.	बरकाकाना	4.50	3.58	4.00	2.74	2.80	2.32	2.80	1.58 काम दिया गया
3.	सयाल	4.50	4.30	4.00	2.24	2.80	0.43	2.80	1.04
4.	अरगदा	4.50	4.60	4.00	4.00	3.60	2.18	3.60	0.35
5.	कूजू	6.00	3.33	5.00	3.17	3.00	3.00	3.00	—
6.	राजरप्पा	4.00	4.17	3.00	1.92	3.80	3.16	3.80	काम दिया गया
7.	सीडब्ल्यूएस	1.00	1.00	1.00	0.93	0.00	0.80	1.00	0.32
8.	नैसराय	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	2.23	2.23
9.	बी एण्ड के	5.50	4.77	5.00	4.81	3.80	3.80	3.80	2.30
10.	धोरी	5.00	5.00	5.00	3.97	3.80	3.53	3.80	—
11.	कथारा	6.00	3.04	5.00	3.57	2.80	1.13	2.80	1.40
12.	बीसीडब्ल्यू	3.50	1.34	2.00	2.30	1.00	0.98	1.00	0.20
13.	गिरीडीह	3.00	2.85	3.00	0.00	2.00	2.53	2.00	0.36
14.	राजहरा	3.00	2.69	4.00	3.52	3.00	2.27	3.00	—
15.	एन.के.	4.50	2.69	5.00	4.93	8.00	5.77	8.00	—
16.	पिपरवार	6.00	5.98	15.00	13.58	19.00	17.42	19.00	4.09
17.	रांची (मु.)	21.00	16.55	27.00	19.32	20.00	13.81	17.77	1.41

विवरण-II

क्र.सं.	किए गए कार्य का ब्यौरा	1997-98 (सं.)	1998-99 (सं.)	1999-2000 (सं.)	2000-2001 (सं.)
1.	शिक्षा स्कूल भवन, चार-दिवारी का निर्माण/विस्तार/मरम्मत, शैक्षणिक सहायक वस्तुओं की आपूर्ति	36	41	45	21
2.	जलापूर्ति सिकिंग/कुओं और नलकूपों की मरम्मत, तालाबों का विकास, तालाब में स्टेपिंग्स का निर्माण, पाइप लाइन बिछाना	30	54	43	09
3.	सड़क संपर्क सड़कों और पुलियों का निर्माण/मरम्मत, बस स्टैंड शैड का निर्माण	18	12	13	06
4.	ग्रामीण स्वास्थ्य दवाइयों की आपूर्ति, स्वास्थ्य कैम्प	21	13	10	-
5.	स्व-रोजगार टेलरिंग, इम्ब्राइडरी, ड्राइविंग, टाइपिंग, शार्टहैंड ट्रेनिंग, स्व-रोजगार की संस्थाओं को सहायता	11	06	09	02
6.	सामुदायिक केन्द सामुदायिक केन्द्र, क्लब और पार्कों का निर्माण/मरम्मत	07	08	12	01
7.	खेल और संस्कृति खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन, क्लबों को सहायता और खेल सामग्री की आपूर्ति	09	10	06	01
8.	विकास संबंधी अन्य कार्य शमशान घाटों का निर्माण, विद्युतीकरण के लिए सहायता	17	32	11	02
9.	ई.पी.पी. (पर्यावरणीय सुरक्षा योजना), वृक्षारोपण	01	-	09	07

[अनुवाद]

जनजातीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर

3395. श्री दिलीप संघाणी: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का योजनावार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे योजना-वार और राज्य-वार कितने लोग लाभान्वित हुए;

(ग) क्या जनजातीय महिलाओं के लिए भी अलग से कुछ योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, अनुसूचित जनजातियों सहित गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए उन्हें लाभकारी रोजगार प्रदान करने हेतु पूरे देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित तीन योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

(1) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना/जवाहर रोजगार योजना (जे.जी.एस.वाई./जे.आर.वाई.)

(2) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/समेकित ग्रामीण विकास परियोजना (एस.जी.एस.वाई./आई.आर.डी.पी.)

(3) रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.)।

इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से निधियां निर्धारित नहीं की जाती हैं। तथापि, इन तीन योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों और उससे गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सृजित मानस दिनों/लाभार्थियों की संख्या से संबंधित सूचना विवरण-I, II तथा III में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वित्तीय वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्मुक्त निधियों और सृजित मानस दिनों के संबंध में विवरण

योजना का नाम:-जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल निर्मुक्त निधियां (रु. लाख में)			अ.ज.जा. के लिए सृजित मानस दिन (लाख में)		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	16685.84	11702.49	9617.32	96.00	27.15	16.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	102.06	475.26	142.71	0.00	3.96	5.91
3.	असम	5524.15	15112.28	3787.01	19.00	66.83	43.94
4.	बिहार	29322.77	29733.82	28484.06	213.00	112.85	74.53
5.	गोवा	104.38	103.32	124.11	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	5747.72	4449.43	3508.03	15.00	28.18	20.76
7.	हरियाणा	1624.75	2591.88	2063.87	10.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	403.46	1022.15	1752.41	4.00	2.03	1.93

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू व कश्मीर	974.62	1094.62	897.74	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	10353.99	10838.13	7037.56	74.00	27.07	20.40
11.	केरल	3734.12	3965.65	3157.72	14.00	1.30	1.28
12.	मध्य प्रदेश	18977.15	18314.14	16926.38	88.00	127.92	100.27
13.	महाराष्ट्र	16816.09	17180.81	13911.47	142.00	96.65	83.94
14.	मणिपुर	248.52	501.64	115.54	0.00	3.7	0.79
15.	मेघालय	159.58	951.75	132.18	0.00	5.66	2.76
16.	मिजोरम	102.87	296.89	92.37	0.00	4.36	2.23
17.	नागालैंड	243.13	775.99	223.90	0.00	23.73	6.69
18.	उड़ीसा	13421.32	13443.31	15974.14	92.00	107.00	72.23
19.	पंजाब	892.79	1559.63	975.08	10.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	8351.86	6008.50	5343.85	72.00	39.42	28.68
21.	सिक्किम	96.78	288.00	102.45	1.00	2.40	1.10
22.	तमिलनाडु	14564.38	10348.85	9163.14	191.00	6.40	5.19
23.	त्रिपुरा	476.35	1824.38	487.95	2.00	17.00	7.63
24.	उत्तर प्रदेश	35894.15	42235.90	33593.14	297.00	6.82	3.00
25.	पश्चिम बंगाल	9066.99	10061.21	10800.26	63.00	16.33	13.59
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	50.70	39.70	13.00	0.00	0.67	0.11
27.	दादर व नागर हवेली	50.22	48.94	30.98	0.00	0.67	0.01
28.	दमन व दीव	16.21	10.06	0.00	0.00	0.40	0.00
29.	लक्षद्वीप	25.41	35.46	23.53	0.00	0.00	0.11
30.	पांडिचेरी	74.37	82.14	45.96	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्मुक्त निधियों और सृजित मानस दिनों के संबंध में विवरण

योजना का नाम:- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल निर्मुक्त राशि (रु. लाख में)			लाभार्थियों की संख्या (यूनिटों में)		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	5434.85	3870.32	6219.57	14248.00	14046	15929
2.	अरुणाचल प्रदेश	424.45	202.78	92.14	12799.00	12432	3060
3.	असम	1728.48	5246.36	3062.36	10035.00	12767	3886
4.	बिहार	4954.02	6608.31	11918.05	32258.00	26477	16684
5.	गोवा	53.97	24.43	59.78	0.00	0	0
6.	गुजरात	2097.64	1455.67	2340.56	11093.00	10236	8054
7.	हरियाणा	593.00	692.00	1784.18	0.00	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	225.68	323.26	475.99	588.00	794	994
9.	जम्मू व कश्मीर	499.90	319.20	411.69	150.00	0	0
10.	कर्नाटक	2542.58	2439.51	2348.33	7157.00	7589	2126
11.	केरल	1249.35	1346.69	2083.35	1096.00	875	456
12.	मध्य प्रदेश	5316.69	6421.25	10013.58	44094.00	36363	30695
13.	महाराष्ट्र	4566.80	5772.63	9284.11	23606.00	22447	12869
14.	मणिपुर	206.72	87.76	119.10	2635.00	820	0
15.	मेघालय	186.29	144.49	131.52	5159.00	4219	741
16.	मिजोरम	140.97	104.25	58.15	2876.00	3138	0
17.	नागालैंड	208.71	86.70	102.09	3433.00	5773	4749
18.	उड़ीसा	3404.37	4384.65	7222.67	18934.00	24795	18402
19.	पंजाब	484.23	416.18	664.98	0.00	0	0
20.	राजस्थान	2080.12	2084.45	3566.34	11938.00	11922	5507
21.	सिक्किम	49.92	90.57	68.38	759.00	954	288

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	तमिलनाडु	4959.13	3463.58	6999.46	3009.00	2158	1309
23.	त्रिपुरा	429.01	635.03	488.12	4041.00	6264	2934
24.	उत्तर प्रदेश	10077.72	13889.50	13337.96	2421.00	2485	782
25.	पश्चिम बंगाल	2383.83	2321.76	3952.84	4606.00	4084	5008
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	41.70	63.00	29.90	115.00	78	78
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
28.	दादर व नागर हवेली	31.13	21.88	29.89	174.00	119	0
29.	दमन व दीव	28.91	13.72	29.89	68.00	25	6
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
31.	लक्षद्वीप	17.78	3.43	29.89	27.00	9	3
32.	पांडिचेरी	83.52	29.93	29.89	0.00	0	384

विवरण-III

वित्तीय वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्मुक्त निधियों तथा सृजित मानस दिनों के संबंध में विवरण

योजना का नाम:- रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल निर्मुक्त निधियां (रु. लाख में)			अनुसूचित जनजातियों के लिए सृजित मानस दिन (लाख में)		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	16740.00	16740.00	10288.76	80.79	69.52	33.84
2.	अरुणाचल प्रदेश	1890.00	2140.00	719.27	43.66	38.29	26.25
3.	असम	4592.00	11018.00	4701.11	55.23	65.10	45.10
4.	बिहार	18234.00	18596.00	25388.02	74.30	67.17	58.89
5.	गोवा	140.00	180.00	55.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	4320.00	4410.00	4301.49	27.63	22.56	23.84
7.	हरियाणा	2670.00	1660.00	1981.53	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2550.00	2050.00	945.06	2.96	3.17	3.26

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू व कश्मीर	4760.00	4760.00	2755.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	10600.00	10350.00	6670.05	39.39	34.80	21.20
11.	केरल	3989.00	3861.00	3486.12	3.83	1.86	1.53
12.	मध्य प्रदेश	21507.85	22033.00	17464.11	180.82	166.85	106.76
13.	महाराष्ट्र	11334.51	8167.17	11002.98	82.73	53.66	55.78
14.	मणिपुर	810.00	890.00	307.87	11.36	16.63	7.24
15.	मेघालय	220.00	610.00	220.74	7.72	10.35	7.58
16.	मिजोरम	800.00	800.00	402.16	17.88	19.56	4.95
17.	नागालैंड	2100.00	2100.00	276.09	104.54	51.59	22.92
18.	उड़ीसा	14721.58	12752.00	17621.12	129.59	116.15	69.27
19.	पंजाब	1840.00	2720.00	813.98	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	9265.00	8935.00	6888.13	71.16	57.57	25.83
21.	सिक्किम	220.00	320.00	313.10	2.94	3.28	2.07
22.	तमिलनाडु	18720.00	18720.00	10597.49	24.38	17.18	8.53
23.	त्रिपुरा	1440.00	1440.00	711.46	24.05	20.80	8.58
24.	उत्तर प्रदेश	31448.06	35153.65	36155.49	4.83	4.61	1.49
25.	पश्चिम बंगाल	7790.00	8270.00	9483.71	27.02	15.42	21.31
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	80.00	40.00	27.36	0.03	0.00	0.07
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दादर व नागर हवेली	30.00	30.00	27.36	0.72	0.13	0.21
29.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.91	0.06	0.01	0.00
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.00	100.00	1.82	1.46	1.72	0.87
32.	पांडिचेरी	60.00	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00

नवीन पुनर्वास अधिनियम, 1999

3396. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से नवीन पुनर्वास अधिनियम, 1999 के संबंध में स्वीकृति हेतु कुछ प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) महाराष्ट्र परियोजना प्रभावित व्यक्ति पुनर्वास विधेयक, 1999 को 7 मार्च, 2001 को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है और इस बारे में राज्य सरकार को 9 मार्च, 2001 को सूचित कर दिया गया है।

देश में श्रीलंकाई शरणार्थी

3397. **श्री अरुण कुमार:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक देश में राज्य-वार कितने श्रीलंकाई शरणार्थी हैं; और

(ख) इन शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) तमिलनाडु में लगभग 65,000 और उड़ीसा में लगभग 100 श्रीलंकाई, शरणार्थी शिविरों में ठहरे हुए हैं। इसके अलावा, कुछ श्रीलंकाई शरणार्थी परिवार तमिलनाडु में शरणार्थी शिविरों से बाहर रह रहे हैं।

(ख) भारत सरकार, श्रीलंकाई शरणार्थियों को श्रीलंका वापिस भेजने के लिए उनके शीघ्र प्रत्यावर्तन हेतु प्रबंध करने के लिए कोलंबो में भारतीय दूतावास के माध्यम से श्रीलंका की सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए है। जैसे ही, ऐसे प्रत्यावर्तन को स्वीकार करने के संबंध में श्रीलंका सरकार की सहमति प्राप्त हो जाएगी, ये शरणार्थी उनके देश को प्रत्यावर्तित कर दिए जाएंगे।

जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत योजनाएं

3398. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत शुरू की गई योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना-वार उक्त कार्य हेतु आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे राज्य-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) पुनर्गठित जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1.4.99 से शुरू की गई थी जिसका प्राथमिक उद्देश्य ग्राम स्तर पर ढांचागत सुविधाएं सृजित करना है। जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निधियों का अलग से क्षेत्रीय निर्धारण नहीं है। ग्राम सभा के अनुमोदन से ग्राम पंचायत क्षेत्र की महसूस की गई आवश्यकताओं के अनुसार कार्य/योजनाएं शुरू कर सकती हैं चूंकि यह मुख्यतया ग्राम ढांचागत विकास योजना है। योजनाओं के लाभों की निगरानी चालू/पूरे हो चुके कार्यों/गतिविधियों की संख्या तथा सृजित श्रमदिनों की संख्या के रूप में की जाती है। 1999-2000 और 2000-2001 (नवम्बर तक) के दौरान जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निधियों के आबंटन चालू/पूरे हो चुके कार्यों की संख्या तथा सृजित श्रमदिनों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1999-2000 वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र	आवंटन			रिलीज			(संख्या में) कार्यों की स्थिति		सृजित
		केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल	पूरे हो चुके कार्य	प्रगति पर चालू कार्य	कुल श्रम दिन (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	9319.52	3106.51	12426.03	9617.32	3205.45	12822.77	40762	22763	133.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	204.90	68.30	273.20	142.71	45.57	190.28	525	81	5.92
3.	असम	5324.02	1774.67	7098.69	3787.01	1262.21	5049.22	12456	5728	132.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बिहार	30529.68	10176.56	40706.56	28484.06	9493.74	37977.80	65784	48034	424.90
5.	गोवा	137.12	45.71	182.82	124.11	41.37	165.48	45	146	1.26
6.	गुजरात	3508.04	1169.35	4677.39	3508.03	1169.23	4677.26	20370	4611	44.75
7.	हरियाणा	2063.84	687.95	2751.79	2063.87	343.94	2407.81	12469	2217	18.84
8.	हिमाचल प्रदेश	869.16	289.72	1158.88	1752.41	584.08	2336.49	6731	1117	14.43
9.	जम्मू व कश्मीर	1075.71	358.57	1434.28	897.74	299.22	1196.98	2910	-	9.74
10.	कर्नाटक	7037.56	2345.85	9383.41	7037.56	2345.62	9383.18	50697	25392	175.49
11.	केरल	3157.73	1052.58	4210.30	3157.72	1052.47	4210.19	16068	15280	37.17
12.	मध्य प्रदेश	15474.69	5158.23	20632.92	16926.38	5641.56	22567.94	546135	8304	265.27
13.	महाराष्ट्र	13911.52	4637.17	18548.70	13911.47	4636.69	18548.16	68937	38347	341.55
14.	मणिपुर	356.92	118.97	475.89	115.54	38.51	154.05	980	463	1.11
15.	मेघालय	399.88	133.29	533.17	132.18	44.06	176.24	0	0	2.76
16.	मिजोरम	92.53	30.84	123.38	92.37	30.79	123.16	1028	22	2.23
17.	नागालैंड	274.30	91.43	365.73	223.90	74.63	298.53	2954	0	6.96
18.	उड़ीसा	10659.61	3353.20	14212.82	15974.14	5324.18	21298.32	50358	14096	211.51
19.	पंजाब	1003.01	334.34	1337.34	975.08	324.99	1300.07	10913	5448	6.62
20.	राजस्थान	5343.95	1781.28	7125.14	5343.85	1781.11	7124.96	15863	5623	105.06
21.	सिक्किम	102.45	34.15	136.60	102.45	34.15	136.60	636	161	2.89
22.	तमिलनाडु	8240.50	2746.83	10987.33	9163.14	3054.07	12217.21	40953	1349	170.27
23.	त्रिपुरा	644.43	214.81	859.24	487.95	162.63	650.58	3114	125	14.49
24.	उत्तर प्रदेश	33598.18	11199.39	44797.57	33593.14	11196.59	44789.73	153536	39964	438.89
25.	पश्चिम बंगाल	11846.03	3948.68	15794.75	10800.26	3599.73	14399.99	65664	23087	113.86
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	93.87	0.00	93.87	13.00	0.00	13.00	40	3	0.21
27.	दादर व नागर हवेली	61.96	0.00	61.96	30.98	0.00	30.98	-	-	0.01
28.	दमन व दीव	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
29.	लक्षद्वीप	47.06	0.00	47.06	23.53	0.00	23.53	8	1	0.11
30.	पांडिचेरी	91.91	0.00	91.91	45.96	0.00	45.96	12	47	0.03
	कुल	165500.00	55058.39	220558.40	168527.86	55788.57	224316.43	698448	262409	2683.08

वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति 2000-2001 (नवम्बर, 2000 तक)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र	आवंटन			रिलीज			(संख्या में) कार्यों की स्थिति		सृजित कुल श्रम दिन (लाख में)
		केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल	पूरे हो चुके कार्य	प्रगति पर चालू कार्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	8727.55	2908.89	11636.45	8044.52	2681.24	10725.76	19951	22713	86.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	456.91	152.29	609.19	204.67	68.22	272.89	146	130	1.38
3.	असम	11872.04	3956.95	15828.99	0.00	0.00	0.00	2775	3195	14.64
4.	बिहार	16476.68	5491.27	21967.95	3802.31	2600.51	10111.25	25157	29190	119.74
5.	छत्तीसगढ़	5094.75	1698.25	6793.00	5399.42	1799.83	7199.05	7825	2249	29.40
6.	गोवा	128.41	42.80	171.21	64.21	21.40	85.61	-	146	1.63
7.	गुजरात	3285.21	1094.96	4380.17	2644.20	881.31	3525.51	14954	5624	33.10
8.	हरियाणा	1932.75	644.18	2576.93	966.28	322.09	1288.47	7054	1302	12.23
9.	हिमाचल प्रदेश	813.95	271.29	1085.24	592.82	197.59	790.41	4730	1589	8.91
10.	जम्मू व कश्मीर	1007.38	335.76	1343.14	546.20	182.05	728.25	1007	-	4.37
11.	झारखण्ड	12113.79	4037.93	16151.72	5456.48	1818.83	7272.31	16597	18975	-
12.	कर्नाटक	6590.54	2196.63	8787.17	3379.14	1126.27	4505.41	36617	30502	79.33
13.	केरल	2957.15	985.62	3992.77	395.26	131.74	527.00	4437	15984	11.38
14.	मध्य प्रदेश	9397.00	3131.85	12528.85	6052.38	2017.26	8069.64	34825	9945	163.75
15.	महाराष्ट्र	13027.87	4342.19	17370.07	6513.90	2171.08	8684.98	29272	50485	160.63
16.	मणिपुर	795.90	265.27	1061.17	264.23	88.07	352.30	969	1586	3.16
17.	मेघालय	891.69	297.20	1185.89	402.71	134.22	536.93	-	-	-
18.	मिजोरम	206.33	68.77	275.10	177.24	59.07	236.31	416	-	1.23
19.	नागालैंड	611.66	203.87	815.53	305.83	101.93	407.76	-	-	8.60
20.	उड़ीसा	9982.52	3327.17	13309.70	6179.33	2059.57	8238.90	33479	20361	139.01
21.	पंजाब	939.30	313.07	1252.07	531.56	177.17	708.73	10366	4559	7.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	राजस्थान	5004.41	1667.97	6672.39	4841.63	1613.72	6455.35	17775	8289	70.19
23.	सिक्किम	228.45	76.14	304.66	114.23	38.07	152.30	247	371	1.74
24.	तमिलनाडु	7717.07	2572.10	10289.17	7756.72	2585.31	10342.03	19593	13122	101.48
25.	त्रिपुरा	1437.02	478.96	1915.97	718.51	239.48	957.99	55	261	3.05
26.	उत्तरांचल	1960.17	653.39	2613.56	830.31	276.77	1107.08	2517	5150	13.22
27.	उत्तर प्रदेश	29503.89	9833.58	39337.47	14791.61	4930.54	19722.15	2393	27884	29.11
28.	पश्चिम बंगाल	11093.58	3697.99	14791.07	7932.60	2643.94	10576.54	68036	40201	74.79
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	84.64	-	84.64	42.32	0.00	42.32	61	11	0.14
30.	दादर व नागर हवेली	55.87	-	35.87	27.94	0.00	27.94	-	-	-
31.	दमन व दीव	27.07	-	27.07	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
32.	लक्षद्वीप	42.43	-	12.73	0.00	0.00	0.00	8	10	0.14
33.	पांडिचेरी	86.00	-	86.00	68.56	0.00	66.56	59	46	0.08
	कुल	164550.00	54745.85	219295.85	93045.22	31015.07	124060.29	361321	323880	1179.98

टिप्पणी: रिक्त कालम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आंकड़ों की सूचना न देने को दर्शाते हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में ग्रामीण विकास योजनाएं

3399. श्री उत्तमराव पाटील: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में महाराष्ट्र सरकार ने बहुत सी ग्रामीण विकास योजनाएं स्वीकृति और वित्तीय सहायता हेतु भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक भेजी गई, और स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष (1997-98 से 1999-2000) तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त/अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों तथा मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे दर्शाए गए हैं:

क्रम.सं.	योजना का नाम	वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की सं.	अनुमोदित प्रस्तावों की सं.	मुहैया कराई गई सहायता (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	संपूर्ण स्वच्छता अभियान	1999-2000	8	4	1113.62
		2000-2001	4	5	592.72

1	2	3	4	5	6
2.	समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना	1997-98	18	1	69.96
		1998-99	24	3	242.53
		1999-2000	5	5	347.93
		2000-2001	12	4	330.45
3.	ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाना	1999-2000	4	4	3864.08
4.	समग्र आवास योजना	2000-2001	1	1	20.00
5.	ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के लिए अभिनव चरण	2000-2001	-	प्रस्ताव विचाराधीन हैं।	

(घ) संबंधित कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पाये जाने वाले स्वीकृत किए जाते हैं बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों। तथापि, लंबित परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना

3400. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि:**
श्री के. येरननायडू:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एन.एस.ए.पी. के अंतर्गत आबंटन बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां, वर्ष 2001-2002 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए बढ़ाया गया आबंटन प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आबंटन वर्ष 2000-2001 के 402 करोड़ की तुलना में 583.00 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए आबंटन वर्ष 2000-2001 के 173.50 करोड़ रुपए की तुलना में 249.90 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को 1 अप्रैल, 2001 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को हस्तांतरित किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान अतिरिक्त निधियों का अनुरोध करने से संबंधित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। गुजरात सरकार ने रा.मा.ला. योजना के लिए 174.83 लाख रुपए की अतिरिक्त निधियों का अनुरोध किया है। राजस्थान सरकार ने रा.वृ.पे. योजना के अन्तर्गत 246829 अतिरिक्त लाभार्थियों के लिए निधियों का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश ने रा.वृ.पे. योजना के अन्तर्गत 323000 अतिरिक्त लाभार्थियों के लिए निधियों का अनुरोध किया है। तमिलनाडु ने रा.मा.ला. योजना के अन्तर्गत 274153 लंबित अभ्यावेदनों को निपटाने के लिए निधियां जारी किए जाने का अनुरोध किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने रा.प.ला. योजना के अंतर्गत लंबित अभ्यावेदनों को निपटाने के लिए 1.00 करोड़ रुपए का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के

अन्तर्गत निधियां दिशा-निर्देशों और उपलब्ध बजटीय परिव्यय को ध्यान में रखते हुए जारी की जाती हैं।

ग्राम सभा को शक्तियां देना

3401. श्री एम. चिन्नासामीः
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुलः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार ग्राम सभाओं को स्वयं अपने संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहित करने और उन्हें इस संबंध में शक्तियां देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्राम सभाओं के निर्णयों को ग्राम पंचायतों के लिए बाध्यकारी बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ङ) पंचायती राज राज्यों का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों द्वारा संविधान के भाग-9 के प्रावधानों के अनुसार राज्य कानूनों/सरकारी आदेशों के जरिए ग्राम सभाओं को अधिकार और कार्य सौंपे जाने अपेक्षित हैं। यद्यपि दसवें वित्त आयोग के अवार्ड के तहत पंचायती राज संस्थाओं के अनुदानों को स्थानीय निकायों के योगदान के साथ जोड़ा जाना था, केन्द्र सरकार ने भी ग्राम सभाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:-

(1) केन्द्र सरकार ने वर्ष 1999-2000 को ''ग्राम सभा वर्ष'' के रूप में घोषित किया।

(2) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे सुनिश्चित करें कि ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार, विशेष रूप से 26 जनवरी, पहली मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को आयोजित की जाए।

(3) ग्राम पंचायतों के सभी सरपंचों/प्रधानों को पत्र लिखा गया था कि वे एक तिमाही में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक बुलायें ताकि ग्राम सभायें एक समेकित तरीके से गांव के चहुंमुखी विकास के लिए कार्योन्मुख और समयबद्ध योजनायें तैयार कर सकें।

(4) राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों से ग्राम सभाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय करने का अनुरोध किया गया था।

(i) ग्राम सभा को प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व, प्रबंध और इन पर नियंत्रण का अधिकार देकर अधिकार सम्पन्न बनाएं जैसा कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों में परिकल्पना की गई है;

(ii) ग्राम सभाओं को विभिन्न कार्यक्रमों की प्राथमिकतायें निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए;

(iii) पंचायतें स्पष्ट रूप से ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए।

(iv) ग्राम सभा के सदस्यों को उनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना चाहिए तथा जन भागीदारी, विशेषकर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

(v) ग्राम सभा के पास विकास कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा परीक्षा करने की अपनी प्रक्रिया विकसित करने की शक्तियां होनी चाहिए।

(vi) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे इंदिरा आवास योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के दिशा-निर्देशों में भी लाभार्थियों के चयन में ग्राम सभा की भूमिका की परिकल्पना की गई है। ग्राम सभा को जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत कार्य अनुमोदित करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है।

जैव-प्रौद्योगिकी के लिए धन का आवंटन

3402. **श्री पी.सी. थामसः** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान जैव-प्रौद्योगिकी के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यक्रमों को बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मानव संसाधन विकास, अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना,

प्रदर्शन, खेत मूल्यांकन तथा साथ में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए जैवप्रौद्योगिकी के प्रवर्धन की दिशा में केन्द्र तथा राज्य स्तर के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राज्य स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों और कुछ गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान अनुसंधान एवं शैक्षिक संस्थाओं को उपर्युक्त जैवप्रौद्योगिक कार्यकलापों के लिए दी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान विभिन्न राज्यों को जैवप्रौद्योगिकी के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1431.65	1739.89	1052.74
अरुणाचल प्रदेश	3.36	5.50	8.86
असम	86.97	108.71	92.49
बिहार	3.75	18.01	17.82
दिल्ली	2252.00	2976.75	4038.77
गुजरात	64.36	98.91	39.80
गोवा	59.70	39.00	16.26
हरियाणा	39.75	76.25	24.32
हिमाचल प्रदेश	95.53	100.03	72.26
जम्मू व कश्मीर	95.00	101.53	33.99
झारखण्ड	12.00	20.00	22.00
कर्नाटक	769.94	808.29	541.26
केरल	201.62	403.63	391.11
मध्य प्रदेश	113.47	118.36	92.66
महाराष्ट्र	1124.11	1324.30	1415.19
मणिपुर	9.02	10.05	18.62
मेघालय	40.85	27.56	27.86
उड़ीसा	123.27	63.99	36.78
पंजाब	35.43	57.55	111.11

1	2	3	4
राजस्थान	60.08	125.00	81.85
सिक्किम	10.64	19.03	10.38
तमिलनाडु	641.64	489.07	636.55
उत्तरांचल	28.89	17.88	178.02
उत्तर प्रदेश	534.17	416.52	495.14
पश्चिम बंगाल	355.68	394.83	501.20
अंडमान और निकोबार	7.58	9.00	11.00
चंड़ीगढ़	115.00	125.00	275.00
पांडिचेरी	8.00	8.00	10.00

[हिन्दी]

सब्जियों के अपशिष्ट से खाद बनाना

3403. **श्री रामपाल सिंह:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सब्जियों और फलों के अपशिष्ट के खाद बाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) उक्त उर्वरक का उत्पादन कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

क्या रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) भारत सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित 'उर्वरकों के संतुलित एवं समन्वित प्रयोग' स्कीम के अन्तर्गत शहरी जैव बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को खाद के रूप में प्रोसेसिंग करने के लिए खाद एकक एवं मशीनीकृत खाद संयंत्रों की स्थापना के लिए 8वीं एवं 9वीं योजना अवधि के दौरान राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। शहरी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में फलों एवं सब्जियों के कचरे भी शामिल हैं। 8वीं योजना अवधि में 21 खाद एककों एवं 1997-98 के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में चार ऐसी इकाईयां स्थापित की गयी थीं। 1999-2000 एवं 2000-2001 के दौरान नौ मशीनीकृत खाद संयंत्रों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है। ये खाद संयंत्र फलों एवं सब्जियों द्वारा उत्पन्न कचरे सहित शहरी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का प्रोसेसिंग करेंगे। परियोजना की लागत इसके कचरा प्रोसेसिंग के आकार, अवस्थिति एवं तकनीकी प्रकार पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न होती है। तथापि, भारत सरकार की स्कीम ने प्रति दिन 100 टन कचरा प्रोसेसिंग के मशीनीकृत क्षमता परियोजना के लिए लागत का 1/3 के लिए अनुदान 50 लाख रुपये तक सीमित कर दिया है।

फास्फेट और पोटाशियम उर्वरकों पर राजसहायता

3404. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्रीमती शीला गौतम:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार रसायनिक उर्वरकों में तालमेल बनाए रखने हेतु फॉस्फेट और पोटाशियम उर्वरकों पर राजसहायता बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है और कितनी राजसहायता बढ़ाई जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) वर्तमान में नियंत्रण मुक्त फोस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्यों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नियंत्रणमुक्त उर्वरकों हेतु रियायत स्कीम

के अन्तर्गत वास्तविक राजसहायता जो कि उत्पादन/आयातों की अनुमानित लागत और नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के लिए निर्दिष्ट अधिकतम खुदरा मूल्यों का अन्तर होती है, अन्य बातों के साथ साथ कच्चे मालों के मूल्यों तथा विनियम दर में उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है। नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के लिए, रियायत स्कीम के अन्तर्गत 2000-2001 के लिए 4093 रुपये की राजसहायता के बजट अनुमान की तुलना में 2001-2002 के लिए 5414 रुपये का बजट अनुमान है।

[अनुवाद]

बंगलौर में ए.आई.सी.टी.ई. के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

3405. श्री कोलुर बसवनागौड़: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) के क्षेत्रान्तर्गत कितने अभियांत्रिकी उपाधि स्तर के तथा अन्य प्रकार के शैक्षिक संस्थान आते हैं;

(ख) क्या बंगलौर में ए.आई.सी.टी.ई. का कोई क्षेत्रीय कार्यालय है; और

(ग) यदि नहीं, तो अभियांत्रिकी तथा अन्य नए महाविद्यालय खोलने की अनुमति देने एवं इनमें दाखिला संख्या बढ़ाने तथा विविध परियोजनाओं का शीघ्र निपटान करने हेतु स्वतंत्र निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति प्राप्त ए.आई.सी.टी.ई. के एक क्षेत्रीय कार्यालय को बंगलौर में स्थापित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार कर्नाटक राज्य में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं की संख्या इस प्रकार है:-

इंजीनियरी (डिग्री)	-	82
इंजीनियरी (डिप्लोमा)	-	201
कंप्यूटर अनुप्रयोग में निष्णात (एम.सी.ए.)	-	69
प्रबंधन	-	61
होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी	-	18
फार्मेसी (डिग्री)	-	49
फार्मेसी (डिप्लोमा)	-	80
वास्तुकला	-	14
कुल	-	574

(ख) और (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर से कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्व-वित्तपोषित व्यावसायिक पाठ्यक्रम

3406. चौधरी तेजवीर सिंह:
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने रोजगार और गहन औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रावधान रखकर स्व-वित्तपोषित व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विदेशों में उर्वरक संयंत्र

3407. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विदेशों में कितने उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए और इन संयंत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) खाड़ी देशों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए कितनी परियोजनाओं पर बातचीत चल रही है;

(ग) सरकार द्वारा इन संयंत्रों पर संयंत्र-वार अब तक कुल कितना खर्च किया गया;

(घ) क्या यह सच है कि इन संयंत्रों में प्रगति की धीमी गति के कारण अन्य देश उर्वरक संयंत्रों की स्थापना हेतु संविदा देने के अनिच्छुक हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय उर्वरक कंपनियों/सहकारी समितियों की भागीदारी के साथ विदेशों में स्थापित करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त उद्यम उर्वरक संयंत्रों के अपेक्षित ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	परियोजना/देश का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत (मिलियन अमेरीकी डालर में)	भारतीय भागीदार/प्रवर्तक	लाख मी. टन में क्षमता	स्थिति
1.	इंडो-जोर्डन केमिकल्स कंपनी लि. जोर्डन	168	स्पिक	2.24 फॉस, एसिड	मई 1997 से प्रचालन में है।
2.	इंडो-मेरॉक फॉस्फोर सा, मोरक्को	228	चंबल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	3.30 फॉस. एसिड	अक्टूबर 1999 से प्रचालन में है।
3.	एक्सपेंशन आफ इंडस्ट्रीज चीमक्यूस डयू सेनेगल, सेनेगल	250	भारत सरकार/ स्पिक/इफ्को	3.30 फॉस एसिड	मार्च, 2001 में प्रारम्भ होने की आशा है।
4.	स्पिक फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लि., यू.ए.ई.	170	स्पिक	4.0 यूरिया	यह परियोजना 2002 की प्रथम तिमाही तक प्रारम्भ होने की आशा है।
5.	ओमान इंडिया फर्टिलाइजर्स कंपनी एस.ए.ओ.सी., ओमान	969	इफको, कृभको	16.52 यूरिया 2.48 मर्चेंट अमोनिया	संशोधित परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जून, 2000 में अनुमोदित किया गया था।
6.	इंडो-ईरान संयुक्त उद्यम प्रोजेक्ट, ईरान	470	इफको, कृभको	7.26 यूरिया	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं। यह परियोजना विचार-विमर्श के बिल्कुल प्रारम्भिक स्तर पर है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सर्दी-खांसी की दवाओं का परीक्षण

3408. श्री रामजीवन सिंह: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कतिपय रसायनों वाली औषधियों से होने वाले संभावित खतरे का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से सामान्यतया सर्दी और खांसी दूर करने के लिए ली जाने वाली दवाओं के संबंध में कतिपय परीक्षण किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखी दी जाएगी।

[हिन्दी]

शहरीकरण के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी समस्याएं

3409. श्री मानसिंह पटेल: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित बढ़ती हुई समस्याओं से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में, विशेषकर बड़े शहरों में इस समस्या से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और सफाई राज्य के विषय हैं, अत: यह राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है कि वे अपने राज्य योजना संसाधनों से जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और सफाई स्कीमों के लिए योजना, निर्माण, निष्पादन, संचालन और अनुरक्षण कार्यकलाप करें। तथापि, देश में बिगड़ते हुए समग्र लोक स्वास्थ्य वातावरण से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए केन्द्र सरकार विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित स्कीमों यथा वर्ष 1991 की जनगणना अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों में पेय जल मुहैया कराने हेतु त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम, मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास हेतु कम लागत की सफाई स्कीम, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम, छोटे और मझोले कस्बों के समेकित विकास की स्कीम, मेगा सिटी स्कीम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आदि के माध्यम से जल आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं सफाई सुविधाएं मुहैया कराने में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रही है।

कोयला धोवनशालायें

3410. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशी कोयले में राख की प्रतिशतता अधिक होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार "पिट होल" के निकट कोयला धोवनशालाएं स्थापित करने के लिए कोयला खानों पर जोर दे रही है;

(ग) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार कितनी कोयला धोवनशालाएं स्थापित की गईं और काम कर रही हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अपने आदेशों को कार्यान्वित करने में कोयला खानों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) सरकार कोलियरियों पर इस बात पर जोर नहीं देती है कि कोयला वाशरियां पिट होल (पिट हैड) पर हों।

(ग) इस समय सी.आई.एल. के अंतर्गत प्रचालन में 19 वाशरियां काम कर रही हैं।

(घ) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पिट हैड से 1000 कि.मी. से अधिक दूरी पर अवस्थित अथवा शहरी क्षेत्रों में/संवेदनशील क्षेत्रों में/बहुत ही प्रदूषित क्षेत्रों में चाहे उनकी दूरी कुछ भी हो, अवस्थित सभी थर्मल पावर प्लांट 1 जून, 2001 से 34 प्रतिशत से अधिक राख तत्व वाला कोयला उपयोग करेंगे। विद्युत मंत्रालय ने सदस्य थर्मल, सी.ई.ए. के संयोजकत्व में,

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की उपर्युक्त अधिसूचना के क्रियान्वनय से सम्बद्ध विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है। सी.आई.एल. और इसकी सहायक कंपनियां वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के क्रियान्वयन के लिए उपभोक्ताओं के साथ बातचीत कर रही है।

[अनुवाद]

परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु मानदंड

3411. श्री पवन कुमार बंसल:
श्री पुष्प जैन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** 19.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4662 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सूचना के कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) लोक सभा में 19 दिसम्बर, 2000 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 4662 के संदर्भ में एकत्र की गई जानकारी से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

कपार्ट के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में श्री नेपाल चन्द्र दास, संसद सदस्य द्वारा 19.12.2000 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं. 4662 के भाग (क) से (ङ) से संबंधित विवरण

बिन्दुवार उत्तर नीचे दिए गए हैं:-

(क) प्रश्न: ग्रामीण प्रौद्योगिकी, विपणन ग्रामश्री मेला, मीडिया और पुस्तकालय योजनाओं के अन्तर्गत कपार्ट द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए मानदंड क्या हैं?

(क) उत्तर: सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1860 अथवा उसका राज्य द्वारा संशोधन, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अथवा धार्मिक एवं धमार्थ संस्था पंजीयन अधिनियम, 1920 के अन्तर्गत पंजीकृत संगठन कपार्ट से सहायता पाने के पात्र हैं। इस प्रकार के संगठन तीन वर्ष से अस्तित्व में होने चाहिए और उसका तीन वर्ष पुराना बैंक अथवा डाकघर में खाता होना चाहिए और वह लोगों की भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के साथ काम कर रहा हो। इसके अलावा सरकारी संस्थाओं और सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अलग-अलग निदेशकों के मामलों पर भी ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना (आर्ट्स) के अन्तर्गत सहायता हेतु विचार किया जा सकता है लेकिन परियोजना के कार्य क्षेत्र अनिवार्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहिए।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी संवर्धन के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कपार्ट आर्ट्स के अन्तर्गत परियोजनाओं की मदद करता है जो मौजूदा प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन और उनका प्रचार-प्रसार करने और नई एवं अभिनव ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का विकास करने हेतु होती हैं जिसमें रोजगार सृजन संबंधी साधारण प्रौद्योगिकियां, उत्पादन वृद्धि, कौशल उन्नयन, कार्य कुशलता में सुधार और ग्रामीण जनसंख्या के लक्षित समूहों की मेहनत को कम करना शालि है। इसके अलावा परम्परागत प्रौद्योगिकियों यथा धातुकर्म की देशी प्रणाली, भवन निर्माण तथा दवाई की परम्परागत प्रणाली आदि से संबंधित परियोजनाओं को भी ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना के अन्तर्गत मदद दी जाती है।

प्रौद्योगिकी को साधारण, कम लागत वाली आसानी से संचलित होने वाली, तकनीकी तौर पर व्यवहार्य, आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद, सामाजिक रूप से स्वीकार करने योग्य, पर्यावरण के अनुकूल और स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करने वाली होना चाहिए।

विपणन प्रभाग के अन्तर्गत कपार्ट उन ग्रामीण उत्पादकों के लिए विपणन के अवसर उपलब्ध कराता है जिनमें सरकार के विभिन्न आर्थिक विकास कार्यक्रमों और गरीबी उपशमन योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त उत्पादक भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य उत्पादन से लेकर विपणन तक मौजूदा अन्तर को पटना और कपार्ट के सहयोग से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा महानगरों और अन्य प्रमुख विपणन केन्द्रों में क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामश्री मेलों के जरिए खरीददारों और विक्रेताओं को एक स्थान पर लाना है। ये मेले ग्रामीण कारीगारों को स्थायी विपणन नेटवर्क के जरिए उच्च प्रतिफल दिलाते हैं और इसमें दलालों की भूमिका भी समाप्त होती है।

इसके अलावा, कपार्ट डिजाइन विकास, उत्पादक विविधिकरण विक्रय कला तथा आधुनिक विपणन तकनीकों में कार्यशालाओं और प्रशिक्षण के जरिए ग्रामीण उत्पादकों की क्षमता में वृद्धि करने की पहल भी करता है।

कपार्ट का मीडिया प्रभाग स्वैच्छिक क्षेत्र द्वारा इस्तेमाल की जाने के लिए श्रव्य-दृश्य तथा मुद्रित अध्ययन/प्रशिक्षण सामग्री के उत्पादन का समन्वय करने में परियोजना प्रभागों की मदद करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के फिल्म निर्माताओं के साथ-साथ नए प्रवर्तकों द्वारा बनायी जाने वाली विकास से संबंधित विभिन्न कथानकों वाली फिल्मों को भी मीडिया प्रभाग द्वारा सहायता दी जाती है।

परिषद पुस्तकालय योजनाओं के क्षेत्र में अब कोई परियोजना स्वीकृत नहीं करती है।

(ख) प्रश्न : उन गैर-सरकारी संगठनों का कानूनी अस्तित्व क्या है जिन्हें शुरू से लेकर आज तक ग्रामीण प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत उक्त परियोजनाएं स्वीकृत की गई।

(ख) उत्तर : शुरू से लेकर 31.1.2.2000 तक ग्रा. प्रौ. विकास के अन्तर्गत कपार्ट द्वारा वित्त पोषित स्वैच्छिक संगठनों की कुल संख्या 600 है। ये संगठन सोसायटी पंजीयन अधिनियम, 1860 अथवा उसके राज्य द्वारा संशोधन, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 अथवा धार्मिक एवं धमार्थ संस्था पंजीयन अधिनियम, 1920 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। पंजीयन प्रमाण-पत्र के अलावा परियोजनाओं को स्वीकृत करने के पहले संगम ज्ञापन, संगठनों के उपनियमों, उनके कार्यकारी/शासी निकाय का ब्यौरा, पिछले वर्षों के लेखों और वार्षिक रिपोर्ट के विवरण की लेखा परीक्षा, ग्रा. प्रौद्योगिकी विकास योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जाने वाली परियोजनाओं में शामिल प्रौद्योगिकियों के बारे में आवश्यक विशेषज्ञता/अनुभव संबंधी विभिन्न प्रकार के दस्तावेज मांगे/जांचे जाते हैं।

(ग) प्रश्न:- क्या गैर-सरकारी संगठनों का मूल्यांकन और उसकी जांच की गई है?

उत्तर:- जी, हां।

(घ) प्रश्न:- यदि, हां, तो उनका परियोजनावार परिणाम क्या है?

(ङ) प्रश्न:- यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

(घ) और (ङ) उत्तर:- कपार्ट ने शुरू से लेकर दिसम्बर, 2000 तक 1137 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। वर्ष 1995 के पहले, परियोजना का वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन करने की कोई प्रणाली नहीं थी। तथापि, परियोजना प्रस्ताव की तकनीकी व्यवहार्यता पर विशेषज्ञ (यों) की राय मांगी जाती थी और जहां जरूरी होता था इस विषय रूप से आयोजित की गई बैठकों में चर्चा करने के बाद उस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता था।

परियोजना की स्वीकृति के बाद कपार्ट के अधिकारियों द्वारा अथवा विशेषज्ञों/परियोजना मूल्यांककों की तैनाती करके इनका मध्यवर्ती मूल्यांकन/पश्च मूल्यांकन कराया जाता है। वर्ष 1995 से वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन को अनिवार्य बनाया गया है और परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृत करने के पहले कपार्ट के अधिकारियों अथवा परियोजना मूल्यांककों/विशेषज्ञों द्वारा इसका मूल्यांकन कराया जाता है। कुछेक मामलों में, जहां कहीं आवश्यक होता है, विशेषज्ञों के एक दल द्वारा मूल्यांकन अथवा परियोजना जांचकर्त्ता द्वारा समिति के समक्ष उसकी प्रस्तुति भी करायी जाती है। जहां पर मध्यवर्ती स्तर पर परियोजना का मूल्यांकन संतोषजनक पाया गया, उन्हें अनुदान की दूसरी किस्त जारी की गई किन्तु जहां पर परियोजना का कार्यान्वयन सन्तोषजनक नहीं पाया गया, परियोजना को उसी स्तर पर बन्द कर दिया गया और आगे निधियों की रिलीज रोक दी गई। जहां पर अप्रयुक्त राशि पड़ी थी, वहां संगठनों से राशि वापस करने का अनुरोध किया गया। कुछेक मामलों में जहां कार्यान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध विपरीत टिप्पणियां प्राप्त हुई उनकी प्रतिक्रिया/स्पष्टीकरण/औचित्य जानने के लिए उन्हें सूचित कर दिया गया है। जहां पर समुचित उत्तर प्राप्त नहीं हुए वहां पर कार्यान्वयन एजेंसियों को उनके संगठन को वित्त पोषण प्रतिबंध अर्थात आगे सहायता बन्द श्रेणी (एफ.ए.एस.) के अन्तर्गत रखे जाने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया था। इसी प्रकार, परियोजना के लिए दिए गए अनुदान को नियंत्रित करने वाली शर्तों का उलंघन करने अथवा अनुदान के दुर्विनियोग की पुष्टि करने के लिए परियोजना मूल्यांकनकर्त्ता नियुक्त किए गए और यदि उनके द्वारा इसकी पुष्टि की गई तो कार्यान्वयन एजेंसी को काली सूची में डाल दिया गया।

अनुबंध में दी गई सूची में दर्शाई गई परियोजनाओं को इस कारण से समाप्त कर दिया गया/उनको वित्तीय सहायता नहीं दी गई क्योंकि उनकी मध्यवर्ती जांच/मूल्यांकन रिपोर्ट अनुदान की शर्तों के अनुरूप नहीं थी।

अनुबंध

लोक सभा में 19.12.2000 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 4662 के उत्तर के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्रम सं.	संगठन का नाम और पता	परियोजना का नाम
1	2	3
1.	प्रोजेक्ट स्वराज्य 4ए जुबलीटॉवर्स, चौधरी बाजार कटक, उड़ीसा	मछली के आसवन के लिए प्रायोगिक परियोजना
2.	ग्राम सेवा संस्थान नेरौड़ी, पो. शाहपुर शुक्ल, जिला देवरिया उत्तर प्रदेश	एन.ए.डी.इ.पी. कम्पोस्ट प्रौद्योगिकी का विस्तार
3.	इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज एण्ड ट्रांसफॉरमेशन 1, राज लक्ष्मी भवन, समीप न्यू गायत्री टेम्पल पाराडाईज पार्क, वडाज, अहमदाबाद, गुजरात-380013.	तेल तथा गुलाबजल कर्षण
4.	एम्म मुरुगप्पा चितियार रिसर्च सेंटर फोटोसिंथेसिस एण्ड इनर्जी डिविजन थारमणी, चैन्नई, तमिलनाडु-600013	निम्न लागत वाले ग्रीन हाउस का निर्माण
5.	ग्रामीण सेवा मु. पो.-सुंदर बीराजीत, वाया मधेपुर जि.-मधुबनी, बिहार-847408	मड पाईप के उत्पादन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
6.	वरडिक्ट सोसाइटी 13ए नयर कृष्णा साहा लेन, कलकत्ता प. बंगाल-700003	पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली संबंधी आर एण्ड डी
7.	बनदेवी सेवा सदन कबीसूर्यनगर, जिला गंजम, उड़ीसा-761104	अनाथ और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए उपयोग पेश प्रौद्योगिकी का अंतरण
8.	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी 11, डॉ. बिरेश गुहा स्ट्रीट, जिला कलकत्ता प. बंगाल-700017	फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रौद्योगिकी का अंतरण
9.	प्रोजक्ट स्वराज्य 4ए जुबली टॉवर्स, चौधरी बाजार कटक, उड़ीसा	पैडी-कम-फिश इन्टीग्रेटेड फार्मिंग संबंधी प्रायोजिक परियोजना
10.	जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा बजाज हिन्दुस्तान लिमि., गोलगामथ जि.-लखीमपुर खेरी, उत्तर प्रदेश-262802	75, एन.ए.डी.इ.पी. कम्पोस्ट टैकों का निर्माण

1	2	3
11.	उत्थान डेवलपमेंट प्लानिंग टीम 36, चित्रकूट टिवन्स, समीप मैनेजमेंट इंक्लेव वस्त्रपुर, अहमदाबाद, गुजरात-380015	लाइन्ड पौंड के प्रौद्योगिकी और सोशल इफेक्ट को बढ़ावा देना
12.	जनसेवा आवास संस्थान फुलवारी शरीफ, पटना, बिहार	ग्रामीण गरीबों के लिए निम्न लागत कृषि पर संगोष्ठी
13.	जनसेवा समिति डेरवा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश-230128	कम्पोस्ट टेक्नोलोजी नाडीय
14.	मध्य प्रदेश काऊंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी मुमताज मंजिल, 9-ए, सिविल लाईस, चार बंगला रोड, प्रोफेसर कालोनी, जि.-भोपाल, मध्य प्रदेश-462002	इम्पैक्ट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इनपुट
15.	सेवा कर्मे संस्थान शेरपुर खुर्द, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	नाडेप कम्पोस्ट प्रौद्योगिकियों का विस्तार
16.	एप्रोप्रिएट रूरल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट 6, कोयना अपार्टमेंट सर्वे नं. 133 कोथरूड़, पूसा, महाराष्ट्र-411029	ऑरगेनिक कम्पोस्ट प्रौद्योगिकियों का तुलनात्मक अध्ययन
17.	जंगल कामगार सोसाइटी आदिवासी औषधुपोहार, तालपेठ, जिला-नासिक, महाराष्ट्र	पारंपरिक औषधीय प्रणाली
18.	डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश	हाइड्रेम के जरिए बंजरभूमि की सिंचाई
19.	भारतीय विकास ट्रस्ट विनायक विहार, 13 अनंतनगर, मणिपाल जिला दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक-576110	प्रोजेक्ट ऑन ओइस्टर मशरूम खार्मिंग फॉर रूरल पूअर
20.	चांदनगर पाम एंड डेट गुड़ प्रोजेक्ट आर्टिसन वेलफेयर सोसाइटी चांदनगर डायमंड हार्बर जिला 24 परगना (एस.) पं. बंगाल-743368	लिंकिंग एकिजस्टिंग बायोगैस प्लांट विथ न्यू लैट्रिन्स
21.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राजेन्द्र नगर, जिला-हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	निम्न लागत वाली प्रौद्योगिकी का उपयोग
22.	पीपुल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट अक्कांडीगाई, पो. कन्नाम कोट्टई, जिला-चेंगलपट्टु, तमिलनाडु	ग्रामीण किसानों के लिए नाडेप कम्पोस्टिंग
23.	कॉर्डिनेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, पो. पन्नकुलम, आदूर, पथनमथिट्टा, केरल-691527	ट्रेनिंग इन रबर ट्रेपिंग
24.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन (कास्टफोर्ड एंड विज्ञान आश्रम) जी.पी. नायक पथ, 128/2 कोथरूड, कर्वेरोड, पुणे, महाराष्ट्र-411029	सामान्य उद्देश्य के लिए अनुदान

1	2	3
25.	प्रकृति संरक्षण समिति वर्दा, जिला-त्रिवेन्द्रम, केरल	प्रौद्योगिकी के जरिए जनजातीय बसावटों को फिर से बसाना
26.	नेशनल एसोसिएशन फॉर ट्राईबल अपलिफ्टमेंट एंड रिसर्च एंड एडूकेशन, मुल्ली, अट्टापैडी ब्लॉक, अथिकाडावु, केरल	ग्रामीण प्रौद्योगिकी को लागू करके जनजातीय विकास को तेज करना
27.	ग्राम विकास पो.-मोहुदा, वाया बेरहामपुर, जिला-गंजम, उड़ीसा-760001	नाडेप कम्पोस्टिंग प्रोजेक्ट का विस्तार
28.	गावर्नमेंट पोलीटेक्निक, मु./पो. खुराई, जिला-सागर मध्य प्रदेश	पेडल पावर्ज पंप प्रोजेक्ट का विकास
29.	उत्तराखंड जनशक्ति परिषद्, बाल्टी पो. भिकियासेन, जि.-अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश-263667	रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक विद फेरोसिमेंट टेक्नोलॉजी
30.	विजयपुरम प्रजा सेवा समिति गावं/पो.पन्नौर विजयपुरम (मंडाल), जि.-चित्तूर, आंध्र प्रदेश-517586	ग्रामीण कृषकों के लिए नाडेप टैंकों का निर्माण
31.	ग्रामोन्नती संस्थान, गांधी नगर, महोबा, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश	आयुर्वेदिक पौधों का प्रचार कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग
32.	भगावातुला चैरिटेबल ट्रस्ट चेल्लामंचिलि, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश-531055	भैंसागाड़ी का डिजाइन विकास और प्रचार
33.	भगवातुला चैरिटेबल ट्रस्ट चेल्लामंचिलि, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश-531055	इंटीग्रेटेड प्रॉन एंड साल्ट प्रोडक्शन

घरों की मरम्मत

3412. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999 में आई भयंकर प्राकृतिक आपदाओं, मार्च में चमोली और रूद्रप्रयाग क्षेत्रों में आए भंयकर भूकंप और उड़ीसा में आए महाचक्रवात के बाद, मरम्मत, पुनरुद्धार, घरों को पूर्व स्थिति में लाने और पुनर्निर्माण की दृष्कि से घरों को हुए नुकसान और प्ररूप वर्गीकरण संबंधी आकलन करने के लिए आवास और शहरी विकास निगम के अध्यक्ष की अध्यक्षता में कृतिक बलों का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कृतिक बलों द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन आपदाओं में आवास स्टाक के नुकसान का मूल्यांकन करने के अलावा, कार्य दलों ने आपदा रोधक भवन प्रौद्योगिकियां तथा किफायती भवन सामग्रियां अपनाकर तथा इन प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी देकर भविष्य में सुरक्षित मकानों के निर्माण के लिए कार्य योजनाओं की सिफारिश की है। कार्य दलों ने अल्पावधिक, मध्यावधिक और दीर्घावधिक कार्य योजनाओं की सिफारिश की है ताकि भविष्य में आवास स्टाक का कम से कम नुकसान हो।

(घ) मुख्य सिफारिशें क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा सरकारों से संबंधित हैं। अतः कार्य दलों की सिफारिशों की प्रतियां राज्य सरकारों को समुचित कार्रवाई के लिए भेज दी गई थी।

महिला कम्पोनेंट योजना

3413. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'महिला कम्पोनेंट योजना' के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसमें पाई गई त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) सरकार सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग, योजना आयोग और महिला एवं बाल विकास विभाग के स्तर पर महिला घटक योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा कर रही है। हालांकि, समीक्षा तंत्र में कोई स्पष्ट कमी/कमजोरी नहीं है, लेकिन 10वीं पंचवर्षीय योजना गतिविधि के एक भाग के रूप में सरकार का समीक्षा तंत्रों को और सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है, जिससे कि महिला घटक योजना के लक्ष्यों को अधिक कारगर तरीके से प्राप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा कोयले की आपूर्ति

3414. **श्रीमती शीला गौतम:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) उत्तर प्रदेश और पंजाब के बिजली बोर्डों को कोयले की आपूर्ति नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन बोर्डों को कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्य विद्युत बोर्डों को लिंकेज और भुगतान प्राप्ति के अनुसार कोयले की आपूर्ति करती आ रही है। विभिन्न पावर यूटिलिटीज को कोयले के आपूर्ति की नियमित निगरानी सरकारी स्तर पर की जाती है।

दाऊद इब्राहीम की गतिविधियां

3415. **श्री राम टहल चौधरी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों को उनके आपराधिक मामलों में दाऊद इब्राहीम की तलाश है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दाऊद इब्राहीम का पता लगाने और देश में उसकी गतिविधियों को निष्प्रभावी करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) दाऊद इब्राहीम की 1993 के मुम्बई के अनेक बम विस्फोट मामलों के विचारण के संबंध में तलाश है।

उसे मुम्बई में पदनामित न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी घोषित किया है और न्यायालय ने उसकी छः सम्पत्तियों को कुर्क किया है। इन्टरपोल द्वारा दाऊद इब्राहीम के विरुद्ध रेड कारनर नोटिस जारी किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भारतीय के साथ-साथ विदेशी मुद्रा में 15 लाख रुपए के समतुल्य नकद ईनाम घोषित किया गया है। संबंधित देशों जहां उसके छिपे होने की सम्भावना है, को प्रत्यर्पण अनुरोध भी किए गए थे। दाऊद इब्राहीम की गतिविधि के बारे में जब कभी विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है, तो उस देश विशेष से संबंधित इन्टरपोल को उसे पकड़ने का अनुरोध करते हुए सूचना भेजी जाती है।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लि. की कोयला खानों में आग के कारण उत्पादन का नुकसान

3416. **श्री महबूब जहेदी:**
श्री अनंत गुढे:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक कोल इंडिया लि. की विभिन्न कोयला खानों और इसकी आनुषंगिक इकाईयों के आग के कारण उत्पादन में हुए नुकसान का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अनुषंगी इकाई-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आग से होने वाली हानि को न्यूनतम रखने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) जी, हां। पिछले 3 वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. में आग लगने के कारण हुए कोयला उत्पादन की हानि का कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

कंपनी	वर्ष	कोयले की हानि (टन में)
ई.सी.एल.	1998-99	23,200
	1999-2000	3,11,000
	2000-2001	1000
बी.सी.सी.एल.	1998-99	10,000
	1999-2000	28,500
	2000-2001	4000
सी.सी.एल.	1998-99	शून्य
	1999-2000	शून्य
	2000-2001	1000
एन.सी.एल.	1998-99	शून्य
	1999-2000	शून्य
	2000-2001	शून्य
डब्ल्यू.सी.एल.	1998-99	शून्य
	1999-2000	शून्य
	2000-2001	शून्य
एस.ई.सी.एल.	1998-99	शून्य
	1999-2000	14180
	2000-2001	1340
एम.सी.एल.	1998-99	शून्य
	1999-2000	शून्य
	2000-2001	शून्य
एन.ई.सी.	1998-99	6000
	1999-2000	शून्य
	2000-2001	शून्य

(ग) कोल इंडिया लि. की कोयला खानों में लगने वाली आग की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

(1) डिपिलरिंग पैनल का आकार इस प्रकार रखना कि कोयले का खनन उद्भवन अवधि के भीतर ही पूरा हो जाए।

(2) पैनल में हवा के प्रवेश को रोकने के लिए खनन के पश्चात पैनल को तुरंत सील कर दिया जाता है।

(3) दरारों को भरा जाना तथा धंसाव वाले क्षेत्र की सतह को ढका जाना।

(4) आग का शीघ्र पता लगाने के लिए वायु सैम्पलिंग तथा विश्लेषण करना और को-डिटेक्टर की सहायता से कार्बन-मोनो-आक्साइड (सी.ओ.) की उपस्थिति जानने के लिए खान पर्यावरण का प्रबोधन करना।

(5) पुरानी खदानों का निरीक्षण किया जाना।

(6) सतह पर गिरे कोयले को हटाया जाना तथा इस प्रकार से साफ की गई गैलरियों पर प्रस्तर धूलि (स्टोन डस्ट) बिछाया जाना।

(7) खदान में लगी आग को बुझाया जाना तथा बुझे हुए कोयले को खदान से बाहर निकालना।

पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर

3417. **कर्नल (सेवानिवृत) डा. धनीराम शांडिल्य**: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों पर ध्यान देने के लिए शिक्षा की नई योजना शुरू की जा रही है;

(ख) क्या मंत्रिमंडल समिति ने इस योजना को पहले ही स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के लिए इस योजना के तहत कितनी धनराशि का आवंटन किया जा रहा है; और

(घ) राज्य स्तर पर इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सर्व शिक्षा अभियान नामक कार्यक्रम में 2010 तक 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों के लिए आठ वर्ष की शिक्षा का प्रावधान है। सामुदायिक स्वामित्व वाली जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं पर आधारित होने वाले कार्यक्रम के तहत शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता, बच्चों को पढ़ाई में बनाए रखने तथा शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में अनेक कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा की नई योजना, जो सर्व शिक्षा अभियान ढांचे का एक अंग है, के तहत स्कूल न जाने वाले बच्चों तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले अन्य बच्चों के लिए स्कूल वापसी शिविरों का प्रावधान शामिल किया गया है। 2001-2002 के बजट में सर्व शिक्षा अभियान के लिए 500 करोड़ रुपये तथा शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।

(घ) मंत्रालय ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत 134 जिलों में तैयारी कार्यकलाप शुरू करने के लिए 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान जारी किए हैं। इस मंत्रालय में दिनांक 2.1.2001 के संकल्प के जरिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्र स्तरीय मिशन का गठन किया है। राज्यों से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ही संस्वीकृति के लिए जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना तैयार करके प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। राज्यों में शिक्षा गारंटी योजना तथा स्कूल वापसी शिविरों के गठन के लिए प्रारंभिक कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में पीने के पानी और जल-मल शोधन परियोजनाएं

3418. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात में पीने के पानी की आपूर्ति और जल-मल शोधन परियोजनाएं कार्यान्वित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या;

(ग) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व बैंक अथवा किसी अन्य एजेंसी ने उक्त परियोजनाओं के लिए सहायता देने की पेशकश की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) जल आपूर्ति और सीवेज राज्य के विषय हैं अत: जल आपूर्ति व सीवेज योजनाएँ बनाना, उनका कार्यान्वयन, परिचालन और रखरखाव करना तथा इस प्रयोजनार्थ अपनी राज्य योजनाओं से पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करना राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, 20000 (1991 की जनगणना के अनुसार) से कम आबादी वाले कस्बों में जल आपूर्ति सुविधाएं मुहैया कराने के राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करने हेतु वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत केन्द्र और राज्यों द्वारा 50:50 आधार पर सहायता दी जाती है। त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 3,08,165 व्यक्तियों को शामिल करते हुए 19 कस्बों के लिए 2750.15 लाख रु. की परियोजना लागत से जल आपूर्ति योजना स्वीकृत की गई है। 13.3.2001 तक केन्द्रीय सहायता के रूप में 988.97 लाख रु. दिए गए हैं। गुजरात में अनुमोदित योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। केन्द्रीय क्षेत्र की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत सीवेज सुविधाओं की व्यवस्था के लिए धनराशि मुहैया कराई जा सके।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.)

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला
1	2	3
1.	धरमपुर	बलसाद
2.	बंतवा	जूनागढ़
3.	धरोल	जामनगर
4.	ओखा पोर्ट	जामनगर
5.	जोडिया	जामनगर
6.	मेदंरदा	जूनागढ़
7.	बरवाला	अहमदाबाद
8.	सूरजकराड़ी	जामनगर

1	2	3
9.	खेरालु	मेहसाना
10.	खेदबराहमा	साबरकांथा
11.	वसवादर	जूनागढ़
12.	आदित्याना	जूनागढ़
13.	चिखली	नवासरी
14.	वनथाली	जूनागढ़
15.	सलाया	जामनगर
16.	देवगढ़ बरिया	दहोद
17.	भनवाड़	जामनगर
18.	रानाभाव	पोरबंदर
19.	कुटियाना	पोरबंदर

[अनुवाद]

प्रतिधारण मूल्य नीति

3419. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रसायन और उर्वरक कंपनियों की प्रतिधारण मूल्य नीति को विघटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तैयार की जा रही प्रतिधारण मूल्य नीति संबंधी नई योजना का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता स्कीम को प्रतिस्थापित करने के लिए यूरिया एककों हेतु नई मूल्य निर्धारण नीति तैयार करने में लगी हुई है।

मेगा सिटी योजना

3420. **श्री दिन्शा पटेल:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मेगा सिटी योजना के तहत नगरों को शामिल करने हेतु मानदंडों की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) इस समय मेगा सिटी योजना के तहत नगरों को शामिल करने हेतु मानदंडों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में आपराधिक गिरोह

3421. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोगों को नशीला प्रसाद देकर उन्हें पीटने और लूटने में लिप्त कुछ गिरोह दिल्ली में विशेषकर चांदनी चौक क्षेत्र में सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान आज तक इन गिरोहों के कितने व्यक्ति पकड़े गए हैं;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने पीड़ित व्यक्तियों को उनके नुकसान के लिए मुआवजा दिया गया और मुआवजे की धनराशि कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) ऐसी कोई घटना, हाल ही में दिल्ली पुलिस के ध्यान में नहीं आई है, जिसमें इस प्रकार का अपराध करने में किसी संगठित गिरोह पर संदेह हो। तथापि, गत वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस ने 69 मामलों से जुड़े 74 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिनमें वे ऐसे अपराध करने में व्यक्तिगत रूप से शामिल थे।

(घ) कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अधीन पुलिस को ऐसे मामलों में पीड़ित लोगों को कोई मुआवजा देना अपेक्षित हो।

[अनुवाद]

मलिन बस्तियों और अनधिवासियों को बसाना

3422. **श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी विकास मंत्रालय संबंधी चतुर्थ प्रतिवेदन में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (1993-94) ने सरकार से मलिन बस्तियों और अनधिवासियों को शहरी क्षेत्रों में बसाने के संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाये गये कदमों से समिति को अवगत कराने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नगरों में विशेषकर दिल्ली में मलिन बस्तियों और अनधिवासियों की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) संसद की स्थायी समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि स्लमों की समस्या के समाधान के लिए उन सभी शहरों को, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, ''राष्ट्रीय शहर'' घोषित कर दिया जाये और ''राष्ट्रीय शहरों'' के लिए धन का आवंटन शहर की भौगोलिक स्थिति और आबादी के अनुसार किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों से कस्बों में आने वाले लोगों को बसाने के लिए अनुषंगी शहर बस्तियों (सेटलाइट टाउनशिप) को बढ़ावा दिया जाये। इस संबंध में भारत सरकार ने एक ''मेगा सिटी स्कीम'' शुरू की है, जिसके तहत कुछ मैट्रोपालिटन शहरों को मेगा सिटी घोषित किया गया है और उन्हें अवस्थापना विकास कार्यक्रम के कुछ व्यय की पूर्ति के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि गरीबों के लिए आवास निर्माण को, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना आदि जैसे कार्यक्रमों के क्रियाकलापों में शामिल किया जाए। इस संबंध में ''इंदिरा आवास योजना'' जो ''जवाहर रोजगार योजना'' का एक हिस्सा थी, गरीबों के लिए मकान निर्माण के लिए थी।

(ग) भारत सरकार ने 1996 में राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम नामक एक नई स्कीम शुरू की है। इसके अंतर्गत शहरी स्लमों के सुधार के लिए राज्यों/संघ प्रदेशों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्याप्त और संतोषजनक जल आपूर्ति सफाई, प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं, स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक पूर्व शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा सुविधाएं आदि मुहैया कराना है।

जहां तक दिल्ली में झुग्गी समूहों के रूप में अनौपचारिक स्लमों का संबंध है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के स्लम विंग की मार्फत उनका स्व-स्थाने विकास शुरू किया है। सरकार ने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ीवासियों के संबंध में निम्नलिखित त्रि-आयामी कार्यनीति अनुमोदित की है:-

(1) जहां झुग्गी झोपड़ीवासी 31.12.98 के पहले से ऐसी भूमि पर रह रहे हैं, जिसी भू-स्वामी एजेंसी को किसी सार्वजनिक प्रयोजन की परियोजना के निष्पादन के लिए तत्काल आवश्यकता है, वहां के झुग्गी झोपड़ीवासियों को अन्यत्र बसाया जाता है।

(2) ऐसी झुग्गी झोपड़ी कालोनी का स्व-स्थाने विकास किया जाता है, जहां भू-स्वामी एजेंसी को निकट भविष्य में भूमि की जरूरत नहीं है और इस आशय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाता है कि ऐसे समूहों का सुधार कर दिया जाए।

(3) जल आपूर्ति पथ, प्रकाश, सड़क, बरसाती पानी की नालियां आदि उन झुग्गी-झोपड़ी समूहों में मुहैया कराई जाती है, जो उपर्युक्त (1) और (2) श्रेणियों में नहीं आते।

करमुक्त म्यूनिसिपल बांड

3423. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने करमुक्त म्यूनिसिपल बांडों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नगर निकायों द्वारा इन बांडों को किस उद्देश्य से जारी किया जाएगा;

(घ) क्या ये निशानिर्देश सभी नगर निकायों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या ये बांड करमुक्त हैं और उन पर दिया जाने वाला ब्याज भी करमुक्त है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) किसी विशेष परियोजना की अनुमानित लागत हेतु बांडों की अधिकतम सीमा क्या है;

(ज) क्या केन्द्र सरकार को करमुक्त म्यूनिसिपल बांडों के माध्यम से वित्त पोषण हेतु विभिन्न राज्यों से विशेषकर आन्ध्र प्रदेश से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (छ) कर मुक्त म्यूनिसिपल बांडों के लिए दिशानिर्देश 8 फरवरी, 2001 को जारी किए गए हैं। दिशानिर्देश की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ज) से (ञ) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को कर मुक्त बांड जारी करने के लिए किसी राज्य सरकार से अब तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

विवरण

सं.के-14011/41/96-यूडी-III
भारत सरकार
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
(शहरी विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक,

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड जारी करना।

केन्द्र सरकार ने वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15) में एक नया खंड (vii) जोड़ा है जिसके द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों को बांड जारी करने से प्राप्त ब्याज आय को आय कर से मुक्त किया गया है।

2. स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों द्वारा कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड जारी करने के लिए दिशानिर्देश एतद्द्वारा परिचालित किये जाते हैं। अनुरोध है कि ये दिशानिर्देश व्यापक रूप से परिचालित किए जाएं ताकि संबंधित राज्य/स्थानीय कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड जारी करने के लिए केन्द्र सरकार अर्थात शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को प्रस्ताव पेश कर सकें।

हस्ता/-
(एस.के. भटनागर)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सभी राज्य सरकारें/संघ शासित सरकारें
(सचिव (श.वि.)/सचिव (स्थानीय स्व शासन) को नाम से)

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली (श्रीमती दीपा कृष्णन, निदेशक)
2. वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली। श्री अशोक लसावा, संयुक्त सचिव (ए.डी.बी. एण्ड आई.) और श्री सिद्धार्थ बेहुरा, संयुक्त सचिव को अलग-अलग प्रतियां।
3. वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली (श्री बी.एस. भंडारी, निदेशक (सी.एम. एण्ड ई.सी.बी.-1)

विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा यथावत जांच किए गए दिशानिर्देशों की एक प्रति संलग्न है।

हस्ता/-
(एस.के भटनागर)

कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड जारी करने के लिए दिशानिर्देश

1. पात्र जारीकर्त्ता

कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड के पात्र जारीकर्त्ता होंगेः-

(i) स्थानीय स्वायत्तशासी निकाय, अन्य स्थानीय प्राधिकरण अथवा संसद के अधिनियम अथवा राज्य विधानमंडल के तहत यथा गठित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी;

(ii) राज्य सरकार के संबंधित कानूनों के तहत गठित अन्य स्थानीय प्राधिकरण जैसे जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड/प्राधिकरण, जो पैरा (2) में दी गई सूची के अनुसार किसी उचित प्रयोजन के प्रावधान से संबंधित है;

(iii) किसी वित्तीय मध्यस्थ जैसे डी.एफ.आई. अथवा वाणिज्यिक बैंक के माध्यम से उक्त उप धारा (i) और (ii) के अंतर्गत यथा परिभाषित स्थानीय प्राधिकरणों/निकायों का समूह;

(iv) शर्त यह होगी कि धारा (i) और (ii) में उल्लिखित जारीकर्त्ता आय कर अधिनियम की धारा 2 (36-क) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल हों।

आयकर अधिनियम की धारा 2 (36-क) को इस प्रकार पढ़ा जाएः-

"सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी" का आशय किसी ऐसे निगम से है जिसकी स्थापना किसी केन्द्रीय, राज्य अथवा प्रांतीय अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत की गई हो अथवा वह कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कंपनी हो;

कंपनी अधिनियम की धारा 617 को इस प्रकार पढ़ा जाएः-

इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरकारी कंपनी का अर्थ उस कंपनी से है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत चुकता शेयर पूंजी केन्द्र सरकार अथवा किसी/किन्ही राज्य सरकार/सरकारों द्वारा अथवा एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा अंशतः धारित हों और इसमें यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की अनुषंगी कंपनी भी शामिल है।

2. प्राप्त धन का उपयोग

कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड से प्राप्त आय का उपयोग शहरी अवस्थापना में निम्नलिखित में से एक या अधिक की व्यवस्था के लिए पूंजी निवेश हेतु किया जायेगा:-

(i) पेय जल आपूर्ति;

(ii) सीवरेज या सफाई;

(iii) जल निकासी;

(iv) कचरा निपटान;

(v) सड़कें, पुल और सड़कोपरि पुल; तथा

(vi) शहरी परिवहन (यदि यह संबंधित राज्य कानून के अंतर्गत म्यूनिसिपल कार्य हो)।

पूंजी निवेश निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए होगा:

क. नयी परियोजना(ओं) की स्थापना;

ख. मौजूदा प्रणाली का विस्तार, वृद्धि या सुधार।

3. अनिवार्य पूर्व शर्तें

क. परियोजना विकास

(क) प्रस्तावित इश्यू की आय स्पष्ट रूप से एक निर्धारित परियोजना अथवा परियोजनाओं के लिए नियत की जायेगी;

(ख) कर मुक्त बांड वास्तव में जारी करने से पूर्व निम्नलिखित कार्य पूरे किये जायेंगे:-

(1) परियोजना घटकों के लिए एक निवेश प्लान, जिसमें स्थानीय प्राधिकरण या एजेंसी के बोर्ड, जो भी हो, द्वारा अनुमोदित प्रावस्थाक्रम और वित्त पोषण योजना दिखाई जाए;

(2) समग्र परियोजना(ओं) के तहत सभी प्रस्तावित घटकों के लिए शुरू और पूरा करने के लिए बेंच मार्क निर्धारित करना जिसमें लक्ष्य पूर्ति की तारीखें भी शामिल हैं;

(3) प्रस्तावित परियोजना के लिए बोलीदाताओं की पूर्व अर्हताएं पूरी की जाएंगी और सभी पूर्व-अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं को पूर्व निविदा दस्तावेज जारी किए गए हों;

(4) परियोजना के लिए आवश्यक भूमि बांड जारीकर्त्ता के कब्जे में होगी और/या भूमि अधिग्रहण तथा अन्य कानूनी औपचारिकताएं, यदि कोई हों, की कार्रवाई शुरू कर दी गयी हो।

ख. वित्तीय उपादेयता

(क) परियोजनाएं वित्तीय रूप से उपादेय होंगी;

(ख) यहां वित्तीय उपादेयता से तात्पर्य यह है कि परियोजना(ओं) से इतना राजस्व अवश्य प्राप्त हो ताकि उससे परियोजना के लिए यथेष्ठ वित्तपोषण हो सके।

(ग) जारीकर्त्ता विनिर्दिष्ट राजस्व से बांड आय की ऋण सर्विसिंग के लिए "एस्क्रो एकाउंड" सूचित करेगा। "एस्क्रो" व्यवस्था से राजस्व का विनिर्दिष्टीकरण डी.यू.आई. जैसे स्वतंत्र ट्रस्टी या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मानीटर किया जायेगा।

ग. अन्य शर्तें

(क) जारीकर्त्ता संबंधित राज्यों के संबंधित म्यूनिसिपल कानूनों [1(1) में यथा निर्दिष्ट] अथवा कुल उधारों से संबंधित अन्य कानूनों के तहत नियमों से बंधे होंगे।

(ख) (i) आगे जारीकर्त्ता अतिरिक्त ऋण प्रासंविदा (डेट कावनेट) उपलब्ध कराने के लिए लिखित सहमति देगा जिसके अंतर्गत कम से कम 1.25 का ऋण सर्विस कवरेज अनुपात कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड के पूरे कार्यकाल में बनाये रखा जायेगा।

(ii) ऋण सर्विस कवरेज अनुपात का आशय जारीकर्त्ता के सभी दायित्वों व देनदारियों को पूरा करने के बाद शुद्ध आय के अनुपात से है किन्तु इसमें दीर्घकालीन ऋण दायित्व (मूलधन व ब्याज) से लेकर दीर्घकालीन ऋण अदायगी दायित्व शामिल नहीं है।

(iii) शुद्ध आय के आकलन के लिए परियोजना विशिष्ट राजस्व और व्यय की बजाय सकल उपयोगिता/निगम के आय व्यय को हिसाब में लिया जायेगा।

(iv) सभी राजकीय अनुदान और जारीकर्त्ता को अंतिम राशियां "एस्क्रो एकाउंड" में जमा की जाएंगी तथा बांड इश्यू में उस प्राथमिकता क्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा जिसके अनुसार उद्यम से उत्तपन्न राजस्व विभिन्न प्रयोजनों हेतु आवंटित किया जायेगा।

(1) ऋण सेवा कवरेज अनुपात का आकलन वास्तविक मान्यताओं पर आधारित होगा।

घ. परियोजना एकाउंट और मानीटरिंग

(क) उपर्युक्त पैरा 1 में विनिर्दिष्ट किए गए जारीकर्त्ता कार्यालय कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड द्वारा अर्जित राशि का अलग हिसाब रखेंगे जिसे केवल परियोजना से संबंधित व्यय हेतु उपयोग किया जायेगा।

(ख) जारीकर्त्ता एक अलग परियोजना कार्यान्वयन कक्ष स्थापित करेंगे और एक परियोजना अधिकारी का पद बनायेंगे जो परियोजना(ओं) की प्रगति की मानीटरिंग करने और यह सुनिश्चित करने कि कर मुक्त म्यूनिसिपल बांडों द्वारा अर्जित राशि केवल उन्हीं परियोजना(ओं) के लिए उपयोग की जायेगी जिनके लिए बांड जारी किये गये हैं, के लिए उत्तरदायी होगा।

4. विलेख, परिपक्वता और वापस खरीद

(क) कर मुक्त बांडों की निम्नतम परिपक्वता अवधि पांच वर्ष होगी। जारीकर्त्ता डीप डिस्काउंट बांड देने या मुख्यत: बांड का मूल्यांकन बढ़ाने के लिए अन्य नूतन वित्त विकल्प दे सकते हैं।

(ख) जारीकर्त्ताओं को तीन वर्ष की संलग्न अवधि के बाद किसी भी व्यक्तिगत निवेशक से बांडों के अंकित मूल्यों पर वापस खरीद व्यवस्था रखने का विकल्प होगा।

5. इश्यू का स्वरूप और कर लाभ

(क) सार्वजनिक इश्यू या प्रायवेट प्लेसमेंट के रूप में या दोनों प्रकारों को मिलाकर राशि जुटाने का विकल्प जारीकर्त्ता पर निर्भर होगा।

(ख) 10.50% तक की ब्याज दर से प्राप्त आय बिना किसी सीमा के आयकर अधिनियम 1961 के तहत आय कर से मुक्त होगी।

6. किसी परियोजना के लिए कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड की राशि की अधिकतम सीमा

(क) उपर्युक्त मद 2 में सूचीबद्ध प्रयोजनों के लिए बांडों की इश्यू राशि प्रति प्रकरण भारत सरकार के शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जायेगी। कुल परियोजना लागत (निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में कर मुक्त म्यूनिसिपल बांडों की अधिकतम राशि 33.3% या 50 करोड़ रुपये जो भी कम हो, होगी।

(ख) परियोजना का ऋण इक्विटी अनुपात 3:1 से अधिक नहीं होगा। पालिका प्राधिकरणों के मामलों में जारीकर्त्ता आंतरिक स्रोतों अथवा अन्य अनुदानों अथवा इन दोनों से परियोजना हेतु कम से कम 20% राशि प्रदान करेगा।

7. अनिवार्य ऋण रेटिंग

जारीकर्त्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड जारी करने से पहले अनुमोदित भारतीय रिजर्व बैंक तथा प्रतिष्ठित ऋण रेटिंग एजेंसी से निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त करे। ऋण रेटिंग एजेंसी प्रारंभिक रेटिंग देते समय यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करेगी कि दिशानिर्देशों में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी हैं और वह म्यूनिसिपल बांड के कार्यकाल के दौरान अपने मानीटरिंग दायित्व के एक अंग के रूप में इसकी निगरानी भी करेंगी।

8. कानूनी तथा प्रशासनिक अपेक्षाएं

(क) जारीकर्त्ता समय-समय पर लागू अन्य सभी कानूनी और प्रशासनिक अपेक्षाओं को पूरा करेंगे;

(ख) सार्वजनिक इश्यू जारी करने के मामले में जारीकर्त्ता भारत के सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

9. कर में छूट और अनुमोदन देने के लिए सक्षम प्राधिकारी

(क) वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग वित्त वर्ष के दौरान जारी किये जाने वाले म्यूनिसिपल बांड की मात्रा निर्धारित करेगा और इस मात्रा तथा किसी अन्य क्षेत्रीय अथवा सेक्टोरल प्रतिबंध जो भी तय किये जाएं, के बारे में शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को सूचित करेगा।

(ख) कर मुक्त म्यूनिसिपल बांड के प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के लिए शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार नोडल एजेंसी होगा। यह मंत्रालय म्यूनिसिपल बांड जारी करने के लिए आवेदन प्राप्त करेगा और उन पर कार्रवाई करके उन्हें उस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसका गठन आर्थिक कार्य विभाग और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रतिनिधियों से किया जायेगा। समिति अपनी सिफारिशें आर्थिक कार्य विभाग को भेजेगी जो निर्धारित बांडों की वित्त मंत्री के अनुमोदन से सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करेगी।

(ग) आर्थिक कार्य विभाग द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित म्यूनिसिपल बांड आय कर अधिनियम की धारा 10(15)(vii) के तहत कर में छूट के पात्र होंगे।

10. बाह्य मानीटरिंग

प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति में छह माह के अंदर एस्क्रो एकाउंट और परियोजना एकाउंट की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा मान्यताप्राप्त सनदी लेखाकारों के पैनल से राज्यों के शहरी विकास विभाग द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार फर्म द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी और पूर्ण अनुपालनायुक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को पेश की जायेगी।

11. बांडों को सूचीबद्ध करना

इन कर मुक्त बांडों को स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जायेगा।

डीडीए द्वारा रिहायशी मकानों का निर्माण

3424. डा. वी. सरोजा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार अन्यत्र ले जाई गई प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों द्वारा रिक्त किए गए क्षेत्रों में रिहायशी मकानों के निर्माण का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों की खपत

3425. श्री चिंतामन वनगा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की तुलना में महाराष्ट्र में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर खपत कितनी है;

(ख) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान राज्य को यूरिया और अन्य उर्वरकों की कितनी मात्रा में आपूर्ति की गई;

(ग) क्या अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यूरिया और अन्य उर्वरकों की आपूर्ति उनकी मांग के अनुसार की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान राज्यों के साथ-साथ केन्द्र शासित क्षेत्रों की तुलना में महाराष्ट्र में प्रति हैक्टेयर फसल क्षेत्र में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश की अनुमानित खपत विवरण-I में दी गई है।

(ख) 1998-99 और 1999-2000 के दौरान महाराष्ट्र में प्रमुख उर्वरकों की मांग और उपलब्धता के ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं:-

(''000 मी. टन)

वर्ष	यूरिया		डी.ए.पी.		एम.ओ.पी.	
	मांग	उपलब्धता	मांग	उपलब्धता	मांग	उपलब्धता
खरीफ, 1998	1125.00	1207.03	*	303.63	*	67.11
रबी 1998-99	650.00	748.55	*	252.99	*	168.01
खरीफ 1999	1100.00	1285.92	315.00	387.07	125.00	148.43
रबी 1999-2000	730.00	855.99	220.00	299.83	125.00	118.14

*डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. की मांग की गणना खरीफ, 1999 मौसम से आरम्भ की गई थी।

(ग) से (ङ) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो भारत सरकार के मूल्य, वितरण और संचलन नियंत्रण के अधीन है। प्रत्येक राज्य की यूरिया की मांग आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आवंटन द्वारा पूरी की जाती है, तथा देश में महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता थी जैसा कि विवरण-II से देखा जा सकता है।

अन्य उर्वरकों की मांग जो नियंत्रणमुक्त हैं, रियायत योजना के मानदण्डों के अन्तर्गत प्रचलित बाजार शक्तियों द्वारा पूरी की जाती है तथा सरकार द्वारा इन उर्वरकों का कोई आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, आवश्यकता पड़ने पर और राज्यों के अनुरोध पर डाई-अमोनिया फॉस्फेट/म्यूरिएट ऑफ पोटाश की आपूर्ति बफर स्टॉक के माध्यम से बढ़ाई जाती है जो कि भारत सरकार की ओर से मै. इंडिया पोटाश लि. द्वारा संचलित की जाती है।

डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. की राज्यवार आकलित मांग, उपलब्धता और बिक्री दर्शाने वाला विवरण-पत्र विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1998-99 के दौरान क्षेत्र (एन+पी+के) हेतु प्रति हेक्टेयर उर्वरकों पोषकों की खपत

क्र.सं.	राज्य/रा.रा. क्षेत्र	एन	पी	के	योग
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र	47.19	21.08	8.19	76.47
2.	आंध्र प्रदेश	95.77	41.79	12.17	149.73
3.	कर्नाटक	51.77	27.24	14.12	93.13
4.	केरल	28.49	14.08	17.52	60.10
5.	तमिलनाडु	80.32	31.29	35.65	147.26
6.	गुजरात	62.79	24.32	5.58	92.69
7.	मध्य प्रदेश	29.00	17.62	1.54	48.16
8.	राजस्थान	25.73	9.11	0.30	35.14
9.	गोवा	20.52	9.77	11.71	42.00
10.	हरियाणा	109.10	28.28	0.65	138.03
11.	पंजाब	137.86	35.13	2.39	175.37
12.	उत्तर प्रदेश	93.68	21.34	3.29	118.32
13.	हिमाचल प्रदेश	30.77	5.51	4.43	40.71
14.	जम्मू और कश्मीर	47.63	16.16	1.99	65.77
15.	दिल्ली	292.38	28.70	7.68	328.77
16.	बिहार	65.72	17.03	5.51	88.25
17.	उड़ीसा	23.68	7.35	5.38	36.41
18.	पश्चिम बंगाल	63.99	33.75	21.25	118.99

1	2	3	4	5	6
19.	असम	11.98	5.16	2.48	19.62
20.	त्रिपुरा	15.22	3.95	2.15	21.31
21.	मणिपुर	75.79	7.38	0.99	84.16
22.	मेघालय	11.51	5.65	0.64	17.80
23.	नागालैंड	1.59	1.44	0.22	3.25
24.	अरुणाचल प्रदेश	1.47	0.62	0.43	2.52
25.	मिजोरम	2.25	4.83	3.39	10.48
26.	सिक्किम	4.00	2.15	0.38	6.54
27.	पांडिचेरी	278.70	116.16	100.82	495.68
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप	4.96	3.06	1.56	9.58
29.	दमन और दीव	48.00	20.00	10.00	78.00
30.	दादर और नागर हवेली	24.93	14.00	0.67	39.59
31.	चंडीगढ़	71.75	2.00	0.25	74.00
32.	अखिल भारत	59.90	21.70	7.02	88.62

वर्ष 1999-2000 के दौरान क्षेत्र (एन+पी+के.) हेतु प्रति हेक्टेयर उर्वरकों पोषकों की खपत

क्र.सं.	राज्य/रा.रा. क्षेत्र	एन	पी	के	योग
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र	52.66	25.41	10.80	88.87
2.	आंध्र प्रदेश	98.03	44.96	15.00	157.99
3.	कर्नाटक	55.24	30.35	17.52	103.11
4.	केरल	28.83	14.56	26.60	69.99
5.	तमिलनाडु	86.48	34.71	41.72	162.92
6.	गुजरात	57.46	24.06	6.25	87.77
7.	मध्य प्रदेश	27.18	17.39	2.62	47.19
8.	राजस्थान	27.26	11.93	0.31	39.49
9.	गोवा	22.02	10.84	11.25	44.12
10.	हरियाणा	110.37	37.24	0.86	148.47
11.	पंजाब	138.52	42.67	3.38	184.57

1	2	3	4	5	6
12.	उत्तर प्रदेश	91.34	29.69	4.35	125.38
13.	हिमाचल प्रदेश	29.14	6.08	4.21	39.43
14.	जम्मू और कश्मीर	42.99	14.28	0.97	58.23
15.	दिल्ली	325.38	85.81	5.77	416.96
16.	बिहार	70.07	20.81	6.31	97.19
17.	उड़ीसा	28.48	9.07	6.28	43.83
18.	वेस्ट बंगाल	70.51	39.26	26.20	135.97
19.	असम	15.10	7.14	5.42	27.66
20.	त्रिपुरा	13.81	3.80	1.84	19.45
21.	मणिपुर	78.66	12.37	5.96	91.98
22.	मेघालय	10.70	4.87	0.70	16.28
23.	नागालैंड	1.97	1.43	0.15	3.54
24.	अरुणाचल प्रदेश	1.48	0.63	0.43	2.53
25.	मिजोरम	2.82	3.66	2.91	9.39
26.	सिक्किम	3.37	2.29	0.53	6.19
27.	पांडिचेरी	283.39	128.93	117.66	529.98
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप	6.62	4.52	1.48	12.62
29.	दमन और दीव	4.40	2.00	1.00	7.40
30.	दादर और नागर हवेली	26.52	15.44	0.37	42.33
31.	चंडीगढ़	59.50	0.50	0.25	60.25
32.	अखिल भारत	61.16	25.31	8.85	95.32

विवरण-II

1998-99 और 1999-2000 के दौरान यूरिया की राज्यवार आकलित मांग, उपलब्धता और बिक्री

(000 टन)

क्र.सं.	राज्य	खरीफ 1998			रबी 1998-99			खरीफ 1999			रबी 1999-2000		
		आकलिक मांग	उप.	बिक्री	आक. मांग	उप.	बिक्री	आक. मांग	उप.	बिक्री	आक. मांग	उप.	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	960.00	1080.73	955.57	1050.00	1212.03	1058.59	1000.00	1148.64	1032.54	1101.50	1174.02	984.23
2.	कर्नाटक	590.00	595.91	544.82	360.00	438.15	360.54	600.00	651.39	592.19	396.00	438.56	362.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	केरल	72.00	77.73	58.3	465.00	66.71	54.85	70.00	68.44	60.69	60.00	66.19	55.88
4.	तमिलनाडू	375.00	400.72	333.06	525.00	581.11	480.60	360.00	408.91	355.74	510.00	566.65	521.42
5.	गुजरात	600.00	611.61	554.95	700.00	721.14	675.09	600.00	653.44	569.16	690.00	565.00	484.82
6.	मध्य प्रदेश	700.00	780.95	633.52	780.00	828.74	628.70	675.00	730.26	529.30	700.00	725.89	588.04
7.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	महाराष्ट्र	1125.00	1207.03	1038.23	650.00	748.55	669.24	1100.00	1285.92	1135.79	730.00	855.99	740.76
9.	राजस्थान	485.00	552.43	411.20	800.00	785.52	600.00	450.00	537.70	453.81	650.00	664.44	578.29
10.	गोवा	4.50	2.29	2.33	2.00	2.00	1.99	4.20	2.17	2.14	2.20	2.35	2.35
11.	हरियाणा	600.00	671.44	525.65	760.00	916.24	766.50	580.00	662.06	504.50	800.00	920.66	743.26
12.	हिमाचल प्रदेश	30.00	33.89	29.77	22.00	20.93	19.01	30.00	33.96	33.34	22.00	14.37	9.63
13.	जम्मू और कश्मीर	75.00	61.82	51.09	45.00	53.36	44.97	60.00	52.89	41.08	44.96	6.30	53.14
14.	पंजाब	1000.00	1164.09	983.57	1050.00	1185.40	1081.80	1055.00	1083.54	935.03	1125.00	1143.6	1039.42
15.	उत्तर प्रदेश	2225.00	2769.20	2308.88	2730.00	3037.04	2577.22	2400.00	2756.08	2369.32	2700.00	2810.46	2321.60
16.	उत्तरान्चल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	दिल्ली	13.50	13.22	10.80	30.00	27.99	24.67	13.00	15.27	10.72	20.00	22.93	16.52
18.	बिहार	700.00	924.27	688.82	630.00	787.41	616.99	725.00	861.65	692.11	650.00	796.21	663.56
19.	झारखण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	उड़ीसा	325.00	372.00	250.65	145.00	192.76	73.00	300.00	375.85	304.68	120.00	176.91	113.87
21.	वेस्ट बंगाल	460.00	534.25	383.94	600.00	669.70	566.40	450.00	533.61	474.55	675.00	704.83	615.06
22.	असम	50.00	61.85	44.27	50.00	69.54	44.26	60.00	90.82	70.05	65.00	90.42	73.41
23.	मणिपुर	23.00	24.73	22.46	7.50	10.63	8.51	24.00	26.52	25.85	7.50	7.35	7.17
24.	मेघालय	3.00	2.73	2.44	3.00	3.42	2.86	3.00	3.56	3.04	0.05	2.15	1.940
25.	नागालैंड	0.50	0.62	0.08	0.55	1.10	0.00	0.50	1.40	0.00	0.55	0.53	0.00
26.	सिक्किम	0.50	0.55	0.20	0.55	0.93	0.35	0.65	1.18	0.30	0.55	0.61	0.35
27.	त्रिपुरा	12.00	9.30	9.29	13.00	8.13	5.60	10.00	8.06	6.86	13.00	8.43	7.83
28.	अरुणाचल प्रदेश	0.35	0.46	0.01	0.50	0.96	0.09	0.50	1.42	0.03	0.35	0.37	0.08
29.	मिजोरम	0.40	0.73	0.00	0.50	1.28	0.33	0.50	1.45	0.08	0.50	0.55	0.00
30.	अन्य	49.94	33.38	31.59	54.47	31.28	28.21	47.92	13.80	11.50	12.06	13.53	10.58
	अखिल भारत	10479.69	11987.92	9875.53	11074.00	1240205	10390.37	10619.27	12009.99	10214.40	11098.87	11840.36	9996.01

*यूरिया का आकलन खरीफ 99 से प्राप्त हुआ।

1998-99 और 1999-2000 के दौरान डी.ए.पी. की राज्यवार मांग, उपलब्धता और बिक्री

(000 टन)

		खरीफ 1998		रबी 1998-99		खरीफ 1999			रबी 1999-2000		
क्र.सं.	राज्य	उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता	बिक्री	आकलन मांग	उप.	बिक्री	आक. मांग	उप.	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	419.99	389.85	317.90	267.43	440.00	486.97	414.17	300.00	336.23	280.56
2.	कर्नाटक	260.91	258.54	166.75	127.50	280.00	304.59	283.59	85.00	179.03	155.54
3.	केरल	6.66	5.10	6.65	4.56	6.00	6.47	4.47	6.00	4.77	4.02
4.	तमिलनाडू	132.38	106.22	144.88	117.71	110.00	134.88	113.08	120.00	169.32	163.66
5.	गुजरात	318.84	271.89	364.08	296.85	300.00	267.43	244.20	240.00	325.47	296.64
6.	मध्य प्रदेश	304.64	274.41	305.82	239.34	300.00	347.77	269.12	340.00	363.46	232.84
7.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	महाराष्ट्र	303.63	290.09	252.99	213.83	315.00	387.07	312.44	220.00	299.83	256.00
9.	राजस्थान	192.37	162.14	201.44	165.59	210.00	293.45	247.09	200.00	249.70	199.47
10.	गोवा	0.36	0.36	0.38	0.38	-	0.60	0.60	0.40	0.16	0.16
11.	हरियाणा	195.54	148.42	224.54	206.93	130.00	230.03	176.85	270.00	357.86	316.80
12.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.44	0.00	0.50	0.44	0.44
13.	जम्मू और कश्मीर	19.36	16.37	24.61	20.89	25.00	15.10	14.10	27.33	27.22*	23.61
14.	पंजाब	333.97	281.96	361.48	334.72	200.00	437.31	361.67	420.00	375.36	310.90
15.	उत्तर प्रदेश	412.84	273.96	729.75	628.30	425.00	672.50	432.29	700.00	1066.54	944.91
16.	उत्तरान्चल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	दिल्ली	0.77	0.95	1.62	1.62	2.50	3.58	3.58	10.30	4.22	4.22
18.	बिहार	160.08	111.88	216.79	187.62	150.00	240.80	186.67	200.00	238.14	201.95
19.	झारखण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	उड़ीसा	85.05	51.08	28.56	15.97	70.00	78.07	69.88	25.00	46.15	26.92
21.	वेस्ट बंगाल	153.53	132.08	286.97	253.33	170.00	211.94	145.95	270.00	309.77	272.99
22.	असम	10.94	7.81	14.59	7.65	20.00	21.17	12.83	15.00	24.28	17.15
23.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.55	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.80	–	–
25.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.49	–	–
26.	सिक्किम	4.57	4.54	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45	–	–
27.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	–	–	–
28.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.13	–	–
29.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.65	–	–
30.	अन्य	3.42	2.50	4.63	3.77	62.6	3.48	3.38	4.34	3.88	3.86
	अखिल भारत	3299.65	2797.93	3652.43	3093.99	31698.65	4143.63	3295.96	3456.94	4381.82	3713.45

*डी.ए.पी. का आकलन खरीफ 1999 से प्रारम्भ हुआ।

विवरण-III

1998-99 और 1999-2000 के दौरान एम.ओ.पी. की राज्य-वार मांग, उपलब्धता और बिक्री

(000 टन)

क्र.सं.	राज्य	खरीफ 1998		रबी 1998-99		खरीफ 1999			रबी 1999-2000		
		उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता	बिक्री	आक. मांग	उप.	बिक्री	आक. मांग	उप.	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	44.30	43.14	123.81	112.73	80.00	143.03	12252	115.00	134.96	105.65
2.	कर्नाटक	56.10	53.85	130.82	110.09	135.00	171.39	151.33	95.00	88.60	73.47
3.	केरल	21.52	21.50	67.64	58.47	80.00	84.41	75.42	65.00	73.87	48.80
4.	तमिलनाडू	105.07	99.39	252.03	197.01	160.00	167.58	150.78	184.00	261.30	230.89
5.	गुजरात	43.55	37.31	64.28	55.13	40.00	63.96	38.68	55.00	93.05	63.85
6.	मध्य प्रदेश	20.25	20.14	35.08	27.13	45.00	43.99	33.82	20.00	36.46	24.73
7.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
8.	महाराष्ट्र	67.11	66.39	168.01	131.59	125.00	148.43	123.87	125.00	118.14	106.93
9.	राजस्थान	3.14	2.92	4.02	3.29	4.00	3.37	2.77	4.00	6.01	4.62
10.	गोवा	0.70	0.65	0.61	0.49	0.80	0.53	0.52	0.50	0.27	0.27
11.	हरियाणा	0.94	0.94	5.14	4.65	5.00	5.28	3.99	5.00	6.78	2.63
12.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	3.23	3.23	0.20	0.20	0.20	4.00	2.74	2.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	जम्मू और कश्मीर	0.51	0.51	3.62	3.20	1.50	0.49	0.46	6.69	2.86	0.68
14.	पंजाब	14.88	7.72	27.02	20.52	20.00	35.79	30.58	20.00	12.55	7.78
15.	उत्तर प्रदेश	39.72	25.86	124.16	86.23	50.00	109.17	59.38	90.00	93.54	82.26
16.	उत्तरान्चल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	दिल्ली	0.49	0.49	0.30	0.30	0.10	0.07	0.07	0.28	0.06	0.06
18.	बिहार	16.03	7.95	87.45	77.80	50.00	55.00	37.23	80.00	77.29	64.15
19.	झारखण्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	22.23	22.03	51.45	43.57	50.00	49.51	39.52	40.00	41.67	36.77
21.	वेस्ट बंगाल	44.16	34.73	237.31	215.17	120.00	124.06	82.77	225.00	268.00	206.35
22.	असम	3.46	3.42	35.78	28.24	33.00	26.02	18.32	45.00	49.92	42.68
23.	मणिपुर	0.34	0.34	0.00	0.00	1.30	0.05	0.05	0.25	0.00	0.00
24.	मेघालय	0.20	0.20	0.10	0.10	0.25	0.06	0.06	0.25	0.03	0.03
25.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
26.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
27.	त्रिपुरा	0.15	0.15	0.00	0.00	2.30	0.97	0.97	2.50	0.50	0.50
28.	अरुणाचल प्रदेश	0.22	0.22	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
29.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.14	0.14	0.40	0.00	0.00
30.	अन्य	2.99	2.98	3.46	2.58	23.71	3.72	3.26	3.44	4.53	4.13
	कुल (राज्य)	508.05	452.83	1425.32	1181.25	1037.72	1237.72	976.71	1186.62	1373.13	1109.97

*एम.ओ.पी. का आकलन खरीफ 1999 से प्रारम्भ हुआ।

फोटो पहचान-पत्र

3426. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत में रह रहे सभी विदेशी नागरिकों को फोटो पहचान-पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनको यह फोटो पहचान-पत्र कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) भारत में रह रहे सभी नागरिकों और गैर-नागरिकों के अनिवार्य पंजीकरण और नागरिकों को बहुउद्देश्य राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन रहा है। इस बारे में एक व्यावसायिक परामर्शदात्री फर्म द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन भी किया गया है। इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

कर्नाटक द्वारा पुनर्वास कार्य

3427. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने गुजरात सरकार को भूकंप के बाद पुनर्वास और निर्माण कार्य में सहायता करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो कर्नाटक द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्यों ने भी गुजरात को ऐसी सहायता दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय इंजीनीयरिंग कॉलेजों को आई.आई.टी. का दर्जा

3428. **श्री जय प्रकाश:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से क्षेत्रीय इंजीनयरिंग कॉलेजों, विशेषत: उत्तरांचल के रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज और आंध्र प्रदेश में वारंगल स्थित कॉलेज को आई.आई.टी. का दर्जा दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान उक्त कॉलेजों को कितनी अतिरिक्त निधियां जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) देश में स्थित 17 क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों की राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (ङ) भारत सरकार को रुड़की विश्वविद्यालय को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा प्रदान करने के संबंध में उत्तरांचल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। भारत सरकार रुड़की विश्वविद्यालय को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा प्रदान करने का निर्णय पहले ही ले चुकी है। क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने सिद्धांत रूप से सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों को आवश्यक सहायता प्रदान करके वहां उपलब्ध सुविधाओं तथा आधारभूत संरचनाओं को स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया है।

विवरण

क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों के नाम	राज्य का नाम
1	2	3
1.	मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
2.	मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कॉलेज, भोपाल	मध्य प्रदेश
3.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, कालीकट	केरल
4.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
5.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश
6.	मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, जयपुर	राजस्थान
7.	डा. बी.आर. अम्बेडकर क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, जालंधर	पंजाब
8.	क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर	झारखंड
9.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, कुरुक्षेत्र	हरियाणा
10.	विश्वैश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, नागपुर	महाराष्ट्र
11.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, राउरकेला	उड़ीसा

1	2	3
12.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, सिल्चर	असम
13.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर
14.	सरदार बल्लभभाई क्षेत्रीय इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कॉलेज, सूरत	गुजरात
15.	कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, सूरतकल	कर्नाटक
16.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, तिरूचिरापल्ली	तमिलनाडु
17.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, वारंगल	आंध्र प्रदेश

हडको द्वारा ग्रामीण विकास हेतु स्वीकृत ऋण

3429. **श्री पी.आर. खूंटे:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान हडको द्वारा ग्रामीण विकास हेतु स्वीकृत ऋण राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) स्लम विकास, गरीबों के लिए घर और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण पर राज्य-वार खर्च की गई/खर्च की जाने वाली निधियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सीबीएसई के पाठ्यक्रम हेतु विशेषज्ञ समिति

3430. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीबीएसई के पाठ्यक्रम में किए गए परिवर्तनों की निगरानी के लिए कोई विशेषज्ञ समिति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में मानव संसाधन विकास परियोजनाएं

3431. **श्री राजो सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में मानव संसाधन विकास संबंधी परियोजनाओं में परियोजना-वार कितना निवेश किया गया है;

(ख) राज्य में कितने तकनीकी संस्थान कार्यरत हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में मानव संसाधन विकास संबंधी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) शिक्षा के क्षेत्र में मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 के दौरान बिहार राज्य को 4734.84 लाख रु. की राशि दी गई थी। योजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) इस समय राज्य में 72 तकनीकी संस्थान कार्यरत हैं।

(ग) मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में अधिकतर केन्द्रीय योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी बिहार राज्य सहित सम्पूर्ण देश को है। समय-समय पर राज्य सरकारों से भी इन योजनाओं का व्यापक प्रचार करने का अनुरोध किया जाता है।

विवरण

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	केन्द्र प्रायोजित योजना का नाम	वर्ष 1999-2000 में प्रदान की गई निधि
1	2	3
1.	अनौपचारिक शिक्षा	1513.82
2.	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	2400.00
3.	पर्यावरणिक शिक्षा	5.10
4.	निरक्षरता उन्मूलन के लिए विशेष परियोजना	147.28

1	2	3
5.	श्रमिक विद्यापीठ	20.30
6.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियाँ	73.63
7.	मदरसा शिक्षा	47.45
8.	अल्पसंख्यक शिक्षा	439.64
9.	संस्कृत का विकास	87.62
	कुल	4734.84

[अनुवाद]

लीज होल्ड सम्पत्तियों को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने की योजना में संशोधन

3432. डा. जसवंतसिंह यादवः क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डीडीए का विचार लीज होल्ड सम्पत्तियों को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने वाली योजना में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) लीज होल्ड को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने की दरों की वसूली के लिए क्या मापदंड अपाया जाता है; और

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान डीडीए ने प्रतिवर्ष कितनी सम्पत्तियों को फ्री होल्ड में परिवर्तित किया?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जी, नहीं। रिहायशी संपत्तियों के बारे में लीज होल्ड अवधि (टेन्योर) को फ्री होल्ड में बदलने की स्कीम शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.2.1992 की अधिसूचना द्वारा शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत परिवर्तन करने की दरें समय-समय पर भूमि दरों के संशोधन के अध्यधीन हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान डीडीए द्वारा फ्री होल्ड में परिवर्तित सम्पत्तियों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	डीडीए द्वारा फ्री होल्ड में परिवर्तित संपत्तियों की संख्या
1998	4,461
1999	10,076
2000	40,344

[हिन्दी]

शोषित बच्चों और महिलाओं का पुनर्वास

3433. श्रीमती सुशीला सरोजः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को मुक्त कराने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस व्यवसाय से अब तक कितनी महिलाओं को निकाला है;

(ग) क्या सरकार शोषित बच्चों और महिलाओं के पुनर्वास के लिए कोई प्रभावी योजना तैयार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्यक्रम के कब तक प्रभावी रूप से लागू हो जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां। भारत सरकार ने वेश्यावृत्ति की शिकार महिलाओं तथा बच्चों को समाज की मुख्य-धारा में पुनः शामिल करने के उद्देश्य से महिलाओं तथा बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण तथा बिक्री/खरीद की समस्या से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई है। इस कार्य योजना में निवारक उपाय करना, कानून बनाना तथा लागू करना, वेश्यावृत्ति के शिकार व्यक्तियों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराना, उन्हें मुक्त कराना और उनका पुनर्वास करना, जागरूकता विकास तथा सामाजिक संघटन शामिल हैं। केन्द्रीय मंत्रालय तथा राज्य सरकारें अपेक्षित कार्यक्रम तैयार करेंगी तथा उन्हें कार्यान्वित करेंगी।

(ख) सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को निर्देश जारी करती रही है कि महिलाओं तथा बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण तथा खरीद/बिक्री की समस्या से निपटने के लिए बनाई गई कार्य योजना और उनके द्वारा कार्यान्वित अन्य कार्यक्रमों में यथा-निर्धारित नियमित छापे मारें, विशेष रूप से अधिक वेश्यावृत्ति वाले अभिनिर्धारित क्षेत्रों में छापे मारें और उन समुदायों के लिए निवारक और पुनर्वासात्मक कार्यक्रम चलाएं, जिनमें वेश्यावृत्ति को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता है। राज्यों ने बताया है कि वर्ष 2000 तक वेश्यावृत्ति की शिकार 14339 महिलाओं तथा 580 अवयस्क लड़कियों का पुनर्वास किया गया और 24 वेश्यालयों को बन्द कर दिया गया।

(ग) और (घ) इस समय केन्द्रीय/राज्य सरकारें वेश्यावृत्ति की शिकार महिलाओं तथा बच्चों को इस व्यवसाय से छुड़ाने और उनके पुनर्वास हेतु अपने अभिकरणों तथा गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से कई स्कीमें/परियोजनाएं चला रही हैं। ये स्कीमें हैं: मध्य प्रदेश में चलाई जा रही 'जाबली' नामक स्कीम, जिसका उद्देश्य पीड़ित महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण तथा विकास हेतु कार्यकलाप चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करना है; कर्नाटक सरकार द्वारा देवदासियों के पुनर्वास की स्कीम; एच.आई.वी. से संक्रमित महिलाओं के पुनर्वास हेतु आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना; महाराष्ट्र सरकार द्वारा किशोर अपराधियों के लिए विशेष गृहों की स्थापना की स्कीम, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक यौन शोषण के लिए परिणामस्वरूप एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

इसके अलावा, प्रशिक्षण, रोजगार तथा आयोत्पादन स्कीमें, जैसे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, प्रशिक्षण तथा रोजगार सहायता कार्यक्रम, प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों की स्थापना, सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, 'ट्राइसेम' तथा 'ड्वाकरा' वेश्याओं के कल्याण और पुनर्वास हेतु 'स्रोत क्षेत्रों' में चलाई जा रही हैं। वेश्यावृत्ति वाले कुछ क्षेत्रों में आई.सी.डी.एस. स्कीम भी शुरू की गई है। वेश्यावृत्ति की शिकार महिलाओं की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए अल्पावास गृहों और किशोर अपराधी न्याय अधिनियम के अंतर्गत गृहों का एक व्यापक नेटवर्क है।

(ङ) उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पत्तन आधारित रासायनिक औद्योगिक एकीकृत संपदा क्षेत्रों की स्थापना

3434. श्री किरीट सोमैया: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से पत्तन आधारित रासायनिक औद्योगिक एकीकृत सम्पदा क्षेत्रों की स्थापना की आवश्यकता की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(घ) महाराष्ट्र में ऐसे औद्योगिक क्षेत्र कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) हालांकि राज्य सरकारों के सहयोग से एकीकृत बृहत रासायनिक औद्योगिक परिसर स्थापित करने की आवश्यकता की पहचान कर ली गई है, लेकिन स्थल के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नई कोयला परियोजनाएं

3435. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान अनुमोदित नई कोयला परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) कोयला मंत्रालय 100 करोड़ रु. और अधिक लागत वाली परियोजनाओं को अनुमोदित करता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान, 100 करोड़ रु. और अधिक की लागत वाली कोई नई कोयला परियोजनाएं अनुमोदित नहीं की गई हैं। तथापि, कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. ने वर्ष 2000-01 के दौरान इनको प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत 100 करोड़ रु. से नीचे की लागत वाली निम्न परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। शुरू होने की प्रत्याशित तारीख सहित इन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कंपनी का नाम	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	पूंजी (रु. करोड़)	अनुमोदन की तारीख	शुरू होने की प्रत्याशित तारीख
1	2	3	4	5	6
एससीसीएल	कोयागुडेम ओसीपी	1.00	39.14	नवम्बर, 2000	वर्ष 2001-02 के दौरान शुरू होने की संभावना।
	मनुगुरु ओसीपी-4	1.25	68.40	फरवरी, 2001	वर्ष 2001-02 के दौरान शुरू होने की संभावना।

1	2	3	4	5	6
डब्ल्यूसीएल	काम्पटी यूजी का ओसी में परिवर्तन	0.65	88.39	मई, 2000	परियोजना के कार्यकलाप पहले से ही प्रगति में हैं।
एनसीएल	काकरी ओसी (अगस्त)	0.50 (वृद्धियात्मक)	48.78 (वृद्धियात्मक)	जनवरी, 2001	वित्तीय वर्ष 2001-02 से शुरू होने की संभावना।
एमसीएल	नटराज यूजी	0.64	92.11	जनवरी, 2001	वित्तीय वर्ष 2001-02 से शुरू होने की संभावना।
एसईसीएल	दामिनी यूजी	0.48	39.32	अप्रैल, 2000	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जैसे परियोजना कार्यक्रम पहले ही शुरू हो गए हैं।
	झिरिया यूजी	0.33	32.07	अक्तूबर, 2000	परियोजना के कार्यकलाप पहले से ही प्रगति में हैं।
	अदसा यूजी	0.21	39.87	दिसंबर, 2000	परियोजना के कार्यकलाप पहले से ही प्रगति में हैं।
	शीतल धारा और कुर्जा यूजी*	0.88	98.98	मई, 2000	परियोजना के कार्यकलाप पहले से ही प्रगति में हैं।

*शीतलधारा (0.51 मी. टन/वर्ष, 48.22 करोड़ रु.) और कुरजा (0.40 मि. टन/वर्ष, 18.93 करोड़ रु.) परियोजनाओं को शीतलधारा एवं कुरजा भूमिगत परियोजना के रूप में पुनर्गठित (संयुक्त) कर दिया गया है।

यूरिया के मूल्यों में वृद्धि

3436. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यय सुधार आयोग ने यूरिया की उत्पादन लागत को पूरा करने के लिए इसके मूल्यों में वृद्धि की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) ने ''उर्वरक सब्सिडी के यौक्तिकरण'' नामक अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ ''यूरिया के मूल्य में 1.4.2001 से प्रत्येक वर्ष वास्तविक रूप में 7% वृद्धि करने का अनुमोदन किया है। इस प्रकार खुला बाजार मूल्य 1.4.2006 तक 6903 रुपये के स्तर तक पहुंच जायेगा जिस पर उद्योग को सभी नियंत्रणों से मुक्त किया जा सकता है एवं जिससे आयातों से परिवर्ती लेवी से प्रतियोगी बनने की अपेक्षा की जा सकती है जिससे 7000 रुपये प्रति टन यूरिया पर फार्म गेट पर ऐसे आयात सुनिश्चित होंगे।''

(ख) वित्त मंत्री ने 2001-2002 के लिए केन्द्र सरकार का बजट प्रस्तुत करते हुए अपने भाषण के दौरान ईआरसी की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से संबंधित सरकार के निर्णय का उल्लेख करते हुए यह घोषणा की कि वर्तमान अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार ई आर सी की अन्य सिफारिशों की जांच कर रही है।

एम.सी.ए. संस्थान

3437. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के पास मास्टर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन और इसके समकक्ष कम्प्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम के राज्य-वार कितने संस्थान पंजीकृत हैं;

(ख) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने एम.सी.ए. स्तर के तकनीकी संस्थानों का पंजीकरण बंद कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित कम्प्यूटर अनुप्रयोग में निष्णात, कम्प्यूटर साईंस (डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर) के कार्यक्रमों को चलाने वाली तकनीकी संस्थाओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में निष्णात	कम्प्यूटर विज्ञान	
		डिग्री	डिप्लोमा
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	165	101	52
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	00	00	00
अरुणाचल प्रदेश	00	1	00
असम	3	2	2
बिहार	2	9	13
चंडीगढ़	00	1	00
दमन एवं दीव	00	00	00
दिल्ली	7	2	10
गोवा	1	2	1
गुजरात	10	18	20
हरियाणा	10	18	22
हिमाचल प्रदेश	00	2	5
जम्मू एवं कश्मीर	00	3	12
कर्नाटक	69	80	141
केरल	7	20	31
मध्य प्रदेश	27	32	14
महाराष्ट्र	19	106	88
मणिपुर	00	1	00
मेघालय	00	1	1
मिजोरम	00	1	1
नागालैंड	00	00	00

1	2	3	4
उड़ीसा	28	25	12
पांडिचेरी	4	5	2
पंजाब	3	11	22
राजस्थान	2	19	7
सिक्किम	00	1	1
तमिलनाडु	138	150	27
त्रिपुरा	00	1	00
उत्तर प्रदेश	44	62	14
पश्चिम बंगाल	10	26	10
कुल	549	700	508

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में फालतू कर्मचारी

3438. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ इस्पात संयंत्रों में फालतू कर्मचारी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) समस्या से निपटने के लिए अपनाए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ग) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में कोई अधिशेष कर्मचारी नहीं हैं। तथापि, सेल के इस्पात संयंत्रों (इसकी सहायक कंपनियों को छोड़कर) में अधिशेष कर्मचारी हैं और अगले पांच वर्षों में जनशक्ति को कम करके एक लाख तक करने के लिए सेल और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस लक्ष्य को अधिवर्षिता सहित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, अन्य पृथक्करण के जरिए प्राप्त किया जायेगा। इस समय सेल की योजना अपने इस्पात संयंत्रों में जनशक्ति को निम्नानुसार करने की है:

संयंत्र	जनशक्ति	
	31.1.2001 की स्थिति के अनुसार	31.3.2003 की स्थिति के अनुसार
भिलाई इस्पात संयंत्र	44194	36463
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	20509	14456
राउरकेला इस्पात संयंत्र	27640	17729
बोकारो इस्पात संयंत्र	42760	33234
मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर	3803	3920
सेलम इस्पात संयंत्र	1540	1450
विश्वैश्वरैय्या आयरन एंड स्टील प्लांट	4416	3558
अन्य	12096	10928
सेल कुल	156858	120738

जहां तक सेल की सहायक कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का संबंध है, यह संयंत्र अपनी क्षमता से बहुत कम उत्पादन कर रहा है और प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार 2000 कर्मचारियों को पृथक किया जा सकता है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को राष्ट्रीय नवीकरण निधि से धन की उपलब्धता की शर्त पर कंपनी के बोर्ड ने पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

वर्षाजल-संचयन

3439. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यद्यपि वर्षाजल-संचयन विधि केवल एक अनुपूरक विधि है और वह जल-संचयन के पारंपरिक स्रोतों का स्थान नहीं ले सकती—तथापि, आज इसी की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कतिपय मार्ग-निर्देश भी दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मार्ग-निर्देशों को लागू कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय ने बताया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 10.12.96 के आदेश द्वारा केन्द्र सरकार को भूजल के प्रबंधन व विकास के विनियमन और नियंत्रण के प्रयोजन हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-3(3) के तहत एक प्राधिकरण के रूप में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के गठन का निदेश दिया था। उक्त आदेशों के अनुसरण में सरकार ने दिनांक 14.1.1997 की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण का गठन किया। अधिसूचना के अनुसार प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का निर्वहन करना है:

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अंतर्गत शक्तियों का उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (2) में उल्लिखित सभी मामलों के संबंध में निदेश देने और तदनुसार उपाय करने में निर्वहन करना;

(2) उक्त अधिनियम की धारा 15 से 21 में निहित दांडिक प्रावधानों पर अमल करना;

(3) देश में भूमिगत पानी के लिए मनमानी बोरिंग और निकासी को विनियमित करना तथा भूमिगत जल के संरक्षण और सुरक्षा के लिए नियामक निदेश जारी करना;

प्राधिकरण ने अपने गठन के प्रारंभ से ही सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है और यह जनजागरण कार्यक्रमों की मार्फत भूमि जल स्रोतों के विवेकपूर्ण उपयोग और वैज्ञानिक प्रबंध की आवश्यकता के प्रसंग में विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ताओं को जानकारी दे रहा है। प्राधिकरण ने भूमिगत जल के घटते हुए स्तर की नियंत्रित रोकथाम के लिए रा.रा. क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दियु में कतिपय क्षेत्रों को अधिसूचित किया है।

[हिन्दी]

भूकम्पीय गतिविधि के संबंध में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान

3440. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रूसी वैज्ञानिकों द्वारा भूकम्पीय गतिविधि के संबंध में की गई नई खोजों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अनुसंधान के निष्कर्षों को हमारे देश में अध्ययनार्थ सुलभ कराने के लिए केन्द्र सरकार ने रूस की सरकार के साथ बात की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) महोदय, विश्व स्तर पर रूसी वैज्ञानिकों सहित कई वैज्ञानिकों द्वारा भूकंप की क्रियाविधि और उसमें सन्निहित प्रक्रियाओं को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के अध्ययन कार्य किये जा रहे हैं। इन अध्ययनों में भूकंप विज्ञान संबंधी, भूगर्भभौतिक, भू-रासायनिक, भूगर्भीय, ज्योडीय प्रेक्षण और आयनमंडलीय हलचलों का अनुवीक्षण शामिल है। तथापि वर्तमान में स्थान, समय और तीव्रता की तर्कसंगत सटीकता के साथ भूकंपों का पूर्वानुमान कर पाना संभव नहीं है।

(ग) से (ङ) दौरे पर आए रूसी वैज्ञानिकों के साथ इस विषय पर हाल ही में आरंभिक विचार-विमर्श किए गए। इस क्षेत्र में सहभागी अनुसंधान कार्यक्रम के लिए एक कार्य तंत्र की स्थापना हेतु संभावनाओं का पता लगाने से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं।

लबाना जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना

3441. **श्री सुरेश चन्देल: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लबाना जाति के दो लाख खानाबदोश लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस अनुरोध पर अब तक क्या कार्रवाई की है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 26.3.1981 के पत्र के तहत केन्द्रीय सरकार को सूचित किया कि लबाना समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, राज्य सरकार ने अपने दिनांक 24.5.1994 के पत्र के तहत अपने निर्णय को बदल दिया और सिफारिश की कि लबाना समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार से एक रिपोर्ट मांगी गई है जिसमें लबाना समुदाय की जनजातीय विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त सूचना का ब्यौरा दिया गया हो।

[अनुवाद]

विदेशियों का अनुमत समय से अधिक समय तक देश में रहना

3442. **श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या गृह मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी पर्यटक वीजा में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक देश में रहते हैं और कभी-कभी भारत में बसने का भी प्रयास करते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अवैध रूप से अधिक समय तक रुकने के लिए पकड़े गए और निरुद्ध किए गए विभिन्न देशों के व्यक्तियों का राष्ट्रीयता-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में छुप कर रहने वाले या वैध वीजा परमिट के बिना रह रहे व्यक्तियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) चूंकि, विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन, निर्धारित वीसा अवधि की समाप्ति के बाद देश में रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने, पता लगाने और उन्हें वापस भेजने की शक्तियां राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित की गई है अतः इस प्रकार के आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सरकार वीसा की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी देश में रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों से संबंधित समस्या से अवगत हैं। राज्य सरकारें, वीसा अवधि की समाप्ति के बाद विदेशियों के निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरे रहने के मामलों का नियमित रूप से प्रबोधन करती है। निर्धारित समय से अधिक समय तक देश में रहने वाले विदेशियों का पता लगाना और उन्हें वापस भेजना एक सतत प्रक्रिया है।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

3443. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या गृह मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र ने हैदराबाद रियायत के विलय के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिए जाने संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

लौह अयस्क का उत्पादन

3444. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या इस्पात मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का लौह अयस्क का उत्पादन और अधिक बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला भंडारों का पता लगाना

3445. श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में अनुमानतः कितना कोयला भंडार है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक पता लगाये गये कोयला भंडारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला खनन परियोजनाओं के संबंध में कोई व्यावहारिक अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) द्वारा यथा अनुमानित देश में 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार 1200 मी. की गहराई तक कोयले का कुल भण्डार 213.90 बिलियन टन है:

श्रेणीवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

प्रमाणित	84.41 बिलियन टन (39.4%)
निर्दिष्ट	90.24 बिलियन टन (42.2%)
अनुमानित	39.25 बिलियन टन (18.4%)
कुल	213.90 बिलियन टन

(ख) केन्द्रीय खान आयोजना एवं विकास संस्थान लि. (सीएमपीडीआईएल) सी.आई.एल. कमान क्षेत्र में संभावित ब्लाकों में (पिछले तीन वर्षों में अर्थात् 1997-98 से 1999-2000 तक क्षेत्रीय/संवर्धनात्मक अन्वेषण के माध्यम से यथा शिनाख्त) विस्तृत अन्वेषण कार्य करता है। असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में लगभग 20 कोलफील्डों में कई कोयला ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण किया गया है। सी.आई.एल. कमान क्षेत्र में विगत तीन वर्षों के दौरान कुल 7.69 लाख मीटर की विस्तृत ड्रिलिंग की गई है जिसके फलस्वरूप 85 भू-वैज्ञानिक रिपोर्टें तैयार की गई हैं। 11.87 बिलियन टन कुल कोयला भण्डार की पुष्टि की गई है जिसमें से 10.28 बिलियन टन ''प्रमाणित'' श्रेणी में तथा 1.59 बिलियन टन कोकिंग कोयला है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) किसी कोयला खनन परियोजना पर कार्य आरंभ करने से पहले निम्न सहित बहुत सारा अध्ययन किया जाता है:

- ड्रिलिंग (भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए)
- मुख्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, और
- अग्रिम कार्य प्रस्ताव तैयार करना
- कभी-कभी आरसीई/आरपीआर तैयार करना
- ऐसे अध्ययन लगातार किये जा रहे हैं।

कोयले की प्रक्षेपित मांग को प्राप्त करने तथा मौजूदा खानों की कमी की भरपाई करने के लिए नई परियोजनाएं आरम्भ करने की आवश्यकता होती है। सीएमपीडीआईएल को ऐसे अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है और तदनुसार कोयले की क्षेत्रवार मांग पर निर्भर करते हुए अगली पंचवर्षीय योजना (दसवीं योजना) में नई खानें आरम्भ करने की परिकल्पना की गई हैं।

आगामी वर्षों में 85 नई खानों को क्रियान्वयन हेतु लिये जाने की संभावना है और यह आशा है कि इन खानों से दसवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 85 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होगा।

[हिन्दी]

बंद पड़ी खानों को राज्यों को सौंपा जाना

3446. श्री जयभान सिंह पवैया: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सी आई एल और उसकी अनुषंगी कंपनियों की बंद पड़ी खानों को राज्य सरकारों को सौंपे जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्णय को कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) बिहार सरकार के अनुरोध पर विचार करने पर, सितम्बर, 1996 में केन्द्र सरकार ने बिहार में स्थित जगलदागा, जैन्ती सैन्ट्रल, जैन्ती खास, जैन्ती जैन, विल्लार्डस, विल्लार्डस प्राईवेट लि.-1 तथा विल्लार्डस प्राईवेट लि.-2 की बंद खानों को बिहार

सरकार का उपक्रम बिहार राज्य खनिज विकास निगम (बीएसएमडीसी), के माध्यम से चलाने के लिए, बिहार सरकार को सौंपने का निर्णय लिया। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) तथा इसकी सहायक कंपनियों की बंद खदानों को राज्य सरकारों को सौंपने के लिए सामान्य तौर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन, खान तथा खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के अंतर्गत बीएसएमडीसी को जगालदगा, जैन्ती सेंट्रल, जैन्ती खास तथा विल्लार्डस के संबंध में, कोयला खनन पट्टा के संबंध में केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति राज्य सरकार को संसूचित की जा चुकी है। अन्य तीन खानों के संबंध में बिहार सरकार को, केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सक्षम व्यक्ति से खनन प्लान तैयार करवाने की सांविधिक आवश्यकता का अनुपालन किया जाता है।

कोयले की आपूर्ति

3447. **श्री रामदास आठवले:**
श्री मोहन रावले:
श्री रामजी मांझी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र और बिहार राज्यों को उनकी मांग के अनुरूप कोयले की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्यों को उनकी मांग के अनुरूप कोयले की आपूर्ति करने हेतु अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को वर्ष-वार कितने कोयले की आपूर्ति की गई और वास्तविक मांग कितनी थी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) कोयले की मांग का आकलन राज्यवार नहीं किया जाता। योजना आयोग द्वारा इसका आकलन क्षेत्र-वार तथा समूचे रूप से, देश के लिए किया जाता है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों में कोल इंडिया लि. द्वारा बिहार तथा महाराष्ट्र को की गई कोयले की वास्तविक आपूर्ति निम्न प्रकार है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
महाराष्ट्र	32.605	31.992	33.084
बिहार	21.433	22.494	22.206

[अनुवाद]

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

3448. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नागपुर में कुछ ऐसे दस्तावेज जब्त किए हैं जिनसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋणों के वितरण में किसी बड़े घोटाले के संकेत मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में वेतनमान संशोधन योजना

3449. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अपने कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वेतनमान संशोधन योजना को कब तक लागू किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या वेतनमान संशोधन योजना के लाभ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को भी दिए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना पर कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ग) कार्यपालकों का वेतन संशोधन संबंधी समझौता हो

गया है और इसे सेल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। गैर-कार्यपालकों के वेतन संशोधन के लिए श्रमिकों के प्रतिनिधियों से बातचीत चल रही है। चूंकि सेल सरकारी क्षेत्र का घाटे में चल रहा उपक्रम है, अतः वेतन संशोधन के लिए लोक उद्यम विभाग से भी अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। अतः इसके कार्यान्वयन की निश्चित समय-सीमा बता पाना मुश्किल है।

(घ) से (च) वेतन समझौते के अनुसार वे कर्मचारी वेतन/मजदूरी संशोधन के लाभ, यदि लागू हो, प्राप्त करने के हकदार होंगे जिनका स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है। सेल की 2001 की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना 16 अप्रैल, 2001 तक खुली है और इस योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की संख्या ज्ञात नहीं है। अतः इस समय इस योजना के अंतर्गत खर्च की जाने वाली संभावित धनराशि बता पाना मुश्किल है।

[अनुवाद]

एंटार्कटिक अनुसंधान केन्द्र की उपलब्धियां

3450. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक एंटार्कटिक अनुसंधान केन्द्र की क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसके प्रत्येक अभियान और इस केन्द्र की अनुसंधान परियोजनाओं पर कितना खर्च हुआ है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) अंटार्कटिक अनुसंधान केन्द्र, जिसका राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्र अनुसंधान केन्द्र के रूप में पुनःनामकरण किया गया, की पिछले तीन वर्षों एवं आज तक की उपलब्धियां;

1998

- प्रथम चरण का सिविल निर्माण कार्य पूरा हुआ एवं केन्द्र वास्को, गोवा में अपने परिसर में कार्यरत हुआ।
- गोवा से 18वें भारतीय अंटार्कटिक अभियान का समन्वय एवं उसे भेजना।
- समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान सागर कन्या का प्रबंधन एवं समुद्री यात्रा योजना।

1999

- केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका से पहली बार 19वें भारतीय अंटार्कटिक अभियान का समन्वय एवं उसे भेजना।
- भारत में पहली बार राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम प्रबंधकों की 11वीं अन्तरराष्ट्रीय परिषद एवं अंटार्कटिक संभारतंत्र एवं प्रचालन की स्थायी समिति की बैठकों का आयोजन।
- ध्रुवीय सुदूर संवेदन के क्षेत्र में इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप प्रारम्भ करना।

2000

- शीत प्रयोगशाला परिसर का निर्माण।
- कुछ सहयोग स्टाफ की भर्ती।
- दक्षिण अफ्रीका से 20वें भारतीय अंटार्कटिक अभियान का समन्वयन और उसे भेजना तथा समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान सागर संपदा का प्रबंधन।
- ध्रुवीय सुदूर संवेदन, वैश्विक परिवर्तन तथा विधि महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमाओं के सीमांकन संबंधी कार्यकलापों की शुरुआत।

(ख) अवधि के दौरान प्रत्येक अभियान तथा इसके द्वारा शुरू की गयी कुछ अनुसंधान प्रयोगशालाओं पर हुआ व्यय:

18वीं अभियान (1998-99)

किया गया व्यय: 17.65 करोड़ रुपये

शुरू की गयी कुछ अनुसंधान परियोजनाएं हैं:

- अत्यंत कम बारम्बारता प्रसारण, भू-गणितीय, भूकम्पीय, भू-चुम्बकीय, मौसमी एवं ओजोन मापन की निरन्तरता।
- हिम बर्फ का सूक्ष्मसंरचनात्मक व ऊर्जा फ्लक्स अध्ययन।
- अंटार्कटिक समुद्र का जल राशिक सर्वेक्षण।
- द्विपरमाणु, अवायुजीवाणु तथा गोलकृमि की जैव-विविधता।
- झीलों का सुपोषण विश्लेषण।
- तनाव प्रतिक्रिया एवं सामाजिक व्यवहार तथा ध्रुवीय पहनावे का तापनियामक प्रभाव।

19वां अभियान (1999-2000)
किया गया व्यय: 16.55 करोड़ रुपये

शुरू की गयी कुछ अनुसंधान परियोजनाएं हैं:

- वायुमण्डलीय वैद्युत धारा प्रणाली पर अध्ययन की शुरुआत।
- नियमित मौसमीय एवं ओजोन मापन, दूरभूकम्पीय एवं ग्रहीय भूगणितीय प्रेक्षण।
- हॉफमान पर्वत श्रृंखलाओं में भू-वैज्ञानिक मानचित्रण तथा भू-आकृतिवैज्ञानिक मानचित्र का निर्माण।
- हिमनदीय गतिशीलता तथा शेल्फ का दरार विस्तार।
- अरीढ़धारी जीवों एवं ब्रायोफाइटों का जैव पारिस्थितिकी अध्ययन।
- मानव में मनो-शारीरिक जांच सहित पराबैंगनी विकिरण एवं शीत तनाव।

20वां अभियान (2000-2001)
किया गया व्यय: 16.50 करोड़ रुपये

शुरू की गयी कुछ अनुसंधान परियोजनाएं हैं:

* भूवैज्ञानिक, स्थलाकृतिक एवं जलराशिक सर्वेक्षण की निरन्तरता।
* ग्रहीय भूगणितीय तथा दूरभूकम्पीय अध्ययन।
* बर्फ की मोटाई मापने के लिए भू-जांच राडार सर्वेक्षण।
* एल्बिडो एवं एरोसोल विकिरण बल पर अध्ययन के माध्यम से वैश्विक परिवर्तन अनुसंधान।
* परागाणु स्तरिक अध्ययन के लिए झील का तलछट क्रोडन।

विदेशों द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाना

3451. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न देशों द्वारा भारतीय छात्रों को दी जा रही शैक्षिक/अध्ययन छात्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने छात्र इन छात्रवृत्तियों से लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) ग्रामीण/दूरदराज क्षेत्रों के छात्रों तक यह सूचना पहुंच सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए और इन अवसरों का व्यापक प्रचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) मंत्रालय मुख्यतया इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, विज्ञान (शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त), कृषि, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों, भाषाओं, कुछ चिकित्सा क्षेत्रों में एक-वर्षीय निदानालयीय प्रशिक्षण/अनुसंधान, आदि विषयों के लिए स्नातकोत्तर तथा उससे ऊपर के स्तरों के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों और राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति योजना के अंतर्गत कुछ विदेशी सरकारों से प्राप्त सीमित संख्या में छात्रवृत्ति प्रस्तावों पर कार्यवाही करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ उठाने वाले छात्रों की संख्या का ब्यौरा दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के संबंध में विदेशों से प्राप्त प्रस्तावों का विज्ञापन विभिन्न समाचार-पत्रों में दिया जाता है और इन प्रस्तावों के व्यापक प्रचार हेतु उन्हें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा शैक्षिक संस्थाओं को भी परिचालित किया जाता है। इन प्रस्तावों को मंत्रालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. एजुकेशन.एनआईसी.आईएन. पर भी प्रकाशित किया जाता है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कोई आबंटन नहीं किया जाता है क्योंकि उम्मीदवारों का चयन नितान्त रूप से अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर किया जाता है। तथापि, राज्य-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है:

पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ उठाने वाले छात्रों की संख्या (राज्य-वार)

राज्य (राज्यों) का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	4	4	2
असम	2	2	3
बिहार	2	1	2
दिल्ली	16	12	15

1	2	3	4
गोवा	1	1	–
गुजरात	1	2	1
हरियाणा	5	4	4
हिमाचल प्रदेश	2	–	2
कर्नाटक	4	1	2
केरल	6	3	7
मध्य प्रदेश	4	3	–
महाराष्ट्र	4	5	5
मेघालय	–	1	–
उड़ीसा	6	5	2
पंजाब	4	2	1
राजस्थान	1	2	2
तमिलनाडु	7	5	6
उत्तर प्रदेश	15	10	16
पश्चिम बंगाल	8	10	16
कुल	92	73	86

[हिन्दी]

घुसपैठियों/तस्करों की गिरफ्तारी

3452. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में, अभी तक सैक्टर-वार कितने घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सैक्टर-वार सेना और सुरक्षा बलों ने तस्करी में लिप्त कितने लोगों को गिरफ्तार किया;

(ग) क्या सरकार को भारत-नेपाल सीमा पर हो रही लकड़ी की तस्करी की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पेट्रोल पंप मालिकों द्वारा अतिक्रमण

3453. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 1 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1341 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता वाली सर्वेक्षण समिति ने दिल्ली में पेट्रोल पंप मालिकों द्वारा अतिक्रमण किए जाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या कुछ पेट्रोल पंप मालिकों ने पंप परिसरों में डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रखे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसा करने की अनुमति है; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसे पेट्रोल पंप मालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (च) सर्वेक्षण समिति को दिल्ली में पेट्रोल पंप मालिकों द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करना है, क्योंकि सर्वेक्षण अब तक पूरे नहीं हुए हैं।

रिहायशी स्कूलों का खोला जाना

3454. श्री अनन्त नायक: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना के दौरान राज्यवार जनजातीय आबादी वाले प्रत्येक राज्य में कितने रिहायशी स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन राज्यों में अब तक राज्यवार वास्तव में कितने रिहायशी स्कूल खोले गए हैं;

(ग) नौवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और छात्रों द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) जनजातीय छात्रों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सरकार ने नौवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा के अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए 100 आदर्श आवासीय स्कूलों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। ये विद्यालय पंजीकृत सोसायटी द्वारा चलाए जाएंगे। इन विद्यालयों की स्थापना करने की प्रगति विभिन्न चरणों पर है। एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और जनजातीय छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने और स्कूल बीच में छोड़कर जाने के स्तर में कमी लाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान में से आदर्श आवासीय स्कूल की अवधारणा 1997-98 में आरंभ की गई। इन स्कूलों के प्रबंधन में सरकार के हस्तक्षेप को कम करने और इनके कार्यकरण में अधिकतम स्वायत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से इन स्कूलों के प्रबंध के लिए आंध्र प्रदेश जनजातीय कल्याण आवासीय एवं आश्रम शिक्षा संस्था सोसायटी (पंजीकृत) के पैटर्न पर सोसायटी को पंजीकृत करने का अनुरोध किया गया है। इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रति स्कूल 2.50 करोड़ रुपये की दर से 250 करोड़ रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया गया था जिसकी तुलना में सरकार ने अब तक 75 मॉडल आवासीय स्कूलों की स्थापना करने के लिए 82 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	नौवीं योजना के दौरान आबंटित आवासीय स्कूलों की संख्या	1997-98 के दौरान निर्मुक्त निधि	1998-99 के दौरान निर्मुक्त निधि	1999-2000 के दौरान निर्मुक्त निधि	क्या सोसायटी बनाई गई है
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	6	3.00	3.00	–	हां
2.	असम	4	2.00	–	–	नहीं
3.	बिहार	7	4.00	–	–	नहीं
4.	गुजरात	6	4.00	–	–	हां
5.	हिमाचल प्रदेश	2	1.00	–	–	हां
6.	जम्मू एंड कश्मीर	3	1.00	–	–	नहीं
7.	कर्नाटक	3	2.00	–	–	हां
8.	केरल	2	1.00	1.00	–	हां
9.	मध्य प्रदेश	17	7.00	10.00	–	हां
10.	महाराष्ट्र	9	4.00	–	–	नहीं
11.	मणिपुर	3	1.00	–	4.00	हां
12.	उड़ीसा	8	4.00	–	–	हां
13.	राजस्थान	7	4.00	3.00	5.00	हां

1	2	3	4	5	6	7
14.	सिक्किम	1	1.00	–	–	हां
15.	तमिलनाडु	2	1.00	–	–	हां
16.	त्रिपुरा	3	2.00	1.00	–	हां
17.	उत्तर प्रदेश	2	1.00	–	–	नहीं
18.	पश्चिम बंगाल	5	2.00	3.00	–	हां
19.	अरुणाचल प्रदेश	2	1.00	–	–	हां
20.	मेघालय	3	2.00	–	–	नहीं
21.	मिजोरम	2	1.00	–	–	हां
22.	नागालैंड	3	1.00	2.00	–	हां
	कुल	100	50.00	23.00	9.00	

टिप्पणी: अब तक राज्यों को 75 स्कूलों की स्थापना के लिए 82.00 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं।

अब तक 16 राज्यों ने सोसायटियां पंजीकृत कर ली हैं और अन्य सोसायटियों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया में हैं। विभिन्न राज्यों में आवासीय स्कूल (छठी से बारहवीं कक्षा तक के लिए) स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों ने अस्थायी सरकारी/किराए वाले भवनों में स्कूल आरंभ किए हैं।

सेलम इस्पात संयंत्र

3455. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:**
प्रो. ए.के. प्रेमाजम:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेलम इस्पात संयंत्र की स्थापित उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संयंत्र की कितनी क्षमता का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या क्षेत्र में उपलब्ध लौह अयस्क के उपयोग हेतु सेलम में एक पूर्ण विकसित इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कोई ऐसा संयुक्त उद्यम भागीदार ढूंढ लिया है जो सेलम इस्पात संयंत्र को लाभप्रद बनाने के लिए इसमें अपेक्षित निवेश कर सके;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेलम इस्पात संयंत्र (एस एस पी) में विक्रेय इस्पात की संस्थापित क्षमता और उसकी उपयोगिता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	क्षमता (हजार टन)	क्षमता उपयोगिता (%)
1997-98	175	101
1998-99	175	68
1999-2000	175	85

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) संयुक्त उद्यम भागीदार का चयन करने के लिए कुछ पार्टियों को छांटा गया है, तथापि, इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

तटवर्ती महासागर विकास संबंधी बैठकें

3456. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 23वीं अन्टार्कटिका परामर्शदात्री संधि संबंधी बैठक तथा पर्यावरण संरक्षण समिति की दूसरी बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बैठकों की सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) तटवर्ती महासागर विकास पर अन्टार्कटिका परामर्शदात्री संबंधी बैठक से मिले लाभों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) तेइसवीं अंटार्कटिक सन्धि परामर्शी बैठक तथा पर्यावरणीय सुरक्षा समिति की दूसरी बैठक 31 मई से 4 जून 1999 तक लीमा, पेरू में आयोजित की गयी। पेरू की बैठक में अंटार्कटिक के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के दिशानिर्देशों से संबंधित छह संकल्प पारित किए गए; अंटार्कटिक अनुसंधान पर वैज्ञानिक समिति द्वारा विशेष रूप से संरक्षित प्रजातियों की सूची की समीक्षा; अवैध, सूचित किए बिना तथा अनियमित मत्स्यन समस्याओं पर अंटार्कटिक समुद्री सजीव संसाधन संरक्षण आयोग को पक्षकारों का सहयोग; पर्यावरणीय सुरक्षा नयाचार, अंटार्कटिक की पर्यावरणीय हानि के दायित्व के संबंध में रोकथाम उपायों के प्रचालनात्मक वैज्ञानिक पहलू एवं जवाबी कार्रवाई, गैर-परामर्शी दलों द्वारा पर्यावरणीय सुरक्षा समर्थन तथा अंटार्कटिक नौवहन और संबंधित कार्यकलापों हेतु दिशानिर्देश।

(घ) अंटार्कटिक संधि में सदस्य देशों के तटीय सागर नहीं बल्कि अंटार्कटिक सागर शामिल हैं।

[अनुवाद]

योग को प्रोत्साहन

3457. श्री ए. नरेन्द्र: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश के योग संस्थानों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार को राज्य के योग संस्थानों में अनियमितताओं और कुप्रशासन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संस्थानों द्वारा धनराशियों के उचित उपयोग पर निगरानी रखने वाले तंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/की जानी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग) केवल भारत के स्कूलों में योग को शुरू करने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित करता है। इस योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों या इससे अधिक अवधि से विद्यमान लाभ नहीं प्राप्त करने वाली सुविख्यात योग संस्थाओं, पंजीकृत सोसायटियों और न्यासों को योग में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक आधारभूत ढाँचा बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने पर सामान्यत: विचार किया जाता है। आंध्र प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने पर विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के किसी भी संस्थान को इस योजना के अंतर्गत कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत जिन योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है उनके ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

एजेंसियों का नाम और पता	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
योजनागत			
आंध्र प्रदेश	-	-	-
त्रिपुरा			
शिक्षा विभाग, त्रिपुरा सरकार, अगरतला	-	1,01,200	-

1	2	3	4
बिहार			
भारतीय योग संस्थान, पटना, बिहार	–	1,55,000	1,55,000
पटना योग विद्यालय पटना, बिहार	–	1,07,500	–
स्वामी सहजानंद सामाजिक विकास एवं शोध संस्थान, पटना, बिहार	–	47,500	–
महाराष्ट्र			
योग संस्थान, शांताक्रूज, मुंबई	–	1,10,500	1,42,500
कैवल्यधाम एस एम वाई एम समिति, लोनावला, पुणे	2,00,000	2,00,000	2,03,500
श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती	–	–	2,50,000
उत्तर प्रदेश			
योग शिक्षा संस्थान, औराई, उत्तर प्रदेश	–	–	2,49,000
दिल्ली			
कैवल्यधाम एस एम वाई एम समिति, दिल्ली शाखा	3,00,000	–	–
मणिपुर			
योग फिजिक एंड स्टडी, इम्फाल, मणिपुर	–	1,51,000	–
योजनेतर			
कैवल्यधाम एस एम वाई एम समिति, लोनावला, पुणे	30,00,000	30,00,000	38,00,000

[हिन्दी]

कोयला परियोजनाओं की लागत वृद्धि

3458. **डा. बलिराम:**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.एल.सी. के विस्तारवाली परियोजना सहित बड़ी संख्या में कोयला परियोजनाओं को लागत राशि में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इसमें कितनी राशि अंतर-ग्रस्त है;

(ग) क्या सरकार ने बिना लागत वृद्धि के ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया है या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) 20 करोड़ रु. या इससे अधिक लागत वाली कोल इंडिया लि. की तीन तथा नेयवेली लिग्नाईट कारपोरेशन की 2 परियोजनाएं लागत बढ़ जाने की समस्या का सामना कर रही है। उनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	लागत बढ़ जाना	लागत बढ़ जाने के कारण
1.	कोटाडीह यूजी+ओसी (ईसीएल)	267.52	378.51	110.99	कोटाडीह भूमिगत खान में लागत में निर्धारित सीमा से वृद्धि मुख्यतः भारतीय रु. का फ्रैंच फ्रैंक के विनिमय दर में अंतर के कारण हुई
2.	पारेज पूर्व ओसी (सीसीएल)	116.19	162.88	46.69	समय अधिक लगने के कारण लागत में वृद्धि हुई जो विश्व बैंक के ऋण को अंतिम रूप दिये जाने में हुए विलम्ब तथा परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के साथ-साथ, विश्व बैंक के सुझाव को देखते हुए एचईएमएम विन्यास में बदलाव के परिणामतः हुआ
3.	दुधिचुआ विस्तार ओसी (एनसीएल)	868.93	1281.39	412.46	विश्व बैंक के ऋण को अंतिम रूप दिये जाने में देरी के परिणामतः समय अधिक लगने के कारण लागत में वृद्धि हुई
4.	खान-1 विस्तार (एन.एल.सी.)	1336.93	1652.22	315.29	सामान्य तथा विनिमय दरों में विभिन्नता के कारण लागत में वृद्धि हुई।
5.	खान-1 विस्तार (एन.एल.सी.)	1032.81	1107.93	75.12	समय बढ़ जाने के कारण निर्माण के दौरान ब्याज में हुई वृद्धि के होने के कारण लागत में वृद्धि हुई।

(ग) और (घ) (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित पांच परियोजनाओं में पहले ही लागत में वृद्धि हो चुकी है। लागत तथा समय में आगे और वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं:

(1) कोटाडीह यूजी+ओसी परियोजना का मोचन-निषेध करने का निर्णय लिया गया है। मोचन निषेध रिपोर्ट सरकार के अनुमोदनाधीन है।

(2) पारेज पूर्व ओसीपी के संदर्भ में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन को शामिल करते हुए संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है तथा यह सरकार के अनुमोदनाधीन है।

(3) दुधिचुआ ओसीपी के संदर्भ में 1281.39 करोड़ रु. की अनुमानित पूंजी की संशोधित परियोजना रिपोर्ट सरकार के अनुमोदन की प्रक्रियाधीन है। सभी संभावित कदम, जैसे एनआईटी को तैयार करने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने, शेष उपकरणों के लिए मांग पत्र देना, निविदा आदि उठाये गये हैं ताकि आरसीई को मंजूरी मिलते ही तत्काल कार्यवाही आरम्भ की जा सके।

(4) उपर्युक्त के अलावा, 100 करोड़ रु. या उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की त्रैमासिक आधार पर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक अन्तर्मंत्रालयीय समिति समीक्षा करती है। इसमें योजना आयोग, व्यय

विभाग, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सदस्य हैं।

(5) कोयला कंपनियों से कोयला परियोजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से तथा कड़ाई से मॉनीटर करने के निदेश दिए गए हैं। कोयला कंपनियों में परियोजनाओं की मानीटरिंग के लिए थ्री-टीयर संरचना, अर्थात् कोलियरी स्तर पर, एरिया स्तर पर तथा मुख्यालय स्तर पर, है।

(6) उपर्युक्त समीक्षाओं के परिणामों के आधार पर सरकार (कोयला मंत्रालय) द्वारा कोयला कंपनियों को कमियों को काबू करने के लिए समय पर उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए समुचित निर्देश भेजे जाते हैं।

(7) भौतिक तथा वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म मॉनीटरिंग की जा रही है।

[अनुवाद]

इस्पात के मूल्यों में गिरावट

3459. श्री टी.एम. सेल्वागनपति:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे विश्व में इस्पात के मूल्यों में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस्पात मूल्यों में किस सीमा तक गिरावट आई है;

(ग) इस गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस स्थिति से निपटने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि "सेल" अपनी वर्तमान लाभकारी स्थिति को बनाए रख सके?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ग) पिछले दो वर्षों में कभी-कभी हुई मूल्य वृद्धि को छोड़कर इस्पात के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट का रुख रहा है। कतिपय उत्पादों के मूल्यों में 30-40% तक गिरावट रही है। मूल्यों में इस गिरावट के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व एशिया में अशांति, तत्कालीन रूस का विघटन, वैश्विक अधिशेष क्षमता, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी और कतिपय देशों द्वारा इस्पात का पाटन आदि शामिल हैं।

(घ) से (ङ) इस्पात उद्योग इस स्थिति पर काबू पा सके इसके लिए सरकार ने अनेक उपाय किये हैं जो निम्नानुसार हैं:

- रूस और यूक्रेन से तप्त बेल्लित क्वायलों आदि के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाना;

- उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाना, पाटनरोधी तंत्र को सुदृढ़ बनाना, ई सी बी प्रक्रिया के जरिए परियोजनाओं के लिए अधिक धन की व्यवस्था करना और अवसंरचना/खपत संबंधी परियोजनाओं का शीघ्रता से कार्यान्वयन।

- लोहे और इस्पात के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी एनटाइटलमेंट पास बुक (डी.ई.पी.बी.) के अंतर्गत शुल्क साख दरों को युक्तिसंगत बनाना।

(च) सेल की लाभप्रदता में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सेल की वित्तीय और कारोबार पुनर्संरचना, स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना का कार्यान्वयन, प्रमुख प्रौद्योगिक आर्थिक प्राचलों में सुधार के जरिए गहन लागत नियंत्रण अभियान, बाजारोन्मुखी उत्पाद मिश्र, बिक्री तंत्र को बढ़ाना, ऋण स्तर में कमी और ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान केन्द्रित करना आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष

3460. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष (एन.एफ.आर.डी.) के पुनर्सृजन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष के पुनः सृजन का मामला सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कमी

3461. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस समय विश्वविद्यालय में 309 शिक्षण और 288 शिक्षणेतर पद रिक्त हैं।

(ग) विश्वविद्यालय ने उन रिक्त पदों को छोड़कर जिन्हें भरने पर रोक लगी हुई है शेष पदों को भरने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग

3462. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृत्रिम (अकार्बनिक) उर्वरकों के अतिशय उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में आई कमी के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो मिट्टी की उर्वरता में कहां तक कमी आई है;

(ग) गत वर्ष के दौरान देश में उर्वरक संयंत्रों हेतु ''फीडस्टॉक''; के आयात पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) मिट्टी की उर्वरता पुन: प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) विगत कुछ वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) द्वारा किए गए ''दीर्घावधि उर्वरक प्रयोगों'' ने यह प्रदर्शित किया है कि केवल नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के लगातार उपयोग से उत्पादन में तीव्र कमी आई है। एवं मृदा की दीर्घावधि उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। प्रमुख एवं सूक्ष्म पोषकों के कमी के लक्षण काफी स्पष्ट हैं। उच्च एन पी के (150% के अनुमोदित खुराक) के उर्वरक व्यवस्था में भी सूक्ष्म एवं गौण पोषकों की कमियां कुछ वर्षों के बाद उत्पादन कम करने वाले तत्व बन गए हैं। इसके विपरीत एन पी के एवं फार्म यार्ड खाद के इष्टतम खुराक के संतुलित एवं समन्वित प्रयोग ने अधिक अनवरत् उत्पादन प्रदान किया है।

(ग) वर्तमान में प्राकृतिक गैस, नेफ्था एवं ईंधन तेल उर्वरक निर्माण में फीडस्टॉक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेफ्था के आयात-निर्यात नीति में प्रतिबंधित सूची में होने के नाते विगत वर्ष के दौरान किसी उर्वरक कंपनी द्वारा इसका आयात नहीं किया गया है। ईंधन तेल, जो आयात की मुक्त सूची में है, का यदा-कदा आयात कई उर्वरक कंपनियों द्वारा किया गया है। चूंकि इसका आयात लाइसेंस मुक्त है, आयात की सही मात्रा एवं मूल्य संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। उर्वरक कंपनियां पेट्रोलियम उत्पादों के लिए तेल कंपनियों पर निर्भर है क्योंकि उनके पास इसके लिए समुचित संचलन एवं भण्डारण सुविधा नहीं है। अत: पेट्रोलियम उत्पादों का आयात अत्यन्त सीमित रहा है।

(घ) पंजाब जैसे उच्च उर्वरक खपत करने वाले राज्य जहां लगभग 195 कि.ग्रा./हैक्टेयर की उर्वरक खपत है। खपत का उच्च स्तर फसल उत्पादन के उच्च स्तरों से भी जुड़ा है। तथापि, मृदा संरचना तथा मृदाओं की अन्य स्थिति में कार्बनिक खाद के लाभ लेने के लिए तथा निरन्तर फसल उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारें कृषकों के बीच में समेकित पोषक प्रबंधन तंत्र की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है, जिसमें रसायनिक उर्वरकों के साथ संयोजन में कंपोस्ट फार्म यार्ड खाद तथा जैव उर्वरकों आदि जैसे पौध-पोषकों के कार्बेनिक स्रोतों के प्रयोग की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

भूमि का आबंटन

3463. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** 18 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3162 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) लोक सभा में दिनांक 18.12.1995 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3162 के उत्तर में एक आश्वासन दिया गया था। आश्वासन की पूर्ति संलग्न विवरण-I से III में दिए गए अनुसार 22.7.1996 को कर दी गई थी।

विवरण I

सं. पी. 110011/37/95-एल.आर.डी.
भारत सरकार
ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

ब्लॉक 11, छठा तल,
सी.जी.ओ. काम्पलैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली
दिनांक 22 जुलाई, 1996

ज्ञापन

विषय: भूमि के आबंटन के संबंध में श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री द्वारा लोक सभा में दिनांक 18.12.1995 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3162 के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति

उपर्युक्त विषय के संबंध में संसदीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 5.1.1996 के कार्यालय ज्ञापन सं. एक्स.वी./आर.ए.एण्ड.ई. (8) यू.एस.क्यू.-3162-एल.एस./95 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को अतद्द्वारा उक्त आश्वासन की पूर्ति की कार्यान्वयन रिपोर्ट की अंग्रेजी और हिन्दी में 15-15 प्रतियां भेजने का निदेश हुआ है।

इसे राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोक्त

ह./-
(सुकुमार दास)
निदेशक (भूमि सुधार)

संसदीय कार्य मंत्रालय
(कार्यान्वयन-1 खण्ड)
86, संसद सौध, नई दिल्ली

कार्यान्वयन रिपोर्ट की प्रति सहित इसकी एक प्रति संसदीय सहायक, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को भी अग्रेषित।

ह./-
(सुकुमार दास)
निदेशक (भूमि सुधार)

विवरण II

दसवीं लोक सभा का 15वां सत्र, 1995

आश्वासन पूर्ति की तारीख 22.7.96

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय — ग्रामीण विकास विभाग

प्रश्न संख्या, तारीख और संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कैसे पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री द्वारा 18.12.95 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 3162	**भूमि का आबंटन** जिसमें यह पूछा गया था कि: (क) क्या दिल्ली सरकार ने अगस्त, 1994 में दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में 1980-90 के दौरान भूमिहीन लोगों को 28,397 भूखंड आबंटित करने, पात्र आबंटितियों का कोई रिकार्ड न होने और आबंटित भूमि की बार-बार बिक्री के मामलों की जांच के लिए समिति बनाने की घोषणा की थी;	(क) से (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जानकारी एकत्र की जा रही है।	(क) से (च) एक विवरण संलग्न है।	जानकारी समय से प्राप्त नहीं हुई थी।

1	2	3	4	5
	(ख) यदि हां, तो क्या किसी समिति का गठन किया गया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; (ग) क्या समिति ने कोई रिपोर्ट दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और समिति से शीघ्र रिपोर्ट दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; (ङ) क्या उन भूमिधरों ने दिल्ली में उस कृषि भूमि का विक्रय/हस्तांतरण कर दिया है जिनको खेती करने के लिए दिल्ली में कृषि भूमि दी गई थी; और (च) यदि हां, तो कमजोर वर्गों के लोगों द्वारा भूमि का इसी प्रकार विक्रय/हस्तांतरण न कर सकने के क्या कारण हैं?			

विवरण III

(क) जी, हां।

(ख) 16.12.1994 को श्री आर.एम. वत्स, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक-सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। चूंकि जांच अधिकारी ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था।

(ङ) बिक्री/हस्तांतरण से संबंधित कोई भी मामला प्राधिकारियों की जानकारी में नहीं आया है फिर भी, ऐसी भूमि का बेनामी लेन-देन किया गया हो, ऐसा हो भी सकता है।

(च) चूंकि समाज के कमजोर तबके को, जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, मकान के लिए भूमि बहुत ही कम पट्टे की राशि पर मात्र नौ वर्षों के लिए आबंटित की गयी है और उनसे भूमि की लागत भी वसूल नहीं की गई है। ऐसे में इन प्लाटों की बिक्री या हस्तांतरण की अनुमति देकर सरकार उन्हें पुनः बेघर नहीं करना चाहती। अतः उन्हें बिक्री/हस्तांतरण की अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

[अनुवाद]

आर.सी.एफ.एल. में कम उत्पादन

3464. श्री गंता श्रीनिवास राव:
श्री बी.के. पार्थसारथी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि "गेल" (भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड) से गैस की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति न होने के कारण राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आर सी एफ) में कम उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समझौते के मुताबिक "गैल" से प्रतिदिन कितनी मात्रा में गैस की आपूर्ति की जानी थी;

(ग) कितनी मात्रा में गैस की आपूर्ति की गई/की जा रही है; और

(घ) उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है और इसके परिणामस्वरूप कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) गैस आपूर्ति समझौते के अनुसार गैल को आर सी एफ के थाल एवं ट्राम्बे संयंत्रों को प्रतिदिन गैस की निम्नलिखित मात्रा की आपूर्ति करनी अपेक्षित है:

संयंत्र	गैस की मात्रा (एम एम एस सी एम डी)
थाल	3.00
भारी जल संयंत्र	0.15
	3.15
फॉल बैक आबंटन	0.60
	3.75
ट्राम्बे	1.8

(ग) गैस आपूर्ति समझौते की उपरोक्त प्रतिबद्धता के अंतर्गत वर्तमान में थाल एवं ट्राम्बे को गैस की आपूर्ति क्रमशः 2.0-2.4 एवं 1.2-1.4 एम एम एस सी एम डी है।

(घ) थाल एवं ट्राम्बे के आर सी एफ संयंत्रों के लिए गैस की आपूर्ति में समझौतानुसार आबंटन की तुलना में कमी क्रमशः 24-37% एवं 22-34% है। आर सी एफ द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि गैस की कम आपूर्ति के कारण उन्हें लगभग 50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष लाभ में कमी हो सकती है।

जनगणना प्रपत्र

3465. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हजारों लोग उन्हें उपलब्ध कराए गए जनगणना प्रपत्रों में अपनी सही जातीय स्थिति का पंजीकरण नहीं करा पाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान्। भारत की जनगणना 2001 में जनगणना फार्मों (परिवार अनुसूची) में जाति का नाम दर्ज करने से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। तथापि, अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों के मामले में, समय-समय पर, यथासंशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुसार अनुसूचित जाति का नाम दर्ज करने से संबंधित प्रश्न रखा गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य

3466. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारें संसाधनों के अभाव में शिक्षा के क्षेत्र में वांछित लक्ष्य को हासिल करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वांछित लक्ष्य को हासिल करने में सहकारी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता महसूस की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) शिक्षा के क्षेत्र में वांछित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए राज्य सरकारों को अन्य क्या सहायता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा पर निवेश में धीरे-धीरे वृद्धि करने की सिफारिश की गई है ताकि यह निवेश यथासंभव शीघ्रता से राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत के स्तर तक पहुँच जाए। तथापि, केन्द्र और राज्यों दोनों के बजटीय आवंटन शिक्षा क्षेत्र के विकास हेतु कुल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उपयुक्त प्रबंधन और शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई के अंतर्गत शिक्षा में सामाजिक कार्यकर्ता दलों सहित गैर-सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहन दिया गया है। पंचायतीराज संस्थाओं और सहकारी क्षेत्र सहित सामुदायिक सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

राज्य सरकारों को शिक्षा में निवेश के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने के लिए समय-समय पर नवीन उपाय करने की सलाह दी गई है। विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मांग किए जाने पर तथा संसाधनों की कुल उपलब्धता के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

पुलिस ज्यादतियां

3467. **श्री प्रभात सामन्तराय:**
श्री चन्द्र विजय सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में पुलिस ज्यादतियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2000-2001 के दौरान सरकार की जानकारी में कितनी शिकायतें आयी हैं;

(ग) ये पिछले वर्ष की अपेक्षा कितनी अधिक है;

(घ) उन शिकायतों की जांच करने और दिल्ली में पुलिस ज्यादतियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) पुलिसबल में मनोवैज्ञानिक रूप से असक्षम लोगों की भर्ती पर रोक लगाने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय अभिकल्पित किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। वर्ष 1999, 2000 और 2001 (15.3.2001 तक) के दौरान प्राप्त पुलिस ज्यादतियों की शिकायतों की संख्या नीचे दी गयी है:

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1999	8255
2000	7706
2001 (15.3.2001 तक)	1362

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों में सम्मिलित हैं:

(1) उन सभी मामलों में निवारात्मक कार्रवाई करना, जिनमें पुलिस अधिकारी कदाचार, दुर्व्यवहार इत्यादि में संलिप्त पाए जाते हैं।

(2) प्रारम्भिक प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, दोनों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि जिससे पुलिस प्रशिक्षार्थियों में समुदाय सेवा की भावना और कानून के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त, मानवाधिकारों पर विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

(3) सम्पर्क सभा के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बल के सदस्यों को, जनता के साथ नम्रता और आदर के साथ व्यवहार करने की जरूरत के बारे में बार-बार बताया जाता है।

(4) टेलीफोन संख्या 3319922 पर फोन करने की सुविधा उपलब्ध करायी गई है ताकि जनता के सदस्य पुलिस अधिकारियों द्वारा परेशान करने के विरुद्ध अपनी शिकायतों को तेजी से दर्ज कर सकें; और

(5) जुलाई 1999 में पो.ओ. बाक्स सं. 171 की सुविधा शुरू की गयी थी, ताकि जनता के सदस्य, किसी अपराधी या पुलिस कार्मिकों के भ्रष्ट व्यवहार के बारे में अपनी शिकायतें भेज सकें।

(ङ) दिल्ली पुलिस में भर्ती, उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, चिकित्सा परीक्षा और साक्षात्कार सहित अनेक परीक्षाएं सफलतापूर्वक देने के बाद की जाती हैं। अतः दिल्ली पुलिस में मनोवैज्ञानिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की भर्ती की सम्भावना बहुत कम है।

गुजरात में बेघर महिलाओं के लिए योजना

3468. श्री नरेश पुगलिया: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिला एवं बाल विकास विभाग ने 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में आए भीषण भूकम्प के परिणामस्वरूप बेघर हुई महिलाओं व अनाथ बच्चों हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) महिला एवं बाल विकास विभाग ने गुजरात में आए भूकम्प से प्रभावित बेघर महिलाओं तथा बच्चों के लिए कोई विशिष्ट नई स्कीम नहीं चलाई है। तथापि, विभाग ने प्रभावित महिलाओं तथा बच्चों के लिए 200 शिशुगृह, 50 अल्पावास गृह, 20 अस्थायी कामकाजी महिला होस्टल तथा 10 दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिला होस्टल भवन (प्रत्येक 60 बिस्तर क्षमता वाला) स्वीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त, मौजूदा स्कीमों के स्कीम संबंधी मापदण्डों के अनुसार, महिला रोजगार कार्यक्रम हेतु 50.00 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस प्रयोजनार्थ निर्धारित कुल राशि 557.00 लाख रुपए है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कोयले की डीलरशिप

3469. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कोयले की डीलरशिप प्रदान करने के लिए कतिपय संख्या में कोयला डिस्ट्रीब्यूशन-डीलरशिप आरक्षित कर रखी है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, सहकारी और संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कितनी कोल डिस्ट्रीब्यूशन डीलरशिप प्रदान की गई है और उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को ये डीलरशिप प्रदान की गई है; और

(ग) पर्याप्त संख्या में ये डीलरशिप प्रदान न किए जाने के यदि कोई कारण हों, तो वे क्या हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

तिहाड़ जेल में मौतें

3470. **श्री दिनेश चन्द्र यादव**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न बीमारियों के कारण तिहाड़ जेल में मौतों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1999 की तुलना में वर्ष 2000 के दौरान विभिन्न बीमारियों के कारण तिहाड़ जेल में कितने कैदियों की मौतें हुई;

(ग) क्या सरकार द्वारा तिहाड़ जेल में यदि कोई कमियां हों तो उनका पता लगाने के लिए बन्द कैदियों को उपलब्ध कराई जाने वाली वर्तमान स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तिहाड़ जेल में, स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में रखे गए व्यक्तियों की संख्या, जिनकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी, वर्ष 2000 में 24 थी जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 21 थी।

(ग) से (ङ) जी हां, श्रीमान्। उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण, दिल्ली की जेलों में बहुत कैदी, कारावास से पूर्व क्षयरोग, हिपैटाइटिस और नशीली दवाओं का व्यवसन जैसी बीमारियों से पीड़ित होते हैं। जेल प्रशासन ने केन्द्रीय जेल अस्पताल और महिला जेल में क्षयरोग के मरीजों के लिए दो डायरक्टली आबजर्ब थरेपी केन्द्रों (डी ओ टी सी) की स्थापना की है जहां पर विशेषज्ञ डाक्टर मरीजों की जांच करते हैं। अस्पताल में एक्स-रे, थूक जांच और खून जांच जैसी जांच सुविधाएं हैं। चिकित्सा विशेषज्ञ, मनःचिकित्सकों और गैर-सरकारी, संगठनों के पर्यवेक्षण में नशीली दवाओं के आदी व्यक्तियों के डी-टोक्सिफिकेशन और रिहैबिलिटेशन के लिए दिल्ली जेलों में तीन नशामुक्ति केन्द्र और दो पुनर्वास केन्द्र भी चलाए जा रहे हैं। गम्भीर रूप से बीमार रोगियों को जब कभी आवश्यकता होती है राजेन्द्र बाबू क्षयरोग अस्पताल और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल भी भेजा जाता है।

जनजातियों के लिए स्वरोजगार योजना

3471. **श्री रवि प्रकाश वर्मा**: क्या जनजातीय कार्य मंत्री 22 अगस्त, 2000 और 28 नवम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4530 और 1484 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सूचना कब तक सभापटल पर रख दिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) सूचना एकत्र कर ली गई है और आश्वासन पूर्ण कर लिया गया है। उत्तर की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

जनजातियों के लिए स्वरोजगार योजनाएं पूछा गया कि: (क) सरकार द्वारा जनजातियों विशेषकर दक्षिण भारत की लंबाडी जनजाति के स्तर में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;	(क) लंबाडी अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित लोग आंध्र प्रदेश के मैदानी भागों में बस रहे हैं। आर्थिक समर्थन योजना के अंतर्गत मदैनी क्षेत्र में रह रही जनजातीय जनसंख्या को शामिल करने के लिए 41 माडा पाकेटों तथा 178 इलाकों की पहचान राज्य में की गई है और विभिन्न विकास संबधी योजनाएं मात्र जनजातियों के उत्थान के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं,
(ख) क्या सरकार का विचार देश में जनजातियों को स्वरोजगार के अवसर	(ख) तथा (ग) जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगमक और सी एम ई वाई योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार योजनाएं कार्यान्वित

प्रदान करने हेतु कोई नई योजनाएं शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) तमिलनाडु में विभिन्न जनजातीय समुदायों का ब्यौरा समुदायों का ब्यौरा, क्या है तथा उनकी संख्या कितनी है तथा वे कितने क्षेत्र में बसे हुए हैं और उनके जीवन-स्तर को उठाने हेतु लागू विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या विभिन्न प्रकार की जनजातियों के वर्गीकरण हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट ही सिर्फ अधिकृत स्रोत है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

की जा रही हैं। तथापि, इस मंत्रालय का देश में स्वरोजगार अवसरों को प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) तमिलनाडु में कुल मिलाकर 36 जनजातीय समुदाय हैं और 1991 की जनगणना के अनुसार उनकी कुल जनसंख्या 5.74 लाख है जो राज्य की कुल जनसंख्या का 1.03% है। 36 जनजातीय समुदायों की सूची तथा जिले-वार जनसंख्या का ब्यौरा अनुबंध-1 तथा 2 में दिया गया है। समुदाय-वार जनसंख्या का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है। जनजातीय बहुलता वाले पहचान किये गये क्षेत्र निम्नलिखत है-

क्र.सं.	जिला आईटीटीपी क्षेत्र	वर्ग कि.मी.
1.	नामक्कल कोल्ली पहाड़ियां	224.85
2.	सालोमबेपेरकौड पहाड़ियां	147.50
3.	सालेम कलराय पहाड़ियां	319.21
4.	सालेम अरानुधुमलाई	29.02
5.	सालेम पचमलाई	109.82
6.	तिरुवन्नमलाई जवाधु पहाड़ियां	310.35
7.	विल्लुपुरम कलारामन पहाड़ियां	600.00
8.	धरमपुरी सिथेरी पहाड़ियां	188.00
9.	ट्रिची पचमलाई	128.83

अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए "जनजातीय उप-योजना" की अवधारणा को शुरू किया गया और यह तमिलनाडु में 1976-77 से दो उद्देश्यों अर्थात् अनुसूचित जनजातियों को गरीबी की रेखा को पार करने, सहायता करने और उनके निवास स्थानों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

तमिलनाडु में जनजातीय उप-योजना का आकार राज्य में कुल जनसंख्या के प्रति अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप है (1.03%)। अनुसूचित जनजाति परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊँचा उठाने में सहायता देने के लिए जनजातीय उप-योजना में विशेष कार्यक्रम जैसे बागवानी, पशुपालन, खादी और ग्राम उद्योग, रेशम कीट पालन, लघु सिंचाई, वानिकी, निगम, विद्युतीकरण, आवास, संचार, जनशक्ति तथा रोजगार, पेयजल, चिकित्सा तथा ग्रामीण स्वास्थ्य तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि कार्यान्वित किए जाते हैं। लगभग 20 क्षेत्रीय विकास जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत योजनाओं को कार्यान्वित करने में शामिल हैं।

(ङ) तथा (च) जी, नहीं। मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न आयामों के मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से क्षेत्र आधारित आधिकारिक रिपोर्ट तैयार करता है। महारजिस्ट्रार (भारत की जनगणना) कार्यालय के अलावा, राज्य सरकारों के अनेक जनजातीय अनुसंधान संस्थान और मानवविज्ञान के विश्वविद्यालय विभाग हैं जो भारत में जनजातियों पर रिपोर्टें भी तैयार करते हैं।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च

3472. **श्री दिन्शा पटेल:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च (एन.आई.पी.ई.आर.) क्षयरोग, मलेरिया, मधुमेह आदि जैसे रोगों के क्षेत्र में जिन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है नई औषधियों की खोज संबंधी कार्यक्रमों में संलग्न रहा है,

(ख) यदि हां, तो क्या (एन.आई.पी.ई.आर.) ने अपने उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या (एन.आई.पी.ई.आर.) से आयुर्वेदिक औषधियों को विकसित करने के लिए कहे जाने का प्रस्ताव था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) नाइपर ने यक्ष्मा, मलेरिया और मधुमेह जैसे प्रमुख क्षेत्रों में गत एक वर्ष से नया औषध खोज कार्यक्रम आरंभ किया है। यक्ष्मा और मलेरिया के क्षेत्र में कुछ नए माल्युकलों का पता लगाया गया है जिसने विट्रो मॉडल में अच्छा कार्य दर्शाया है। ये सक्रिय माल्युकूलों का विवो मॉल्ड में और परीक्षण अपेक्षित है ताकि उनके कार्यकरण की पुष्टि की जा सके।

(घ) और (ङ) नाईपर हर्बल उत्पादों के मानकीकरण में आई.एस.एम. और आई.सी.एम.आर. के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा है। अब तक आई.एस.एम. के लिए लगभग 30 मोनोग्राफ तैयार किये गये हैं। मधुमेह के क्षेत्र में हर्बल उत्पाद से नए नमूने प्राप्त करने के लिए जांच कार्यक्रम जारी हैं।

बोत्सवाना में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम का संयुक्त उद्यम

3473. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एन.बी.सी.सी.) का विचार बोत्सवाना में संयुक्त उद्यम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संयुक्त उद्यम के माध्यम से राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को बोत्सवाना में किस सीमा तक ठेके और निर्माण कार्य मिलने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ।

(ख) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि. (एन.बी.सी.सी.) को बोत्सवाना में मैसर्स जमाल ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लि. (जेटीसी) के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने को मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति द्वारा 24.1.2001 की बैठक में मंजूरी दी गई है।

एन.बी.सी.सी. और जेटीसी के बीच संयुक्त उद्यम करार पर 27.2.2001 को हस्ताक्षर किए गए।

संयुक्त उद्यम कम्पनी ने जेटीसी द्वारा 51% और एन.बी.सी.सी. द्वारा 49% की इक्विटी भागीदारी होगी।

एन.बी.सी.सी. के प्रारंभिक अंशदान का भुगतान जेटीसी द्वारा किया जायेगा। एन.बी.सी.सी. संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा निष्पादित संविदाओं से प्राप्त लाभ में से इक्विटी का अपना अंश जेटीसी को वापिस करेगा।

(ग) बोत्सवाना राष्ट्रीय विकास योजना के अनुसार संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा वर्ष 2001-02 के दौरान लगभग 20 करोड़ रु. (भारतीय रु. 20 करोड़ केवल) का कार्य किये जाने की आशा है।

कर्नाटक में नक्सलवादी गतिविधियां

3474. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि के अनुसार कितने व्यक्ति मारे गए;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में नक्सली खतरे पर नियंत्रण के लिए सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्य को उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में नक्सलवादी हिंसा की केवल कुछेक घटनाएं घटीं। 1998 में कर्नाटक में नक्सलवादी हिंसा की तीन घटनाएं हुई थी, जिनमें कोई हताहत नहीं हुआ था, जबकि 1999 में पांच घटनायें हुई थी, जिनमें 2 मौतें हुई। 2000 में हिंसा की घटनाओं की संख्या बढ़कर 7 हो गई, जिनमें दो व्यक्ति मारे गए।

(ग) से (ङ) इसकी कारगरता को बढ़ाने के लिए राज्य पुलिस बल की संरचना और उपकरणों इत्यादि को सुदृढ़ करने के लिए कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इसके लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार को 18.53 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई है।

पिछले तीन वर्षों में, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत कर्नाटक सरकार को 1072.900 लाख रु. की राशि रिलीज की गयी।

[हिन्दी]

पोषाहार संबंधी खाद्य परियोजना

3475. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को स्वशक्ति परियोजना और पोषाहार संबंधी खाद्य परियोजना के अंतर्गत वर्षवार और राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) स्वशक्ति परियोजना से लाभान्वित न होने वाले कितने राज्य हैं तथा अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गयी है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (इफैड) से सहायता प्राप्त स्व-शक्ति परियोजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अक्तूबर, 1998 से छह राज्यों, अर्थात् बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है और हाल ही में इसे नवगठित राज्य झारखण्ड में भी शुरू कर दिया गया है।

विगत तीन वर्षों के दौरान, स्व-शक्ति परियोजना के तहत राज्य-वार और वर्ष-वार आबंटित धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	आबंटन (संशोधित प्राक्कलन) (रु. लाखों में)			
		1998-99	1999-2000	2000-01	जोड़
1.	बिहार	97.05	40.00	-	137.05
2.	गुजरात	117.53	40.00	75.00	232.53
3.	हरियाणा	101.44	40.00	75.00	216.44
4.	कर्नाटक	117.53	40.00	85.00	242.53
5.	मध्य प्रदेश	111.68	45.00	100.00	256.68
6.	उत्तर प्रदेश	203.60	198.24	270.00	671.84

'पोषक खाद्यों का विकास तथा उत्पादन' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को 9वीं पंचवर्षीय योजना में बन्द कर दिया गया है। तथापि, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के तहत पोषाहार घटक के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2000-01 के दौरान, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के तहत, पोषाहार घटक के लिए आबंटित और निर्मुक्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत, वर्ष 2000-2001 के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का प्रस्तावित आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पोषाहार घटक हेतु प्रस्तावित न्यूनतम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (2000-01)	2000-01 में (12.3.01 तक) पोषाहार घटक हेतु निर्मुक्त धनराशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2130.9	1065.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	1022.55	511.28
3.	असम	2693.55	1346.78
4.	बिहार	3291.9	2154.37
5.	छत्तीसगढ़	471	471
6.	गोवा	11.7	11.7
7.	गुजरात	971.85	485.92
8.	हरियाणा	251.7	251.7
9.	हिमाचल प्रदेश	1059.15	529.58
10.	जम्मू व कश्मीर	2573.7	1286.85
11.	झारखण्ड	1016.85	1016.85
12.	कर्नाटक	1126.95	3004.95
13.	केरल	1036.2	518:1
14.	मध्य प्रदेश	1235.55	3406.54
15.	महाराष्ट्र	1486.95	1486.95
16.	मणिपुर	728.4	364.2
17.	मेघालय	608.85	304.46
18.	मिजोरम	606.15	606.15
19.	नागालैंड	616.95	679.95
20.	उड़ीसा	1478.25	739.13
21.	पंजाब	606	606
22.	राजस्थान	1446	1446
23.	सिक्किम	421.65	210.83
24.	तमिलनाडु	1571.85	785.92

1	2	3	4
25.	त्रिपुरा	762.45	762.45
26.	उत्तरांचल	188.4	188.4
27.	उत्तर प्रदेश	5045.25	2616.82
28.	प. बंगाल	2517.3	1258.65
29.	दिल्ली	165.75	-
30.	पांडिचेरी	71.55	-
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	154.05	-
32.	चंडीगढ़	68.4	-
33.	दादर एवं नागर हवेली	19.8	-
34.	दमन एवं दीव	15.9	-
35.	लक्षद्वीप	26.55	-
	इंडिया	37500	28116.98

[अनुवाद]

कैपीटेशन फी

3476. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कैपीटेशन फी से संबंधित कुछ दिशानिर्देश तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य ऐसे दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है कि राज्य इन दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करें?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) देश में तकनीकी शिक्षा की उपयुक्त आयोजना तथा समन्वयन के लिए सरकार द्वारा गठित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एक सांविधिक निकाय है जिसने देश में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा छात्रों से शिक्षा शुल्क वसूल करने तथा उनके दाखिले के संबंध में मानदंड एवं दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए विनियम जारी किये हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क का निर्धारण राज्य स्तरीय समितियों द्वारा किया जाता है। किसी भी व्यावसायिक कालेज को किसी भी छात्र से निःशुल्क सीट अथवा भुगतान सहित सीट के लिए समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी नाम से कोई भुगतान अथवा राशि लेने का अधिकार नहीं है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एस.ए.आई.एल.) के कुछ इस्पात संयंत्रों को बेचा जाना

3477. श्री किरीट सोमैया: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगले वित्त वर्ष 2001-2002 में 2300 करोड़ रुपये का भुगतान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड "सेल" द्वारा ब्याज के रूप में किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एस.ए.आई.एल.) ने अपने उन कुछ संयंत्रों और आवासीय इकाइयों को बेचने का निर्णय ले लिया है जहां फिलहाल कर्मचारी रह रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड "सेल" ने हडको से अपनी आवासीय इकाइयों की कीमत का आकलन करने का निवेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड "सेल" अपने कर्मचारियों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सेल ने अपने वर्तमान और भूतपूर्व कर्मचारियों को आवासीय इकाइयां पट्टे पर देने के उद्देश्य से हुडको से अपनी कुछ आवासीय इकाइयों की कीमत का आकलन करने का अनुरोध किया है। लेकिन ऐसे मामलों में विशेषज्ञता न होने के कारण हुडको ने इस कार्य को करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास विभाग

3478. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें ग्रामीण विकास विभाग नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए एक पृथक विभाग स्थापित करने हेतु सभी राज्यों को प्रोत्साहित किया; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग है और इनके जरिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है। तथापि, कुछ राज्यों में ये विभाग संबंधित कार्य भी करते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जैव-संसाधन विकास बोर्ड

3479. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय जैव-संसाधन विकास बोर्ड की बैठक में देश में जैव-संसाधनों का पता लगाने के लिए जिन कार्यक्रमों/परियोजनाओं की सिद्धांततः मंजूरी प्रदान की गयी है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े इलाकों में विशेषकर छत्तीसगढ़ में बोर्ड का एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) राष्ट्रीय जैव संसाधन विकास बोर्ड (एन बी डी बी) ने दो प्रमुख लक्ष्यों के साथ अपने कार्यक्रमों को शुरू किया है: संसाधन-आधारित लक्ष्य तथा क्षेत्र आधारित लक्ष्य। संसाधन आधारित लक्ष्य में पादप, पशु, सूक्ष्मजैविक एवं समुद्री जैव संसाधनों की डिजिटाइज्ड सूचियों की तैयारी शामिल हैं। क्षेत्र-आधारित लक्ष्य में देश के कठिन परिस्थिति वाले क्षेत्र—पहाड़ी पारिस्थितिकी, उत्तर-पूर्व क्षेत्र, मरूस्थल पारिस्थितिकी, तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी, प्रायद्वीपीय भारत इत्यादि क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रमों का विकास करना शामिल है। बोर्ड ने अभी तक निम्नलिखित तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है: (1) आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादप संसाधनों की डिजिटाइज्ड सूची जिनका जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर में समन्वयन किया जाना है; (2) जी.बी. पन्त हिमालयी पर्यावरण तथा विकास संस्थान, कोसी-कटरमल, अलमोड़ा में भारत के हिमालयी क्षेत्र की महिलाओं के विशेष संदर्भ में, क्षमता निर्माण एवं आर्थिक उन्नयन संबंधी एक परियोजना; और (3) एम एस स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन, चेन्नई में तटीय जैवसंसाधनों के संरक्षण, सूचीकरण तथा प्रवर्धन पर एकीकृत कार्यक्रम।

(ख) से (घ) सरकार ने इम्फाल में भी एक जैवसंसाधन तथा सतत विकास संस्थान की स्थापना को अनुमोदन दिया है। इस समय, छत्तीसगढ़ में बोर्ड के अनुसंधान केन्द्र की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निवेश संबंधी निर्णयों के लिए समिति का गठन

3480. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रामजी मांझी:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने वर्ष 1993 के दौरान निवेश संबंधी निर्णयों के लिए समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बिना किसी लाभप्रद निवेश के अप्रैल से जून, 1997 तक बहुत बड़ी धनराशि को बैंक बचत खाते में रखा था;

(ङ) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गई है और दिल्ली विकास प्राधिकरण को घाटा पहुँचाने के लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को परिपक्वता की मियाद के पश्चात सावधि जमा राशि का नकद भुगतान प्राप्त करने के कारण ब्याज का घाटा उठाना पड़ा; और

(ज) यदि हां, तो परिपक्वता के तुरंत पश्चात धन को न निकालने के क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वर्ष 1993 के दौरान निम्नलिखित परियोजना हेतु डीडीए में समिति गठित की गई थी।

(1) अधिशेष राशियों का निवेश

(2) भुगतान के लिए देय सभी मियादी जमा राशियों का निवेश

(3) प्रत्येक सप्ताह दर सूचियां (क्वटेशन) प्राप्त करना।

(घ) से (च) रोहिणी फेस-2, नरेला और पश्चिम द्वारका में भूमि अधिग्रहण के भुगतान के लिए, जिस पर 1997-98 में 713 करोड़ रु. का व्यय होने की संभावना थी, डीडीए ने अप्रैल से जून, 1997 में करीब 200 करोड़ रु. राष्ट्रीयकृत बैंकों के बचत खातों में जमा कराए थे। अप्रैल से जून, 1997 में इस राशि पर डीडीए ने 5% ब्याज कमाया, अत: किसी जांच की आवश्यकता नहीं थी। बाद में इस राशि का निवेश कर दिया गया।

(छ) और (ज) वर्ष 1997-98 के दौरान मियाद पूरी होने वाली मियादी जमा राशियों में से कुछ का नियत समय में नकद भुगतान नहीं लिया गया। इसका एक कारण यह था कि कुछेक मियादी जमा राशियों की परिपक्वता तारीख शनिवार, रविवार और छुट्टी वाले दिनों में पड़ती थी। 20.22 लाख रु. में 19,67,422 रु. की राशि बैंकों से वसूली जा चुकी है। बैंकों में निवेश करने की प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण यह सुनिश्चित करके किया गया है कि प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए नामित नोडल अधिकारी द्वारा बताए गए सीमित बैंकों में ही राशि जमा की जाए, निवेश पोर्टफोलियो का कम्प्यूटरीकरण किया जाये और मियाद पूरी करने वाली जमा राशियों के लिए अग्रिम साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार की जाये, ताकि समय पर नकद भुगतान लिया जा सके।

[हिन्दी]

प्लास्टिक से पेट्रोल उत्पादन

3481. डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री ताराचन्द भगोरा:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिनांक 20 फरवरी, 2001 के हिन्दी दैनिक 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित 'प्लास्टिक से उत्पादित पेट्रोल' के हाल ही के आविष्कार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने आविष्कार के प्रमाणन के लिए क्या नीति/योजना तैयार की है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, हां।

(ख) खोजकर्ता द्वारा विवरणित प्रक्रिया एक नवप्रवर्तन प्रतीत होती है तथा यह विश्वसनीय है।

(ग) प्रवर्तक को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम (टीईपीपी) के अंतर्गत अपना प्रस्ताव भेजने के लिए आमंत्रित किया गया है ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग की संयुक्त नवप्रवर्तन प्रोत्साहन योजना के एक भाग के रूप में इस पर और अनुसंधान, परीक्षण तथा विकास कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

सूर्यास्त के पश्चात् महिलाओं से पूछताछ

3482. श्री जयभान सिंह पवैया:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने बाल मजदूरी और पुलिस स्टेशनों में सूर्यास्त के पश्चात् महिलाओं से पूछताछ करने पर आपत्ति प्रकट की है, तथा इस संबंध में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने सरकार को इस संबंध में कोई सुझाव/निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस बारे में राज्य सरकारों को निदेश जारी करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ज) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 1998-99 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, उत्तर प्रदेश राज्य में कालीन उद्योग में बाल मजदूरों की प्रथा का उन्मूलन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कुछेक सिफारिशें की हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करना उत्तर प्रदेश सरकार का काम है।

आयोग ने, केन्द्र और राज्य सरकारों को, क्रमशः केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के सेवा नियमों को संशधित करने की सिफारिश भी की है, जिससे 14 वर्ष की आयु से कम के किसी बच्चे को नौकरी पर रखने पर प्रतिबंध की व्यवस्था हो। केन्द्र सरकार ने, इन सिफारिशों को लागू करने के लिए अपनी दिनांक 14 अक्तूबर, 1999 की अधिसूचना सं. 11013/5/97-स्थापना-क के तहत केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 को संशोधित कर दिया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने दिनांक 22 नवम्बर, 1999 के पत्र के तहत गिरफ्तारी के बारे में कुछेक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ, यह अनुबंध है कि जहां तक व्यावहारिक हो महिला/महिलाओं को गिरफ्तार करते समय महिला पुलिस अधिकारी को सम्बद्ध किया जाना चाहिए और यह कि सूर्यास्त के बाद से और सूर्योदय के बीच महिलाओं की गिरफ्तारी से बचा जाए। आयोग ने इन दिशानिर्देशों को सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का काम है।

[अनुवाद]

बनी ठनी मामले की जांच

3483. श्री रामदास आठवले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 सितम्बर, 2000 के हिन्दी दैनिक 'जनसत्ता' में "दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) मुख्य सतर्कता आयुक्त (सी.वी.सी.) ने बनी ठानी मामले की जांच का कार्य दिल्ली पुलिस की अपराधा शाखा और सतर्कता शाखा से अपने हाथ में ले ली है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मुख्य सतर्कता आयुक्त (सी.वी.सी.) ने अब तक मामले की जांच को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अब तक विभागीय कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। प्रश्नाधीन समाचार में यह बताया गया है कि दिल्ली पुलिस के सतर्कता विभाग और अपराध शाखा ने जांच-पड़ताल करने पर पाया कि इस मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा पहले दर्ज किया गया मामला झूठा है।

(ग) से (च) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अपने आप, शिकायत की जांच-पड़ताल नहीं करता है। तथापि "बनी ठनी ब्यूटी पार्लर"

मामले के संबंध में दर्ज शिकायत के अनुसरण में, आयोग को दिल्ली पुलिस के सतर्कता विभाग से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त की टिप्पणी और सिफारिशें मांगी।

(छ) चूंकि मामला न्यायाधीन है अत: चूक करने वाले कार्मिकों, यदि कोई हो, के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है।

अनधिकृत कालोनियां

3484. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** अप्राधिकृत कालोनियों के बारे में 8.8.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2508 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये निदेशों/आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) न्यायालय में लंबित मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) मई, 1993 के पश्चात अस्तित्व में आई अनधिकृत कालोनियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन कालोनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिका सं. 4771/1993-कामन काज (रजि.) सोसायटी बनाम भारत संघ और अन्य में दिनांक 27.2.2001 के आदेश द्वारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ याचिका रद्द कर दी है:

(1) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, शहरी विकास विभाग के लिए उन कालोनियों को अधिसूचित करना उचित होगा जो उसकी राय में सामान्य सिद्धांतों के निबंधनों के अनुसार नियमित की जानी है।

(2) जब तक दिशानिर्देशों के संदर्भ में औपचारिकताएं निर्धारित नहीं की जाती, तब तक सिविल रिट याचिका सं. 4771/1993 और संबंधित याचिकाओं में पारित किए अंतरिम आदेश प्रभावी रहेंगे।

(3) निर्देश देने/टिप्पणी करने का यह आशय नहीं लगाया जायेगा कि हमने मानो प्रश्नगत दिशानिर्देशों की वैधता या अवैधता के बारे में कोई अभिमत व्यक्त कर दिया है।

(ग) और (घ) मई, 1993 के बाद आबाद हुई अनधिकृत कालोनियों के बारे में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। किन्तु निर्णायक तारीख (31.3.1993) तक बसी सभी अनधिकृत कालोनियों के बारे में प्रचलित कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति प्रक्रिया

3485. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री खारबेल स्वाइं:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आतंकवादी गुटों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की राज्यवार नीति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय नागालैंड समाजवादी परिषद् तथा नागालैंड के अन्य दो बड़े आतंकवादी गुटों के साथ जारी युद्धविराम समझौते को आगे जारी रखने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) भारत सरकार ने पूर्वोत्तर में सभी उग्रवादी ग्रुपों से हिंसा का मार्ग छोड़ देने और हमारे संविधान के दायरे के भीतर बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है।

नागालैंड में आधार नियमों द्वारा समर्थित एन एस सी एन (आई/एम) के साथ संघर्ष विराम के सकारात्मक परिणाम निकले हैं। भारत सरकार और असम सरकार ने बोडो लिबरेशन टाइगर के विरुद्ध आपरेशन स्थगित करने की घोषणा की है। यह दोनों पक्षों द्वारा सहमत आधार नियमों पर आधारित है। मणिपुर सरकार ने एक महीने की अवधि के लिए राज्य में सभी उग्रवादी ग्रुपों के साथ एकतरफा संघर्ष विराम की घोषणा की है।

सम्पूर्ण पूर्वोत्तर के लिए सर्वग्राही नीति उपाय नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि हर राज्य में स्थिति भिन्न-भिन्न होती है।

(ग) से (ङ) सरकार नागालैंड में अन्य उग्रवादी गुटों के साथ संघर्ष विराम समझौते के लिए आधार नियम तैयार कर रही है। इनको शीघ्र ही अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है।

उड़ीसा में मलिन बस्तियों का विकास

3486. श्री अनन्त नायक: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों में कार्यान्वित किये गए मलिन बस्ती के विकास कार्यक्रमों का राज्य-वार तथा शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में विशेषकर उड़ीसा में मलिन बस्तियों के विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और व्यय की गई; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई और इसमें से कितनी धनराशि निर्गत की गई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) स्लम सुधार स्कीमें बनाना और चलाना राज्य का विषय हैं और राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न शहरों में स्लमों के सुधार हेतु विशेष स्कीमें, कार्यक्रम और योजनाएं बनाती हैं और उनके लिए अपनी-अपनी राज्य योजनाओं में आवश्यक प्रावधान करती हैं। तथापि, स्लमों की जीवन-यापन दशाओं में सुधार की दृष्टि से राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) नामक एक कार्यक्रम अगस्त, 1996 में शुरू किया गया ताकि शहरी स्लमों के सुधार हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी सके। इससे पूर्व शहरी स्लमों का पर्यावरणीय सुधार (ई.आई.यू.एस.) जो प्रारंभ में वर्ष 1972 से चालू किया गया था और जिसका वर्ष 1974 में दायरा बढ़ाया गया तथा उसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाकर अप्रैल, 1974 में राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दिया गया था।

राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य जल आपूर्ति, बरसाती पानी की निकासी, सामुदायिक स्नानघर मौजूदा गलियों को चौड़ा करना और उनमें खडंजा लगाना, सीवर, सामुदायिक शौचालय, पथ-प्रकाश आदि जैसी वास्तविक सुविधाएं मुहैया कराना है। सामुदायिक अवस्थापना: सामुदायिक केन्द्रों का उपयोग स्कूल पूर्व शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, मनोविनोद गतिविधियों आदि के लिए किया जाएगा। सामाजिक सुविधाएं जैसे स्कूल पूर्व शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, प्रसूति, टीकाकरण सहित, बाल स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराना है। इसके अलावा इस स्कीम में मौजूदा मकानों का सुधार या नए मकानों का निर्माण (ई.डब्ल्यू.एस. सहित), जो भी हो, का घटक भी शामिल है। इस सहायता के तहत राज्यों को आबंटन का कम से कम 10% राशि शहरी गरीबों हेतु मकानों के निर्माण और/या उन्नयन के लिए उपयोग की जाएगी।

(ख) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ओडिसा सहित सभी राज्यों के प्रसंग में आबंटित और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा विवरण-I में है।

(ग) नौवीं योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार नियत और जारी की गई राशि का ब्यौरा विवरण-II में है।

विवरण I

राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) के तहत राज्यों को आबंटित/जारी कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) एवं राज्यों द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	8वीं पंचवर्षीय योजना 1996-97 आ+जा	9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-1998 से आज की तारीख तक 1997-98 +जा	1998-99 आ+जा	1999-2000 आ+जा	2000-01 मात्र फरवरी 2001 तक जारी	सकल योग	खर्च की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2297.00	2205.00	2842.00	3575.00	888.89	11807.89	6217.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.00	88.00	88.00	110.00	25.40	322.40	274.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	222.00	207.00	253.00	281.00	79.80	1042.80	300.81
4.	बिहार	1891.00	1818.00	2425.00	2668.00	685.30	9487.30	6804.00
5.	गोवा	44.00	88.00	12.00	110.00	27.99	281.99	0.00
6.	गुजरात	1427.00	1368.00	2292.00	2013.00	1006.50	8106.50	5468.60
7.	हरियाणा	365.00	429.00	514.00	565.00	141.10	2014.10	1715.20
8.	हिमाचल प्रदेश	50.00	88.00	168.00	106.00	27.65	439.65	300.00
9.	जम्मू कश्मीर	326.00	374.00	590.00	725.00	175.49	2190.49	0.00
10.	कर्नाटक	1264.00	1485.00	2112.32	2174.00	512.99	7548.31	7548.31
11.	केरल	727.00	847.00	929.00	1028.00	258.68	3789.68	0.00
12.	मध्य प्रदेश	1480.00	1738.00	2192.00	2088.00	1047.84	8545.84	7007.08
13.	महाराष्ट्र	3567.00	4191.00	5713.00	5831.00	1248.58	20550.58	800.00
14.	मणिपुर	45.00	88.00	100.00	110.00	28.78	371.78	92.24
15.	मेघालय	40.00	88.00	88.00	110.00	28.55	354.55	68.37
16.	मिजोरम	34.00	88.00	88.00	110.00	27.99	347.99	347.99
17.	नागालैण्ड	24.00	88.00	88.00	122.00	28.55	350.55	180.55
18.	उड़ीसा	450.00	528.00	560.00	727.00	339.00	2604.00	1248.75
19.	पंजाब	705.00	825.00	904.00	994.00	251.39	3679.39	921.00
20.	राजस्थान	1049.00	1232.00	1349.12	1479.00	376.50	5485.62	3395.79
21.	सिक्किम	3.00	88.00	92.00	88.00	25.40	296.40	0.00
22.	तमिलनाडु	1905.00	2233.00	2674.00	2711.00	2259.17	11782.17	8875.00
23.	त्रिपुरा	39.00	88.00	90.00	110.00	110.00	437.00	327.00
24.	उत्तर प्रदेश	3128.00	3674.00	3674.00	4026.50	2225.90	16728.40	12780.47
25.	प. बंगाल	2469.00	2893.00	3101.00	4093.00	3768.00	16324.00	12556.00

आ-आबंटन
जा-जारी

विवरण II

राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम

नौवीं योजना के दौरान राज्य-वार आबंटित और जारी राशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आबंटित धनराशि (1997-2000 से)	जारी कुल धनराशि (फरवरी, 2001 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	13345.00	9510.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	420.00	311.40
3.	असम	1192.00	820.80
4.	बिहार	9293.00	7596.30
5.	गोवा	420.00	237.99
6.	गुजरात	7686.00	6679.50
7.	हरियाणा	2113.00	1649.10
8.	हिमाचल प्रदेश	420.00	389.65
9.	जम्मू तथा कश्मीर	2527.00	1864.49
10.	कर्नाटक	7756.00	6284.31
11.	केरल	3914.00	3062.68
12.	मध्य प्रदेश	7538.00	7065.84
13.	महाराष्ट्र	19639.00	16983.58
14.	मणिपुर	420.00	326.78
15.	मेघालय	420.00	314.55
16.	मिजोरम	420.00	313.99
17.	नागालैण्ड	420.00	326.55
18.	ओड़िसा	2553.00	2154.00
19.	पंजाब	3796.00	2974.39
20.	राजस्थान	5648.00	4436.62
21.	सिक्किम	420.00	293.40
22.	तमिलनाडु	10329.00	9877.17
23.	त्रिपुरा	420.00	398.00
24.	उत्तर प्रदेश	16664.00	13600.00
25.	प. बंगाल	14128.00	13855.00

कोयले का उत्पादन

3487. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:
श्री सुबोध मोहिते:
श्री विकास चौधरी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक सी.आई.एल. और इसकी सहायक कंपनियों में भूमिगत खानों और खुले मुहाने दोनों तरह की खानों से विभिन्न श्रेणी के कोयले का उत्पादन कितना है;

(ख) प्रमुख कोयला उत्पादक देशों के साथ इसकी तुलना किस तरीके से की जा सकती है;

(ग) भूमिगत और खुले मुहाने दोनों तरह की खानों से कुल उत्पादन में से सबसे अच्छी श्रेणी के कोयले का प्रतिशत क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान सहायक कंपनीवार दोनों तरह की खानों से कोयले का कितना उत्पादन हुआ; और

(ङ) विशेषकर भूमिगत खानों से सबसे अच्छी श्रेणी के कोयले का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक कोल इंडिया लि. की भूमिगत और ओपन कास्ट (खुले मुहाने वाली) खानों से कोकिंग और नॉन-कोकिंग कोयले का उत्पादन निम्नवत है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

ग्रेड		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001* (अप्रैल-फरवरी)
कोकिंग	भूमिगत	10.36	9.62	9.32	7.61
	ओपनकास्ट	28.46	23.83	17.93	14.19
	योग	38.82	33.45	27.25	21.80
नॉन-कोकिंग	भूमिगत	43.61	43.69	43.00	38.54
	ओपनकास्ट	178.12	179.34	190.33	180.61
	योग	221.74	223.03	233.33	219.15

(ख) 1998-99 के दौरान विश्व में कोयले के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

देश	मात्रा (मिलियन टन)	अंश%
1	2	3
पी.आर. चीन	1235.6	34%
यू.एस.ए.	936	26%
भारत	303.1	8%
दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य	222.8	6%
1	2	3
आस्ट्रेलिया	210.5	6%
रूस	148.6	4%
पोलैंड	116.9	3%

(ग) और (घ) "ए", "बी" और "सी" ग्रेड के कोकिंग कोयला और नॉन-कोकिंग कोयला बढ़िया ग्रेड के कोयले समझे जाते हैं। बढ़िया ग्रेड वाले कोयले के उत्पादन तथा उत्पादन में प्रतिशतता अंश के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001* (अप्रैल-फरवरी)
मात्रा	यू.जी.	45.79	43.85	42.49	37.52
(मिलियन टन में)	ओ.सी.	62.95	53.81	47.37	42.05
	योग	108.74	97.66	89.87	79.57
प्रतिशत (%)	यू.जी.	84.84	82.25	81.21	81.30
	ओ.सी.	30.47	26.49	22.75	21.59
	योग	41.73	38.08	34.49	33.02

*अनंतिम

(ङ) भूमिगत खानों से प्राप्त उच्च क्वालिटी के कोयले के उत्पादन में सुधार हेतु उठाये गये कदमों में शामिल हैं—कोयले का वैज्ञानिक खनन, कोयले के रेल वैगनों में लदाई के दौरान पत्थरों/स्लेटी पत्थरों के टुकड़ों को चुनना, उचित गुणवत्ता वाले कोयले की यंत्रीकृत लदाई के लिए मिनि सीएचपी/सीएचपी की स्थापना तथा बाहरी पदार्थ को अलग करना और कोकिंग तथा नॉन-कोकिंग दोनों प्रकार के कोयले के लिए वाशरियों (धोवनशालाओं) की स्थापना आदि।

गोल्डन चावल अनुसंधान परियोजना

3488. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्री राम नायडू दग्गुबाटि:
श्री के. येरननायडू:
श्री विजय हान्दिक:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आजीविका में सुधार के अधिक अवसर प्रदान करने हेतु आनुवंशिक रूप से शोषित खाद्य, गोल्डन चावल का उत्पादन शुरू करने और बड़े पैमाने पर उसकी खेती कराने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई संदर्शी योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना में भाग ले रहे अन्य देशों के नाम क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) जैव प्रौद्योगिकी में भारत-स्विस सहयोग के दूसरे चरण के तहत गोल्डन राइस पर संयुक्त अनुसंधान के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इसमें बैक-क्रासिंग, जीन इन्कोडिंग बीटा कैरोटीन, भारतीय चावल कृषिजोपजातियों में विटामिन-ए के एक पूर्वगामी के अंतरण एवं निष्पीडन और भारतीय पर्यावरण में जैवसुरक्षा अध्ययन शामिल हैं। भारतीय संस्थान जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर; एवं चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद का राष्ट्रीय जैवसुरक्षा मार्गदर्शी सिद्धांतों के ढांचे में प्रस्तावित अनुसंधान क्रियाकलाप में सहयोग लिया जायेगा। बायोटेक्नोलॉजी विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। संसाधनहीन किसानों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए विटामिन-ए युक्त भारतीय चावल किस्मों के परिणाम 5-6 वर्षों के भीतर मिलने की प्रत्याशा है।

(घ) भारत के अतिरिक्त प्रवर्तकों द्वारा प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला, फिलीपीन्स को भी उपलब्ध कराया गया है।

सेल द्वारा एन टी पी सी को विद्युत संयंत्रों का बेचा जाना

3489. श्री टी.एम. सेल्वागनपति:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने अपने विद्युत संयंत्रों की कीमतों में भारी छूट देकर उन्हें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को बेचने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सेल द्वारा बेचे गये विद्युत स्टेशनों की क्षमता कितनी है;

(घ) इनको बेचे जाने से सेल को कितना धन प्राप्त हुआ;

(ङ) क्या अपनी विद्युत जरूरतों को पूरा करने के लिए सेल, एन टी पी सी के साथ विद्युत खरीदने के लिए 15-वर्षीय समझौते पर विचार कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) दुर्गापुर और राउरकेला के निजी विद्युत संयंत्रों-II को चलाने के लिए सेल और एन टी पी सी ने एक संयुक्त उद्यम बनाया है। इस संयुक्त उद्यम में प्रत्येक की शेयर धारिता 50% है।

(ग) दुर्गापुर और राउरकेला में इन संयंत्रों की प्रत्येक की क्षमता 120 मेगावाट है।

(घ) इन विद्युत संयंत्रों को 391 करोड़ रुपये के मूल्य पर संयुक्त उद्यम कंपनी को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। यद्यपि, सेल और संयुक्त उद्यम कंपनी ने उपरोक्त विद्युत संयंत्रों से विद्युत की सप्लाई के लिए 15 वर्षीय विद्युत खरीद करार किया है।

त्रिपुरा-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाना

3490. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री समर चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा के साथ लगने वाली भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि जारी की गयी है और आज की तारीख तक कितनी वास्तविक प्रगति हुई है;

(ग) क्या त्रिपुरा सरकार ने राज्य के साथ लगने वाली भारत-बंग्लादेश सीमा पर अपर्याप्त सुरक्षा की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सुरक्षा मजबूत करने और सीमा पर आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) सरकार ने, त्रिपुरा के साथ लगने वाली भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने की स्वीकृति दे दी है। त्रिपुरा में भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सड़क संगठन को 450 लाख रुपये की राशि जारी कर दी गई है। स्थल पर वास्तविक रूप से कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि इस राशि का उपयोग बाड़ लगाने के कार्य के लिए सामान प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है।

(ग) और (घ) त्रिपुरा सरकार ने राज्य में और भारत-बंगलादेश सीमा पर केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाने का अनुरोध किया है।

(ङ) भारत सरकार ने त्रिपुरा में पांच वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से अर्द्धसैनिक बलों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। त्रिपुरा में भारत-बंगलादेश सीमा पर तैनात मौजूदा बलों में वृद्धि करने के लिए इस वर्ष सीमा सुरक्षा बल की दो अतिरिक्त बटालियनें तैनात की गई हैं। अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती में वृद्धि के अलावा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, सीमा चौकियों के बीच के अन्तर को कम करना, सीमा पर गश्त का गहन करना, सीमा सड़कों का निर्माण, चौकसी मचानों की संख्या में वृद्धि करना, निगरानी उपकरणों का प्रावधान करना आदि शामिल हैं।

विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति

3491. श्री विनय कुमार सोराके: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला उद्योग, विद्युत क्षेत्र की कोयले की मांग को पूरा करने के लिए तैयार हैं जो अपनी ताप विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है;

(ख) क्या स्थापित किए जाने वाली ताप संयंत्रों के शुरू करने में हो रही लंबी देरी के कारण विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति में कमी आयी है;

(ग) रेलवे द्वारा चालू विद्युतीकरण परियोजनाओं के कारण रेलवे से कोयले की मांग में किस सीमा तक कमी आयी है; और

(घ) ऊर्जा उत्पादन में कोयले के प्रयोग से संबंधित पर्यावरणीय पहलुओं से संबधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए कोयला उद्योग किस सीमा तक तैयार हो रहा है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) कोयला कंपनियां विभिन्न कोयला-आधारित पावर यूटिलिटीज की कोयले की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरी करती रही हैं। गत तीन वर्षों में पावर यूटिलिटीज द्वारा किया गया कोयले का उपभोग नीचे दिया गया है:

(मिलियन टनों में)

वर्ष	कोयला का उपभोग
1997-98	202.81
1998-1999	207.12
1999-2000	220.24

(ग) भारतीय रेलवे द्वारा कोयले का उपभोग क्रमिक रूप से 1990-91 के 4482.75 हजार टन से घटकर 1999-2000 में 10.36 हजार टन हो गया है जिसका कारण स्टीम सर्विसों का विद्युतीकरण और डीजल तेल का प्रयोग है।

(घ) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) ने निर्धारित किया है कि कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन जो (1) पिट हैड से 1000 कि.मी. पर स्थित हैं (2) शहरी क्षेत्रों अथवा अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों अथवा संवेदनशील क्षेत्रों में अवस्थित हैं, 1.6.2001 से 34% से कम राख वाले कोयले का प्रयोग करेंगे। कोल इंडिया लि. ने ऐसे पावर स्टेशनों को 34% से कम राख वाले कोयले की आपूर्ति करने के लिए कोयला आपूर्ति मैट्रिक्स तैयार

किए हैं जो पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के उक्त उल्लिखित अधिसूचना के अंतर्गत आते हैं।

[हिन्दी]

नाइट्रोजन/फॉस्फेट आधारित उर्वरक का उत्पादन

3492. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नाइट्रोजन और फास्फेट आधारित उर्वरक का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या देश की मांग को पूरा करने में उक्त उर्वरक का उत्पादन पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान पोषकों के रूप में नाइट्रोजनयुक्त और फॉस्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(लाख मी. टन)

वर्ष	उत्पादन	
	नाइट्रोजन	फास्फेट
1997-98	100.86	29.76
1998-99	104.80	31.41
1999-00	108.90	33.99

(ख) नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के मामले में देश यूरिया में लगभग आत्मनिर्भर है जबकि फॉस्फेटिक उर्वरकों के मामले में 70% तक आत्मनिर्भरता है। तथापि आत्मनिर्भरता मानसून स्थितियों, जो मांग को प्रभावित करती है, जैसे विभिन्न पहलुओं से भी सम्बद्ध है।

(ग) स्वदेशी उर्वरक उत्पादन को अनुकूलतम बनाने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं/रियायतें इस समय सरकार द्वारा उर्वरक उद्योग को उपलब्ध कराई गई है:

(1) औद्योगिक नीति संकल्प दिनांक 24 जुलाई, 1991 के अनुसार, उर्वरक संयंत्र को लगाने/विस्तार करने के लिए सामान्य रूप से किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। उद्यमी पर्यावरणीय मंजूरी की शर्त के अध्यधीन देश में कहीं भी उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना/विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(2) उर्वरक परियोजनाओं को पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं की समनिर्यात लाभ बशर्ते कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसी आपूर्ति की जाती है।

(3) प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता योजना जो इस समय मौजूदा यूरिया क्षमता पर लागू है, के अधीन उद्यमियों को निवेश पर मुनासिब लाभ।

(4) कृषकों को अनियंत्रित फॉस्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों की बिक्री पर रियायत।

(5) नए उर्वरक संयंत्र को लगाने के लिए पूंजीगत माल का आयात/सीमाशुल्क की रियायती दरों पर मौजूदा यूनिटों का आधुनिकीकरण।

(6) सीमाशुल्क की रियायती दरों पर उर्वरक कच्चे तथा मध्यवर्तियों का आयात।

[अनुवाद]

देश में यूरिया की कमी

3493. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों विशेषकर कर्नाटक में यूरिया और अन्य उर्वरकों की कमी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में कितनी मात्रा में यूरिया का उत्पादन हुआ;

(घ) क्या सरकार का विचार मांग को पूरा करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष के दौरान यूरिया का आयात करने का है;

(ङ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में यूरिया के आयात की संभावना है;

(च) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो भारत सरकार के सांविधिक मूल्य, संचलन और वितरण नियंत्रण के अधीन है। 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कर्नाटक सहित देश में यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरिएट आफ पोटाश जैसे अन्य प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता संतोषप्रद है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1999-2000, 2000-2001 के दौरान देश में उत्पादित यूरिया की मात्रा नीचे दी गई है:

वर्ष	यूरिया का उत्पादन (लाख मी. टन)
1999-2000	198.30
2000-2001	184.70 (फरवरी, 2001 तक)

(घ) वर्तमान में, अगले वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान सरकार के खाते में यूरिया के आयात का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात के मूल्य में वृद्धि

3494. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक इस्पात के मूल्य में कितनी बार वृद्धि की गई है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात का मूल्य बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस्पात विनिर्माण कंपनियों का इस्पात के मूल्य में आगे भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस्पात की मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने और इसे आम आदमी के लिए सुलभ बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (घ) इस्पात उद्योग के उदारीकरण के पश्चात इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के मूल्य बाजार शक्तियों के पारस्परिक प्रभाव द्वारा निर्धारित होते हैं। इस्पात के मूल्य श्रेणी, आकार, मोटाई, मांग, उपलब्धता, उत्पादन, आयात और निर्यात पर निर्भर करते हैं। ये घटक गतिशील हैं और बार-बार बदलते रहते हैं। पिछले दो वर्षों में कभी-कभी हुई मूल्य वृद्धि को छोड़कर इस्पात के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट का रुख रहा है। इस्पात के मूल्यों के निर्धारण में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

कीटनाशकों का दुष्प्रभाव

3495. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यावरणीय क्षति को रोकने और कीटनाशकों के दुष्प्रभावों से कृषक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास कार्यक्रम (यू.एन.आई.डी.पी.) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) आदि के द्वारा नये सिरे से किये जा रहे प्रयासों को समर्थन देने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार 'रीजनल नेटवर्क ऑन पेस्टीसाइड्स फॉर एशिया एंड पैसेफिक' की बैठक की मेजबानी करने पर सहमत हो गयी है;

(ग) क्या एशिया क्षेत्र में 15 देशों द्वारा भी इस मामले पर चर्चा की गई; और

(घ) यदि हां, तो इससे किसान समुदाय पर कीटनाशकों के दुष्प्रभावों को रोकने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार एशिया और प्रशान्त के लिए पेस्टिसाइडों संबंधी क्षेत्रीय नेटवर्क (रेनपेप) नामक एक यू एन डी पी निकाय के साथ मिलकर प्रयोक्ता एवं पर्यावरण के अनुकूल पेस्टिसाइड सूत्रयोगों के उत्पादन और गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में एक क्षेत्रीय कार्यशाला का सह-प्रायोजन गुड़गांव में 12 से 16 मार्च 2001 तक कर रही है।

(ग) और (घ) इस कार्यशाला का उद्देश्य जल आधारित सूत्रयोगों के उत्पादन और गुणवत्ता आश्वासन में नेटवर्क के सदस्य राष्ट्रों की सक्षमताएं सुदृढ़ करने के लिए उनकी मदद करना है जिससे पेस्टिसाइड सूत्रयोगों में परम्परागत तौर पर प्रयुक्त गैर-जैव अवक्रम्य संघटकों का प्रयोग घट जाएगा। इससे अन्ततः पर्यावरण के क्षरण पर अंकुश लगेगा तथा कृषक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

नागालैंड में कपार्ट की परियोजनाएं

3496. डा. बलिराम: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक कपार्ट द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को नागालैंड परियोजना-वार कौन-कौन सी परियोजना मंजूर की गयी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ग) क्या इन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार क्या परिणाम निकला;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कोष के दुरुपयोग के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) कपार्ट द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों से आज तक नागालैंड में कपार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं, स्वीकृत राशि, रिलीज की गई राशि, परियोजना का मूल्यांकन तथा इस मूल्यांकन के परिमाम के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु.)	रिलीज की गई राशि (रु.)	क्या परियोजना का मूल्यांकन किया गया	मूल्यांकन का परिणाम
1.	मम्मीज मल्टीपरपस सोसाइटी ग्राम-काशीराम, दीमापुर नागालैंड	डवाकरा	1,11,250	91,250	हाँ	परियोजना कार्यान्वित की गई लेकिन स्वैच्छिक संगठन की क्षमता अपर्याप्त पाई गई इसलिए दिसम्बर, 1998 में इस परियोजना को समाप्त कर दिया गया।
2.	वूमन एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, मु./पो. सेन्डयू, जि. कोहिमा, नागालैंड	डवाकरा	1,37,750	शून्य	मूल्यांकन नहीं किया गया	अपेक्षित दस्तावेज नहीं प्राप्त होने के कारण निधियाँ रिलीज नहीं की गई है।
3.	काउंसिल फॉर सोशलसर्विस, पो. बा.सं.-7, कोहिमा, नागालैंड	पी.सी.	76,500	76,500	हां.	परियोजना को संतोषजनक ढंग से पूरा किया गया और फाइल बंद कर दी गई।
4.	इमराल्ड सोसाइटी किजामी, जि.-फेक, नागालैंड	पी.सी.	3,00,718	1,26,600	मूल्यांकन के लिए मॉनिटर नियुक्त किया गया	रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
5.	फूड फॉर द हंग्री वूमन चाउंबीभसेन, द्वारा-शौपी प्रेस, मोकौच्चुंग, नागालैंड	पी.सी.	3,22,080	2,14,720	नहीं	अभी तक परियोजना की प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

मुद्रण और लेखन सामग्री के लिए धनराशि

3497. श्री राधामोहन सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुद्रण और लेखन सामग्री के लिए प्रति वर्ष बजट अनुदान स्वीकृत किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक मुद्रण तथा लेखन सामग्री शीर्ष के अंतर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी;

(ग) यह धनराशि वर्ष-वार किस तरीके से खर्च की जाती है; और

(घ) पूरे बजटीय अनुदान के उपयोग न करने के क्या कारण हैं और खर्च न की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) स्वीकृत राशियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	रु. हजारों में
1997-98	1,65,34,00
1998-99	1,79,86,00
1999-2000	1,64,16,00
2000-2001	1,75,01,00

(ग) स्वीकृत राशि के अधिकांश भाग का उपयोग भारत सरकार मुद्रणालयों, प्रकाशन नियंत्रक कार्यालय, नियंत्रक, लेखन सामग्री कार्यालय के चल खर्चों को पूरा करने, कागज, लेखन सामग्री एवं मुद्रण सामग्री आदि उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। पूंजीगत लेखा के अंतर्गत स्वीकृत राशि मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण पर खर्च की जाती है।

(घ) पूरे बजट अनुदान का उपयोग न होने के मुख्यत: निम्नलिखित कारण हैं:

1. भर्ती पर प्रतिबंध के कारण रिक्त पदों का न भरा जाना।
2. 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण बकाया (एरियर) भुगतानों की देयताओं का अधिक आकलन।
3. वेतन और भत्तों के बकाया देयताओं के एक भाग को अगले वित्तीय वर्ष के लिए आस्थगित करना।
4. वित्त वर्ष के दौरान कागज और लेखन सामग्री मदों की पूरी मात्रा में आपूर्ति न होना और आपूर्तिकर्त्ताओं से बिल प्राप्त न होना।
5. पदों का सृजन न होने और भर्ती पर प्रतिबंध के कारण कुल मशीनों और उपस्करों को प्राप्त करने के लिए संविदा को अंतिम रूप न दिया जाना।

खर्च न किए गए अनुदान का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	बकाया राशि (रु. हजार में)
1997-98	49,07,65
1998-99	38,58,89
1999-2000	19,76,59

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के बीच समझौता ज्ञापन

3498. श्री किरीट सोमैया: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूकम्प प्रभावित गुजरात में पुनर्निर्माण गतिविधियों में सहायता करने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने अपने संसाधनों को पूलबद्ध करके एक परिसंघ बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कम लागत वाले तथा भूकम्प रोधी घरों के निर्माण के लिए क्या विस्तृत नीति तैयार की गई है;

(घ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा कितने आवासीय एककों के निर्माण किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने कम लागत वाले इन घरों के डिजायन की पुनरीक्षा कर ली है; और

(च) यदि हां, तो इन घरों के निर्माण के लिए कौन सा क्षेत्र चयनित किया गया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, हां। समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- एन बी सी सी सरकार और अन्य एजेंसियों से आर्डर प्राप्त करेगी।
- सेल और एन बी सी सी संयुक्त रूप से मकानों के डिजाइन को अंतिम रूप देगी।
- सेल इस्पात की आपूर्ति करेगा।
- एन बी सी सी निर्माण गतिविधियों के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करेगा।

(ग) सेल और एन बी सी सी की योजना इस्पात और स्थानीय निर्माण सामग्री का प्रयोग करके कम लागत वाले तथा भूकंप रोधी घरों का निर्माण करने की है।

(घ) इकाइयों की संख्या सरकार और अन्य एजेंसियों से प्राप्त आर्डरों पर निर्भर करेगी।

(ङ) और (च) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) दिल्ली ने अभी तक मकानों के डिजाइन को मंजूरी नहीं दी है और इस उद्देश्य के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र का चुनाव नहीं किया गया है।

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

3499. डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की संशोधित योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रत्येक राज्य को आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की संशोधित स्कीम के अंतर्गत, निधियों के आवंटन के लिए पात्र मदों/संघटकों की सूची में, राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार बुलट प्रूफ/माइन प्रूफ वाहनों सहित नए वाहन खरीदने और पुराने वाहनों को बदलने और पुराने वाहनों को सड़क पर चलने लायक बनाने, सभी प्रकार के शस्त्रों, संचार प्रणालियों, भवनों के विस्तारण/नवीकरण और प्रशिक्षण के लिए अन्य आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने, एफ एस एल/एफ पी बी सुविधाएं, आसूचना एकत्रीकरण सहित जाँच के लिए उपकरण/सहायक उपकरण, कम्प्यूटरों सहित कार्यालय उपकरण, उनकी सुरक्षा सहित पुलिस थानों चौकी बिल्डिंगों/लाइनों का निर्माण और महिला पलिस कर्मियों के लिए सुविधाएं, नियंत्रण कक्ष, विभिन्न सुरक्षा उपकरण, बॉडी प्रोटेक्टर बुलटप्रूफ वेस्ट्स और ऐसे ही अन्य आवश्यक प्रोटेक्टिव गियर और उपकरण, आधुनिक यातायात नियंत्रण उपकरण और पुलिस आवास आदि को शामिल करने के लिए इसका विस्तारण किया गया है। इन मदों से केवल प्रमुख क्षेत्रों का ही पता चलता है और जमीनी वास्तविकता के आधार पर, राज्य सरकारें परियोजनाएं तैयार करके गृह मंत्रालय को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर सकती है। संशोधित स्कीम के अंतर्गत, राज्यों को उनके द्वारा तैयार की जाने वाली परियोजनाओं के आधार पर निधियां जारी की जाएंगी। विभिन्न मदों पर प्रतिशतवार व्यय की पूर्व कठोरता को इस आशय से दूर किया गया है ताकि राज्यों को अपनी वर्तमान कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यकताओं को प्रोजेक्ट करने में अपेक्षित लचीलापन हो। राज्यों से इस स्कीम के क्रियान्वयन हेतु उतना ही अंशदान देने की अपेक्षा की जाती है। केन्द्र का वार्षिक आवंटन वर्ष 2000-2001 से 100.00 करोड़ से बढ़ाकर 1000.00 करोड़ रुपये किया गया है।

(ग) राज्य सरकारों के लिए वार्षिक परिव्यय (केन्द्र का हिस्सा) की मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वास्तविक रिलीज अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार की जाती है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष 2000-2001 के लिए वार्षिक परिव्यय (करोड़ रुपये में)
1	2
आंध्र प्रदेश	82.00
अरुणाचल प्रदेश	05.20
असम	38.70
बिहार	54.00
गोवा	02.00
गुजरात	50.00

1	2
हरियाणा	22.10
हिमाचल प्रदेश	06.70
जम्मू और कश्मीर	28.50
कर्नाटक	75.00
केरल	31.50
मध्य प्रदेश	53.00
महाराष्ट्र	92.10
मणिपुर	10.50
मेघालय	05.50
मिजोरम	05.50
नागालैंड	13.50
उड़ीसा	30.50
पंजाब	32.10
राजस्थान	61.10
सिक्किम	03.20
तमिलनाडु	68.10
त्रिपुरा	05.60
उत्तर प्रदेश	123.52
पश्चिम बंगाल	56.50
छत्तीसगढ़	19.00
झारखंड	18.00
उत्तरांचल	06.58
कुल	1000.00

इजरायली सुरक्षा प्रणाली

3500. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत-पाक सीमा और देश की अन्य सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने के लिए इजरायल निर्मित सीमा पर निगरानी करने संबंधी उपकरणों की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उपकरणों की जांच सफल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन उपकरणों की खरीद नहीं किये जाने में वित्तीय कठिनाई मुख्य कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

यूरिया का आयात

3501. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरिया के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को 1 अप्रैल, 2001 तक समाप्त कर दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो यूरिया के घरेलू उत्पादकों पर उक्त मात्रात्मक प्रतिबंधों के समाप्त किए जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या देश में यूरिया का उत्पादन करने वाली इन इकाइयों के भविष्य पर कोई विशेष अध्ययन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) यूरिया के आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध 1 अप्रैल, 2001 से हटाये जाने की सम्भावना है।

(ख) से (घ) यूरिया पर से मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने से इस उद्योग की व्यवहार्यता विशेषतः नेफ्था एवं एफ ओ/एलएसएचएस पर आधारति एककों के लिए परेशानी हो सकती है। सरकार ने उर्वरक विभाग के पूर्व सचिव श्री ए.वी. गोकाक की अध्यक्षता में इस मामले का अध्ययन और अन्य बातों के साथ-साथ यूरिया जो डब्ल्यू टी ओ के अंतर्गत अप्रतिबंधित मद है, पर सीमाशुल्क की सिफारिश करने के लिए एक कृतिक बल गठित किया था। इस कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को जनवरी, 2001 को प्रस्तुत कर दी थी। इस कृतिक बल की सिफारिशें अन्य बातों के साथ-साथ आयातों पर सीमाशुल्क लगाने और/अथवा घरेलू उर्वरक उद्योग के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक ऐसे ही अन्य उपायों पर सरकार की आगामी कार्रवाई का आधार तैयार करेगी।

ग्रामीण आवास बैंक की स्थापना

3502. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हडको की भांति किसी ग्रामीण आवास बैंक की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

नवसृजित राज्यों में बुनियादी ढांचे का विकास

3503. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हडको को नवसृजित राज्यों विशेषकर छत्तीसगढ़ से राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

(ग) इस संबंध में हडको द्वारा राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई/प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) हडको को नए बने छत्तीसगढ़ राज्य से 1042.24 लाख रुपए राशि के ऋण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

दूसरा प्रस्ताव उत्तरांचल राज्य से शहरी अवस्थापना परियोजनाओं के लिए 1000 लाख रु. के ऋण (लाइन ऑफ क्रेडिट) के लिए प्राप्त हुआ है।

(ग) हडको ने नए बने राज्यों के लिए संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों अनुसार ऋण स्वीकृत किए हैं।

विवरण

राज्य	स्वीकृत स्कीमें	परियोजना लागत (लाख रु. में)	ऋण राशि
छत्तीसगढ़	5	5008.00	2196.00
उत्तरांचल	1	218.31	152.82
झारखण्ड	1	467.46	311.15

जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-जर्मनी समझौता

3504. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और जर्मनी ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षरण किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इससे प्रोटीन विज्ञान ऊत्तक और कोशिका कैनसर, एड्स और तपेदिक से संबधित जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) जी हां। जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग और फोरशूंगजेन्ट्रम ज्यूलिख जी एम बी एच (एफ जेड जे) (नेशनल रिसर्च सेन्टर, ज्यूलिख) के बीच 15 फरवरी, 2001 को ज्यूलिख, जर्मनी में एक विशेष समझौता हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते से निस्सारित प्रोटीनों के संश्लेषण, नियमन तथा वहन क्रियाविधियों के लिए नई प्रौद्योगिकियों, प्रोटीनों के अति निष्पीडन के लिए आनुवंशिक इंजीनियरी, सूक्ष्मजैविक रूपान्तरण प्रक्रियाओं, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा प्रोटीन संरचना, बैक्टीरियाई एन्जाइमों के अनुप्रयोग, कोशिका संवर्द्धन तकनीकों आदि के क्षेत्रों में आपसी रुचि के विशिष्ट विषयों पर संयुक्त सहयोगों को सहायता मिलेगी। इस समझौते में सहयोग के अन्य क्षेत्रों का भी प्रावधान है।

(ग) सहयोग समझौते में भारतीय वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार से "कपार्ट" को सहायता

3505. **श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों को बढावा देने तथा उनकी सहायता करने एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी इत्यादि को विकसित करने हेतु लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह किस वर्ष स्थापित किया गया था;

(ग) केन्द्र सरकार से अब तक प्राप्त की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे कितने स्वैच्छिक संगठन लाभान्वित हुए और वर्ष 1991-92 से 1996-97 तक उनकी गतिविधियों के क्षेत्र कौन-कौन से रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हाँ।

(ख) लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी।

(ग) वर्ष 1986-87 से 2000-2001 तक (फरवरी 2001 तक) कपार्ट द्वारा प्राप्त की गई सहायता के ब्यौरे बताने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) 1991-92 से 1996-97 तक कपार्ट से लाभान्वित स्वैच्छिक संगठनों की संख्या 4959 है। उनके द्वारा विभिन्न योजनाओं अर्थात् जवाहर रोजगार योजना, आवास, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, लाभार्थियों का संगठन, समाज उत्प्रेरक प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, जन सहयोग, ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पंचायती राज, सामाजिक वानिकी, तकनीकी मिशन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ जैसे पेयजल, स्वच्छता, वाटरशेड विकास, ग्रामीण गरीबों और महिलाओं, सामाजिक वानिकी, आवास, विकलांगता आदि के लिए आय सृजन गतिविधियां शुरू की गई थीं।

विवरण

फरवरी 2001 तक कपार्ट द्वारा सरकार से प्राप्त वर्ष-वार राशि को बताने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	सरकार से प्राप्त सहायता
1986-87	11.68
1987-88	05.97
1998-89	18.62
1989-90	16.46
1990-91	23.65
1991-92	20.61
1992-93	42.40
1993-94	62.01
1994-95	72.52
1995-96	48.73
1996-97	50.00
1997-98	52.39
1998-99	40.09
1999-2000	31.55
2000-2001	16.65

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

3506. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'अलबदर' आतंकवादी संगठन के स्वयंभू कमाण्डर-इन-चीफ ने यह माना है कि जम्मू और कश्मीर में इस समय सात देशों से आए आतंकवादी अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर उन सात देशों से बात की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) ऐसी कोई रिपोर्टें उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, विभिन्न देशों के, भाड़े के विदेशी सैनिक जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं। जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियानों में अनेक पाकिस्तानी/पाक अधिकृत कश्मीरी और अफगानी मारे गए हैं।

(ग) से (ङ) सरकार, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद पर काबू पाने और घुसपैठ रोकने के लिए एक विस्तृत दृष्टिकोण अपना रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, भीतरी प्रदेश में समुचित सुरक्षा कार्रवाई करना, सूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपस्कर, यू एच क्यू और निचले स्तरों पर ऑपरेशन ग्रुपों और आसूचना ग्रुपों के फ्रेमवर्क के माध्यम से व्यापक एकीकृत कार्य करना आदि शामिल है।

राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट

3507. **डा. जसवंतसिंह यादव:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री जोरा सिंह मान:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवानी माने:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मंत्रियों के दल (जी.ओ.एम.) की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रियों के दल के द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) मंत्रियों के ग्रुप (जी ओ एम) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी जांच की जा रही है।

अभियांत्रिकी पेशे को विनियमित करने हेतु विधान

3508. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अभियांत्रिकी पेशे को विनियमित करने हेतु नया विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उक्त विधान को कब तक लाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) इंजीनियरी शिक्षा में शामिल क्षेत्र बहुत ही व्यापक हैं और इंजीनियरी व्यवसाय को विनियमित करने हेतु कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले विभिन्न एजेंसियों और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ मतैक्य स्थापित करने के लिए व्यापक परिचर्चा की जरूरत है।

सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रायोगिक परियोजना

3509. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) द्वारा सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा के लिए विभिन्न जिलों में साधन उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की गई है;

(ख) माध्यमिक शिक्षा के लिए योजना को शुरू करने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान को कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान का पूर्व कार्य-निष्पादन कैसा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) ने 14-16 फरवरी, 2001 तक माध्यमिक शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया था और इसके लिए वित्तीय सहायता की मांग की थी। सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित नीपा एक प्रमुख संसाधन संगठन है। इसके लक्ष्यों में शैक्षिक आयोजना और प्रशासन में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, प्रशिक्षण और परामर्शी सेवा प्रदान करना, केन्द्र और राज्यों के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं एवं वरिष्ठ प्रशासकों को प्रशिक्षण और प्रबोधन देना तथा अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करना शामिल हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की भूमिका

3510. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.) की भूमिका को विस्तृत करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के लिए एक परिसर बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो उन नए स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के और परिसरों द्वारा कार्यक्रम आरंभ किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का विचार पंचायती राज पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) फिलहाल, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की भूमिका में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, का एक क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी में है ताकि पूर्वोत्तर क्षत्र के राज्यों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। वर्तमान में नये स्थानों पर एन.आई.आर.डी. के और अधिक कैम्पस बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) पंचायती राज पदाधिकारियों के लिए अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रशिक्षण संस्थानों के जरिये चलाये जाते हैं। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान अपने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों जिनमें पंचायती राज पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण भी शामिल है, में प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों की रिसोर्स पर्सन के रूप में सेवाएं लेता है।

(च) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने एक संकाय विकास योजना तैयार की है जिसके तहत गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों के सक्रिय कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीण विकास के विषयों के विशेषज्ञ द्वारा संस्थान का दौरा किए जाने तथा गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन के अपने अनुभव से अवगत कराने का प्रावधान है ताकि प्रशिक्षण के दौरान उसका उपयोग किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत एन.आई.आर.डी., पंचायती राज पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु गैर-सरकारी संगठनों को शामिल कर सकेगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में ''कपार्ट'' द्वारा निधियां प्रदान किया जाना

3511. श्री पी.आर. खूंटे: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान ''कपार्ट'' द्वारा मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ में गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई अनुदानों का योजना-वार/गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इस धनराशि का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) 2000-2001 के दौरान (अब तक) कपार्ट द्वारा मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराये गये अनुदानों का योजना-वार तथा गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपयोग की गई राशि के ब्यौरे भी उपर्युक्त भाग (1) में उल्लिखित विवरण में दिये गये हैं।

(घ) विवरण के क्रम संख्या 4 और 5 में रिलीज की गई धनराशि का गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पूर्ण उपयोग न किये जाने के कारण यह हैं कि ये परियोजनायें चालू परियोजनायें हैं तथा धनराशि हाल ही में जारी की गई हैं। गैर-सरकारी संगठन अभी भी परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं।

विवरण

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये)	रिलीज की गई राशि (रुपये)	उपयोग की गई राशि (रुपये)
1	2	3	4	5	6
1.	गांधी सेवा आश्रम, नरसिंहपुर जिला बिलासपुर, (म.प्र.)	पी.सी.	6,14,951	153738	153738
2.	विनोबा ग्रामोदय प्रतिष्ठान एन.एच. 7 मौगंज, जिला रीवा (म.प्र.)	एआरटीएस	290250	अभी रिलीज नहीं की गई है क्योंकि दस्तावेजों की प्रतीक्षा की जा रही है।	-
3.	हरिजन आदिवासी खादी ग्रामोत्थान समिति, गुराह, रेपुर, कारचुलियन, रीवा (म.प्र.)	आर्टस	290250	-वही-	-
4.	समाज प्रगति सहयोग, गढ़ी, जिला देवास (म.प्र.)	ओ.बी.	1618940	809407	धनराशि हाल ही में रिलीज की गई है।
5.	-वही-	पी.सी. (डी.एम.)	6544279	3272140	धनराशि हाल ही में रिलीज की गई है।
6.	-वही-	डब्ल्यू.एस.डी.	844265	844265	844265
7.	लोक शक्ति समिति, जिला रायगढ़ (म.प्र.)	-वही-	1,00,000	1,00,000	1,00,000
8.	ग्वालियर फारेस्टर्स सोसायटी जिला ग्वालियर (म.प्र.)	-वही-	100000	100000	100000
9.	वरदान सोसल आर्गेनाइजेशन जिला राजनंदगांव (म.प्र.)	-वही-	100000	100000	100000
10.	संभव सोसल सर्विस आर्गेनाइजेशन जिला ग्वालियर (म.प्र.)	-वही-	100000	100000	100000
11.	परिक्रमा महिला समिति, जिला जबलपुर (म.प्र.)	डब्ल्यू.एस.डी.	10000	100000	100000

1	2	3	4	5	6
12.	श्रीजन केन्द्र, जिला बिलासपुर मध्य प्रदेश	डब्ल्यू.एस.डी.	100000	100000	100000
13.	सोसाइटी फार रूरल इंटेग्रेशन एण्ड डेवलपमेंट, जिला जबलपुर (म.प्र.)	-वही-	100000	100000	100000
14.	खंडवा डायोसेसन सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन, जिला खंडवा (म.प्र.)	-वही-	100000	100000	100000
15.	मार्गदर्शक सेवा संस्थान (म.प्र.)	-वही-	100000	100000	100000
16.	डा. भीमराव अम्बेडकर आर्गेनाइजेशन (मध्य प्रदेश)	-वही-	100000	100000	100000
17.	धरती ग्रामोत्थान संस्थान जिला मुरैना (म.प्र.)	-वही-	100000	100000	100000
18.	जेवियर इन्स्टिट्यूट आफ डेवलपमेंट एक्शन एण्ड स्टडीज जिला जबलपुर (म.प्र.)	-वही-	100000	100000	100000
19.	नागरथ चैरिटेबल ट्रस्ट जिला जिला इंदौर (म.प्र.)	-वही-	100000	100000	100000
20.	ग्रामीण सेवा संस्थान जिला कोरबा, छत्तीसगढ़	-वही-	100000	100000	100000
21.	सरगुजा ग्रामीण विकास संस्थान जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़	-वही-	100000	100000	100000
22.	नवीन भारती सेवा समिति जिला मांडला (म.प्र.)	-वही-	100000	100000	100000
23.	सैंटर फार साइन्स एण्ड ह्यूमन डेवलेपमेंट, जिला मांडला, छत्तीसगढ़	-वही-	100000	100000	100000

[अनुवाद]

लश्कर-ए-तोइबा की गतिविधियां

3512. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लश्कर-ए-तोइबा के प्रमुख ने सार्वजनिक घोषणा की है कि आने वाले दिनों में वह नागरिकों, पुलिस और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले में वृद्धि करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या खुफिया विभाग की रिपोर्टों ने भी इसकी पुष्टि की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) ये रिपोर्ट है कि लश्कर-ए-तैयबा विशेष रूप से, जम्मू और कश्मीर में हिंसा बढ़ाने के प्रयास कर रहा है।

(ग) उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार ने सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, सीमा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, समन्वित कार्रवाई के द्वारा उग्रवादियों की योजनाओं को विफल करना और

उन्नत अत्याधुनिक हथियारों और संचार प्रणाली आदि के साथ पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन शामिल है।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को उग्रवादियों से खतरे की आशंका और उनकी गतिविधियों के संबंध में सुग्राही बनाती रही है। विदेशों में स्थित ठिकानों से कार्य कर रहे ऐसे उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने हेतु कदम भी उठाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...*(व्यवधान)*

मध्याह्न 12 1/2 बजे

(इस समय श्री बूटा सिंह, कुंवर अखिलेश सिंह, श्री भान सिंह भौरा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइए। हमें आज सभा के महत्वपूर्ण कार्य करने हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, क्या आप सभा के महत्वपूर्ण कार्य होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। आज कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, सभापटल पर पत्र रखे जाएंगे।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): महोदय, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:

(1) पर्यटन विभाग की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3440/2001)

(2) संस्कृति विभाग की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3441/2001)

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3442/2001)

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): महोदय, मैं श्री जगमोहन की ओर से शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3443/2001)

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन, प्रस्तुत करने की रीति, उनकी मान्यता के लिए शर्तों का विनिर्धारण तथा नये पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति) (संशोधन) विनियम, 2000, जो 16 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. नं. 1-36/2000 एनसीटीई में प्रकाशित हुये थे।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (शारीरिक शिक्षा-सी.पी.एड, बी.पी.एड. और एम.पी.एड. में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए सन्नियम तथा शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2000 जो 16 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. नं. 1-36/2000-एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3444/2001)

(2) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 43 के अंतर्गत, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) आदेश, 2000 जो 12 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1109(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3445/2001)

(3) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3446/2001)

(5) (एक) उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, भुवनेश्वर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, भुवनेश्वर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3447/2001)

(7) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3448/2001)

(9) महासागर विकास मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3449/2001)

(10)(एक) कर्नाटक प्राथमिक शिक्षण विकास योजना समिति, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक प्राथमिक शिक्षण विकास योजना समिति, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3450/2001)

(12) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बाई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3451/2001)

(14) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3452/2001)

(15) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एंडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3453/2001)

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3454/2001)

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): महोदय, मैं, श्री जसवंत सिंह की ओर से विदेश मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3455/2001)

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): महोदय, मैं, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3456/2001)

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2001-02 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3457/2001)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं:

(1) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क की उपधारा (4) के अंतर्गत, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के बारे में वर्ष 1998 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3458/2001)

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3459/2001)

(5) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3460/2001)

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) महोदय, मैं, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3461/2001)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्रीमती वसुन्धरा राजे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2001, जो 17 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 88 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3462/2001)

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3463/2001)

(4) परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3464/2001)

(5) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3465/2001)

(6) लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3465-ए/2001)

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) योजना मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3466/2001)

(2) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा विनिवेश विभाग की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3467/2001)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामले सभापटल पर रखे माने जायेंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) जबलपुर को मुम्बई, दिल्ली और अन्य महानगरों से वायुमार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी): मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नगर जबलपुर जहां कि देश की प्रमुख आयुध निर्माणियां, तीन सैन्य

*सभा पटल पर रखे माने गये।

मुख्यालय, उच्च न्यायालय, दो विश्वविद्यालय के साथ ही नर्मदा नदी के किनारे विश्वप्रसिद्ध, दुनिया का सुन्दरतम चमत्कार मार्बल रोक्स की पहाड़ियां स्थित हैं, जिसके कारण जबलपुर का देश के विभिन्न क्षेत्रों से सम्पर्क तथा आवागमन बना रहता है। परन्तु जबलपुर जैसे महत्वपूर्ण नगर में इंडियन एयर लाइन्स की सप्ताह में मात्र 3 दिन छोटे विमान डोनियर की सर्विस है जिसके कारण जबलपुर आने-जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

पूर्व वर्षों में जबलपुर के लिए नियमित मुम्बई-जबलपुर-दिल्ली उड़ान थी जिसे पुन: प्रारंभ करने के साथ ही इस महत्वपूर्ण शहर को कोलकाता तथा चेन्नई से भी जोड़ने की आवश्यकता है। जिससे यहां आने-जाने वाले लोगों को सहूलियत हो सके तथा देश के हृदय स्थल में बसे जबलपुर शहर का समुचित विकास हो सके।

(दो) लखनऊ-मौरावन-बक्सर-बिन्दगी-सागर (मध्य प्रदेश) मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने और बक्सर में गंगा नदी पर पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

डॉ. अशोक पटेल (फतेहपुर): उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जनपद सागर (मध्य प्रदेश) को जोड़ने वाली सड़क बक्सर के सामने गंगा नदी पर पुल न होने के कारण मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध रहता है। यात्री कानपुर अथवा फतेहपुर होकर ही अपनी यात्रा पूरी करते हैं जिससे लगभग 100 कि.मी. का चक्कर जनता को अनावश्यक रूप से काटना पड़ता है। उन्नाव जनपद की कस्बा भगवन्त नगर एवं फतेहपुर जनपद का कस्बा बिंदकी प्राचीन काल से औद्योगिक केन्द्र रहे हैं किंतु गंगा नदी पर पुल न होने के कारण इन दोनों का उद्योग मृत प्राय: हो गया है। बक्सर में चन्द्रिका देवी की दिव्य शक्ति पीठ है जहां पर प्रतिवर्ष लाखों दर्शनार्थी गंगा में स्नान करके देवी दर्शन हेतु आते हैं किंतु गंगा नदी पर पुल के अभाव में सैकड़ों मील का चक्कर लगाकर बक्सर तक पहुंचने में समय और धन खर्च करना पड़ता है।

अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि लखनऊ-मौरांवा-बक्सर-बिंदगी-सागर (म.प्र.) को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करते हुए गंगा नदी के ऊपर बक्सर के सामने पुल का निर्माण किया जाये।

(तीन) उड़ीसा में जाखापुरा-बांसपानी रेल परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनन्त नायक (क्योंझर): उड़ीसा में जाखापुर-बांसपानी रेलवे लाइन के पूरा होने में अत्यधिक विलंब हुआ है। इसके पूरे होने के लिए 31 मार्च 2003 की तिथि निर्धारित की गई थी। यह पहली पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने के पश्चात् उड़ीसा की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण रेलवे परियोजना है। जाखापुरा से दैतारी तक का इसका प्रथम चरण 1969 में पूरा हो गया था और यातायात के लिए खुल गया था। परन्तु दैतारी से क्योंझरगढ़ तक के दूसरे चरण और क्योंझरगढ़ से बांसपानी तक के तीसरे चरण में अधिक प्रगति नहीं हुई है। इसमें विलंब के कारणों से सभी परिचित हैं। इस लाइन के पूरा होने का प्रमुख कारण धन का अपर्याप्त आवंटन है।

लाइन के पूरा होने के पश्चात् इससे वर्तमान में तीन राज्यों अर्थात् उड़ीसा बिहार और फिर उड़ीसा से होकर जाने वाले टेढ़े-मेढ़े मार्ग के स्थान पर छोटे मार्ग से पारादीप बंदरगाह तक निर्यात गुणवत्ता वाले खनिजों की ढुलाई में सुविधा होगी। कम दूरी के मार्ग से ढुलाई करने से यातायात लागत, समय और राजस्व की बचत होगी। इसके अतिरिक्त यह लाइन एक आदिवासी बहुल पिछड़े क्षेत्र से होकर गुजरती है। मैं सरकार से जाखापुरा-बांसपानी लाइन के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं ताकि इसे कम से कम वर्ष 2003 के अंत तक पूरा किया जा सके।

(चार) जनजातीय क्षेत्रों, विशेष रूप से गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए वन (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): वन संबंधी कानूनों से मेरे भरूच संसदीय क्षेत्र के नर्मदा जिले डीडीया पाडा और सगवारा तहसीलों के आदिवासी लोगों के विकास को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। रिजर्व फोरेस्ट कानून के चलते यहां के आदिवासियों के खेतों को सिंचाई हेतु डेम नहीं बनाये जा सकते, आने-जाने के लिए रोड नहीं बना सकते, पशुओं के पानी और खेतों की सिंचाई के लिए तालाब और छोटी-मोटी नहर नहीं बनायी जा सकती हैं। यह कैसा विरोधाभास है कि वनों के कानूनों से वनवासियों को ही नुकसान पहुंच रहा है।

मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्रों में इन कानूनों को इतना कठोर नहीं बनाया जाये और इन कानूनों को इस प्रकार से संशोधित किया जाये कि आदिवासी लोगों का विकास आसानी से किया जाये।

(पांच) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके अधिनियम की पहली अनुसूची में से "नीलगाय" का लोप किये जाने की आवश्यकता

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): पूरे राजस्थान में इन दिनों किसानों को अपनी बची-खुची येन-केन प्रकारेण बोई हुई फसल

को बचाने के लिए रोजड़ों (नीलगायों) की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये रोजड़े (नीलगायों) झुण्ड के झुण्ड रात को खेतों में घुस जाते हैं और पूरी खड़ी फसलें रौंद डालते हैं। ये रोजड़े (नीलगायें) फसल को जितना खाती हैं उससे ज्यादा तो अपने पैरों तले रौंद देती हैं।

ऐसे हानिकारक और किसानों के घोर शत्रु रोजड़ों को नीलगाय नाम दे दिया तथा नीलगायों (रोजड़ों) को भारत सरकार ने 1976 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की पहली अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जिन्हें मारना दण्डनीय अपराध है। राजस्थान ने किसानों की फसलों की रोजड़ों (नीलगायों) द्वारा भारी बरबादी को रोकने हेतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की पहली अनुसूची में से नीलगाय को निकालने के लिए केन्द्र सरकार को लिखा भी है।

नीलगाय के साथ गाय शब्द जुड़ना सर्वथा निरर्थक है यह तो एक प्रकार से जंगली हिरण है, यह गाय से किसी तरह मेल नहीं खाती।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि रोजड़ों के आतंक से किसान को मुक्ति दिलाने तथा लाखों रुपये की फसल बरबाद होने से बचाने हेतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986 में अविलम्ब संशोधन कर पहली अनुसूची में से नीलगाय को हटाया जाए और इन्हें मारने की आज्ञा दी जाए।

(छह) आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से कुडप्पा, अनन्तपुर और महबूब नगर जिलों में मूंगफली की फसल का बीमा किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा): मूंगफली की फसल उगाने के लिए उपयोग में लाये गये क्षेत्र से अधिक क्षेत्र का दावा करने के कारण भारत सरकार वर्ष 1999 की खरीफ की फसल में मूंगफली के 963.42 लाख रुपये के फसल-बीमा का निपटारा नहीं कर सकी थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से इस मामले को एक विशेष प्रस्ताव मानकर विचार करने का अनुरोध किया था क्योंकि वास्तव में बोए गए क्षेत्र ही वास्तविक स्थिति दर्शाते हैं। यह भी बताया गया है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल कटाई के कुछ प्रयोग असफल होने के कारण कुछ मंडलों का समग्र उत्पादन नष्ट हो गया है। अत: यह सुझाव दिया गया था कि सिंचित क्षेत्र का उत्पादन अलग करने के पश्चात् परिमित क्षेत्रों में मूंगफली के उत्पादन पर विचार किया जाना चाहिए।

अत:, मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे कृपया कुड्डापाह के मूंगफली उत्पादक क्षेत्रों अनन्तपुर और महबूबनगर और विशेष तौर पर सबसे पहले कुड्डापाह के लिए फसल बीमा को स्वीकृति प्रदान करें।

(सात) उड़ीसा में ढेंकानाल-कामाख्या नगर-कालीहाट-नुपुरपाड़ा-नारायणपुर-क्योंझर राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 42 पर ढेंकानाल जिला मुख्यालय, जो कलकत्ता-चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 से केवल 35 किलोमीटर दूर है, और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6, जो उड़ीसा का कलकत्ता-मुम्बई राजमार्ग है, पर क्योंझर के जिला मुख्यालय शहर क्योंझरगढ़ के बीच की दूरी केवल 135 किलोमीटर है।

इससे न केवल ढेंकानाल औद्योगिक क्षेत्र और क्योंझर औद्योगिक क्षेत्र की दूरी 100 किलोमीटर कम हो जायेगी अपितु इससे क्रोमाइट और लौह-अयस्क वाले खनिज-प्रचुर क्षेत्र भी खुल जायेंगे। इससे संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र में विकास और आर्थिक गतिविधियाँ भी शुरू हो जायेंगी। आदिवासी, जिन्हें आधारभूत सुविधाओं जैसे संचार और रेलवे लाइन के अभाव के कारण आठ पंचवर्षीय योजनाओं के पश्चात् भी विकास का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें उड़ीसा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इन दो जिला-मुख्यालयों के जुड़ने से अत्यधिक फायदा होगा। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि ढेंकानाल-कामाख्यानगर-एम.डी.आर. 28 किलोमीटर, कामाख्यानगर-कालीहारा-वाया कनकांडाबाद-सीवीआई 30 किलोमीटर, कालियाहाल-नुदूरपाड़ा-सी.वी.आर. 48 किलोमीटर; नुदूरपाड़ा-नारायणपुर एम.डी.आर. 12 किलोमीटर, नारायणपुर-क्योंझर एस. एच. 5 किलोमीटर को बिना किसी विलंब के राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किया जाये।

(आठ) रसोई गैस/पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप के आवंटन के लिए एक पारदर्शी तंत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन): मैं महिलाओं सहित, समाज के निचले तबके के अनेक अभ्यर्थियों, जिनकी सरकारी तेल कंपनियों की रसोई गैस/पैट्रोलियम पदार्थों की डीलरशिप हेतु चयन की प्रक्रिया में उपेक्षा दी गई है और जिन पर अपने परिवार को पालने की पूर्ण जिम्मेदारी है की भावनाओं को आवाज प्रदान करना चाहता हूँ। तेल-चयन-बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सबसे अधिक योग्य उम्मीदवार का चयन सुनिश्चित करने का एक स्पष्ट तंत्र विद्यमान है। परन्तु इन दिशानिर्देशों का कितना पालन किया जाता है, यह एक विचार करने योग्य विषय है। स्पष्ट रूप से, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम होने के नाते तेल कंपनियों के ऊपर पददलितों और सुविधाविहीन लोगों को उद्योगों के माध्यम से आजीविका प्रदान करने का सामाजिक दायित्व है। मुझे लगता है

कि वह दिन दूर नहीं जब पैट्रोलियम पदार्थों के विपणन का निजीकरण करने से गलाकाट-प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें बाजार विशेषज्ञों और धनाढ्य लोगों को रसोई गैस/तेल एजेंसियां चलाने के लिए चुना जायेगा और इस प्रकार, सामाजिक दायित्व संबंधी मानदंड की उपेक्षा की जायेगी।

अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उम्मीदवारों के चयन के लिए अधिक स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की जाये।

(नौ) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत केरल खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़): केरल खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड वर्ष 1997 में अस्तित्व में आने के समय से ही ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मार्जिन राशि योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। बोर्ड को अभी तक आयोग से 6.70 करोड़ रुपये मार्जिन राशि अनुदान के रूप में प्राप्त हुए हैं। बोर्ड ने 814 उद्यमियों को सहायता प्रदान करके और ग्रामीण क्षेत्रों में 6434 रोजगारों के अवसर उत्पन्न करके इस धनराशि का पूर्ण उपयोग किया है। मार्जिन राशि योजना केरल-खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य कार्यकलाप है।

आयोग ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए मार्जिन राशि अनुदान के रूप में 2000-2001 के दौरान बोर्ड के लिए 10 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। उन्होंने कुछ दस्तावेज पेश किये जाने तक मार्जिन राशि अनुदान की पहली किश्त के रूप में 5 करोड़ रुपये जारी करने का वायदा किया है।

तत्पश्चात, बोर्ड ने आयोग द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज उपलब्ध कराये, परंतु आयोग ने अभी तक वह धनराशि प्रदान नहीं की है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के लिए धनराशि शीघ्र जारी करने के लिए संबद्ध संस्था को आवश्यक निर्देश दे।

(दस) खलीलाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भालचन्द्र यादव (खलीलाबाद): मेरे लोक सभा क्षेत्र खलीलाबाद के नव सृजित जनपद संत कबीर नगर, उ.प्र. जो एक अति पिछड़ा एवं बाढ़ की भीषण विभीषका से प्रभावित जनपद है, में विगत वर्ष 1998 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में आयी भीषण बाढ़ से लगभग 90 प्रतिशत फसल एवं मकान गिरकर नष्ट हो गए हैं। जनपद की सड़कें बाढ़ से तेज कटान के कारण पूर्ण रूप से बरबाद हो चुकी हैं। जनपद संत कबीर नगर के निवासी बेरोजगारी के कारण भुखमरी के कगार पर हैं। बेरोजगारों को भुखमरी से बचाने हेतु संत कबीर नगर जनपद में दस करोड़ रुपये का अतिरिक्त धनराशि रोजगार योजना के अंतर्गत स्वीकृत करके रोजगार मुहैया कराये। संयुक्त सचिव को भेजकर सर्वेक्षण भी पूर्व में कराया गया है। वर्णित तथ्यों के सापेक्ष में अतिरिक्त धन एवं इंदिरा आवास दिये जाने की संस्तुति किया गया है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनपद के लाखों बेरोजगारों को रोजगार, सृजन हेतु 10 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि "सुनिश्चित रोजगार योजना" के अंतर्गत स्वीकृत कर शीघ्र उपलब्ध कराया जाये।

(ग्यारह) चित्रकूट मंडल में "फ्री बोर प्रोजेक्ट" के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा): उत्तर प्रदेश के चित्रकूट मंडल के चार जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, एवं हमीरपुर में लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित 'फ्री बोर योजना' बंद कर दी गई है। विगत एक वर्ष से किसानों के खेतों में ट्यूबवेल बोर करने, बिजली कनैक्शन देने और अनुदान स्वीकृत करने पर पाबन्दी लगा दी गई है। इससे किसानों में हाहाकार मचा है। धन के अभाव में नई हैवी रिग बोर मशीनों की खरीददारी रुकी पड़ी है जबकि लघु सिंचाई विभाग के लिए उक्त चारों जिलों में से प्रत्येक जिले के लिए कम से कम दो-दो हैवी रिग बोर मशीनों की तत्काल आवश्यकता है। रिग मशीनों के सफल संचालन हेतु प्रत्येक मशीन के साथ एक शक्तिशाली कम्प्रेशर, पानी ढोने का एक टैंकर व ट्रैक्टर, पाईप ढोने के लिए एक ट्रक और एक जीप की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार चारों जिलों के लिए आठ हैवी रिग मशीनों तथा उनके सभी संयंत्रों का अभाव व्यक्त किया जा रहा है। प्रत्येक फ्री बोर योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को एक लाख रुपयों का अनुदान देने का नियमानुसार प्रावधान है। उसे भी रोक दिया गया है। अब किसान प्राइवेट मशीनों से बोर कराने हेतु विवश है। योजना के मूल स्वरूप को नष्ट कर दिया गया है। अत: योजना के मूल स्वरूप को बहाल-बरकरार किया जाए। मशीनों, बिजली, अनुदान की सुचारू एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए तथा पीड़ित किसानों को राहत प्रदान की जाए।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि चित्रकूट मंडल में इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विशेष योजना के तहत राज्य सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाये।

(बारह) तमिलनाडु के तिरुपत्तूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का चहुंमुखी विकास किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरुपत्तूर): तमिलनाडु के वेल्लौर जिले में पुडु ऊर नाडु, नेल्लीवासल नाडु, जो तिरुपत्तूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, में उचित बुनियादी संपर्क सड़कें तक नहीं हैं क्योंकि ये गांव वन क्षेत्र में हैं। हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इन गांवों में बैलगाड़ी से यात्रा करना अभी तक कठिन है।

यहां उपलब्ध मसाले और शहद स्थानीय लोगों को कुछ हद तक रोजगार प्रदान करते हैं। पुडु ऊर नाडु में एक उच्चर माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और कुछ सहकारी समितियां हैं। लेकिन अभी तक सरकार के प्रशासनिक तंत्र और कर्मचारियों के लिए इन स्थानों पर पहुंचना आसान नहीं है जिससे विकास की गति में रुकावट आती है। इस दूरस्थ क्षेत्र में तकनीकी तथा और आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु सुविधाएं प्राप्त करना, बिस्तर सहित अस्पताल का निर्माण, आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना एक स्वप्न ही है। गंभीर रूप से बीमार रोगियों को रेफरल अस्पतालों तक डोली द्वारा हाथ से उठा कर ले जाना पड़ता है। कीचड़ से भरे रास्ते और कठिन बैलगाड़ी यात्रा यहां के ग्रामीण लोगों को आधुनिक कम्प्यूटर युग में कदम नहीं रखने देते।

अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह केन्द्रीय वन क्षेत्र में पुडु ऊर नाडु, नेल्लीवासल नाडु और पुंगमपट्टी नाडु गांवों में और इनके आसपास के क्षेत्रों में केन्द्रीय योजना के तहत ग्रामीण सड़क सुविधा की व्यवस्था करने हेतु सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर सामूहिक प्रयास करे।

(तेरह) बिहार के चहुंमुखी विकास के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर): गत वर्ष बिहार राज्य का पुनर्गठन कर बिहार और झारखंड दो राज्य बने। पुनर्गठन के पश्चात संयुक्त बिहार राज्य की सम्पूर्ण खनिज सम्पदा, विद्युत उत्पादन क्षमता का दो तिहाई हिस्सा, सभी जर्वत औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं राजस्व प्रदान करने वाले सभी प्रमुख स्रोत नवगठित झारखंड प्रदेश क्षेत्र में पड़ गए हैं। दूसरी तरफ बचे बिहार राज्य को मिला बाढ़ और सुखाड़, आबादी का घनत्व एवं बेरोजगारों की लम्बी कतार। स्पष्टत: अब बिहार राज्य आर्थिक दृष्टि से विपन्न हो गया है। पुनर्गठन विधेयक पारित करते समय सरकार से आश्वासन लिया गया था कि पुनर्गठन के कारण बिहार राज्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को दूर करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का प्रावधान किया जायेगा। किंतु छ: महीने से अधिक का समय बीत गया, अभी तक न तो बाढ़ के स्थायी निदान के लिए नेपाल सरकार से वार्ता प्रारंभ की गई है और न ही आर्थिक पैकेज का प्रावधान किया गया है।

अनुरोध है कि सरकार बाढ़ के स्थायी निदान के लिए तुरंत नेपाल सरकार से वार्ता प्रारंभ करे तथा विशेष आर्थिक पैकेज देने का प्रावधान किया जाये।

(चौदह) तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को सहकारी बैंकों द्वारा रसोई गैस कनेक्शनों के लिए ऋण मंजूर करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): मैं इंडियन ऑयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन आदि से रसोई गैस (एल.पी.जी.) कनैक्शन प्राप्त करने हेतु ग्रामीण निर्धन लोगों के लिए तमिलनाडु में सहकारी बैंकों द्वारा ऋण का प्रावधान करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की थी कि जिला सहकारी बैंकों द्वारा ग्रामोण निर्धन लोगों को अपने घरेलू प्रयोजनार्थ रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए ऋण के रूप में 3500 रुपये की राशि दी जायेगी। इस प्रयोजनार्थ 18 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं और लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 50,000 है। सहकारी बैंकों को मात्र 18 करोड़ रुपये दिये गये हैं और यदि 50 हजार से अधिक व्यक्तियों को आवेदन पत्र जारी किये जाते हैं तो बैंक उन्हें ऋण देने की स्थिति में नहीं होगा। यदि इस योजना को समान रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता है तो यह योजना वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पायेगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और यह सुनिश्चित करे कि ग्रामीण निर्धन लोगों को इस योजना के पूरे लाभ मिल सकें।

(पन्द्रह) सिक्किम के तमांग, लिम्बू और कुछ अन्य समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता

श्री भीम दाहाल (सिक्किम): सिक्किम के जनजातीय समुदाय यथा तामांग, लिम्बू, गुरुंग, राय, मंगार, भुजेल और सुंवर समुदाय पिछले तीन दशकों से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। वे सूची में शामिल किये जाने संबंधी सभी मानदंडों को पूरा करते हैं। अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत करने के अलावा उनका रहने का ढंग और सामाजिक रीतिरिवाज भी आदिम हैं। लिम्बू, तमांग और अन्य उल्लिखित समुदायों के एक बड़े वर्ग के पास अभी जमीन नहीं है और वे बटाईदार हैं। सदियों से भू-स्वामी अथवा जमींदार उनका दमन कर रहे हैं।

वे प्रकृति के उपासक हैं। उनके 60 प्रतिशत से अधिक लोग या तो अनपढ़ हैं अथवा उन्हें थोड़ा-बहुत ही पढ़ना-लिखना आता है।

इसलिए, सभी क्षेत्रों में उनकी संपूर्ण सुरक्षा, कल्याण और उचित प्रतिनिधित्व के लिए उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में अविलंब शामिल किया जाये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आज महत्वपूर्ण कार्य पारित किया जाना है। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

राष्ट्रपति से संदेश

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे माननीय राष्ट्रपति से दिनांक 16 मार्च, 2001 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:

> "19 फरवरी, 2001 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।"

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.05 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

नियम 331छ(क) का निलम्बन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, संवैधानिक आवश्यकता के अनुसार, रेल और सामान्य बजट दोनों के संबंध में लेखानुदानों की मांगों और संबंधित विनियोग विधेयकों को 31 मार्च, 2001 तक संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किया जाना और उन पर माननीय राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी होती है।

जैसाकि आपको ज्ञात है कि नियमों के अनुसार सभा में बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद स्थायी समितियां अनुदानों की मांगों पर विचार करेंगी।

चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में वर्ष 2001-2002 के रेल और सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा कराना सम्भव नहीं है, अतः लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331छ(क) को निलम्बित करना होगा। मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत है।

मैं पूरी सभा से अपील करता हूँ कि वह इसमें सहयोग करे और अनिवार्य वित्तीय कार्य को बिना किसी बाधा के पारित कराए।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे

लेखानुदानों की मांगें (रेल), 2001-02*
और
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2000-01*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा में मद सं. 16 और 17 पर एक साथ विचार किया जायेगा।

मैं अब लेखानुदानों की मांगें (रेल) 2001-02 मतदान के लिए रखता हूं।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से लेखे पर भारत के राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 2000-2001 मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग सं. 10 और 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2000-2001 के लिए लेखानुदानों की मांगें (रेल)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान की मांग की राशि
1	2	3
1.	रेलवे बोर्ड	10,71,36,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	31,52,14,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	253,13,25,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	497,20,89,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	286,02,99,000
6.	सवारी और मालडिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	551,82,92,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	276,76,39,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	459,76,06,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	2097,23,97,000
10.	परिचालन व्यय-ईंधन	1235,84,68,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	206,42,86,000
12.	विविध संचालन व्यय	243,03,72,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	970,27,04,000
14.	निधियों में विनियोग	1555,86,61,000
15.	सामान्य राजस्व के लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	3,85,33,000
16.	परिसंपत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव	
	राजस्व	5,83,33,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	2382,24,33,000
	रेलवे निधियां	730,66,67,000
	जोड़	11798,24,54,000

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2000-01 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि रु.
1	2	3
10	परिचालन व्यय-ईंधन	136,14,00,000
16	परिसंपत्तियां खरीद निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	रेलवे निधियां	2,000
	जोड़	136,14,02,000

अपराह्न 12.07 बजे

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2001*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा अब मद संख्या 18 और 19 को एक साथ लेगी।

मंत्री महोदय अब विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2001 को पुर:स्थापित करने के लिए सभा से अनुमति का प्रस्ताव करेंगे।

...(व्यवधान)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक की पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 20.7.2001 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय अब विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2000-2001 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है—

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2000-2001 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.10 बजे

विनियोग (रेल) विधेयक, 2001*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा मद संख्या 20 और 21, विनियोग (रेल) विधेयक' को लेगी।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री विनियोग (रेल) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2000-2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2000-2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड-2, दिनांक 20.3.2001 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 12.13 बजे

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2001-2002* और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2000-2001*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा अब मद संख्या 23 और 24 को लेगी।

मैं अब लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), वर्ष 2001-2002 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 25, 27, 28 30 से 55, 57 से 90, 92, 93 और 95 से 100 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2000-2001 को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखायी गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2001, को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें: मांग संख्या 1, 3 से 6, 8, 12, 14, 15, 23, 26, 28, 30, 35 से 47, 49 से 51, 57, 58, 62, 68 से 70, 73, 75 से 77, 79 से 82, 84, 85, 87, 89, 90, 95 और 99 से 103।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

लोक सभा द्वारा वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकृत लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	291,28,00,000	20,53,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	231,51,00,000	-
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	74,76,00,000	3,67,00,000
4.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग	9,85,00,000	38,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
5.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	9,93,00,000	8,62,00,000
6.	उर्वरक विभाग	2453,20,00,000	63,58,00,000

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

1	2	3	4
नागर विमानन मंत्रालय			
7.	नागर विमानन मंत्रालय	121,81,00,000	9,77,00,000
कोयला मंत्रालय			
8.	कोयला मंत्रालय	73,24,00,000	65,01,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
9.	वाणिज्य विभाग	202,79,00,000	16,77,00,000
10.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	49,86,00,000	-
संचार मंत्रालय			
11.	डाक विभाग	881,60,00,000	17,90,00,000
12.	दूरसंचार विभाग	404,09,00,000	33,00,000
रक्षा मंत्रालय			
13.	रक्षा मंत्रालय	676,71,00,000	6,41,00,000
14.	रक्षा पेंशन	1794,88,00,000	-
15.	रक्षा सेवा—थल सेना	5924,08,00,000	-
16.	रक्षा सेवा—नौ सेना	721,68,00,000	-
17.	रक्षा सेवा—वायु सेना	1320,32,00,000	-
18.	रक्षा आयुध निर्माणियां	79,62,00,000	-
19.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	-	3324,42,00,000
विनिवेश विभाग			
20.	विनिवेश विभाग	67,00,000	-
पर्यावरण और वन मंत्रालय			
21.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	141,97,00,000	9,87,00,000
विदेश मंत्रालय			
22.	विदेश मंत्रालय	422,54,00,000	57,94,00,000
वित्त मंत्रालय			
23.	आर्थिक कार्य विभाग	282,81,00,000	19,03,00,000
24.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	152,36,00,000	134,55,00,000
25.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	293,63,00,000	27,06,00,000

1	2	3	4
27.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	3091,81,00,000	-
28.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	-	133,33,00,000
30.	व्यय विभाग	3,97,00,000	834,09,00,000
31.	पेंशन	718,04,00,000	-
32.	लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	150,80,00,000	3,50,00,000
33.	राजस्व विभाग	217,90,00,000	1,32,00,000
34.	प्रत्यक्ष कर	177,89,00,000	20,00,00,000
35.	अप्रत्यक्ष कर	237,39,00,000	47,52,00,000
उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
36.	उपभोक्ता मामले विभाग	8,11,00,000	40,00,000
37.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	2332,22,00,000	42,93,00,000
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
38.	स्वास्थ्य विभाग	393,95,00,000	63,90,00,000
39.	भारतीय चिकित्सा प्रणालियां एवं होम्योपैथी विभाग	26,43,00,000	1,17,00,000
40.	परिवार कल्याण विभाग	797,89,00,000	29,16,00,000
गृह मंत्रालय			
41.	गृह मंत्रालय	117,47,00,000	4,69,00,000
42.	मंत्रीमंडल	27,64,00,000	1,56,00,000
43.	पुलिस	1431,79,00,000	133,09,00,000
44.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	104,06,00,000	38,66,00,000
45.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	82,58,00,000	58,75,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
46.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	905,12,00,000	-
47.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	736,58,00,000	1,00,000
48.	महिला और बाल विकास विभाग	505,22,00,000	7,00,000
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय			
49.	सरकारी उद्यम विभाग	181,00,000	-
50.	भारी उद्योग विभाग	86,07,00,000	385,71,00,000

1	2	3	4
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय			
51.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	215,04,00,000	30,30,00,000
सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
52.	सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	53,65,00,000	8,43,00,000
श्रम मंत्रालय			
53.	श्रम मंत्रालय	186,39,00,000	4,00,000
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय			
54.	विधि और न्याय	71,69,00,000	80,00,000
55.	निर्वाचन आयोग	1,79,00,000	-
57.	कम्पनी कार्य विभाग	7,54,00,000	17,00,000
खान मंत्रालय			
58.	खान विभाग	153,58,00,000	25,19,00,000
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय			
59.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	70,02,00,000	27,91,00,000
संसदीय कार्य मंत्रालय			
60.	संसदीय कार्य मंत्रालय	77,00,000	-
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
61.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	35,50,00,000	40,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
62.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1,20,00,000	-
योजना मंत्रालय			
63.	योजना मंत्रालय	15,25,00,000	2,50,00,000
विद्युत मंत्रालय			
64.	विद्युत मंत्रालय	256,00,00,000	460,88,00,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
65.	ग्रामीण विकास विभाग	4058,08,00,000	33,34,00,000
66.	भूमि संसाधन विभाग	150,17,00,000	-
67.	पेय जलापूर्ति विभाग	829,23,00,000	-

1	2	3	4
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
68.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	131,31,00,000	6,96,00,000
69.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	159,66,00,000	92,00,000
70.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	31,06,00,000	–
लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामोद्योग मंत्रालय			
71.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामोद्योग मंत्रालय	152,87,00,000	3,86,00,000
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
72.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	650,00,00,000	11,10,00,000
इस्पात मंत्रालय			
73.	इस्पात मंत्रालय	12,07,00,000	2,67,00,000
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			
74.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	948,11,00,000	897,22,00,000
नौवहन मंत्रालय			
75.	नौवहन मंत्रालय	104,65,00,000	53,86,00,000
कपड़ा मंत्रालय			
76.	कपड़ा मंत्रालय	134,06,00,000	84,49,00,000
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय			
77.	पर्यटन विभाग	22,59,00,000	7,61,00,000
78.	संस्कृति विभाग	71,75,00,000	4,00,000
जनजाति कार्य मंत्रालय			
79.	जनजाति कार्य मंत्रालय	15,04,00,000	5,00,00,000
शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय			
80.	शहरी विकास विभाग	106,52,00,000	72,40,00,000
81.	लोक निर्माण कार्य	107,43,00,000	37,46,00,000
82.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	31,12,00,000	23,00,000
83.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	35,55,00,000	30,67,00,000
जल संसाधन मंत्रालय			
84.	जल संसाधन मंत्रालय	117,01,00,000	7,90,00,000

1	2	3	4
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			
85.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	217,52,00,000	16,70,00,000
युवा मामले और खेल मंत्रालय			
86.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	52,20,00,000	31,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग			
87.	परमाणु ऊर्जा	256,50,00,000	174,96,00,000
88.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	250,55,00,000	182,17,00,000
महासागर विकास विभाग			
89.	महासागर विकास विभाग	27,73,00,000	40,00,000
अंतरिक्ष विभाग			
90.	अंतरिक्ष विभाग	268,07,00,000	71,05,00,000
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय			
92.	राज्य सभा	9,73,00,000	-
93.	लोक सभा	22,67,00,000	-
95.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	16,00,000	-
विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र			
96.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	108,72,00,000	37,17,00,000
97.	चंडीगढ़	116,63,00,000	17,04,00,000
98.	दादरा और नगर हवेली	60,02,00,000	5,49,00,000
99.	दमन और दीव	33,79,00,000	4,30,00,000
100.	लक्षद्वीप	35,22,00,000	12,21,00,000
	जोड़ राजस्व/पूंजी	38536,14,00,000	7919,85,00,000

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2000-2001 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	7,69,00,000	-
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	2,00,000	-

1	2	3	4
4.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग	6,96,00,000	–
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
5.	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	–	33,30,00,000
6.	उर्वरक विभाग	122,00,00,000	–
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
8.	वाणिज्य विभाग	2,00,000	1,00,000
संचार मंत्रालय			
12.	दूरसंचार विभाग	358,81,00,000	20002,00,00,000
संस्कृति, युवा मामले और खेल मंत्रालय			
14.	संस्कृति विभाग	1,00,000	–
15.	युवा मामले और खेल विभाग	1,01,00,000	–
विनिवेश विभाग			
23.	विनिवेश विभाग	6,19,00,000	–
वित्त मंत्रालय			
26.	आर्थिक कार्य विभाग	578,96,00,000	–
28.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	585,09,00,000	–
30.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	7555,90,00,000	–
35.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	2,02,00,000	70,00,000
36.	राजस्व विभाग	60,62,00,000	–
37.	प्रत्यक्ष कर	–	1,00,000
38.	अप्रत्यक्ष कर	28,26,00,000	–
उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
39.	सार्वजनिक वितरण विभाग	3774,60,00,000	–
40.	उपभोक्ता मामले विभाग	21,40,00,000	5,75,00,000
41.	शर्करा और खाद्य तेल विभाग	–	1,00,000
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
42.	स्वास्थ्य विभाग	4,00,000	–
43.	भारतीय चिकित्सा प्रणालियां एवं होम्योपैथी विभाग	2,00,000	50,00,000

1	2	3	4
44.	परिवार कल्याण विभाग	1,00,000	-
गृह मंत्रालय			
45.	गृह मंत्रालय	-	2,90,00,000
46.	मंत्रिमंडल	67,00,000	-
47.	पुलिस	331,00,00,000	-
49.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	55,05,00,000	38,82,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
50.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	1,00,000	-
51.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	207,51,00,000	-
श्रम मंत्रालय			
57.	श्रम मंत्रालय	-	32,00,000
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय			
58.	विधि और न्याय	6,28,00,000	-
खान और खनिज मंत्रालय			
62.	कोयला विभाग	1,00,000	-
योजना मंत्रालय			
68.	योजना मंत्रालय	44,77,00,000	-
विद्युत मंत्रालय			
69.	विद्युत मंत्रालय	-	1,00,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
70.	ग्रामीण विकास विभाग	5,00,000	-
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
73.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	1,34,00,000
75.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	96,00,000	-
लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामोद्योग मंत्रालय			
76.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामोद्योग मंत्रालय	2,00,000	-
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
77.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	256,05,00,000	-

1	2	3	4
भूतल परिवहन मंत्रालय			
79.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	2817,28,00,000	3,00,000
80.	नौवहन विभाग	78,98,00,000	3,00,000
कपड़ा मंत्रालय			
81.	कपड़ा मंत्रालय	2,00,000	81,43,00,000
पर्यटन मंत्रालय			
82.	पर्यटन मंत्रालय	1,00,000	16,37,00,000
शहरी विकास मंत्रालय			
84.	शहरी विकास	–	5,50,00,000
85.	लोक निर्माण कार्य	1,00,000	–
शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय			
87.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	1,00,000	2,50,00,000
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			
89.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	2,00,000	–
परमाणु ऊर्जा विभाग			
90.	परमाणु ऊर्जा	96,46,00,000	–
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय			
95.	राज्य सभा	5,15,00,000	–
विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र			
99.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	29,26,00,000	82,30,00,000
100.	चण्डीगढ़	2,50,00,000	2,66,00,000
101.	दादर और नागर हवेली	4,17,00,000	6,66,00,000
102.	दमन और दीव	1,49,00,000	4,78,00,000
103.	लक्षद्वीप	–	34,43,00,000
	कुल जोड़	17047,38,00,000	20320,36,00,000

अपराह्न 12.14 बजे

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 25 और 26 को लेगी। माननीय मंत्री जी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 को पुरः स्थापित करने के लिए सभा की अनुमति लेंगे।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री यशवन्त सिन्हा विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड-2, दिनांक 20.3.2001 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.16 बजे

विनियोग विधेयक, 2001*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 27 और 28 विनियोग विधेयक लेगी। श्री यशवन्त सिन्हा।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड-2, दिनांक 20.3.2001 में प्रकाशित।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर विचार करेगी। श्री यशवन्त सिन्हा।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा दिनांक 21 मार्च, 2001 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.18 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 21 मार्च, 2001/30 फाल्गुन, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

पी.एल.एस.–48/15/18/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।